सप्तम माला खंड 1 अंक 1

सोमवार 29 मार्च 1982

8 चैत्र 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 29 मार्च, 1982/8 चैत्र, 1904 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 13, पंक्ति 5, सदस्य के नाम से पूर्व ता0प्र0सं0 "308" के स्थान पर "508" पढ़िये।

पृष्ठ 66, से पृष्ठ 136 तक सदस्य के नाम से पूर्व दी गयी अ0प्र0संख्या "5637 से 5720 तक के स्थान पर क्रमशः "5638 से 5721 तक पढ़िये।

पृष्ठ 90, पंक्ति 13, "श्री जय नारायण रोट" के स्थान पर "श्री जय नारायण रौत" पढ़िये।

पृष्ठ 93, पंक्ति 1, "पलाट" के स्थान पर "प्लाट" पढ़िये।

पृष्ठ 118, पंक्ति 19, "श्री डी0पी0जदेजा" के स्थान पर "श्री दौलत सिंह जी जदेजा" पढ़िये।

पृष्ठ 131, पंक्ति 1, "जूनिय" के स्थान पर "जूनियर" पढ़िये।

पृष्ठ 138, सदस्य के नाम से पूर्व अ0प्र0सं0 5721 और 5722 के स्थान पर क्रमशः "5723 और 5724" पढ़िये।

पृष्ठ 139, से पृष्ठ 205 तक सदस्य के नाम से पूर्व दी गयी अ0प्र0सं0 "5723 से 5796 तक के स्थान पर अ0प्र0सं0 "5725 से 5800 "तक पढ़िये।

पृष्ठ 144, नीचे से पंक्ति 5, "प्रो0 मधु दंडवते" के स्थान पर "प्रो0 मधु दण्डवते" पढ़िये।

पृष्ठ 316, [illegible] पंक्ति 28 के पश्चात् "18.01" बने "पढ़िये।

विषय-सूची

अंक 28, सोमवार, 29 मार्च, 1982/8 चैत्र, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—18
*तारांकित प्रश्न संख्या : 500, 502, 506 से 508 और 510	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	19—221
तारांकित प्रश्न संख्या : 501, 504, 505, 509, 511 और 513 से 517	19—27
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5586, 5587, 5589 से 5636, 5638 से 5721, 5723, 5724 और 5726 से 5820	27—221
सभा पटल पर रखे गए पत्र	222
राज्य सभा से प्राप्त संदेश	225
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक	226
प्राक्कलन समिति	226
चौबीसवां प्रतिवेदन	226
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	226
छत्तीसवां प्रतिवेदन	226
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	226
इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विमान की क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाना	226 226—231
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	231—238
श्री खुर्शीद आलम खां	233—235
श्री हरिकेश बहादुर	235—238
श्री कमल नाथ	236—238

* किसी नाम पर अंकित यह चिह्न + इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	238
(एक) निर्जीव पेड़ों के तनों और शाखाओं को हटाये जाने के कारण उड़ीसा के मयूरभज जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों के बीच असंतोष	238—239
श्री मनमोहन टुडु	238—239
(दो) मनखुर्द से वेलापुर तक एक रेल लाइन और बान्द्रा तथा अन्धेरी के बीच अतिरिक्त उपनगरीय लाइनों का निर्माण	239—240
श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी	239—240
(तीन) प्राचीन मूर्तियों के संरक्षण के लिये उड़ीसा में रत्नागिरि में एक संग्रहालय का निर्माण	239—241
श्री रासबिहारी बहेरा	241
(चार) छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के विकास और उनको सुन्दर बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के जाजपुर कस्बे को सम्मिलित करना	241
श्री आदिचरण दास	241
(पांच) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय मत्स्य-पालन निगम को बन्द किये जाने के कारण उसके सभी कर्मचारियों को रोजगार देना	242
श्री सुधीर गिरि	242
सामान्य बजट-अनुदानों की मांगें, 1982-83	242—316
(एक) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	242
श्री मूल चन्द डागा	243—245
डॉ० सरदीश राय	246—250
डॉ० कृपासिन्धु भोई	250—256
श्री रवीन्द्र वर्मा	257—265
श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर	265—269
श्री रामविलास पासवान	269—274
श्री रामेश्वर नीखरा	274—276
डॉ० वी० कुलनदैईवेलु	276—279
श्री गिरधारी लाल व्यास	279—284
श्री राजेन्द्र प्रसाद व्यास	284—287
श्री बी० शंकरानन्द	287—300
(दो) विदेश मंत्रालय	301
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	301—313
श्री माधवराव सिन्धिया	313—316

लोक सभा

सोमवार, 29 मार्च, 1982/8 चैत्र, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, कोरम पूरा न होने के कारण हमें चार मिनट का विलंब हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है अब आपका मन लगता है काम करने में।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : विपक्षी दल के सदस्य अभी नहीं आए हैं। हमारे दल के सदस्यों की संख्या पूरी है।

अध्यक्ष महोदय : यह सच है ? तो फिर हम गलती पर हैं, हम देख नहीं पा रहे थे कि मैम्बर हैं या नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कोरम रखना सरकारी पार्टी की जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु प्रश्न सं० 500 प्रश्न सं० 499 का अन्तरण करा दिया गया है।

श्री चित्त बसु : प्रश्न सं० 500, मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु जी को यहां देखते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

शहरी भूमि की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए कार्यवाही

*500. **श्री चित्त बसु :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय शासन और शहरी विकास सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद् ने 5 और 6 फरवरी, 1982 को नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में शहरी भूमि की कीमतों में होने वाली वृद्धि पर नियंत्रण रखने के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य सिफारिशें की गईं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृजमोहन महंती) : (क) स्थानीय शासन तथा नगर विकास की केन्द्रीय परिषद् की नई दिल्ली में 4 तथा 5 फरवरी, 1982 को हुई बैठक

में अन्य बातों के साथ-साथ शहरी भूमि की कीमतों में वृद्धि के प्रश्न पर भी चर्चा की गई। तथापि इस मामले में इस परिषद् ने कोई विशेष सिफारिशें नहीं कीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चित्त बसु : महोदय जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने कई बार यह स्वीकार किया है कि शहरी भूमि की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि शहरी भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम, 1976 का मुख्य उद्देश्य सरकार की शहरी भूमि से सम्बद्ध नीति को लागू करना था जिसके मुख्य मुद्दे थे—शहरी भूमि का समाजीकरण, कुछेक इने-गिने व्यक्तियों के हाथों में भूमि के संकेन्द्रण पर नियंत्रण, शहरी भूमि में सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी को रोकना, तथा शहरी भूमि का समान वितरण सुनिश्चित करना, परन्तु 1976 का यह अधिनियम अभी लागू नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस अधिनियम की कमियों की जांच कर ली है; यदि हां, तो क्या उनका विचार इस अधिनियम में संशोधन करने का है तथा इस सम्बन्ध में क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, शहरी भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम फरवरी, 1976 में पारित किया गया था जिसका उद्देश्य था, कुछेक इने-गिने व्यक्तियों के हाथों में जमीन के संकेन्द्रण पर नियंत्रण शहरी भूमि का अधिक समान वितरण तथा अधिक भूमि का अच्छा उपयोग, सट्टेबाजी को रोकना तथा जनता के लाभ के लिए उसका उपयोग करना।

इस अधिनियम में शहरी क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि पर अधिकतम सीमा लगाने की, निर्दिष्ट मुआवजे की अदायगी पर अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण, आदि की व्यवस्था है। इसमें खाली पड़ी भूमि और सम्पत्ति का सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना हस्तांतरण करने पर भी प्रतिबन्ध है। यह अधिनियम लागू किया जा चुका है। देखा गया है कि यह अधिनियम अधिक कारगर नहीं है इसलिए सरकार का इस अधिनियम में संशोधन करने का विचार है जिससे कि इसको और अधिक कारगर बनाया जा सके।

श्री चित्त बसु : महोदय, अभी लगभग एक महीने पहले निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा एक दस्तावेज तैयार किया गया था और उसमें यह विशेष तौर पर बताया गया था—मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं :—

> "भूमि की कीमतों पर नियंत्रण करने के वित्तीय और विनियामक दोनों प्रकार के उपाय किए जाने चाहिएं।"

इसलिए, सरकार की नीति इस सम्बन्ध में काफी स्पष्ट थी कि वित्तीय और विनियामक दोनों प्रकार के उपाय किए जाएं। क्या वह मुझे यह बता सकते हैं कि वित्तीय और अन्य उपाय किए जाने की दिशा में क्या विशेष कदम उठाए गए हैं? तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या वित्तीय और विनियामक कदम उठाए गए हैं। क्या सरकार सदन को इसकी सूचना देगी?

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, शहरी भूमि राज्य का विषय है। हमने शहरी भूमि के मूल्यों में सट्टेबाजी पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सरकारों से वित्तीय तथा प्रशासनिक उपाय करने के लिए कहा है।

श्री के० राममूर्ति : महोदय, शहरी भूमि में इतनी धोखाधड़ी इसीलिए है कि शहरी भूमि खरीद कर उसमें अपना काला धन उसमें लगा दिया। शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1976 पूरी सावधानी से बनाया गया है परन्तु जब भी यह राज्यों को नियम बनाने के लिए दिया जाता है तो इसकी सीमाओं और उद्देश्यों को अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार अलग रूप दे दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार एक नया कानून बनाएगी जो पूरी तरह कारगर हो और राज्य सरकारों को यह निदेश देगी कि उसे पूरी तौर पर लागू किया जाए।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, हम इसमें कुछ संशोधन करने का विचार कर रहे हैं परन्तु इन्हें लागू करने का विकल्प तो राज्य सरकार के पास होता है। इसलिए हम उन्हें कोई निदेश नहीं दे सकते। कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु में शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम नहीं है, वहां उन्होंने अपना अलग अधिनियम बनाया हुआ है। जम्मू-कश्मीर, केरल और नागालैंड में भी यह चालू नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, चूंकि अभी शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन होना बाकी है इसलिए क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि क्या दिल्ली में सरकार शहरी भूमि के मूल्यों की अधिकतम सीमा निर्धारित करेगी ?

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है दिल्ली में भारत सरकार का 2-5-1961 का भूमि अधिग्रहण विकास और निपटान से सम्बद्ध आदेश लागू हैं। इस आदेश के अन्तर्गत लगभग 69,000 हेक्टेयर भूमि अधिसूचित की जा चुकी है और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उसका निपटान किया जा रहा है। वाणिज्यिक प्लॉटों की नीलामी की जाती है और जहां तक अन्य प्लॉटों का सम्बन्ध है उनका पूर्व निर्धारित आधार पर निपटान किया जाता है।

नर्मदा परियोजना की लागत में राज्यों का हिस्सा

*502. †श्री मोहन लाल पटेल :
श्री नवीन रवाणी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार की ओर से इस आशय की शिकायत मिली है कि सम्बन्धित राज्य नर्मदा बांध परियोजना की लागत में अपना हिस्सा नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सम्बन्धित राज्यों द्वारा अपना हिस्सा न दिए जाने से बांध के निर्माण कार्य के पूरा होने में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि मार्च, 1982 तक उनके द्वारा 128.80 करोड़ रुपये का व्यय किए जाने की प्रत्याशा है, जिसमें से अन्य तीन लाभभोगी राज्यों के हिस्से की लागत निम्न प्रकार से होगी :—

महाराष्ट्र	15.40 करोड़ रुपये
मध्य प्रदेश	32.51 करोड़ रुपये
राजस्थान	5.38 करोड़ रुपये

(ग) इस मामले पर पहले अगस्त, 1981 में हुई सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें तीनों लाभभोगी राज्यों द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि वे बकाया राशि के अपने भाग का 1982-83 से आरम्भ करके तीन बराबर किश्तों में भुगतान करेंगे। उसके पश्चात्, इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए केन्द्रीय सिंचाई मंत्री द्वारा तीनों लाभभोगी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की दिसम्बर, 81 में एक बैठक बुलाई गई थी। उसके पश्चात्, सम्बन्धित राज्यों की 1982-83 की वार्षिक योजनाओं में उनकी बकाया राशि को पूरा करने तथा 1982-83 वर्ष के लिए आवश्यक प्रावधान हेतु धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए योजना आयोग के साथ इस मामले को उठाया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी, 1982 में गुजरात सरकार को 300 करोड़ रुपये पहले ही रिलीज कर दिए हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। अभी तक नहीं। तथापि, राज्य सरकारों को लागतों के अपने भाग की समय पर अदायगी करने के लिए राजी करने हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपका ख्याल था कि श्रीमती राम दुलारी से विजय पानी हो...

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : किसी से विजय पाने का सवाल नहीं है।

श्री मोहनलाल पटेल : नर्मदा परियोजना (जो सरदार सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है) एक महत्वपूर्ण परियोजना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेषकर कृषि उत्पादन, विद्युत उत्पादन, उद्योग और रोजगार प्रदान करने के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है।

15 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाएगी। इस परियोजना से 500 मैगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा।

परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2,348 करोड़ रुपये है। इन 10 वर्षों के भीतर अर्थात् 1990-91 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार जल और बिजली की सप्लाई तथा परियोजना की लागत सम्बन्धित राज्यों—मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच बांट दी गई है।

मंत्री महोदय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 'उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के सभी संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं ।' परन्तु प्रश्न सं० 509 के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि 1/3 शेयर शामिल कर 20.44 करोड़ रुपये का अपेक्षित उपबन्ध कर लिया गया है । जब कि 1982-83 की बजट प्रावधानों में उन्होंने केवल 9.60 करोड़ रुपये का ही वास्तविक प्रावधान किया गया । इसलिए बकाया राशि का 1982-83 के दौरान भुगतान करना संभव नहीं है । इसलिए क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि सम्बन्धित राज्यों को देय राशि का समय पर भुगतान करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ताकि काम न रुकने पाए ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? या फिर आप गुजरात सरकार तथा अन्य सम्बन्धित राज्यों की देय राशि का उन राज्यों को केन्द्र द्वारा दिए जाने वाले अनुदान अथवा राजस्व की राशि में से काट कर केन्द्र द्वारा सीधे ही भुगतान किया जाएगा ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह सही है कि यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना है जिससे सिंचाई क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में ही फायदा होगा । महोदय जैसा कि आप तथा यह सदन सभी जानते हैं कि ऐसी परियोजनाओं को लागू करना राज्य का दायित्व है । लाभभोगी राज्यों को कुछ राशि आबटित की जाती है । यह भी सही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों अपना-अपना हिस्से की राशि का भुगतान करने में पीछे हैं परन्तु उनसे कहा जा रहा है कि वह ठीक समय पर अदायगी करें । इन सभी लाभभोगी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ केन्द्रीय सिंचाई मंत्री की एक बैठक हुई थी । महाराष्ट्र तीन करोड़ रुपये की अदायगी कर चुका है । बाकी राज्य भी अदा कर देंगे । बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 1982-83 से राज्यों के हिस्से की राशि का कुल आबंटन तथा बकाया राशि का एक तिहाई भाग का उनके वार्षिक बजट में प्रावधान कर दिया जाना चाहिए । इस प्रकार मुख्य मंत्रियों और सिंचाई मंत्री के बीच यह एक प्रकार का समझौता था । इस समझौते के बाद महाराष्ट्र ने तीन करोड़ रुपये की राशि अदा कर दी है । उन्होंने बजट में इसकी व्यवस्था की है । उन्होंने वर्ष 1982-83 के अपने हिस्से के राशि आवंटन तथा बकाया राशि के एक तिहाई भाग का प्रावधान कर लिया है । परन्तु यह सही है कि कुछ वित्तीय बाधाओं के कारण मध्य प्रदेश यह राशि अदा नहीं कर पाया है । मध्य प्रदेश सरकार के साथ हमने इस मुद्दे को उठाया है और हमें उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा । हम इस मामले पर आगे विचार कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार इतना ही कर सकती है ।

श्री मोहनलाल पटेल : राजस्थान का क्या हुआ ? उनका शेयर लगभग 6 करोड़ रुपये है । और उन्होंने केवल 50 लाख रुपये की ही व्यवस्था की है । मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने का कोई प्रस्ताव है । यदि हां, तो मैं उसका विवरण जानना चाहूंगा ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : विश्व बैंक के ऋण के सम्बन्ध में मेरे पास इस समय ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । मैं यह सूचना बाद में दे सकता हूं ।

श्री नवीन रवाणी : क्या यह सही है कि विश्व बैंक की विशेषज्ञ समिति ने स्थल का दौरा किया है तथा उनकी यह राय है कि यह क्षेत्र भूकम्प वाला क्षेत्र है । यह भी कहा गया है कि इसके डिजाइन में परिवर्तन कर देना चाहिए । क्या सरकार ने स्थल बदलने का निश्चय किया है । इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है ? क्या सौराष्ट्र के क्षेत्र से ऐसा कोई प्रस्ताव है कि

सरदार सरोवर के अन्तर्गत अधिक क्षेत्रों की सिचाई हो सके जैसे सौराष्ट्र क्षेत्र में भावनगर, राजकोट और अमरेली जिले में यदि गुरुत्वाकर्षण से सिचाई नहीं की जा सकती तो क्या 'लिफ्ट' सिचाई द्वारा की जा सकती है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न द्वारा प्रश्न के स्वरूप में और अधिक विस्तार कर दिया है। मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि क्या माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बद्ध है क्योंकि मुख्य प्रश्न तो नर्मदा परियोजना अर्थात् सरदार सरोवर परियोजना, में तीनों राज्यों के शेयर से सम्बद्ध है।

श्री नवीन रवाणी : महोदय, मेरा प्रश्न अभी भी लम्बित पड़ा है। मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। क्या सौराष्ट्र क्षेत्र से, विशेषकर भावनगर, राजकोट और अमरेली जिलों से यह मांग की गई है कि यदि गुरुत्वाकर्षण द्वारा संभव नहीं है तो सरदार सरोवर परियोजना से अधिक क्षेत्रों में सिचाई की जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसकी जानकारी बाद में उपलब्ध कराएंगे।

ठाकुर शिव कुमार सिह : अध्यक्ष महोदय, नर्मदा योजना से मध्यप्रदेश में एकदम अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। पहले नवागांव की ऊंचाई के बारे में भी वहां बड़ी हलचल थी। मुझे दुःख है नर्मदा आयोग ने बिना राय मांगे पुनासा बांध की ऊचाई भी काफी ऊंची कर दी, जिससे मेरी कांस्टीटुएन्सी का एक-चौथाई भाग बिना कारण से डूब में आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि नर्मदा आयोग ने पुनासा बांध की ऊंचाई के बारे में जो बिना मांगे अपनी राय दी है, जिसके लिए कोई रेफरेंस नही था, क्या केन्द्रीय शासन इस पर फिर से विचार कर पुनासा बांध की ऊंचाई को कम कराएगा ? इसके साथ ही साथ इस अनिश्चितता के कारण पिछले 10 साल से हमारी कांस्टीटुएन्सी में जो डैवलपमैंट का काम रुक गया है, न सड़कें बनी हैं, न पोस्ट आफिस खुल रहे हैं, न बिजली आ रही है, किसान भी सारे परेशान हैं, वह दूसरी फसल ले नहीं सकते, उनके कुओं में पानी है, उनको बिजली नहीं मिलती है, क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि इस अनिश्चितता की स्थिति को वह कब तक स्पष्ट कर देंगे ?

इसके अतिरिक्त हमारे मध्यप्रदेश के पास पैसा नहीं है, उसके लिए केन्द्र उसमें कितनी ज्यादा मदद देगा ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : अध्यक्ष महोदय, हम यहां ट्रिब्यूनल के फैसले पर रिव्यू करने के लिए नहीं बैठे हैं। 12 साल तक सारी चीजें ट्रिब्यूनल के विचाराधीन थीं, और सारी बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है। यकीनन प्रोजेक्ट का इन्वैस्टीगेशन, प्लानिंग और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है और वह टैक्निकल आसपैक्ट देखकर रिपोर्ट तैयार करती है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसको भी हम देख लेंगे।

मध्यप्रदेश के शेयर के बारे में जो पर्टिनेन्ट सवाल है, हम मध्य प्रदेश की डिफिकल्टीज को प्लानिंग कमीशन के नोटिस में ले आये हैं, लेकिन आप जानते हैं कि फाइनेन्स मिनिस्ट्री की कुछ फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज हैं, लेकिन हम परसू कर रहे हैं कि किस तरह से इस मामले को हल किया जाए।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह मामला 1967 से लटक रहा है उस समय गैर-कांग्रेसी मंत्रालय की मिली जुली सरकार थी और मेरे पुराने मित्र श्री गोविन्द नारायण सिंह ने बीच में अवरोध लगा दिया था और इससे इस पर आगे काम नहीं हो सका। उसके बाद एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया जिसने गहन अध्ययन के बाद एक निर्णय दिया जिससे तीनों राज्यों के मुख्य मंत्री सहमत हैं। समय-समय पर सूरत जैसे शहरों में बाढ़ आती रहती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस समय इस घाटी और परियोजना का विकास अपने हाथ में लेगी जिससे कि पिछले दस वर्षों से चल रही इन तीनों राज्य सरकारों और मध्य प्रदेश सरकार की बाधक गतिविधियों से कुछ राहत मिले।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह हमारे नियन्त्रण से बाहर है। सिंचाई राज्य का विषय है, और केन्द्र सरकार राज्यों को केवल सहायता और परामर्श ही दे सकती है, लेकिन यदि राज्य सरकारें तैयार नहीं हैं तो हम परियोजना अपने हाथ में नहीं ले सकते।

संयुक्त राष्ट्र जल प्रदाय दशक

*506. **प्रो० रूप चन्द पाल :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश "संयुक्त राष्ट्र जल प्रदाय दशक" का हस्ताक्षरकर्ता है और वह 1990 तक सभी के लिए पर्याप्त पेय जल और सफाई की व्यवस्था करने के लिए वचन बद्ध है;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र की उक्त घोषणा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा की गई तैयारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) जी; हां। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सदस्य के रूप में, भारत, दशक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है और 1981—1991 की अवधि के दौरान यह देश के अधिक से अधिक लोगों को स्वच्छ जल और स्वास्थ्यकर अपशिष्ट निपटान की सुविधाएं मुहैया करने का प्रयास करेगा।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

चूंकि पेय जल पूर्ति एवं स्वच्छता राज्य के विषय है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प का अनुपालन करने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता की ओर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का ध्यानाकर्षित करने के प्रयास किए गए हैं। देश में यह दशक 1-4-81 से चलाया गया

है । अन्तर्राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं स्वच्छता दशक के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की सिफारिश की गई हैं :—

(1) नगर जल पूर्ति	मार्च 1991 तक लाभान्वित की जाने वाली आबादी का शतप्रतिशत
(2) ग्रामीण जलपूर्ति	मार्च, 1991 तक लाभान्वित की जाने वाली आबादी का शतप्रतिशत
(3) नगर मल-निकास एवं सफाई	प्रथम श्रेणी के शहरों के बारे में लाभान्वित की जाने वाली आबादी का शतप्रतिशत और द्वितीय श्रेणी तथा अन्य शहरों के बारे में 50 प्रतिशत मल-निकास के जरिए और निपटान की साधारण सफाई पद्धति द्वारा प्रत्येक राज्य में कुल कवरेज शहरी आबादी का 80 प्रतिशत होना चाहिए ।
(4) ग्रामीण स्वच्छता	स्वच्छ शौचालयों सहित लाभान्वित की जाने वाली आबादी का 25 प्रतिशत

इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन 1980 के मूल्यों पर आधारित लगभग 15,000 करोड़ रु० के होने का अनुमान लगाया गया है । इस समय, छठी योजना के दौरान नियतन करने का निर्णय ले लिया गया है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 1030 करोड़ रुपये की तुलना में जलपूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र में 3900 करोड़ रु० से अधिक के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । सातवीं योजना और आठवीं योजना के प्रथम वर्ष में अतिरिक्त नियतनों पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा । इस दशक हेतु सामग्री और उपकरण की आवश्यकताओं का मूल्यांकन भी किया गया है ।

प्रो० रूपचन्द पाल : मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि भारत सरकार जल पूर्ति और स्वच्छता दशक से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है । लेकिन मेरा प्रश्न था कि इस बारे में जो उपाय किए गए हैं उनका ब्यौरा दें । वक्तव्य में यह बताया गया है कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्रों के संकल्प का अनुपालन करने के लिए प्रभावी उपाय की आवश्यकता की जानकारी देने के लिए उपाय किए गए हैं ।' मुझे मालूम है कि पेय जल सम्बन्धी विषय राज्यों का विषय है और वे यही कहेंगे भी । किन्तु आजादी के 35 वर्ष बाद भी हम इस समस्या की गम्भीरता को जानते हैं । सरकार के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश के 5.76 लाख गांवों में से 2.30 लाख गांवों से भी अधिक गांव 'समस्या ग्रस्त ग्राम' हैं । तथापि वस्तुतः यह समस्या और भी अधिक है । पशुओं की संख्या को छोड़कर जनसंख्या के अनुसार समस्या ग्रस्त गांवों का पता लगाने की प्रणाली बहुत अधिक दोषपूर्ण है ।

समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रामीण जल पूर्ति के त्वरित कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की घोषणा की है किन्तु इस सभा में किए गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में उपलब्ध कराये गए आंकड़ों से यही लक्षित होता है कि न्यूनतम आवश्यकता

कार्यक्रम को पूरा करने के लिए राज्यों को बहुत कम राशि दी गई है। अभी हाल ही में मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसके अनुसार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए आवंटित 1407.11 करोड़ रुपए में से राज्यों को 1980-81 में 41.00 करोड़ रुपए और 1981-82 में 84.24 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ईंटों की खरीद के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस गम्भीर समस्या के समाधान की प्रगति यदि इतनी ही धीमी रही तो सरकार साधनों को किस प्रकार जुटायेगी क्योंकि सरकार 'संयुक्त राष्ट्र दशक' के अनुसार वचनबद्ध लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1980 के आंकड़ों के आधार पर 1,500 करोड़ रुपए के प्रावधान का उल्लेख किया गया है ?

श्री बृजमोहन महंती : महोदय, वस्तुतः यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद् के सम्मुख दशक आरम्भ करने हेतु व्यवस्था करने के बारे में विचार करने के लिए प्रस्तुत कर दिया था। निर्माण और आवास मंत्री ने हाथ में लिए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में मुख्य मंत्रियों को भी पत्र लिखा है। वर्ष 1980 में एक शिखर समिति निर्माण और आवास सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई थी, ताकि एक नीति निर्धारित करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्देश प्राप्त हो सके। उस शिखर समिति ने विभिन्न कार्य दल भी गठित किए हैं, और वित्त सम्बन्धी कार्यदल ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1980 के मूल्य स्तर के आधार पर15,000 करोड़ रुपये राशि की सिफारिश की थी 1500 करोड़ रुपए के लिए शिखर समिति ने एक कार्य समिति गठित की है, जिसने पहले से ही लक्ष्य निश्चित कर दिए हैं, अर्थात् 100% ग्रामीण जल-पूर्ति प्रथम श्रेणी के नगरों में 100% शहरी जल-पूर्ति, 100% शहरी मल निकासी और स्वच्छता, द्वितीय श्रेणी और अन्य श्रेणी के नगरों में 50% शहरी मल निकासी और स्वच्छता, तथा 25% ग्रामीण आबादी के लिए स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था। सम्बन्धित नगर विकास मंत्रियों और सचिवों ने इन लक्ष्यों को मंजूरी दे दी थी।

अब समस्या यह है कि 15,000 करोड़ रुपए कहां से आएं। शायद इसी से मंत्री महोदय घबराए हुए हैं। इसके लिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने यह सिफारिश की है कि 15,000 करोड़ रुपयों में ये लगभग 13,000 करोड़ रुपए योजना परिव्यय में ही प्राप्त होंगे, 2000 करोड़ रुपए विशेष उपकर और 150 करोड़ रुपए जीवन बीमा निगम से प्राप्त होंगे। यही सिफारिश है और इस समय इस पर वित्त मंत्रालय और योजना आयोग में विभिन्न चरणों में विभिन्न कार्यवाहियां की जा रही हैं।

प्रो० रूपचन्द पाल : महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह इस अर्थ में संतोषजनक नहीं है क्योंकि पिछले अनुभवों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के मामले में भारत सरकार जिन लक्ष्यों के लिए वचनबद्ध थी उसमें वह उद्योगिक कार्यक्रम से बहुत पीछे रही। इन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वर्षों के निर्धारित लक्ष्यों को भारत सरकार ने न्यूनतम सीमा तक भी पूरा करने में सफल नहीं हुई है, इस स्पष्ट बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ऐसे केन्द्रीय बोर्ड के गठन का विचार कर रही है जिसके स्वच्छता और जल सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालय हों ? क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है, जो जल और स्वच्छता तथा एक लाख रु० वार्षिक आय वाले उद्योगों और व्यक्तियों पर उप-कर लगाए जाने के बारे में है ? क्या सरकार सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में निरर्थक व्यय में

0.05 की बचत के किसी प्रस्ताव पर और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक विधियों की अपेक्षित पूर्ति करने के लिए तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : ये सुझाव ही हैं।

प्रो० रूपचन्द पाल : संयुक्त राष्ट्र जल और स्वच्छता दशक के मामले में अपेक्षाएं पूरी करने और वचनबद्धता निभाने के लिए ये सभी प्रश्न इसी सभा में प्रस्तुत हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सुझावों को बड़ी गम्भीरता से लिया है।

श्री बृजमोहन महंती : मैंने माननीय सदस्य को पहले ही बता दिया था कि कैसे वित्त व्यवस्था की जाएगी और किस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी, और एक शिखर निकाय, गठित किया गया है, जो राज सरकारों का निर्देशन करेगी और कार्यकलापों को कारगर बनाने में सहायता देगा। किन्तु हम हस्तक्षेप नहीं दे सकते; यह राज्य का विषय है। और यही कारण है कि माननीय सदस्य जितने भी सुझाव दे रहे हैं उन्हें राज्य सरकारों को ही नोट करना चाहिए। वे राज्य सरकारों से सम्बद्ध हैं। वित्त सम्बन्धी कार्यदल हमेशा ही विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करता रहा है। उन्होंने कुछ प्रस्तावों की सिफारिश भी की है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष जी, इसी सदन में गत शुक्रवार के दिन हमारे मिनिस्टर महोदय ने जवाब दिया था.....

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने ही।

श्री मूलचन्द डागा : जी, इन्हीं श्रीमान् ने कि छठी पंचवर्षीय योजना तक सारे गांवों को पीने का पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। इनका रिटन-रिप्लाई भी है और आज जवाब दे रहे हैं कि हन्ड्रैड परसेंट आफ दि पोपुलेशन टू बि कवर्ड बाई 19.1.1 छठी पंचवर्षीय योजना तक—मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, एक्सीलरेटेड रुरल वाटर स्कीम और नेशन रुरल वर्क्स प्रोग्राम—तीनों स्कीम्स को कोआर्डिनेट करते हुए आप पानी देंगे या नहीं देंगे ? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि आज कितने और गांव बाकी हैं, जहां पर पीने के पानी की सुविधा नहीं है ?

श्री बृजमोहन महंती : मुझे अफसोस है कि मैं मामले को इतना स्पष्ट नहीं कर पाया, जिससे माननीय सदस्य उसे समझ पाते। समस्या यह है कि हमने यह निर्णय किया है कि छठी योजनावधि के दौरान हम 2 लाख गांवों से सम्बन्धित योजना पूरी कर लेंगे। ये समस्या ग्रस्त गांव है, और सुरक्षित जल पूर्ति का श्रम से एक स्रोत तो उन्हें उपलब्ध रहे। जहां तक दशक कार्यक्रम का सम्बन्ध है, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त पूर्ति होगी। यही अन्तर है।

जैसा कि सब जानते हैं 1972 और 1973 में हमने अपने समस्या ग्रस्त गांवों की गणना की थी और उन्हें 1.52 लाख पाया था। 9,5000 गांवों के लिए योजना पूरी करने के बाद 2.3 लाख गांव सूखा पड़ते रहने जैसे विचित्र कारणों से अभी भी समस्या ग्रस्त हैं। ऐसा कुछ किया जाए जिससे बहुत पहले से ही पानी की कमी सहते रहने वाले गांवों का पता लगाया जा सके। यह समस्या इतनी बड़ी है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य के सभी पहलुओं को समझेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने दो लाख कुछ प्रोब्लमेटिक गांव बताए हैं, लेकिन राजस्थान के बारे में आप को विशेष जानकारी है या नहीं है, वहां 35 हजार गांवों में से 25 हजार गांवों में आज भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : व्यास जी, आप मंत्री जी को अगले महीने वहां के किसी गांव में ले जाइए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष जी, आपके पड़ौस में ही तारानगर और सरदार शहर में पीने का पानी कड़वा होता है। जिस के पीने से कुबड़ निकल जाती है और आदमी अन्धा हो जाता है। इसलिए मंत्री महोदय बतायें कि राजस्थान के 25 हजार गांव, जिनके सम्बन्ध में आपने 108 करोड़ रु० छठी पंचवर्षीय योजना में दिया है, वहां पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बृजमोहन महंती : वस्तुतः यह राज्य सरकारों और योजना आयोग के बीच चर्चित होने वाला मामला है, इसी आंकड़े पर वे सहमत थे, और वित्तीय अभावों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करने के बारे में सहमति व्यक्त की गई थी।

सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण दिया जाना

*507. **श्रीमती प्रमिला बंडवते :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने अथवा जमीन खरीदने के लिए ऋण देने के इस समय क्या विषय हैं;

(ख) ऋण प्राप्त करने के लिए कितनी सेवा अवधि अपेक्षित है; और

(ग) क्या ऋण की मात्रा बढ़ाने और ऋण प्राप्त करने के लिए सेवा अवधि कम करने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) एक सरकारी कर्मचारी को भूमि खरीदने और उस पर मकान बनाने या मकान बनाने के लिए गृह निर्माण ऋण मंजूर किया जाता है। केवल भूमि खरीदने के लिए ऋण नहीं दिया जाता है। गृह निर्माण अग्रिम नियम सम्बन्धित नियमों में हैं। और समय-समय पर विभिन्न आदेश जारी किए जाते हैं।

(ख) गृह निर्माण अग्रिम केन्द्र सरकार के स्थाई कर्मचारियों को या जिनकी नौकरी कम से कम लगातार 10 वर्ष की हो गई हो, को मंजूर किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

श्रीमती प्रमिला बंडवते : विद्यमान नियमों के अनुसार सरकार 75 महीने के मूल वेतन के बराबर ऋण देती है, यदि फ्लैट दर मकान नया हो, तो सरकारी कर्मचारी को अधिकतम इतना ही ऋण दिया जाता है। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में मकानों और फ्लैटों के मूल्य बढ़ते जा

रहे हैं और एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी के लिए फ्लैट या जमीन खरीदना उसकी सामर्थ्य से बाहर होता जा रहा है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या आप पुराने फ्लैटों को खरीदने के लिए ऋण देने पर विचार करेंगे, जिसका मूल्यांकन वास्तुविद विभाग या सरकारी विभाग से करवाया जाए। दूसरी बात यह है कि फ्लैट का मूल्य 90,000 होना चाहिए अथवा कर्मचारी की इच्छानुसार जो भी अधिक हो।

श्री बृजमोहन महंती : यह ऋण आवास निर्माण ऋण नियमों के अन्तर्गत दिया जाता है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है नियमों पर पुनर्विचार या उसकी पुनरीक्षा करने के लिए इस समय कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वस्तुतः वित्तीय अभावों के कारण सरकार इससे ज्यादा नहीं कर सकती है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : मेरा अनुरोध है कि इस पर उन सरकारी कर्मचारियों के लिए विचार किया जाए, जो पुराने फ्लैट खरीदना चाहते है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए नए फ्लैट खरीदना सम्भव नहीं होगा। इसीलिए मैंने यह प्रश्न किया था। मैं चाहती हूं कि आप इस प्रस्ताव पर विचार करें। यदि आप ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है, तो अब ऐसा जरूर करें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या ने यह प्रस्ताव किया है। आप इस पर अवश्य विचार करें, इसे इस तरह नामंजूर न करें। कृपया अवश्य विचार करें।

श्री बृजमोहन महन्ती : आप इस तथ्य पर भी विचार करें कि यदि पुराने फ्लैटों की खरीद की अनुमति दे दी जाएगी, तो उसके परिणाम क्या होंगे। बहुत तरह की धोखा-धड़ी होने लगेगी।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : इस समय तो किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं होती।

श्री बृजमोहन महन्ती : माननीय सदस्या का सुझाव नोट किया जा रहा है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : यदि 12-15 सरकारी कर्मचारी अपनी एक सोसायटी बनाएं तो क्या सरकार राज्य सरकार आवास बोर्ड को यह निदेश देगी कि जिन कर्मचारियों ने मिल-जुल कर जो एक सरकारी संस्था बनाई है, उनके लिए वह मकान बनाए।

श्री बृजमोहन महन्ती : हम राज्य सरकारों को निदेश नहीं दे सकते हैं। हमारे यहां संघीय ढांचा है। संविधान के अन्तर्गत उन्हें भी थोड़ी सी प्रभुसत्ता प्राप्त है।

श्री जी० लक्ष्मनन : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तो भारत सरकार ही ऋण मंजूर कर रही है। केन्द्रीय सरकार का भूतपूर्व कर्मचारी होने के नाते क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार मकान बनाने के लिए सीमेंट और इस्पात की कुछ मात्रा पर विचार कर उसे मंजूर करेगी, क्या केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को सीमेंट और इस्पात का कोटा प्रदान करेगी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह असंगत है, इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए।

श्री बृजमोहन महन्ती : यह एक सुझाव है जिसे मैंने नोट कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उलझन में हूं, मैं उनका अनुरोध मानूंगा उपाध्यक्ष महोदय का।

प्रो० मधु दंडवते : इसे कल वापिस ले लिया जाएगा।

पिछले तीन सालों में मंजूर की गई सिंचाई परियोजनाएं

*308. †श्री रास बिहारी बहेरा :

श्री हरिहर सोरेन : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने पिछले तीन सालों में कितनी बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाएं मंजूर की हैं; और

(ख) योजना आयोग ने अब तक उनमें से कितनी योजनाओं को मंजूरी दे दी हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) सिंचाई मंत्रालय किसी वृहद् तथा मध्यम सिंचाई परियोजना को स्वीकृत नहीं करता है। यह केवल योजना आयोग द्वारा परियोजनओं के स्वीकृति की कार्रवाई में उसकी सहायता करता है। मार्च, 1979 से फरवरी, 1982 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग ने 16 वृहद् और 87 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

श्री रास बिहारी बहेरा : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्योंकि उड़ीसा में जल संसाधन का उपयोग करने की जो क्षमता है इससे बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 39 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होने का अनुमान है और आज तक केवल 7.37 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सका है, गत तीन वर्षों में योजना आयोग ने जिन बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है उनके क्रियान्वयन से कितने क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सकेगा और उस पर कितनी लागत आयेगी।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न फिर पूछिए।

श्री रास बिहारी बहेरा : उड़ीसा में जल संसाधन का उपयोग करने की जो क्षमता है उसमें बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 39 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होने का अनुमान है और आज तक केवल 11.37 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सका है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि गत तीन वर्षों में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सिंचाई के अन्तर्गत कितना क्षेत्र लाया जाएगा तथा उसमें क्या लागत आयेगी ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं समझता हूं कि मैं इसका उत्तर नहीं दे सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इसके लिए इतना लम्बा प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता है। तीन वर्ष के आंकड़े वह कैसे दे सकते हैं ? ऐसी बातें लिखित प्रश्नों के रूप में पूछे जाने चाहिए। कृपया यह उन्हें भेज दीजिए।

श्री रास बिहारी बहेरा : केन्द्रीय सरकार की नीति यह है कि चालू परियोजनाओं के पूरा होने पर नई परियोजनाएं आरम्भ की जाएं और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सूखाग्रस्त और जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए। इस बात को देखते हुए उड़ीसा को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए वहां सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार के मुख्य प्रस्ताव क्या हैं ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह भी मुख्य प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है। यदि माननीय सदस्य की इसमें रुचि है तो यह सूचना मैं उन्हें दे दूंगा।

श्री रास बिहारी बहेरा : मैं उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप संतुष्ट नहीं है। वह आपको उत्तर भेज देंगे। वह आपको यह जल्दी भेज देंगे।

श्री के० भेरावदन गधावी : जहां तक सिंचाई परियोजनाओं का सम्बन्ध है, नए 20 सूत्री कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया है कि और अधिक जमीन सिंचाई के अन्तर्गत लाई जानी चाहिए। राज्य सरकारों का यह अनुभव रहा है, जहां किसी एक परियोजना में दो राज्यों का हिस्सा होता है तो या तो उनमें से एक राज्य इस ओर तत्काल ध्यान नहीं देता है अथवा लोगों को अन्यय मांगे और जमीन के अधिग्रहण आदि के कारण कुछ बड़ी परियोजनाओं के काम में बिलम्ब होता है। इसलिए परियोजना का उद्देश्य निष्फल हो जाता है और इसके क्रियान्वयन के कार्य में रुकावट आती है। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार राज्य सरकारों को यह अनुदेश देगी कि वे अपना काम भली भांति करें और अपने हिस्से का काम शीघ्र करें ताकि बड़ी परियोजनाओं को अविलम्ब पूरा किया जा सके।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जहां तक अन्तर्राज्जीय परियोजनाओं का सम्बन्ध है, सभी लाभग्राही राज्यों को समझौते में शामिल किया जाता है और इस समझौते के अन्तर्गत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह आशा की जाती है कि ये राज्य परियोजना की लागत का अपना हिस्सा दें। याद किसी समस्या को हल करने में कठिनाई होती है तो केन्द्रीय सरकार इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों से बातचीत कर सकती है। क्योंकि परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य का विषय है और केन्द्रीय सरकार स्वयं परियोजना का काम नहीं ले सकती है, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हर संभव सहायता दी जाती है और केन्द्रीय सरकार उन राज्य सरकारों के साथ यह मस्ला उठाती है जिन्होंने अपने हिस्से की लागत नहीं दी है।

श्री के० भेरावदन गधावी : मैंने सिर्फ यही पूछा था कि क्या सरकार का विचार इसके लिए विशेष उपबन्ध करने अथवा विशेष तन्त्र बनाने का है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : इन समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक जल संसाधन परिषद् स्थापित करने का प्रस्ताव है।

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह स्टेट सबजेक्ट है और वे इसमें बहुत ज्यादा इन्टरफियरेंस नहीं कर सकते हैं। इस उत्तर के आलोक में मैं कहना चाहता हूं कि शायद मंत्री महोदय को यह जानकारी हो कि बड़ी-बड़ी योजनाएं जो होती हैं वे सेन्ट्रल वाटर कमीशन से क्लीयर होकर स्टेट गवर्नमेंट को जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय, 26 दिसम्बर को आपकी गया में सुखद यात्रा हुई थी और गया की जनता को आपने आश्वासन दिया था कि असिंचित भूमि को सिंचित कराएंगे। बिहार सरकार ने 1975 में वाटर कमीशन को मुहाने रिजरवायर की स्कीम भेजी थी और उसके बारे में मैंने जब जून 81 में इस सदन में पूछा था तो मुझे उत्तर दिया गया था कि आप वह स्कीम वाटर कमीशन से क्लीयर करा देंगे। लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। मैं यह जानना चाहूंगा कि वाटर कमीशन जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट्स की सिंचाई योजनाएं देखता है, उसमें जो काफी विलम्ब हो जाता है, उसको दूर करने के लिए आप कोई नई तरकीब निकालना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मेरा हवाला दिया है, तो थोड़ा न्याय तो करना पड़ेगा।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जनाबेआला जहां तक इस प्रोजेक्ट का सवाल है, जब आप वहां तशरीफ ले गए हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसको तैयार किया जाए। जहां तक इस मुहाने के प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, इसके बारे में मैं एक बात अर्ज कर दूं कि प्रोजेक्ट का बनाना, उसका इन्वेस्टीगेशन करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना ये तीनों काम उस स्टेट गवर्नमेंट के हैं जो उसकी बेनिफिशरी है। यह प्रोजेक्ट बिहार गवर्नमेंट का है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को सनो इकोनोमिक एंगल से सेन्ट्रल वाटर कमीशन एग्जामिन करता है कि इकोनोमिकल्ली मुनासिब है या नहीं। फिर वाटर कमीशन रिकमण्ड कर के प्लानिंग कमीशन को भेजता है।

इस पार्टिकुलर मुहाने प्रोजेक्ट के बारे में वाटर कमीशन ने यह महसूस किया कि इसके बारे में और इंफर्मेशन की जरूरत है या उसमें कुछ त्रुटियां हैं। एक बात मैं अर्ज कर दूं कि वाटर कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट को अपने कमेन्ट्स लिख कर भेज दिए हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक रिवाइज करके वह प्रोजेक्ट नहीं भेजा है। अगर माननीय सदस्य स्टेट गवर्नमेंट पर दबाव डालें तो हमारे हाल पर भी बहुत कृपा होगी।

अध्यक्ष महोदय : एक दफा मुझे और बुलाइए।

समस्या वाले गांवों के लिए पीने का पानी

*510. **श्री कमल नाथ :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या और 79,000 गांव ऐसे "समस्या" गांव बन गए हैं जहां पीने के पानी की समस्या की ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है;

(ख) इनमें से मध्य प्रदेश के गांव कितने हैं और वे किन-किन जिलों में हैं; और

(ग) इन सभी गांवों को पीने के पानी की सुविधाएं कब उपलब्ध कराई जाएंगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त गांवों को शुद्ध पेय जल का कम से कम एक ऐसा स्रोत जिसमें कि वर्ष भर पानी उपलब्ध हो, सहित पेय जल मुहैया कराने के प्रयास किए जाएंगे।

विवरण

जिले का नाम	31-3-80 की स्थिति के अनुसार उन समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या जहां जलपूर्ति सुविधा कराना शेष है।
1	2
1. सागर	716
2. छतरपुर	397
3. पन्ना	293
4. दमोह	414
5. टिमगढ़	393
6. जबलपुर	1108
7. नरसिंगपुर	206
8. बालाघाट	802
9. मंडला	917
10. सीधी	646
11. चिन्दवाड़ा	658
12. रायपुर	747
13. राजनन्दगांव	574
14. दुर्ग	534
15. जगदलपुर	379
16. बिलासपुर	1273
17. सरगुजा	1045
18. रायगढ़	507
19. रीवा	663
20. सतना	839
21. शाहदोल	805
22. सिधी	696
23. ग्वालियर	215
24. दतिया	298

1		2
25.	मुरैना	766
26.	भिन्ड	370
27.	गुना	886
28.	शिवपुरी	237
29.	इन्दौर	265
30.	धार	671
31.	झाबुआ	190
32.	खरगोनी	607
33.	खण्डवा	263
34.	उज्जैन	274
35.	रतलाम	434
36.	मन्दसौर	589
37.	देवास	295
38.	शाहजहांपुर	393
39.	विदिशा	502
40.	होशंगाबाद	497
41.	बैतुल	515
42.	छोरल	93
43.	रैसेन	426
44.	राजगढ़	633
45.	सेहोर	364
46.	बस्तर	528
		24,944

टिप्पणी : मध्य प्रदेश में 1971-72 में पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या 14020 थी । जिलावार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री कमल नाथ : मंत्री महोदय ने सभा पटल पर एक विस्तृत विवरण रखा है जिसमें 46 जिलों के समस्याग्रस्त गांवों की संख्या 24944 दिखाई गई है। इसके साथ लगी यदि टिप्पणी में कहा गया है :

"टिप्पणी : मध्य प्रदेश में 1971-72 में पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या 14020 थी।

यह 1971-72 की संख्या है। 31-3-80 को इन गांवों की संख्या बढ़कर 24944 हो गई है। यह असंगत स्थिति है। यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : "मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की।"

श्री कमल नाथ : ऐसा प्रतीत होता है कि समस्याग्रस्त गांवों के वर्गीकरण के आधार में कहीं गलती है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय और सरकार के पास ऐसा कोई आधार है जिसके द्वारा वह इन समस्याग्रस्त गांवों का मूल्यांकन करती और यह पता लगाती है कि इसको कैसे हल किया जाए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस मूल्यांकन का आधार क्या है। क्या यह अन्तिम सूची है ? हो सकता है कि वह 10 वर्ष बाद दूसरी सूची निकालें जिसमें यह दिखाया गया हो कि 1982 में समस्याग्रस्त गांवों की संख्या 24944 थी और अब यह 30,000 है। मैं विशेषकर छिंदवाड़ा जिले के बारे में कह सकता हूं, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, कि यह आंकड़े न केवल गलत हैं अपितु पूरी तरह से गलत हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसका आधार क्या है और इन समस्याग्रस्त गांवों का मूल्यांकन का तरीका क्या है।

अध्यक्ष महोदय : यह पूरा गलत कैसे हो सकता है ?

श्री बृजमोहन महन्ती : मैंने पहले ही बताया है कि वर्ष 1971-72 में 1.52 लाख समस्याग्रस्त गांवों का पता लगाया गया है। बाद में और गांवों का पता लगा है।

श्री कमल नाथ : कैसे ? क्या ज्योतिषी के तरीके से ?

श्री बृजमोहन महन्ती : आमतौर पर यह भारत सरकार का काम है कि वह देखे कि समस्याग्रस्त गांवों की संख्या कम से कम हो। परन्तु तथ्य यह है कि सूखा आदि के दौरान राज्य सरकारें यह वक्तव्य देती हैं कि अधिक संख्या में ऐसे गांव हैं जहां पानी की कमी है और इसलिए उन्हें समस्याग्रस्त गांव मान लेना चाहिए। वास्तव में आधार उत्तर में ही दिया गया है कि समस्याग्रस्त गांव वह गांव हैं जहां पूरे वर्ष पेय जल का कोई सुरक्षित स्रोत नहीं है। छठी योजना में इन गांवों की संख्या 1.५0 लाख थी, यदि मैं सही हूं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो कि प्रधान मंत्री ने घोषित किया है, यह संख्या बढ़कर 2.31 लाख हो गई है। जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, 1971-72 में यह संख्या 14020 थी। हमने इस अवधि में अनुमानतः 9600 गांवों का पता लगाया है। हमें मार्च तक की पूरी रिपोर्ट नहीं मिली है। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह इस समस्या को वास्तविक रूप में समझें।

श्री कमल नाथ : मैं उनका परामर्श मानता हूं और समस्या को समझता हूं। समस्या वास्तव में बड़ी गम्भीर है क्योंकि उनका कहना है कि अभी तक अन्तिम सूची नहीं आई है। वह अन्तिम सूची की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगले वर्ष तक इन्तजार कीजिए ।

श्री कमल नाथ : ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे गांव जो समस्याग्रस्त गांव नहीं थे, अब समस्याग्रस्त गांव बन रहे हैं क्योंकि पेय जल का स्रोत वर्ष के दौरान सूख जाता है । मैं समझता हूं कि पेय जल को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि खराब पानी से संक्रमण रोग व अन्य बीमारियां पैदा हो जाती हैं । इससे और अधिक संख्या में चिकित्सा सुविधाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की मांग उठती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पृष्ठभूमि में क्या योजना आयोग के साथ हाल में हुई बैठक में इस मामले पर विचार किया गया था और क्या इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है क्योंकि पेय जल को प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना में इस समस्या को हल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, क्या 'प्रयास' से तात्पर्य यह है कि निर्णय ले लिया गया है अथवा निर्णय लेने के लिए 'प्रयास' किए जाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आपका समय पूरा हो रहा है और आपको उत्तर नहीं दिया जाएगा ।

श्री कमल नाथ : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे सुनें क्योंकि यह आपके निर्वाचन क्षेत्र से भी सम्बन्धित होगा । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सभा को आश्वासन दें कि इसको विशेषकर मध्य प्रदेश के जिलों में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी और योजना आयोग के पास इस मामले को उठाया जायेगा ।

श्री बृजमोहन महन्ती : पेय जल प्रयोजनों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में जो 2007 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है वह इस तरफ सरकार की चिंता को दर्शाता है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में यह लगभग 429 करोड़ था । दूसरा सरकार ने पहले ही निर्णय कर लिया है कि छठी पंचवर्षीय योजनावधि में 2,31,000 गांवों को लिया जाएगा और सरकार इस बात को भी समझती है कि इसमें अतिरिक्त वित्तीय खर्च आएगा ।

श्री कमल नाथ : आश्वासन का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विषय : संयुक्त उद्यम वन-रोपण

501. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कच्चे माल की सप्लाई में सुधार लाने हेतु वन-रोपण के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना करने तथा लघु उत्पादकता वन लगाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) क्या उन वनों की कटाई पर नियंत्रण रखने के विद्यमान कानूनी उपायों का पुनरीक्षण करने का भी विचार है; और

(ग) वन रोपण के लिए अन्य क्या वित्तीय प्रोत्साहन देने का विचार है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) वनों की कटाई के नियंत्रण के लिए विद्यमान उपायों का पुनरीक्षण किया गया है और इसके परिणामस्वरूप अक्तूबर, 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 पारित किया गया था ।

(ग) चुने हुए जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में जलावन के लिए पेड़ों के रोपण सहित सामाजिक वानिकी नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वन रोपण करने और रख-रखाव तथा किसानों और बच्चों को पौधों की निःशुल्क सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यों को प्रति हेक्टेयर 1000 रुपये की अधिकतम सीमा तक 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता तथा प्रति 1000 पौधों पर 250 रुपये की सहायता प्रदान करती है ।

मध्य प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन

*504. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को वर्ष 1980-81 की तुलना में लघु सिंचाई योजनओं के लिए बहुत कम धन राशि आबंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्तावों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं । मध्य प्रदेश में लघु सिंचाई स्कीमों के लिए वार्षिक योजनागत आवंटन निम्न प्रकार हैं :—

1980-81	40.00 करोड़ रुपये
1981-82	42.00 करोड़ रुपये
1982-83	46.00 करोड़ रुपये

(ख) वित्तीय संसाधनों की तंगी के कारण, 1981-82 के दौरान कोई अग्रिम केन्द्रीय योजनागत सहायता स्वीकृत नहीं की जा सकी ।

विषय : घटिया बीजों की बिक्री

505. **श्री वी० बी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने बाजार में बेचे जा रहे घटिया बीजों के बारे में भारी चिन्ता व्यक्त की है और उनके बेहतर कोटि नियन्त्रण की आवश्यकता पर बल दिया है; और

(ख) क्या इस बारे में राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम को कोई निदेश जारी किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) बाजार में बेचे जा रहे बीजों की क्वालिटी के बारे में मंत्रालय को चिन्ता है क्योंकि अधिक पैदावार सुनिश्चित करने के लिए यह एक प्रमुख आदान होता है। बीज अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत बीजों के सम्बन्ध में क्वालिटी नियन्त्रण को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों का है। यह बात राज्यों को विभिन्न अवसरों पर बताई गई है।

(ख) भारतीय राज्य फार्म निगम और राष्ट्रीय बीज निगम को गारंटीशुदा क्वालिटी बीजों का उत्पादन और वितरण करने के मूल उद्देश्य से स्थापित किया गया था। वे बीजों की क्वालिटी के बारे में सरकार की चिन्ता से पूरी तरह परिचित हैं और सरकार उनके कार्य का निरन्तर प्रबोधन और समीक्षा करती है।

नर्मदा परियोजना के लागत के बटवारे में मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक

*509. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 28 दिसम्बर, 1981 को गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ सरदार सरोवर (नर्मदा परियोजना) की लागत के बटवारे के बारे में मीटिंग की थी;

(ख) प्रत्येक राज्य ने क्या वादा किया और वास्तव में प्रत्येक राज्य का योगदान कितना होगा;

(ग) क्या योजना आयोग द्वारा पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित न किए जाने के कारण कम प्रगति हुई है; और

(घ) स्थिति किस प्रकार ठीक की जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने कहा है कि चालू वर्ष (1981-82) के दौरान 3 करोड़ रुपये का पहले ही भुगतान किया जा चुका है और 6.68 करोड़ रुपये की शेष राशि, जिसमें भुगतान किए जाने के लिए सम्मत एक-तिहाई बकाया राशि शामिल है, की व्यवस्था भी वर्ष 1982-83 के दौरान की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपने राज्य की योजनाओं में पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, यह विचार प्रकट किया था कि, वित्तीय संसाधनों की तंगी को दृष्टि में रखकर, राज्य 1982-83 के दौरान पूरी राशि की व्यवस्था नहीं कर पाएगा। राजस्थान के मुख्य मंत्री बैठक में उपस्थित नहीं थे।

राज्यों द्वारा 1982-83 की अपनी वार्षिक योजनाओं में, अपनी आवश्यकताओं की तुलना में, प्रस्तावित वास्तविक राशियां निम्न प्रकार हैं :—

	आवश्यक व्यवस्था, जिसमें एक-तिहाई बकाया राशि का हिस्सा शामिल है	वास्तव में की गई व्यवस्था
	(करोड़ रुपयों में)	
महाराष्ट्र	9.68*	9.68* *(3 करोड़ रुपये पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं)
मध्य प्रदेश	20.44	9.60
राजस्थान	6.11	0.50

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस मामले को केन्द्र तथा गुजरात राज्य सरकार द्वारा इन राज्य सरकारों के साथ सक्रिय तौर पर उठाया गया है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

*511. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के अनुसरण में बनाए गए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निदेश पद क्या हैं; और

(ख) बोर्ड ने अब तक अपने कार्य में क्या प्रगति की है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के अनुसरण में, 31 दिसम्बर, 1981 से ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया गया था। इसमें बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महाप्रबन्धक और वित्तीय सलाहकार और आन्ध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा 5 संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों एवं भारत सरकार के चार केन्द्रीय अभिकरणों और उत्तर-पूर्वी परिषद्, प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। यह बोर्ड सिंचाई, जल-विद्युत, नौचालन तथा अन्य लाभकारी प्रयोजनों के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी के जल संसाधनों के विकास एवं उपयोग को ध्यान में रखते हुए बाढ़-नियन्त्रण, तट-कटाव तथा जल-निकास के सुधार के लिए आवश्यक सर्वेक्षण एवं अन्वेषण करेगा और एक व्यापक योजना तैयार करेगा। यह बोर्ड भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बहूद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण-कार्य को भी हाथ में लेगा।

बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महाप्रबन्धक एवं सचिव ने अभी हाल में अपने कार्य-भार संभाल लिए हैं। पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा प्रारम्भिक अध्ययन प्रारम्भ कर दिए गए हैं।

भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण

*513. श्रीमती कृष्णा साही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों अर्थात् मुंगर, मोकासा, जमुई या झाझा के लोगों को समय पर राशन का पूरा कोटा सप्लाई कर रहा है;

(ख) क्या उचित दर की दुकानों को राशन के लिए परमिट अथवा आवंटन पत्र निर्धारित तिथि बीतने से पहिले जारी किया जाता है; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के मूल्यांकन हेतु कोई बैठक होती है यदि हां, तो बैठक में कौन-कौन भाग लेते हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को किए गए समूचे आवंटनों के अन्दर-अन्दर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आवंटन आदेशों के प्रति बिहार राज्य खाद्य और नागरिक पूर्ति निगम को खाद्यान्नों के स्टाक निर्मुक्त करता है। इसके बाद खाद्य और नागरिक पूर्ति निगम शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की उचित दर की दुकानों के व्यापारियों को खाद्यान्न सप्लाई करता है। जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार द्वारा नामित थोक व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों को चीनी सीधी जारी करता है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार, उचित दर की दुकानों को निर्गम आदेश समय पर दे दिए जाते हैं। तथापि, चीनी के मामले में कभी-कभी संचलन सम्बन्धी बाधाएं पैदा होने के कारण जबकि स्टाक मास के अन्त में पहुंचता है, दुकानों को माल उठाने की व्यवस्था करने के लिए कम समय मिलता है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रबन्धों की समीक्षा करने के लिए राज्य के प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं। जब कभी भारतीत खाद्य निगम के अधिकारियों से 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बैठकों में भांग लेने के लिए कहा जाता है तब वे इन बैठकों में भाग लेते हैं।

सुपर बाजार की क्रय नीति

*514. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

डा० ए० यू० आजमी : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार, नई दिल्ली की कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करने तथा सभी प्रकार की मदें, यथा दियासलाई, अगरबत्ती, आदि को प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सुपर बाजार की कार्य प्रणाली और वस्तुओं की प्राप्ति में सुधार करने के संबंध में कहीं से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) सुपर बाजार के प्रबन्धक इसके कार्य को सुचारू रूप से चलाने और उपभोक्ताओं को बढ़िया किस्म की वस्तुएं उचित मूल्यों पर मुहैया कराने के लिए सभी सम्भव उपाय कर रहे हैं।

(ख) व (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

लिखित रूप में प्राप्त सुझाव	की गई कार्यवाही
1. आर० के० पुरम, सेक्टर 1 नई दिल्ली के निवासियों की एसोसियेशन के महामन्त्री से मिला दिनांक 28-10-1980 का पत्र— सुपर बाजार में "चाबी" ब्रांड दियासलाइयों तथा "नन्दी" व "संक्रांति" ब्रांड अगर-बत्तियों जैसी बेहतर साख वाली वस्तुयें बेची जायें।	सुपर बाजार ने इस सुझाव की जांच की थी और उनका विचार था कि अधिकांश उपभोक्ताओं की पसन्द को ध्यान में रखते हुए उस समय इन वस्तुओं को वस्तु-सूची में शामिल न किया जाए।
2. डा० ए० यू० आजमी, संसद सदस्य का माननीय नागरिक पूर्ति मंत्री के नाम दिनांक 1-10-1981 का पत्र— सुपर बाजर द्वारा उपभोक्ताओं को "रथ" ब्रांड दियासलाइयां तथा "नन्दी" और "संक्रांति" ब्रांड अगरबत्तियां बेची जायें।	इनके नमूने प्राप्त किए गए हैं और उनकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है। परिणाम की प्रतीक्षा है।
3. डा० ए० यू० आजमी, संसद सदस्य द्वारा प्रधान मंत्री जी को लिखा दि० 14-2-1982 का पत्र— सुपर बाजार के प्रबन्धन को जनतन्त्रीय बनाने की आवश्यकता है।	सुपर बाजार की प्रतिनिधिक महासभा की बैठक आयोजित करने के लिए सहायक नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इन्हें अन्तिम रूप दिए जाने के बाद, प्रबंध समिति के लिए 6 सदस्यों का चुनाव करने हेतु प्रतिनिधिक महासभा की बैठक बुलाई जाएगी। तब तक, प्रबन्ध समिति में सरकार द्वारा नामित 9 सदस्य कार्य कर रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार के पास राजस्थान राज्य की अचल सम्पत्ति

*515. श्री भीखा भाई : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार से सम्पत्ति का एक बड़ा भाग (अचल सम्पत्ति-राजस्थान के विभिन्न भवन) ले लिए हैं;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से ये सभी भवन खाली करके लौटा देने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या भारत सरकार उन भवनों को खाली करने तथा लौटा देने के विरुद्ध है;

(घ) क्या भारत सरकार अपने कब्जे में लिए हुए इन भवनों का कोई किराया अदा नहीं कर रही है; और

(ङ) क्या भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ इस बारे में कोई करार किया है; यदि हां, तो कब किया था; और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली में राजस्थान सरकार के निम्नलिखित भवन, भाटक आधार पर, उनके सामने दी गई तारीखों से केन्द्रीय सरकार के पास हैं :—

	भवन का नाम	तारीख जिससे केन्द्रीय सरकार के पास हैं।
1.	बीकानेर हाउस	18-7-1950
2.	उदयपुर हाउस	21-1-1952
3.	जयपुर हाउस	17-4-1952

उपर्युक्त के अतिरिक्त, नं० 2 राकेट रोड की संपत्ति 15 दिसम्बर, 1947 से भारत सरकार के पास अर्जनाधीन है।

निम्नलिखित भवन प्रत्येक के आगे दिए गए मूल्य तथा तारीखों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा खरीदे गए हैं :—

	भवन का नाम	मूल्य (लाख रुपयों में)	निष्पादन तारीख
1.	जैसलमेर हाउस	7.34	18-7-1970
2.	धौलपुर हाउस	10.47	18-7-1970
3.	कोटा हाउस	10.07	18-7-1970

(ख) तथा (ग) राजस्थान सरकार बीकानेर हाउस को छोड़ने का अनुरोध करती आ रही है परन्तु दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के कार्यालय वास की प्रबल कमी

के कारण इस हाउस को राज्य सरकार को अभी तक दे देना संभव नहीं हुआ है। राज्य सरकार से इस हाउस को कुछ और अधिक समय तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयोग में लाए जाने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है।

(घ) भारत सरकार बीकानेर हाउस तथा जयपुर हाउस के लिए किराया अदा कर रही है। उदयपुर हाउस 28-5-65 से दिल्ली प्रशासन के पास है। इस हाउस के बारे में किराया फरवरी, 1968 तक अदा किया गया था तथा मार्च, 1968 से आगे दिल्ली प्रशासन ने इसका किराया देना बन्द कर दिया है। राज्य सरकार को देय किराया, दिल्ली प्रशासन द्वारा इस भवन की मरम्मत करवाने पर किए गए व्यय में समायोजनीय है। यह इसलिए कि राजस्थान सरकार उक्त भवन की मरम्मत कराने में असफल रही।

जहां तक नं० 2 राकेट रोड का सम्बन्ध है, सम्पत्ति का स्वामित्वाधिकार दिल्ली उच्च न्यायालय में विवादग्रस्त है। ज्योंही सम्पत्ति के स्वामित्वाधिकार का निर्णय हो जाता है, तदनुसार मुआवजा अदा कर दिया जाएगा।

(ङ) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित तीनों सम्पत्तियां तत्कालीन राज्य मंत्रालय में 9-1-53 को हुई बैठक में केन्द्रीय सरकार के साथ राजस्थान सरकार द्वारा परस्पर सहमत शर्तों पर किराया आधार पर ली गई थी।

जल के उपयोग के बारे में विधान

*516. श्री सूरज भान :

श्री राम प्रसाद अहिरवार : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रखते हुए, जल के उपयोग के बारे में कोई विधान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विधान की मुख्य बातें क्या हैं; और इसे लाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में राज्यवार क्या टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) ऐसा विधान लाने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है।

"मार्कफेड" द्वारा चावल का निर्यात

*517. श्री बी० डी० सिंह :

श्री राम विलास पासवान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "मार्कफेड" द्वारा निर्यात हेतु खरीदी गई चावल की अधिकांश मात्रा को घटिया किस्म का पाया गया और चावल खरीदने वाले इच्छुक देशों ने इसे रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितना चावल घटिया पाया गया तथा उसका मूल्य कितना है; और

(ग) क्या सरकार ने "मार्कफेड" द्वारा चावल की खरीद की कोई जांच की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) बासमती चावल का निर्यात करने से सम्बन्धित मामलों को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हैंडल किया जाता है। तथापि, प्राप्त की गई सूचनानुसार, बताया जाता है कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात करने के प्रयोजन हेतु मार्कफेड द्वारा वसूल किए गए 92.82 लाख रुपये के मूल्य के लगभग 1,720 मीटरी टन सेला बासमती चावल की मात्रा को विदेशी खरीदार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है हालांकि निर्यात निरीक्षण एजेन्सी द्वारा चावल के इस स्टाक को निर्यात योग्य प्रमाणित किया गया था।

(ग) जी नहीं, जहां तक इस मंत्रालय को जानकारी है।

कपास का उत्पादन और खपत

5586. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 के दौरान कपास की कितनी मात्रा का उत्पादन किए जाने की सम्भावना है और देश में कपास की कितनी खपत है और गत वर्ष कपास का कितना भण्डार था; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कृषि मूल्य आयोग द्वारा कपास का समर्थन मूल्य कितना सुझाया गया और सरकार द्वारा क्या मूल्य निश्चित किया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वांछित जानकारी निम्न प्रकार है :—

	(प्रत्येक 170 कि० ग्राम की लाख गांठें)
1. 1981-82 में कपास के सम्भावित उत्पादन का प्रारम्भिक मूल्यांकन	80 से 82
2. सितम्बर/नवम्बर, 1981 के दौरान कपास की खपत	17.89
3. 1-9-1981 को गत वर्ष (1980-81) कपास मौसम से ले जाया गया स्टाक।	16.35

(ख) कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की कि "1981-82 के मौसम के लिए जे-34/414-एफ किस्म की औसत अच्छी किस्म की कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 380 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए तथा लम्बे रेशे वाली कुछ उत्तम किस्मों को छोड़कर, अन्य किस्मों के लिए तदनुरूपी मूल्य जे-34/414-एफ तथा अन्य किस्मों के बीच सामान्य मूल्य

अन्तर के आधार पर निर्धारित किया जाए। लम्बे रेशे वाली उन उत्तम कपासों के सम्बन्ध में, जिनके लिए घरेलू मांग कम हो रही है, उनकी मांग तथा आपूर्ति स्थिति के बीच आवश्यक समायोजन लाने के लिए विद्यमान विभेद को समाप्त करने की आवश्यकता है।"

विषय : मिट्टी सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति तैयार करना

5587. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मृदा विज्ञान के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि मिट्टी सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने यह सुझाव दिया था कि कृषि को घाटे में रखकर नगरीकरण नहीं किया जाना चाहिए;

(ग) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में डी० डी० ए० द्वारा नगरीकरण के प्रयोजन के लिए अधिकाधिक भूमि ली जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली में अब से कृषि भूमि का अर्जन तुरन्त रोकने का आह्वान करेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान्। भूमि संसाधन के कारगर उपयोग के लिए, इस बात पर जोर दिया गया था कि भूमि नीति को विकसित किया जाए। यह सुझाव दिया गया था कि इस प्रकार की नीति में निम्नलिखित को शामिल किया जाए :

— सभी अन्तिम उपभोक्ताओं के लिए मृदा संसाधनों का मूल्यांकन तथा तालिका।

— उचित भूमि उपयोग के माध्यम से कृषि उत्पादकता को आशा के अनुकूल बनाना।

— भूमि की कालावधि की सुरक्षा।

— वैज्ञानिक जल प्रबन्ध के माध्यम से मृदा, अपकर्ष का निवारण तथा प्रतिरोध।

— शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता पैदा करना।

— आसन्न क्षति को रोकने के लिए उत्पादकता के बदलाव का प्रबोधन और चेतावनी प्रणालियों और तकनीकों का विकास करना।

(ख) यह सुझाव दिया गया था कि प्रस्तावित मृदा नीति का उद्देश्य जहां तक सम्भव हो सके कृषि उपयोगों के लिए अधिक उत्पादकता वाली भूमि को सुरक्षित रखने का होना चाहिए।

(ग) तथा (घ) शहरी विकास के लिए भूमि की आवश्यक अपेक्षाओं के अनुरूप जहां कहीं सम्भव हो कृषि भूमि के परिवर्तन को टालने के लिए हर तरह से प्रयत्न किया जाता है।

गुदेदार लकड़ी वाले पेड़ लगाने के सम्बन्ध में कार्यकारी दल

5589. **श्री के० मालन्ना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुगदी वाली लकड़ी के पेड़ लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाने तथा वृक्षारोपण की लाभप्रदता का पता लगाने और इनके बागानों के लिए वृत्तिपोषण के तरीकों का पता लगाने के लिए सरकार ने 1981 में किसी कार्यकारी दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इसकी रिपोर्ट मिल गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार को दिए गए इसके सुझावों के बारे में ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) कार्यकारी दल ने अभी अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दिया है और उसकी प्रतीक्षा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

भविष्य निधि कालोनी, मालवीय नगर, नई दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

5590. **श्री एन० ई० होरो :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य निधि एन्क्लेव, मालवीय नगर, नई दिल्ली (जो भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की कालोनी है) में अनधिकृत निर्माण के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आर्किटेक्ट को कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी करने से इनकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने अनधिकृत निर्माण रोकने और कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र देने के आदेश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अनधिकृत ढांचा हटाने के लिए समिति को एक नोटिस दिया गया है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि इसे नहीं हटाया जाता है, तो कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी करने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा और समिति के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

विषय : गोंडावण (बस्टर्ड) अभयारण्य

5591. **श्री अनादि चरण दास :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महान भारतीय गोंडावण के लिए देश में स्थापित किए गए अभयारण्यों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वे अभयारण्य किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं; और

(ग) इस प्रकार के अद्वितीय पक्षियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अब तक उठाए गए अथवा उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारणों में गोंडावण के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है :—

1. मरू राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान)
2. भारतीय गोंडावण अभ्यारण (महाराष्ट्र)
3. घाटीगांव-कुनो (गोंडावण) अभ्यारण (मध्य प्रदेश)

(ग) गोंडावण को वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है तथा इस प्रकार इसे सम्पूर्ण देश में पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा इस प्रजाति की स्थिति तथा पारिस्थितिकी पर विशेष अध्ययन किया जा रहा है, जिससे प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण कार्यक्रम के लिए आधार तैयार होगा।

"टर्नकी" आधार पर मकानों का निर्माण

5592. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई निर्माण प्रोद्योगिकियों को अपनाने के किन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया है, जिनसे "टर्नकी" आधार पर मकानों का निर्माण किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) निर्माण की लागत कम करने के लिए उपयोग में लाई जा सकने वाली नई निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए सरकार के मुख्य निर्माण अभिकरण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने प्रस्तावों पर विचार किया है। तथापि, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास टर्नकी आधार पर निर्माण के कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) निर्माण की लागत कम करने के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थान नई निर्माण-तकनीकियां तथा सामग्रियां विकसित कर रहे हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इन तकनीकियों में से कुछ तकनीकियों का परीक्षण किया है, जैसे :—

1. चार मंजिले निर्माण के लिए इकहरी ईंट की भारवाही दीवारों का अपना उन्होंने परीक्षणात्मक आधार पर एक पांच मंजिली इकहरी ईंट दीवार भी निर्मित की है तथा वह निरीक्षणाधीन है।

2. साहोल की सिंगिल स्टेक पद्धति का अपनाना।

3. दरवाजों तथा खिड़कियों में टिम्बर की गौण-किस्मों का उपयोग।

4. भवनों तथा मकानों का दीमक रोध।

5. नीव के लिए अण्डर रीम्ड स्थूण का उपयोग।

6. दरवाजों तथा खिड़कियों के लिए स्टील फ्रेमों को अपनाना।

7. हौलो कन्क्रीट ब्लाक चिनाई।

8. स्टोन ब्लाक चिनाई

9. संगणकों की सहायता से विस्तृत विश्लेषण सहित डिजाइनों की परिष्कृत पद्धतियों का उपयोग।

(ग) निर्माण की लागत कम करने की दृष्टि से नई तकनीकियों एवं सामग्रियों को अपनाने की प्रक्रिया जारी है।

अलाटियों को ब्याज का भुगतान

5593. **श्री कुमबुम एम० नटराजन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री शालीमार दिल्ली से निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के बारे में दिनांक 1 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1174 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (शालीमार बाग निम्न आय वर्ग फ्लैटों के खाते) में ब्याज की अदायगी के बारे में अभ्यावेदन किस तिथि से विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) ऐसे आवेदन-पत्रों पर निर्णय लेने में सामान्यतः कितना समय लिया जाता है;

(ग) क्या विचाराधीन आवेदन-पत्रों पर अब तक कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो कितने आवेदन-पत्र स्वीकार किए गए/रद्द किए गए/तथा पड़े हैं और उनके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अलाटिओं द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद इन अलाटियों के "कन्वेंस डीड" जारी नहीं कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो उन्हें 'कन्वेन्स डीड" कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है, क्योंकि उन्होंने पहले ही फ्लैटों का पूरा तथा अन्तिम भुगतान कर दिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि ए०/सी० ब्लाक के 3 मामलों में, 10-9-81, 15-2-82 और 8-3-82 को अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्रत्येक मामले पर गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जाता है और अलग-अलग मामलों में अलग-अलग समय लिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि एक फ्लैट किराया खरीद आधार पर अलाट किया गया था और इसलिए कन्वेन्स डीड कागजात जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि शेष दो मामलों में, सम्बन्धित आबंटियों को स्टम्पिंग के लिए कन्वेन्स डीड कागजात जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया है कि आबंटियों से विधिवत टिकट लगाए गए दस्तावेजों की प्राप्त के पश्चात् ही उनके निष्पादन एवं पंजीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य तेलों की खपत तथा उनका उत्पादन

5594. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उत्पादित मुख्य खाद्य तेलों के नाम क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हुए उनके उत्पादन तथा खपत का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) भारत में उत्पादित मुख्य खाद्य तेल मूंगफली, सरसों, तिल, बिनौले और नारियल के तेल हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन तेलों के उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(मात्रा हजार मीटरी टनों में)

खाद्य तेल	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4
1. मूंगफली	1427	1321	1156
2. सरसों	569	439	687
3. तिल	159	104	136
4. बिनौले	262	272	269
5. नारियल	162	172	174

वास्तव में इन तेलों के सम्पूर्ण उत्पादन की खपत हो जाती है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर

5595. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**
श्री सोमनाथ चटर्जी :
श्री आनन्द पाठक : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों से सम्बन्धित पदोन्नति में गतिरोध के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस बारे में उपरोक्त विभाग द्वारा इस बीच नियमों में परिवर्तन किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे स्थिति किसी प्रकार से सामान्य हो जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सामान्य वर्ग के कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) जिन्हें 1959 में नियुक्त किया गया था और उनमें से वे जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों के हैं और जिन्हें 1966 में नियुक्त किया गया था जब भी रिक्तियां होती हैं, उनको सहायक इंजीनियर (सिविल) के ग्रेड में पदोन्नति हेतु इस समय विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार सामान्य वर्ग के कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत) जिन्हें 1963 में नियुक्त किया गया था और 1967 में नियुक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों के कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत) के ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, जब भी उक्त ग्रेड में रिक्तियां होती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पद

5596. **श्री नीरेन घोष :**

श्री एम० एम० लारेन्स : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के अन्त में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पड़े पदों का ब्योरा क्या है; और

(ख) सरकार की उन रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी योजना क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) 1981 के अन्त में खाली पड़े सहायक इंजीनियर (सिविल) के 29 पद तथा सहायक इंजीनियर (विद्युत) के 6 पदों को अब कनिष्ठ इंजीनियरों से पदोन्नति द्वारा भरा जा चुका है।

देश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार

5597. **श्री अजित बाग :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 से 1981 तक समूचे देश में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिवर्ष जन दिवसों के रूप में कुल कितना रोजगार सृजित हुआ; और

(ख) उक्त अवधि में राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र वार कुल कितने रोजगार के अवसर पैदा हुए ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) 1977से1981 तक के वर्षों के दौरान काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमदिनों में सृजित रोजगार के राज्य-वार आंकड़े तथा समूचे देश के आंकड़ों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

24-3-1982 की स्थिति

1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण ।

क्र० सं०	राज्य/क्षेत्र शासित केन्द्र	सृजित रोजगार 1977-78 (लाख श्रम-दिनों में)	सृजित रोजगार 1978-79 (लाख श्रम-दिनों में)	सृजित रोजगार 1979-80 (लाख श्रम-दिनों में)	सृजित रोजगार 1980-81 (लाख श्रम-दिनों में)	अवधि जिससे सूचना संबंधित है	सृजित रोजगार 1981-82 (लाख श्रम-दिनों में)*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	186.79	532.91	476.99	मार्च, 81	231.01
2.	असम	6.11	4.06	115.86	असूचित	—	शून्य
3.	बिहार	14.76	641.42	753.39	343.96	मार्च, 81	10.72
4.	गुजरात	—	301.00	523.84	9.75	मार्च, 81	8.44
5.	हरियाणा	—	30.03	124.19	257.17	मार्च, 81	असूचित
6.	हिमाचल प्रदेश	0.70	2.72	43.47	22.44	दिसम्बर, 80	असूचित
7.	जम्मू तथा काश्मीर	—	10.99	29.83	34.77	मार्च, 81	असूचित
8.	कर्नाटक	5.02	20.15	12.13	16.32	मार्च, 81	असूचित
9.	केरल	21.43	46.83	149.18	5.69	जून, 80	27.54
10.	मध्य प्रदेश	44.00	450.00	456.02	661.31	मार्च, 81	असूचित
11.	महाराष्ट्र	—	143.00	499.12	430.77	मार्च, 81	असूचित
12.	मणिपुर	—	—	असूचित	असूचित		असूचित

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	नागालैण्ड	—	—	असूचित	असूचित	—	असूचित
14.	उड़ीसा	68.69	362.39	552.27	321.67	मार्च, 81	30.28
15.	पंजाब	0.14	49.93	32.28	6.40	मार्च, 81	11.71
16.	राजस्थान	6.87	500.74	400.35	54.75	दिसम्बर, 80	24.08
17.	सिक्किम	—	—	—	असूचित		0.40
18.	तमिलनाडु	—	—	222.54	147.53	मार्च, 81	298.61
19.	त्रिपुरा	—	29.65	99.97	77.45	मार्च, 81	11.93
20.	उत्तर प्रदेश	58.19	223.32	819.52	479.36	दिसम्बर, 80	असूचित
21.	पश्चिम बंगाल	218.43	533.44	540.50	328.51	मार्च, 81	94.35
22.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	असूचित	2.55	जून, 80	असूचित
23.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	0.33	0.18	मार्च, 81	शून्य
24.	चण्डीगढ़	—	—	—	असूचित		असूचित
25.	मिजोरम	—	2.00	0.52	असूचित		असूचित
26.	पाण्डिचेरी	—	—	1.50	1.26	मार्च, 81	शून्य
	योग	444.34	3538.46	5509.72	3778.83		749.07

(—) सूचित करता है कि वर्ष के दौरान सम्बन्धित राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र ने कार्यक्रम में भाग नहीं लिया।

* सूचना जून/सितम्बर/दिसम्बर, 1981 को समाप्त होने वाली अवधि से सम्बन्धित है।

विषय : विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर गए वैज्ञानिक

5598. श्री अनन्त रामुलु मल्लु :
श्री कृष्ण प्रताप सिंह :
श्री के० राममूर्ति :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री कुम्भाराम आर्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कितने वेत्ता विदेशों में अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी करके लौट आये हैं और कितने अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद भी अभी तक वहीं पर हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वेत्ताओं के बारे में, जो विदेशों में अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी करके लौट आये हैं तथा जो अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद भी पिछले तीन वर्षों से (यानी कैलेण्डर वर्ष 1979, 1980 तथा 1981) विदेशों में हैं उससे संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) विज्ञानियों ने विदेशों में अधिक समय तक ठहरने के कई कारण दिए हैं, जैसे कि विदेशी सरकार/संगठन द्वारा उनकी सेवाओं की और आगे आवश्यकता, अपने अध्ययन आदि को पूरा करने की इच्छा आदि। दूसरा अत्यन्त विश्वसनीय तथा स्पष्ट कारण यह लगता है कि विदेशों की सेवाएं ज्यादा लाभप्रद हैं तथा तदनुसार वे जहां तक संभव होता है विदेशों में रुकना चाहते हैं।

फिर भी, जहां तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का सम्बन्ध है, हमारी नीति यह है कि विशिष्ट कालावधि के लिए विदेशी प्रतिनियुक्ति/शिक्षावृत्ति का लाभ उठाने हेतु विज्ञानियों को अनुमति दी जाती है परन्तु उन्हें सम्बन्धित पद पर वापस आने तथा देश में किए जा रहे अनुसंधान कार्य में सहयोग देने के लिए आग्रह किया जाता है। ऐसी नीति भी है कि उन विज्ञानियों को अनधिकृत रूप से ज्यादा समय तक रुकने की अनुमति न दी जाय। विदेशों प्रतिनियुक्ति की मूल अवधि से अधिक समय तक रुक कर ऐसे विज्ञानी न केवल दूसरों के, जो कि बाहर की सेवा की लिए इच्छुक हैं, अवसर को समाप्त कर देते हैं बल्कि वे विदेश में प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में उपयोग के लिए मना कर रहे हैं। ऐसे मामलों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की यह प्रतिक्रिया है कि उन्हें अनधिकृत रूप से विदेशों में नियत समय से अधिक समय तक रुकने की अनुमति न दी जाए।

विषय : दुग्ध योजना का विकास

5599. श्री अर्जुन सेठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्षों के दौरान दुग्ध योजना के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जो उपरोक्त अवधि के दौरान आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग करने में विफल रहे; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितनी डेरियां स्थापित की गई और उस राज्य में सरकारी सहकारी समितियों अथवा विदेशी सहयोग द्वारा प्राइवेट फार्मों या विदेशी सहयोग से कितनी डेरियां/फार्म स्थापित किए गए ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) राज्य योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि के आवंटन के राज्यवार/संघ शासित राज्य वार ब्यौरे और गत दो वर्षों के लिए डेरी उद्योग और दुग्ध सप्लाई योजनाओं के व्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में विदेशी सहयोग से कोई भी डेरीफार्म स्थापित नहीं किए गए । तथापि राज्य में चिपलिमा और कोरापेट में दो केन्द्रीय पशु प्रजनन केन्द्र कार्य कर रहे हैं । कटक में एक डेरी संयंत्र कार्य कर रहा है । इसके अतिरिक्त पुरी, बेहरामपुर, सम्बलपुर, और धेनकानाल में मार्गदर्शी दुग्ध आपूर्ति योजनायें चल रही हैं ।

विवरण

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ शासित राज्य	1980-81		1981-82	
	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	संभावित व्यय
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	170.00	170.00	100.00	100.00
2. असम	85.00	46-00	60.00	60.00
3. बिहार	109.00	102.00	160.00	160.00
4. गुजरात	†300.00	302.00	32.00	32.00
5. हरियाणा	16.00	13.00	60.00	60.00
6. हिमाचल प्रदेश	85.00	86.00	80.00	85.00
7. जम्मू तथा कश्मीर	†326.00	361.00	†344.00	344.00
8. कर्नाटक	210.00	349.00	211.00	211.00
9. केरल	152.00	115.00	180.00	180.00
10. मध्य प्रदेश	62.00	56.00	80.00	75.00
11. महाराष्ट्र	550.00	449.00	739.00	740.00
12. मणिपुर	†53.00	53.00	60.00	60.00
13. मेघालय	16.00	14.00	16.00	16.00

1	2	3	4	5
14. नागालैंड	†90.00	88.00	†100.00	100.00
15. उड़ीसा	†161.00	169.00	†200.00	170.00
16. पंजाब	†341.00	331.00	51.00	51.00
17. राजस्थान	†321.00	371.00	180.00	180.00
18. सिक्किम	†92.00	88.00	90.00	115.00
19. तमिलनाडु	29.00	29.00	96.00	43.00
20. त्रिपुरा	26.00	20.00	35.00	35.00
21. उत्तर प्रदेश	†475.00	494.00	203.00	214.00
22. पश्चिम बंगाल	192.00	139.00	150.00	188.00
उप-योग	3861.00	3895.00	3227.00	3219.00
23. अन्दमान	†35.00	35.01	†50.00	47.03
24. अरुणाचल प्रदेश	†86.68	83.05	9.00	9.00
25. चण्डीगढ़	† 2.61	3.40	†12.00	11.11
26. दिल्ली	135.00	135.00	5.00	5.00
27. गोवा	12.55	11.11	15 00	15.00
28. लक्ष्द्वीप	—	—	†14.00	14.00
29. मिजोरम	†65.00	65.00	†88.00	88.00
30. पांडिचेरी	5.00	3.78	4.00	1.95
31. दादरा तथा नगर हवेली	†7.70	6.43	†8.00	9.07
उप-योग :	349.54	342.78	205.00	200.16
कुल योग :	4210.54	4237.78	3432.00	3419.16

†—पशुपालन परिव्यय और व्यय सहित ।

स्रोत : (1) संशोधित परिव्यय 1980-81=पी० सी० (पी०) 2/79 दिनांक 9-4-81 और 13-4-81

(2) स्वीकृत परिव्यय 1981-82=वार्षिक प्लान दस्तावेज ।

(3) वास्तविक परिव्यय 1980-81 एवं संभावित व्यय 1981-82 राज्य प्लान शाखा ।

दिल्ली की कुछ बस्तियों में सरकारी क्वार्टरों में गैरेज

5600. **श्री राम सिंह शाक्य :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पदा कार्यालय ने पहले गोल मार्केट, मन्दिर मार्ग, बाबा खड़गसिंह मार्ग और डी० आई० जैड क्षेत्र के श्रेणी-एक, दो, तीन के सरकारी क्वार्टरों में साइकल स्कूटर आदि रखने के लिए अलग से गैरेजों की व्यवस्था की थी;

(ख) यदि हां, तो इस समय बन रहे श्रेणी एक, दो तथा तीन के क्वार्टरों में ऐसे गैरेजों का निर्माण न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) कर्मचारियों के स्कूटरों तथा साइकिलों की सुरक्षा हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) कुछ क्वार्टरों में अलग-अलग गैराज दिए गए हैं जब कि अन्यों में ऊपरी मंजिलों के लिए (भूतल को छोड़कर) या तो साझे गैराज स्थान या अलग-अलग गैराज दिए गए हैं ।

(ख) तथा (ग) इस समय, ऊपरी मंजिलों के लिए (भूतल को छोड़कर) या तो गैराजों या साझे गैराज स्थान की व्यवस्था की जा रही है ।

विषय : सहकारी कृषि आधारित उद्योगों को वित्तीय सहायता

5601. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने सहकारी कृषि आधारित उद्योगों को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या इस निगम ने अपनी शाखाएं उड़ीसा राज्य में स्थापित की हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वर्ष 1981 के अन्त तक उड़ीसा राज्य में उक्त निगम से कितने कृषि आधारित उद्योगों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने गत दो वर्षों के दौरान कृषि पर आधारित 242 सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

(ख) जी हां । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर में परियोजना कार्यालय स्थापित किया है ।

(ग) भुवनेश्वर स्थित परियोजना कार्यालय ने 6 अक्तूबर, 1981 से कार्य करना शुरू किया । यह कार्यालय क्षेत्री निदेशालय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, कलकत्ता के प्रशासनिक नियन्त्रण के तहत कार्य करता है ।

(घ) निगम ने दिसम्बर, 1981 के अन्त तक उड़ीसा में 69 कृषि पर आधारित उद्योगों को वित्तीय सहायता दी है।

मंत्रियों के लिए मकान

5602. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंत्रियों के लिए आधुनिक मकानों का निर्माण करने की जनता सरकार की नीति अपनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नई योजना संभवत: कब क्रियान्वित की जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) फिलहाल मंत्रियों के लिए नए मकानों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कनिष्ठ अभियन्ताओं का समय मान

5603. **श्री सुधीर कुमार गिरी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कनिष्ठ अभियन्ताओं को अपने वेतनमान में अधिकतम वेतन लेने में कितना समय लगता है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों का वर्तमान वेतनमान 425-15-560-20-700 रुपये है और वेतनमान की अधिकतम सीमा में 16 वर्षों में पहुंचा जाता है।

दिल्ली में हरिजनों को फालतू भूमि का आबंटन

5604. **श्री भोलू राम जैन :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन हरिजनों को मकानों के लिए भूमि का आबंटन करने हेतु फालतू भूमि का पता लगाने के लिए दिल्ली के गांवों का सर्वेक्षण करने का है;

(ख) क्या उक्त योजना को क्रियान्वित के लिए एक समिति गठित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। एक सर्वेक्षण पहले से ही किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण आवास योजना

5605. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए वर्ष 1977 से 1981 के दौरान राज्य-वार तथा वर्षवार कुल कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई तथा वितरित की गई;

(ख) वर्ष 1977 से 1981 तक वर्षवार तथा राज्यवार अलग-अलग कुल कितने ग्रामीण आवासों का निर्माण किया गया अथवा निर्माणाधीन रहे; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की बढ़ती हुई कमी को दूर करने हेतु क्या विशिष्ट कार्यक्रम बनाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आवास सहित राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता बिना किसी योजना से सम्बद्ध किए "समेकित ऋण" तथा "समेकित अनुदान" के रूप में दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, आवास के लिए ऋण सहायता हुडको, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा राष्ट्रीयकृत, वाणिज्यिक बैंकों जैसी केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा दी जाती है। इन संस्थाओं द्वारा 1977 से 1981 तक के दौरान ग्रामीण आवास के लिए राज्यवार किए गए नियतन एकत्र किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा यथा प्रस्तुत विभिन्न वर्षों के दौरान निर्मित ग्रामीण मकानों के ब्यौरे विवरण में दिए जाते हैं।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में सभी भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को आवास स्थल तथा उनमें से 25 प्रतिशत से अधिक को निर्माण सहायता देकर 1985 तक लाभ पहुंचाने की व्यवस्था है। शेष रहे परिवारों का ध्यान आगामी योजनाओं के दौरान रखा जाएगा।

विवरण

विभिन्न राज्यों में निर्मित ग्रामीण आवासों की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 (प्रस्तावित)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	2,35,270	2,20,000
2.	असम	291	198	736	81
3.	बिहार	शून्य	6	26	50,000

1	2	3	4	5	6
4.	गुजरात	42	125	1,703	13,398
5.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	जम्मू और कश्मीर	51	151	166	257
8.	कर्नाटक	38,091	73,652	50,271	बताए नहीं गए
9.	केरल	365	597	928	2,721
10.	मध्य प्रदेश	शून्य	160	436	1,119
11.	महाराष्ट्र	47,763	34,170	61,306	53,800
12.	मणिपुर	इन वर्षों के दौरान कोई योजना कार्यान्वयनाधीन नहीं है			
13.	मेघालय	—वही—			
14.	नागालैंड	—वही—			
15.	उड़ीसा	2,794	3,255	3,576	3,786
16.	पंजाब	शून्य	36	742	10,000
17.	राजस्थान	शून्य	1,200	शून्य	10,000 (निर्माणाधीन)
18.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	—
19.	तमिलनाडु	शून्य	7,430	29,041	40,000
20.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	20	96
21.	उत्तर प्रदेश	445	373	1,809	11,562
22.	पश्चिम बंगाल	14,577	14,500	19,606	21,098

भूमि की अधिकतम सीमा का क्रियान्वयन

5006. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भूमि की अधिकतम सीमा (कृषि भूमि) के क्रियान्वयन में हुई प्रगति के बारे में विभिन्न राज्यों से प्रतिवेदन प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार ने ग्रामीण निर्धनों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों को कुल कितनी भूमि वितरित की है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संशोधित भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा निर्धन ग्रामीणों को वितरित की गई भूमि

(एकड़ में)

राज्य/क्षेत्र केन्द्रशासित	वितरित की गई कुल भूमि	अनुसूचित जातियों को वितरित की गई भूमि	अनुसूचित जन-जातियों को वितरित की गई भूमि	अन्य को वितरित की गई भूमि	अवधि जिससे यह सूचना संबंधित है।
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	88,677	37,988	12,465	38,224	1-1-79 से 31-12-1981
असम	2,117	+	+	+	1-1-79 से 31-12-1981
बिहार	6,362	+	+	+	1-1-79 से 31- 8-1981
गुजरात	6,037	4,702	419	916	1-1-79 से 31-12-1981
हरियाणा	15,688	7,720	—	7,968	1-1-79 से 31-12-1981
हिमाचल प्रदेश	278	35	118	125	1-10-80 से 31-10-1981
जम्मू तथा काश्मीर	—	—	—	—	—
कर्नाटक	23,299	11,698	1,119	10,482	1-1-79 से 31-12-1981

1	2	3	4	5	6
केरल	7,739	3,910	129	3,700	1-1-79 से 31-12-1981
मध्य प्रदेश	24,288	7,046	9,235	8,007	1-1-79 से 31-12-1981
महाराष्ट्र	5,780	+	+	+	1-1-79 से 31-10-1981
मणिपुर	—	—	—	—	1-1-79 से 31- 7-1981
उड़ीसा	7,228	2,474	2,799	1,955	1-1-79 से 31-12-1981
पंजाब	7,572	3,820	—	3,752	1-1-79 से 31-12-1981
राजस्थान	—	—	—	—	1-1-79 से 31-10-1981
तमिल नाडु	27,039	8,961	9	18,069	1-1-79 से 31-12-1981
त्रिपुरा	576	159	198	219	1-1-79 से 31-10-1981
उत्तर प्रदेश	38,090	16,337(क)	—	21,753	1-1-79 से 30-11-1981
पश्चिम बंगाल	19,562	+	+	+	1-1-79 से 30- 9-1981
दादरा तथा नगर हवेली	214	2	212	—	1-1-79 से 30-11-1981
दिल्ली	—	—	—	—	1-1-79 से 31- 7-1981
पांडिचेरी	113	30	—	83	1-1-79 से 31-10-1981
योग	2,80,659	1,04,882(ख)	26,703(ख)	1,15,253(ख)	

+ ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(क) इसमें अनुसूचित जन-जातियों को वितरित क्षेत्र भी सम्मिलित है।

(ख) असम, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

विषय : टिड्डीदल नियन्त्रण के लिए भारत-पाक वार्ता

5607. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टिड्डी दल नियन्त्रण के लिए उपाय करने हेतु हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान सरकार के आमन्त्रण पर चार अधिकारियों के भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने (तीन भारत सरकार के और एक राजस्थान सरकार का) 3 और 4 मार्च, 1982 को करांची में हुई भारत-पाक द्विपक्षीय वार्ता में भाग लिया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान तथा पड़ोशी देशों में टिड्डियों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की तथा निकट भविष्य में संभावित घटनाक्रम का भी जायजा लिया। उन्होंने आकस्मिक घटना के घटने पर टिड्डी संकट का सामना करने के लिए दोनों देशों में नियन्त्रण क्षमता तथा तैयारी में सुधार करने हेतु उपायों की भी संवीक्षा की थी।

विषय : उद्यान-विकास के लिए निधि का आवंटन

5608. **श्री के० प्रधानी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय उद्यान विकास के लिए विभिन्नि राज्यों को निधियों का आवंटन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 में उड़ीसा की उद्यान विकास के लिए कितनी राशि मंजूर करने का विचार है; और

(ग) उपरोक्त वर्ष में उद्यान कार्यों के संवर्धन के लिए उड़ीसा के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपराज्य मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1982-83 के दौरान उड़ीसा में क्रियान्ययन के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें मंजूर की गयी हैं :

(1) नारियल सम्बन्धी एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, जिसमें नारियल सम्बन्धी पैकेज कार्यक्रम टाल × डवार्फ संकर नारियल पौद का उत्पादन और वितरण तथा डी × टी संकर के लिए संकर बीज बागानों की स्थापना करना शामिल है।

(2) काजू विकास सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना, जिसमें प्रदर्शन प्लाटों को तैयार करना तथा विभागीय व गैर-विभागीय क्षेत्रों में वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा काजू का सुधार करना शामिल है।

(3) मूल बागानों की स्थापना तथा विभागीय और गैर-विभागीय क्षेत्रों में काजू के वृक्षारोपण पर राज सहायता तथा काजू के लिए वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाना।

इसके अतिरिक्त, नारियल बोर्ड द्वारा नहर के किनारों पर नारियल के पेड़ लगाने संबंधी एक योजना शुरू करने तथा नारियल के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमों को शुरू करने का प्रस्ताव है। 1982-83 के लिए इन योजनाओं हेतु धनराशि का आवंटन, संसद द्वारा बजट प्राक्कलनों की स्वीकृति के बाद मंजूर किया जाना है।

कनिष्ठ अभियन्ताओं और ड्राफ्ट्समैन श्रेणी-II के वेतनमान

5609. **श्री रेणुपद दास** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनिष्ठ अभियन्ताओं और श्रेणी-II के ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमान एक ही यानी 425-700 रु० है;

(ख) क्या यह सच है कि कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद पदोन्नति के पद हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्ष 1974 से कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नत किए गए कुछ ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्टसमैनों से कम वेतन पा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों को 1-1-1973 से 180-380 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान के बदले 425-700 रुपये के संशोधित वेतनमान दिए गए थे, इसी प्रकार से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नक्शानवीस ग्रेड II को 1-1-1973 से 150-240 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान के बदले में 330-560 रुपये के संशोधित वेतनमान दिए गए थे। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नक्शानवीसों द्वारा की गई यह मांग कि नक्शानवीस ग्रेड-II को 425-700 रुपये का संशोधित वेतनमान दिया जाय, मध्यस्थों के बोर्ड, श्रम मंत्रालय को भेज दी गई थी जिसने जून 1980 में मांग स्वीकार करने का निर्णय दिया था। तदनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नक्शानवीस ग्रेड-II के वेतनमान सैद्धान्तिक रूप से 1-1-1973 से 425-700 रुपये को संशोधित करने के आदेश 10 नवम्बर, 1980 को जारी किए गए थे। हालांकि निर्णय के अनुसार वास्तविक लाभ 16 नवम्बर, 1978 से दिया गया था।

(ख) से (घ) नक्शानवीस ग्रेड-II के लिए कनिष्ठ इंजीनियर का पद पदोन्नति आधार पर नहीं है। नक्शानवीस ग्रेड-II की कनिष्ठ इंजीनियर के पद के लिए भर्ती 1974 में विभागीय परीक्षा द्वारा की गई थी न कि पदोन्नति से। जो नक्शानवीस 16 नवम्बर, 1978 से पहले कनिष्ठ इंजीनियरों के संवर्ग में आ गए थे वे 425-700 रुपये के संशोधित वेतनमान के लाभ के पात्र नहीं है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भवनों के निर्माण में राख तथा चूना-मिश्रण

5610. **श्री निहाल सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यक्रम में भवनों के निर्माण में राख तथा चूना मिश्रण के प्रयोग का प्रावधान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित करते समय राख तथा चूना मिश्रण का उल्लेख न किए जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आमतौर पर मार्किट में उपलब्ध उड़न राख और चूना भारतीय मानक विशिष्टियों के अनुरूप नहीं होते हैं।

राष्ट्रीय डेरी विकास निगम द्वारा प्राप्त विदेशी ऋण

5611. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास निगम द्वारा विदेशों से प्राप्त हुए ऋणों का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुदान के रूप में प्राप्त सामान का उपयोग किस प्रकार किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि विदेशों से अनुदान के रूप में प्राप्त हुए सामान को बेच दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने विदेशों से कोई ऋण नहीं लिया है।

(ख) से (घ) संयुक्त राज्य अमरीका की सहकारी लीग से किए गए करार के अनुसार राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त खाद्य-तेलों की बिक्री की राशि का "खाद्य तेलों तथा तेल बीजों के उत्पादन व विपणन की पुनः संरचना" नामक परियोजना में परियोजना-निवेश के रूप में उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की वनस्पति तेल परियोजना के अन्तर्गत उपहार स्वरूप प्राप्त किये गये खाद्य तेल इसलिए बेचा जाता है ताकि उक्त परियोजना के लिए धन जुटाया जा सके।

सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों का कार्यक्रम

5612. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम अभी तक चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ग) क्या यह सूखे की संभावना वाले कार्यक्रम की योजना इस समय उड़ीसा में कार्यान्वित की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा के ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जहां वर्ष 1981-82 में इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए इनका पता लगाया गया है;

(ङ) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 1981 के अन्तिम हिस्से में फसल की असफलता के कारण उड़ीसा के कुछ और जिले प्रभावित हुए हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सूखा प्रभावित जिलों के रूप में किन्हीं नये जिलों को घोषित किया गया है; और

(छ) सूखा प्रभावित जिलों में कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1982-83 में केन्द्रीय सहायता में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क), (ख) व (ग) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसकी लागत को केन्द्र और सम्बन्धित राज्य सरकारें बराबर-बराबर वहन करती हैं। यह प्रतिमान 1974-75 से चला आ रहा है। यह कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा है।

(घ) इस कार्यक्रम में उड़ीसा के कालाहांडी और फुलबानी जिलों के 25 खण्ड शामिल हैं।

(ङ) से (छ) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम में उड़ीसा का कोई नया जिला अभी तक शामिल नहीं किया गया है। यह कार्यक्रम काफी समय से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखा को रोकने के उपायों को बढ़ावा देता है न कि कभी-कभी फसल मारी जाने पर राहत उपलब्ध करता है। ऐसी राहत की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है जो व्यय अधिक होने की संभावना पर अग्रिम योजना सहायता की मांग करती है। मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1981-82 के दौरान उड़ीसा के 9 जिलों में 3244 गावों को फसल मारी जाने से 50 प्रतिशत या उससे अधिक का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने किसी सहायता की मांग नहीं की है।

हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित जल सप्लाई योजनायें

5613. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, अलग-अलग हिमाचल प्रदेश में 12 जिलों में से प्रत्येक जिले के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित जल सप्लाई योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी राशि दी गई है;

(ख) क्या सरकार आदानों और मंजूरी की लागत में वृद्धि के कारण प्रत्येक योजना के लिए अनुमानित लागत में वृद्धि को देखते हुए इन योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन और पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देगी; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा किस तारीख तक किया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य को वित्तीय सहायता समग्र रूप में दी जाती है न कि जिलावार या योजनावार। राज्य सरकार को कार्यों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित राशियां दी गईं :—

वर्ष	दी गई निधियां (लाख रु० में)
1979-80	388.86
1980-81	561.77
1981-82	264.50

(ख) तथा (ग) जलपूर्ति सुविधाओं की व्यवस्था करना राज्य का विषय है और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत दी गई निधियों से योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए समस्याग्रस्त गांवों में पेय जल मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को उनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए अनुदान देती है। तदनुसार मुख्य प्रयत्न राज्य सरकारों द्वारा ही किए जाते हैं।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

5614. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने के लिए देश के कुछ जिलों का चयन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन जिलों का राज्यवार ब्योरा क्या है और ऐसे प्रत्येक जिले के लिए 1982-83 के लिए कितना वार्षिक वित्तीय प्रावधान किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार 2-10-80 से देश के सभी 5011 खण्डों में कर दिया गया है।

(ख) वर्ष 1982-83 के लिए विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को किए गए आबंटन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1982-83 के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु राज्यवार निधियों के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये)

	जिलों की संख्या	खण्डों की संख्या	8 लाख रु० प्रति खण्ड की दर से कुल आबंटन
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	22	324	2592
2. असम	10	134	1072
3. बिहार	31	587	4696
4. गुजरात	19	218	1744
5. हरियाणा	12	87	696
6. हिमाचल प्रदेश	12	69	552
7. जम्मू तथा काश्मीर	10	75	600
8. कर्नाटक	19	175	1400
9. केरल	11	144	1152
10. मध्य प्रदेश	45	458	3664
11. महाराष्ट्र	26	296	2368
12. मणिपुर	6	26	208
13. मेघालय	5	24	192
14. नागालैंड	7	21	168
15. उड़ीसा	13	314	2512
16. पंजाब	12	117	936
17. राजस्थान	26	232	1856
18. सिक्किम	4	4	32
19. तमिलनाडु	16	377	3016
20. त्रिपुरा	3	17	136
21. उत्तर प्रदेश	56	876	7008

1	2	3	4
22. पश्चिम बंगाल	16	335	2680
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	2	5	40
24. अरुणाचल प्रदेश	5	48	384
25. चण्डीगढ़	1	1	8
26. दादरा तथा नगर हवेली	1	1	8
27. दिल्ली	1	5	40
28. गोवा,दमन और दीव	3	12	96
29. लक्ष द्वीप	1	5	40
30. मिजोरम	3	20	160
31. पाण्डिचेरी	4	4	32
अखिल भारत	402	5011	40088

विकास पुरी दिल्ली में मल निकासी व्यवस्था

5615. श्री हीरा लाल आर० परमार : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग छः वर्ष पूर्व विकसित की गई आवासीय कालोनी विकास पुरी में स्वास्थ्य के लिए भारी खतरा है क्योंकि इसमें अभी तक मल निकासी व्यवस्था/सफाई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है क्योंकि वर्षा काल आने वाला है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कालोनी में नाली पद्धति पूर्ण है और केवल मुख्य नाले के मुहाने का केवल एक भाग कच्चा है। उसको पक्का करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। कालोनी

में पानी का कोई जमाव नहीं है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि यह कालोनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

विषय : साल उद्योग के आशय पत्र जारी किया जाना

5616. **श्री बी० आर० नाहटा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में साल उद्योग का आशय पत्र कब और किसे जारी किया गया; और

(ख) आशय पत्र की शर्तें क्या हैं और क्या आशय पत्र के अनुपालन में कोई कारखाना स्थापित किया गया है, और जिस व्यक्ति को आशय पत्र जारी किया गया है उसे क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं और क्या वे सुविधाएं दी जा रही हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी मध्य प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है और यथा समय प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनकपुरी मार्किट में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

5617. **श्री राम लाल राही** : क्या निर्माण और आवास मंत्री जनकपुरी मार्किट में मूलभूत सुविधाओं का अभाव के बारे में 8 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2345 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित सुविधाएं चालू अवस्था में हैं या उन्हें अभी योजना के मसौदे में दिखाया गया है और यदि ये सुविधाएं उपलब्ध हैं तो कितने स्नानागृह चालू हालत में हैं और कितनी ट्यूब लाइट लगाई गई हैं और क्या ये मार्किट के बरामदे में चालू हैं;

(ख) दुकानदारों से कितनी धनराशि वसूल की गई और प्रति दुकान ठेकेदार को कितनी धनराशि दी गई और दुकानों का "रिजर्व" मूल्य कितना है; और

(ग) योजना के मसौदे में तारकोल के पहुंच मार्गों की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं और क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण तारकोल की पहुंच सड़कें बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में सिविल इंजीनियरों की नियुक्ति

5618. श्री आर० पी० यादव : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण नई दिल्ली में, सिविल इंजीनियरी में नए स्नातकों को सीधे सहायक इंजीनियर के रूप में नियुक्त नहीं किया जा रहा है; परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध नए उम्मीदवारों को सीधे सहायक इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से सम्बद्ध सिविल इंजीनियरों में कुल कितने नए स्नातकों को सीधे सहायक इंजीनियर नियुक्त किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सामान्य वर्ग के अतिरिक्त पदों पर सहायक इंजीनियर (सिविल) के वर्ग में अधिकारियों को नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती को पिछले कुछ समय से पुनः चालू नहीं किया गया है ताकि दिल्ली विकास प्राधिकरण में योग्य तथा अनुभवी कनिष्ठ इंजीनियरों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर दिए जाएं। तथापि, सहायक इंजीनियर (सिविल) के स्तर तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की पिछली रिक्तियों को भरने के लिए सीधी भर्ती केवल इन वर्गों से सम्बन्धित प्रत्याशियों में से की गई।

(ग) दस।

आवासीय योजनाएं

5619. श्री चिंगवांग कोनयक : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मनीपुर, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड सरकारों द्वारा प्रस्तावित आवासीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) हुडको द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत और अस्वीकृत योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं का विवरण

राज्य	1979-80			1980-81			1981-82		
	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	ऋण की राशि	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	ऋण की राशि	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	ऋण की राशि
		(लाख रुपयों में)			(लाख रुपयों में)			(लाख रुपयों में)	
पश्चिम बंगाल	1	359.18	298.78	11	1096.52	647.35	5	786.53	614.01
उड़ीसा	5	276.74	200.79	3	121.10	83.18	12	954.23	705.95
असम	1	142.35	95.57	2	241.63	166.65	1	7.86	5.37
मणिपुर	—	—	—	1	17.00	10.84	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	1	258.04	157.13

टिप्पणी :—1. हुडको ने उपर्युक्त राज्यों से प्राप्त किसी भी योजना को अस्वीकृत नहीं किया है।

2. मेघालय और त्रिपुरा राज्यों से कोई भी योजना प्राप्त नहीं हुई है।

3. इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और मणिपुर से कुछ योजनाएं पाइप लाइनों में हैं, इन सभी योजनाओं की परियोजना लागत हुडको के 1171.15 लाख रुपयों के ऋण से 1800.32 लाख रुपये है।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों पर चीनी की कमी

5620. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली में उचित दर की दुकानों को गेहूं और चीनी की सप्लाई कम होने के कारण बहुत से कार्डधारियों को पिछले तीन महीनों से गेहूं और चीनी नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या उचित दर दुकान संघ, दिल्ली ने इस सम्बन्ध में फरवरी, 1982 में एक अभ्यावेदन नागरिक पूर्ति विभाग, दिल्ली प्रशासन, को दिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राशन कार्डधारियों को इस कठिनाई से बचाने के लिए दिल्ली/नई दिल्ली में गेहूं और चीनी का पूरा कोटा देने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि कुछेक कार्डधारी पिछले तीन महीनों के दौरान गेहूं और चीनी प्राप्त नही कर सके थे क्योंकि इस अवधि में उचित दर की दुकानों को इन जिन्सों की अपर्याप्त मात्रा में पूर्ति की जा सकी थी। तथापि, किसी भी कार्डधारी को निरन्तर तीन महीनों के लिए गेहूं और चीनी के उसके पाक्षिक कोटे देने से उसे मना नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) जी हां। गेहूं का समान वितरण सुनिश्चित करने और अधिकतम कार्डधारियों को लाभ देने के उद्देश्य से दिल्ली प्रशासन ने 16-3-82 से गेंहूं देने की मात्रा में कुछ पुनः समायोजन किया है जिसके फलस्वरूप गेहूं जारी करने की मात्रा को 12 किलोग्राम प्रति व्यस्क प्रति मास से कम कर 10 किलोग्राम प्रति व्यस्क प्रति मास कर दिया गया है और इस कमी के बदले में एक किलोग्राम परिणामी आटा और एक किलोग्राम चावल सुलभ किया गया है।

बिहार के धनबाद जिले में समेकित ग्रामीण विकास योजना

5621. **श्री ए० के राय** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान बिहार के धनबाद जिले में समेकित ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनका प्रखण्डवार ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं, और खण्डवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने परिवार लाभान्वित हुए और इन तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि बैंकों द्वारा वित्त पोषण किए जाने की जटिल प्रक्रिया के कारण निर्धन ग्रामीण लोग समेकित ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) 2 अक्तूबर, 1980 से धनबाद ज़िले (बिहार) के सभी 10 खण्डों अर्थात् बलियापुर, बाघमारा,

चन्दन, क्यारी चास, धनबाद, गिबनपुर, जोरापोखा, चीरकुण्डा, ठांप चांची और टुन्डी को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया गया है।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में धनबाद जिले के लिए कोई धनराशि बंटित नहीं की गई है। दिसम्बर 1981 तक 2694 परिवारों को सहायता दी गई है। मंत्रालय द्वारा खण्ड-वार सूचना सकलित नहीं की जाती है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर में दर्शाये गये 2694 परिवारों में से 431 परिवार अनुसूचित जातियों से और 500 परिवार अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित हैं।

(घ) जून 1978 में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर कृषि तथा सम्बन्धित गतिविधियों को ऋण के लिए बैंक में ऋण देने की प्रक्रिया को कुछ सीमा तक सरल बनाया गया है।

गन्दी बस्ती के निवासियों को हटाया जाना

5622. **प्रो० के० टी० कोसलराम :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वालों को उनके स्थानों से हटाने पर किस दर से मुआवजे और राजसहायता का भुगतान किया जाता है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों में रहने वालों को उनके स्थानों से हटाने पर किस दर से मुआवजों और राजसहायता का भुगतान किया जाता है; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोनों क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्ती पर्यावरणीय सुधार योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना में ग्रामीण गन्दी बस्तियों के निवासी शामिल नहीं हैं। इस योजना का उद्देश्य गन्दी बस्तियों में मूलभूत सेवाएं जुटाना है न कि गन्दी बस्तियों के निवासियों का हटाना। यदि सुधार कार्यों से कभी विस्थापन हो तो प्रभावित परिवारों को सामान्यत: वैकल्पिक स्थान दिए जाते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार हेतु 151.45 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

प्योर ड्रिंक्स द्वारा होटल चलाया जाना

5623. **श्री जगपाल सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड होटल उद्योग को संतोषजनक और उचित ढंग से चला पाएंगे जब कि उन्हें इस क्षेत्र में कोई भी पूर्व अनुभव नहीं है; और

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा वसूल की जाने वाली लाइसेंस शुल्क के भुगतान की सही शर्तें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका तथा पर्यटन विभाग ने सूचित किया है कि होटल परियोजना सन्तोषजनक रूप से चलाई जाएगी चूंकि मैसर्स प्योर ड्रिन्क्स (नई दिल्ली) लिमिटेड ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के एक प्रसिद्ध होटलियर मैसर्स सोसीएट डेस होटलस मैरीडियन पेरिस से कार्यकरण सहयोग स्थापित किया है ।

(ख) रायसीना रोड तथा जनपथ के चौराहे पर नई दिल्ली नगरपालिका को आबंटित स्थल पर एक 5 तारा होटल के निर्माण, फर्निशिंग तथा चालने के लिए कम्पनी की अपनी स्वयं की लागत पर तथा 2.68 करोड़ रु० वार्षिक न्यूनतम प्रतिभूति राशि अथवा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उक्त होटल के कुल व्यवसाय का 23 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के भुगतान करने पर नई दिल्ली नगरपालिका ने मैसर्स प्योर ड्रिन्क्स (नई दिल्ली) लि० के साथ एक लाइसेंस करार निष्पादित किया । नई दिल्ली नगरपालिका ने कम्पनी को होटल के निर्माण में सुविधा के लिए वर्ष 1982 तथा 1983 में देय वार्षिक लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए एक स्थगन काल भी स्वीकृत किया है । स्थगन काल की अवधि की लाइसेंस फीस दस अर्ध-वार्षिक किस्तों में देय है जो कि वर्ष 1984 में देय वार्षिक लाइसेंस फीस से आरम्भ होगी ।

विषय : नौवहन विकास फण्ड समिति द्वारा मत्स्य नौकाओं का वित्त पोषण

5624. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन विकास फण्ड समिति द्वारा मछली पकड़ने वाली नौकाओं का वित्त पोषण किया जाना जारी है;

(ख) क्या सरकार को मत्स्य उद्योग में आई मंदी और इसलिए नौवहन विकास फण्ड के कारण मत्स्य कम्पनियों में भुगतान करने में होने वाली कठिनाई की जानकारी है; और

(ग) मत्स्य उद्योग में वर्तमान मंदी के दिनों में लघु मत्स्य उद्यमियों को सहायता देने के लिए नौवहन विकास फण्ड द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता । परन्तु छोटे मत्स्यन उद्यमियों को सहायता देने के लिए सरकार ने जहाजरानी विकास निधि समिति के ऋण की वापसी की अवधि 8 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी है (जिसमें एक वर्ष की कानूनी मोहलत भी शामिल है)

दिल्ली में भूमि वित्त पोषण कम्पनियां

5625. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी गैर-सरकारी भूमि वित्त पोषण कम्पनियां कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश कम्पनियां जाली हैं और उनके पास कोई भूमि नहीं है और वे लोगों को धोखा दे रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो लोगों के धन की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) तक यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अतिरिक्त किराया नियन्त्रक, दिल्ली के न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमें

5626. **श्री जैनुल बशर :**
श्री राम विलास पासवान :
श्री आर० आर० भोले :
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त किराया नियन्त्रक दिल्ली के न्यायालयों में मुकदमों की संख्या में भारी वृद्धि के कारण इन न्यायालयों का कार्यकरण विफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो 28 फरवरी, 1982 को इन न्यायालयों में कितने मुकदमें विचाराधीन थे और इन मुकदमों के निपटाने हेतु न्यायालयों की संख्या क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक न्यायालय में एक बैठक के लिए औसतन 70 से 80 मुकदमें शामिल किए जाते हैं और बिना किसी सुनवाई के रीडरों द्वारा उसे 7 महीनों तक बार-बार तारीखें बढ़ा दी जाती हैं;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव इन न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की भारी संख्या को देखते हुए इन न्यायालयों की संख्या बढ़ाने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(च) क्या इन न्यायालयों में लम्बित कार्य के बारे में पिछले एक वर्ष के दौरान कोई सर्वेक्षण किया गया है; और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) नियन्त्रकों/अपर नियन्त्रकों के समक्ष निलम्बित वादों की संख्या 28 फरवरी, 1982 को निम्नलिखित है :—

बेदखली याचिकाएं	7702
मानक किराया याचिकाएं	566
किराया जमा आवेदन	1806
सुविधाओं के अनुरक्षण के आवेदन	446
विविध अन्य आवेदन	3075
मरम्मत करवाने के लिए	97

किराए के वादों की सुनवाई के लिए एक किराया नियन्त्रक तथा छह अपर किराया नियन्त्रक हैं।

(ग) यह सही है कि प्रत्येक न्यायालय में प्रतिदिन एक सिटिंग के लिए 70 से 80 तक वाद सूची बद्ध किए जाते हैं। तथापि, यह गलत है कि किराया नियंत्रकों/अपर किराया नियंत्रकों के न्यायालयों के रीडर तारीखें देते हैं। सभी कार्य अध्यक्ष अधिकारियों की देख-रेख में होता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) निगटाए गए तथा अनिर्णीत कार्यों को प्रदर्शित करने वाले मासिक/त्रैमासिक विवरण मांगे जाते हैं।

विषय : पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र

5627. **श्री आर० वाई० घोरपाडे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए क्या प्रावधान किए गए थे और कितनी राशि का उपयोग किया गया तथा लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दस लाख फैमिली साईज और एक सौ सामुदायिक आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए 50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया है, यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है और क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इस व्यापक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्रामीण और अन्य संगठनों को शामिल करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) पांचवी योजना के दौरान बायोगैस संयंत्रों की स्थापना स्थानीय खाद सम्बन्धी संसाधनों के विकास के लिए केन्द्रीय योजना का एक भाग था जिसके लिए 16.54 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय राज सहायता के रूप में 565.77 लाख रुपये निर्मुक्त किए गए थे। इसके अलावा पांचवीं योजना की विभिन्न देयताओं के लिए 1979-80 के दौरान 120 लाख रुपये निर्मुक्त किये गये थे।

योजना अवधि (1974-75 से 1978-79) के लिए निर्धारित 1,00,000 इकाइयों की स्थापना के लक्ष्य की तुलना में देश में 70,000 से अधिक बायोगैस इकाइयां स्थापित होने की सूचना मिली थी।

(ख) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के लिए योजना आयोग द्वारा छठी योजना अवधि के लिए मंजूर किया गया परिव्यय 50 करोड़ रुपये है। मौजूदा परिव्यय से मेल रखने के

लिए परियोजना में 4,00,000 बायोगैस इकाइयों की स्थापना का वास्तविक लक्ष्य रखा गया है। राज्य-वार अनन्तिम वास्तविक लक्ष्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। राज्यों को लक्ष्यों की उपलब्धि के अनुरूप राशि आबंटित की जाएगी। इस समय सामुदायिक संयंत्रों की वित्तीय व्यवस्था इस परियोजना से नहीं की जाती है।

(ग) बायोगैस कार्यक्रम के लिए बहु-एजेंसी दृष्टिकोण अनन्याया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारें तथा खादी व ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड, गठित निकायों जैसे राज्य कृषि उद्योग निगमें तथा ग्रामों पर आधारित मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों को बायोगैस इकाइयों की स्थापना करने के लिए कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है।

विवरण

छठी योजना अवधि के दौरान बायोगैस की इकाइयों की स्थापना के लिए राज्यवार अनन्तिम लक्ष्य।

क्रम सं०	राज्य	वास्तविक लक्ष्य (संख्या)
1.	आन्ध्र प्रदेश	30,000
2.	असम	700
3.	बिहार	25,000
4.	हरियाणा	11,000
5.	गुजरात	35,000
6.	जम्मू व कश्मीर	1,000
7.	कर्नाटक	35,000
8.	केरल	30,000
9.	महाराष्ट्र	35,000
10.	मध्य प्रदेश	35,000
11.	उड़ीसा	20,000
12.	पंजाब	11,000
13.	राजस्थान	25,000
14.	तमिलनाडु	35,000
15.	त्रिपुरा	100
16.	उत्तर प्रदेश	60,000
17.	पश्चिम बंगाल	10,000
18.	गोआ, दमन व दीव	550
19.	पांडिचेरी	150
20.	अन्य	500
	कुल	400,000

विषय : 1982-83 के दौरान बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य

5628. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान बायो-गैस जैसे संयंत्रों की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) जो व्यक्ति इन संयंत्रों को लगाना चाहते हैं उन्हें उनके मंत्रालय द्वारा इस अभियान को सफल बनाने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जाने की घोषणा की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1982-83 के दौरान बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना करने के लिए राज्यवार लक्ष्य

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सुझाए गए लक्ष्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	5000
2.	असम	200
3.	बिहार	6000
4.	गुजरात	6700
5.	हरियाणा	2500
6.	जम्मू तथा कश्मीर	200
7.	कर्नाटक	5000
8.	केरल	2500
9.	महाराष्ट्र	7000
10.	मध्य प्रदेश	7000
11.	उड़ीसा	3000
12.	पंजाब	2500
13.	राजस्थान	5000
14.	तमिलनाडु	5000
15.	उत्तर प्रदेश	14000
16.	प० बंगाल	3000
17.	त्रिपुरा	100
18.	पांडिचेरी	100
19.	गोवा	100
20.	अन्य	100
	योग	75000

(ख) 1981-82 के दौरान बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना करने के लिए विभिन्न लाभानुभोगियों के लिए केन्द्रीय राज-सहायता ।

संयंत्रों का आकार (घन मीटर)	केन्द्रीय राज-सहायता की राशि (रुपये)		
	अनुसूचित जनजातियों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए	छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए	सभी अन्यों के लिए
2	1500	1000	750
3	1950	1300	1000
4	2300	1500	1200
6	2900	1900	1500
8	—	—	1500
10	—	—	1600
15	—	—	1900
20	—	—	2650
25	—	—	3600
35	—	—	5740
45	—	—	6470
60	—	—	8110
85	—	—	12110

शुद्ध पेय जल की सप्लाई

5629. श्री चित्त महाटा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो तिहाई से अधिक ग्रामीण लोग अभी भी शुद्ध पेय जल की सप्लाई से वंचित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर किए गए मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 1981 के अन्त तक लगभग 31 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या (1981 के जनसंख्या प्रक्षेपण पर आधारित)

के लिए शुद्ध पेय जल की व्यवस्था थी। अन्तर्राष्ट्रीय पेय जलपूर्ति तथा स्वच्छता दशक के दौरान अर्थात् मार्च, 1991 तक सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल मुहैया करने का लक्ष्य है। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (अर्थात् मार्च, 1985 तक) के दौरान पूरे वर्ष भर पानी उपलब्ध रहने वाले कम से कम एक स्वच्छ पेय जल के स्रोत सहित सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल मुहैया करने का प्रयास किया जाएगा। 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या लगभग 2.31 लाख थी जिनकी जनसंख्या (1971 की जनगणना) लगभग 18.65 करोड़ है।

ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं के संघ (एवार्ड) के अध्यक्ष का अन्य देशों का दौरा

5630. **श्री गुफरान आजम :**

श्री बाबू लाल सोलंकी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत एक वर्ष के दौरान "एवार्ड" के अध्यक्ष और सचिव ने अन्य देशों का कितनी बार दौरा किया और उन्होंने किन-किन देशों का किन उद्देश्यों से दौरा किया ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों के संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार "एवार्ड" के अध्यक्ष श्री राधाकृष्ण 22 से 27 नवम्बर, 1981 तक कोलम्बो में हुए स्वैच्छिक एजेंसियों की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्, जनेवा के आम सम्मेलन में भाग लेने हेतु श्री लंका गये थे। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि श्री ए० सी० सेन, जो महासचिव थे, ने पिछले एक वर्ष में कोई विदेशी दौरा नहीं किया था।

"एवार्ड" अथवा किसी स्वैच्छिक संगठन के अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले विदेशी दौरों के लिये इस मंत्रालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है और न ही इस प्रकार के दौरों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया जाता है।

विषय : समुद्री क्षमताओं का उपयोग

5631. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्री क्षमताओं के उपयोग के लिए कोई कार्यवाही कार्यक्रम तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) छठी योजना में मत्स्यपत्तनों के आधुनीकीकरण और विस्तार के लिए कितना नियतन किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) यंत्रीकृत नौका और गैर-यंत्रीकृत नौका दोनों क्षेत्रों को सहायता देकर क्षेत्रीय जल मात्स्यकी का उपयोग करने हेतु राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा समुद्री संसाधनों का उपयोग

करने के लिये विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार की अपनी योजना के अन्तर्गत एकमात्र आर्थिक क्षेत्र से समुद्री मात्स्यकी संसाधनों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाएं हैं :—

(1) देशी, आयातित और किराये के मत्स्यन जलपोतों को समुचित रूप से मिलाकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बेड़े में वृद्धि करना।

(2) देश में बने जलपोतों की लागत पर 33 प्रतिशत राज सहायता मुहैय्या करना।

(3) जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से मछली पकड़ने वाले जलपोतों की खरीद के लिए आसान शर्तों पर ऋण मुहैय्या कराना।

(4) मात्स्यिकी सम्बन्धी सर्वेक्षण में वृद्धि करना।

(5) प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाना।

(6) बड़े व छोटे पत्तनों पर मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहों के निर्माण और मछली पकडने वाले छोटे केन्द्रों पर माल उतारने व जलयानों को ठहराने की सुविधाओं के लिए सहायता देना; और

(7) एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में विदेशी जलपोतों द्वारा मछली पकड़ने के कार्य का नियमन करना। इस उद्देश्य के लिये भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलपोतों द्वारा मत्स्यन सम्बन्धी नियमन) अधिनियम, 1981 को 2 नवम्बर, 1981 से लागू किया गया है।

(ग) मत्स्यन पत्तनों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए योजना में 36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आवश्यक वस्तुओं की खुली बिक्री

5632. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आवश्यक वस्तुओं की खुली बिक्री को रोकने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : जी नहीं।

चीनी के फालतू स्टाक का उपयोग

5633. श्री गुलाम मोहम्मद खां : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981-82 के मौसम में चीनी के अनुमानित कीर्तिमान उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चीनी के फालतू स्टाक के उपयोग के प्रश्न की जांच की है;

(ख) देश में अनुमानतः कितनी खपत होगी, चीनी के प्रस्तावित सुरक्षित भण्डार के लिए कितनी मात्रा उपलब्ध कराई जायेगी, सुरक्षित भण्डार बनाने के लिए अनुमानतः कितनी राशि यथा, अनावर्ती और आवर्ती की आवश्यकता होगी;

(ग) क्या इस बारे में कार्य-विधियां तैयार कर ली गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) पिछले वर्ष का 9.94 लाख मीटरी टन का पिछला बचा स्टाक होने और इस वर्ष लगभग 68 लाख मीटरी टन का अनुमानित उत्पादन होने से, अनुमान है कि वर्तमान चीनी वर्ष 1981-82 में चीनी की कुल उपलब्धता लगभग 78 लाख मीटरी टन होगी । इसमें से आशा है कि आन्तरिक खपत के लिए लगभग 57 लाख मीटरी टन की मात्रा की आवश्यकता होगी जिससे लगभग 21 लाख मीटरी टन चीनी बच जाएगी, जिसका अंशत: निर्यात के लिए और अंशत: बफर स्टाक तैयार करने अथवा आगामी वर्ष के लिये बचे हुए स्टाक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा ।

बफर स्टाक की मात्रा और उसके परिचालन के तौर-तरीकों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

नर्मदा परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

5634. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

श्री नथीन रवाणी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गुजरात में नर्मदा परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विश्व बैंक ने इस बांध के निर्माण स्थान को बदलने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) सहायता के आकार और विस्तार तथा प्रमात्रा के बारे में विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श अभी भी चल रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गुड़ की अन्तर्राज्यीय ढुलाई पर लगी रोक हटाना

5635. श्री राम नगीना मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़ की एक राज्य से दूसरे राज्य में ढुलाई पर कोई रोक लगी हुई है;

(ख) क्या गन्ने के रिकार्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार समूचे गन्ने की चीनी कारखानों में पेराई करने हेतु पर्याप्त व्यवस्था कर रही है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि हाल के वर्षों में गन्ने का उत्पादन बढ़ा है और क्रशर कोल्हुओं से समूचा गन्ना पेरना कठिन हो गया है;

(घ) क्या सरकार, यदि गुड़ की ढुलाई पर पहले से कोई रोक लगी है तो उसे हटाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) केन्द्रीय सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य को गुड़ भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

(ख) और (ग) चीनी फैक्ट्रियों की पिराई क्षमता सीमित होती है और उनके लिए सभी उत्पादित गन्ने की पिराई करना सम्भव नहीं है। क्रशरों और कोल्हुओं द्वारा ही गन्ने की अधिकांश मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने के अधिक इस्तेमाल को सुनिश्चत करने और गुड़ के उत्पादन पर दबाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने जल्दी पिराई करने के लिए उत्पादन शुल्क में रिबेट देने के रूप में प्रोत्साहन दिया था।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आवश्यक वस्तुओं के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य निश्चित करने के लिए कानून

5630. श्री छीतू भाई गामित : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी आवश्यक वस्तुओं के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निश्चित करने हेतु कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस तरह का कानून कब तक बनाया जाएगा और लागू कर दिया जायेगा और उस बारे में ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मकानों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय का बढ़ाया जाना

5637. श्री आर० एन० राकेश : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड कर्मचारी सरकारी आवास समिति के कुछ पदाधिकारियों, जो दिल्ली में आनन्द विहार में मकान बना रहे हैं को दिल्ली प्रशासन/दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय बढ़ा दिया है;

(ख) क्या यह भी सच कि ठीक उसी स्थिति में कुछ सामान्य सदस्यों को, उनके द्वारा अभ्यावेदन दिये जाने के बावजूद अब तक समय बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है और उन्हें जुर्माना अदा करने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) तथा (ख) का उत्तर हां में हो, तो इस असामनता के क्या कारण हैं और कितने प्रार्थनापत्र अभी लम्बित पड़े हुए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क(और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इनके पास समिति के उन कार्यकाताओं के नामों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है जो समय-समय पर चुनाव से बदल जाते हैं। इसलिए उनके लिए यह सूचना देना व्यवहार्य नहीं है। तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि किसी समिति के कार्यकर्ताओं और साधारण सदस्यों के मध्य कोई भेदभाव नहीं है।

तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निर्माण सामग्रियों की कमी को देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि जिन मामलों में 1-7-1981 से पूर्व भवन नक्शे मंजूर करा दिए गये हैं उनमें बिना दण्ड के प्लाटों पर निर्माण पूरा करने का समय 31-12-82 तक बढ़ा दिया जाय।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में जानवर

5638. **श्री कमल नाथ झा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूध बेचने वालों द्वारा सरोजिनी नगर के सरकारी क्वार्टरों के ए, एक्स और वाई ब्लाकों के सामने वाले मैदानों में लगभग 300 दुधारू पशु रखे हुए हैं जिससे इन ब्लाकों में रहने वाले आबंटितियों के लिए अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये पशु उन दूध बेचने वालों के हैं जो उसी क्षेत्र के नजदीक के गांव में रहते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दो बार साफ किया गया किन्तु ये दूध बेचने वाले फिर इस क्षेत्र में अपने पशुओं के साथ आ गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार इन दूध बेचने वालों को इस क्षेत्र से कब हटायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण सुव्यवस्थित करना

5639. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन ने इस निगम के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ कदम उठाने के सुझाव दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) सरकार और भारतीय खाद्य निगम का प्रबन्ध भारतीय खाद्य निगम के कार्यों की बराबर समीक्षा करता है ताकि उसकी कार्यक्षमता में सुधार लाया जा सके। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष ने हाल ही में निगम के आन्तरिक कार्यों में सुधार लाने के लिए जो कदम उठाए जा सकते हों उनके बारे में निगम के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में व्यापारिक घरानों द्वारा भाग लेना

5640. श्री एस० बी० सिदनाल :

श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारिक घरानों को ग्रामीण विकास कार्यों के लिए रियायत देने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार हो गये हैं;

(ख) देश में ग्रामीण विकास में कार्यरत व्यापारिक घरानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या औद्योगिक घरानों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कोई विशिष्ट क्षेत्रों को चुना गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 सी सी के अधीन कम्पनियां तथा सहकारी सोसायटियां ग्रामीण विकास के किसी कार्यक्रम, जिसे निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है, पर उनके द्वारा किये गए व्यय को अपनी कुल आय की गणना में से कम करने की पात्र हैं। धारा 35 सी, सी ए के अधीन किसी करदाता द्वारा किसी संघ या संस्थान को ग्रामीण विकास के किसी अनुमोदित कार्यक्रम को चलाने पर किए गए व्यय को उसके आयकर मूल्यांकन में से कम किया जा सकता है बशर्ते कि वह संघ या संस्थान भी निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हो। इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्राधिकरण एक राज्य स्तरीय समिति है जिसमें एक पदनामित आयकर आयुक्त तथा राज्य सरकार का अधिकारी, जो सचिव के स्तर से नीचे का न हो, शामिल होंगे। धारा 35 सी सी तथा 35 सी सी ए के अधीन अनुमोदन के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं।

ग्रामीण विकास में व्यापारिक गृहों की कोई सूची नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को शुरू करने हेतु व्यापारिक औद्योगिक गृहों के लिए किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों का चयन नहीं किया गया है। तथापि उन्हें वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० एस० ओ० 691 (ई) दिनांक 29-9-1979 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 सी सी की उपधारा (1) की व्याख्या के खण्ड (बी) के उपखण्ड (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम शुरू करने के लिए छूट है।

राष्ट्रीय रोजगार योजना

5641. श्री रणजीत सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने बिहार राज्य सरकार को राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत कुछ धनराशि प्रदान की है;

(ख) क्या यह सच है कि इस धन राशि का राज्य के पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया गया है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्य बिहार के समृद्ध क्षेत्रों में किया गया ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब में चीनी का कारखाना

5642. श्री लहना सिंह तुर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब का चीनी का प्रति हेक्टेयर उत्पादन (5.33 टन) उत्तर प्रदेश के 3.55 टन उत्पादन की अपेक्षा अधिक है;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार पंजाब में और आधुनिक चीनी के कारखानों की स्थापना करने पर विचार करेगी; और

(ग) क्या सरकार पंजाब में विशेष रूप से गोविन्दवाल साहिब, और अमृतसर तथा कपूरथला जिलों में 5 और चीनी के कारखाने स्थापित करके पंजाब की सहायता करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) पूरे हुए चीनी वर्ष 1980-81 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर औसत वसूली, औसत उत्पादन और हानियों को ध्यान में रखते हुए चीनी का प्रति हैक्टर उत्पादन पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए क्रमश: 6.49 मीटरी टन और 5.87 मीटरी टन बैठता है।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान जितनी संख्या में नई चीनी मिलों को लाइसेंस दिए जाने हैं उनके लिए कोई राज्यवार कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। किसी भी राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए दिनांक 4 जुलाई, 1980 के प्रेस नोट में उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार लाइसेंस दिए जाने हैं।

इसके अलावा, जिला पटियाला के धवलान में 1250 टी० सी० डी० की नई सहकारी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए पहले ही एक आशय पत्र जारी कर दिया गया है। इस संबंध में पंजाब और अन्य राज्यों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर अन्तर्राज्यीय/अन्तर-क्षेत्रीय और पिछड़े क्षेत्रों की अग्रता और प्रत्येक आवेदन पत्र के गुण-दोष पत्र को दृष्टि में रखकर विचार किया जाएगा।

भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत बिहार में चीनी उद्योगों में निर्धारित भूमि

5643. श्री रामावतार शास्त्री : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में काम कर रहे तथा बन्द पड़े हुए चीनी कारखानों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार में भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम लागू किया गया है;'

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि अधिकांश चीनी कारखानों के पास निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि है; और

(ङ) यदि हां, उसके क्या कारण हैं और इस भूमि को भूमि की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत लाने में कृषि श्रमिकों व गरीब किसानों को इस फालतू भूमि के वितरण करने में क्या कठिनाई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) बिहार में 30 चीनी कारखाने है जिनमें से 28 कारखाने कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) पांच सदस्यों तक के परिवार के लिए भूमि की अधिकतम सीमा भूमि की श्रेणी पर निर्भर करते हुए, 15 एकड़ से लेकर 45 एकड़ तक भिन्न-भिन्न है। प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए, अधिकतम सीमा के दसवें भाग की अनुमति दी जाती है जो अधिकतम सीमा क्षेत्र के $1\frac{1}{2}$ गुणा से अधिक नहीं होगा।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार के अनुसार, बिहार में 8 चीनी कारखानों के कब्जे में अधिकतम सीमा से फालतू भूमि है। फालतू भूमि को अधिग्रहित किया जा रहा है और इसका वितरण कमजोर वर्गों में किया जा रहा है। कानून के अनुसार लगभग 1,290 एकड़ भूमि पहले ही वितरित कर दी गई है।

मंत्रालयों को आवंटित आवासीय धनराशि

5644. श्री तारिक अनवर : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों को आवासीय ऋण के लिए आवंटित धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त अर्थात् मार्च तक खर्च किया गया है, जबकि नई धनराशियां जुलाई के अन्त तक आवंटित की जाती तो मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यालयों को सितम्बर तक धन आवंटित करता है, कर्मचारी इस धनराशि को अक्तूबर या नवम्बर में प्राप्त करता है, जबकि आवासीय एजेन्सियों जैसे—डी० डी० ए० नोएडा, जी० डी० ए०, एच० डी० ए०, आदि पहली किस्त के लिए 30 दिन के अन्दर 25 प्रतिशत धन की राशि की मांग करते हैं; और

(ख) क्या सरकार इस स्थिति पर विचार करेगी और इसका कोई हल ढूंढेगी ताकि सरकारी कर्मचारी प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण इसका शिकार न हो सकें ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। स्वीकृत लेखों में दी गई निधियों से विभिन्न मंत्रालयों के लिए आवास ऋण का नियतन अप्रैल के प्रथम सप्ताह में किया जाता है और स्वीकृत अनुदान के बाद आगे आबंटन मई के मध्य में किये जाते हैं। अनुपूरक अनुदान यदि कोई हो, से निधियों का नियतन जनवरी के प्रथम सप्ताह में किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई सुविधाओं के साथ खेती के अन्तर्गत भूमि

5645. **श्री राम विलास पासवान** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में इस समय सिंचाई सुविधाओं सहित तथा सिंचाई सुविधाओं के बिना कितनी भूमि खेती के अन्तर्गत है;

(ख) वर्ष 1985-86 तक सिंचाई सुविधाएं सुलभ करने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) और अधिक सिंचाई तथा कृषि सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सकल बुआई क्षेत्र, सकल सिंचाई क्षमता तथा सिंचाई रहित क्षेत्र के बारे में अनन्तिम आंकड़ों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1985-86 तक, कुल सिंचाई क्षमता के बढ़कर 70.3 मि० हेक्टेयर तक हो जाने की सम्भावना है।

(ग) निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने तथा सिंचाई विकास की गति को बनाये रखने के लिए नई परियोजनाओं को भी हाथ में लेने के लिए उपाय किये जा रहे हैं।

विवरण

सकल बुआई क्षेत्र, सृजित की गई सकल सिंचाई क्षमता और सिंचाई-रहित क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य	सकल बुआई क्षेत्र	सकल सिंचाई क्षमता	सिंचाई-रहित सकल क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	13121	5093	8028
2.	असम	3311	412	2899
3.	बिहार	11381	4996	6385
4.	गुजरात	10389	2517	7872

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	5522	3077	2445
6.	हिमाचल प्रदेश	935	105	830
7.	जम्मू तथा कश्मीर	990	435.8	554.2
8.	कर्नाटक	11133	2150	8983
9.	केरल	2886	799	2087
10.	मध्य प्रदेश	21747	3189	18558
11.	महाराष्ट्र	19960	3001	16859
12.	मणिपुर	213	43.2	169.8
13.	मेघालय	223	26	197
14.	नागालैण्ड	150	44	406
15.	उड़ीसा	8275	2162	6113
16.	पंजाब	6630	5292	1338
17.	राजस्थान	17496	3416	14080
18.	सिक्किम	65	10	55
19.	तमिलनाडु	7684	3104.5	4479.5
20.	त्रिपुरा	385	39.4	345.6
21.	उत्तर प्रदेश	24300	15876	8424
22.	पश्चिम बंगाल	7878	3056	4822
	उप-जोड़ राज्य	174574	58844	115730
	संघ राज्य क्षेत्र	603	112	491
	कुल जोड़	175177	58956	116221

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा गोदामों का निर्माण

5646. श्री कुंवर राम : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, बिहार में एक करोड़ रुपये से अधिक लागत की खाद्य संरक्षण योजनाएं चला रहा है;

(ख) क्या इन योजनाओं का पर्यवेक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद या मुख्य अभियन्ता कार्यालय, दिल्ली द्वारा किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार इस विसंगति को दूर करने के लिए बिहार में एक विशेष "फूड वर्क्स डिवीजन" की स्थापना करेगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। तथापि चालू वित्तीय वर्ष (1981-82) के दौरान चालू किये गये कार्यों पर लगभग 40 लाख रुपये व्यय होने की संभावना है। इस कार्य की देख-रेख खाद्य संभरण मण्डल कानपुर तथा खाद्य संभरण उपमण्डल, बक्सर तथा पटना के माध्यम से की जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मण्डलों को खोलना/जारी रखना मुख्य रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कार्यभार पर निर्भर करता है। इस कार्य की देखरेख के लिए 40 लाख रुपये का वार्षिक कार्यभार मण्डल के सृजन को उचित सिद्ध नहीं करता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का क्रियान्वयन

5647. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती :**
श्री नीरेन घोष : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कितना गेहूं और चावल मांगा गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान, राज्यवार कितना (चावल, गेहूं अलग-अलग) स्वीकृत किया गया;

(ग) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान प्रत्येक राज्य को वास्तव में कितना चावल गेहूं अलग-अलग उपलब्ध कराया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या अनाज की सप्लाई बहुत कम कर दी गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को संसाधनों का आबंटन राज्यों से प्राप्त मांगों के आधार पर नहीं किया जाता है अपितु योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के परामर्श से तैयार किए गए फार्मूलों के आधार पर किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में 75 प्रतिशत बल कृषि मजदूरों और सीमान्त किसानों की संख्या को तथा 25 प्रतिशत बल गरीबी के प्रभाव को दिया जाता है।

(ख) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान प्रत्येक राज्य को बंटित खाद्यान्नों की मात्रा तथा नकद निधियों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान अब तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र को वास्तव में उपलब्ध किए गए खाद्यान्नों की मात्रा तथा नकद निधियों को दर्शाने वाला विवरण-2 भी संलग्न है।

(घ) कार्यक्रम के अन्तर्गत अब खाद्यान्नों की आपूर्ति प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक किलोग्राम के आधार पर निर्धारित कर दी गई तथा शेष मजदूरी की अदायगी नकदी में की जाती है।

विवरण-1

वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को बंटित खाद्यान्नों/नकद घटकों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य	संसाधन 1980-81				संसाधन 1981-82			
		चावल (मी० टन)	गेहूं (मी० टन)	योग (मी० टन)	नकद (लाख रु०)	चादल (मी० टन)	गेहूं (मी० टन)	योग (मी० टन)	नकद (लाख रु०)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	105,000	—	105,000	1345.00	31,500	—	31,500	1896.00
2.	असम	5,500	—	5,500	262.20	6,000	—	6,000	400.00
3.	बिहार	88,000	22,000	110,000	1725.50	20,000	—	20,000	1210.00
4.	गुजरात	13,750	3,750 5,000 (ज्वार)	22,500	396.90	—	9,200	9,200	560.00
5.	हरियाणा	8,500	15,000	23,500	102.75	—	2,500	2,500	160.00
6.	हिमाचल प्रदेश	16,900	3,600	20,500	70.15	1,000	1,000	2,000	120.00
7.	जम्मू तथा काश्मीर	5,000	3,000	10,000	104.75	625	625	1,250	80.00
8.	कर्नाटक	32,000	—	32,000	593.40	14,000	—	14,000	828.00
9.	केरल	31,500	—	31,500	575.10	13,400	—	13,400	804.00
10.	मध्य प्रदेश	159,200	39,800	199,000	950.10	8,000	14,000	22,000	1320.00

		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	महाराष्ट्र	30,000	32,000 10,000 (मोटा अनाज)	72,000	1015.40	—	12,000	12,000	710.00
12.	मणिपुर	—	—	—	13.10	150	—	150	10.00
13.	मेघालय	750	—	750	13.00	200	--	200	10 00
14.	नागालैंड	2,400	—	2,400	9.00	200	—	200	20 00
15.	उड़ीसा	1,00,500	—	1,00,500	586.00	14,000	—	14,000	820.00
16.	पंजाब	1,500	4,500	6,000	179.00	—	4,300	4,300	252.00
17.	राजस्थान	47,500	82,500	1,30,000	330.20	—	8,000	8,000	468.00
18.	सिक्किम	500	—	500	4.55	100	—	100	8.00
19.	तमिलनाडु	60,000	—	60,000	1059.50	25,000	—	25,000	1480.00
20.	त्रिपुरा	4,750	—	4,750	38.20	1,000	—	1,000	60.00
21.	उत्तर प्रदेश	2,11,000	58,500	2,69,500	2373.40	20,050	35,750	55,800	3340.00
22.	पश्चिम बंगाल	80,000	—	80,000	955.60	22,500	—	22,500	1348.00
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1,050	—	1,050	9.30	150	—	150	16.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	500	—	500	9.30	150	—	150	16.00
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	मिजोरम	—	—	—	9.30	150	—	150	32.00
27.	पाण्डिचेरी	650	—	650	9.30	300	—	300	16.00
		10,06,450	2,81,650	12,88,100	12,740.00	1,78,475	87,375	2,65,850	15,984.00

विवरण-2

वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तव में उपलब्ध किए गए खाद्यान्नों/नकद निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1980-81 में उपलब्ध किए गए संसाधन				1981-82 में उपलब्ध किए गए संसाधन			
		चावल (हजार मी० टन)	गेहूं (हजार मी० टन)	योग (हजार मी० टन)	नकद निधियां (लाख रु० में)	चावल (हजार मी० टन)	गेहूं (हजार मी० टन)	योग (हजार मी० टन)	नकद निधियां (लाख रुपये में) 24-3-82 की स्थिति
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	138.7	0.4	139.1	1345.00	7.9	—	7.9	1896.00
2.	असम	3.3	0.5	3.8	262.20	—	—	—	400.00
3.	बिहार	18.9	151.8	170.7	1725.50	1.6	—	1.6	1210.00
4.	गुजरात	—	—	—	396.90	—	—	—	560.00
5.	हरियाणा	10.3	13.7	24.0	102.75	0.7	4.8	5.5	160.00
6.	हिमाचल प्रदेश	17.4	3.6	21.0	70.15	—	—	—	120.00
7.	जम्मू तथा काश्मीर	11.1	7.3	18.4	104.75	—	—	—	80.00
8.	कर्नाटक	11.4	0.7	12.1	593.40	—	—	—	828.00
9.	केरल	32.3	—	32.3	575.10	—	—	—	804.00
10.	मध्य प्रदेश	143.8	33.5	177.3	950.10	2.2	—	2.2	1320.00
11.	महाराष्ट्र	26.4	12.2	38.6	1015.40	—	11.3	11.3	710.00
12.	मणिपुर	—	—	—	13.10	—	—	—	10.00

	1	2	3	4	5	6	7	8
13. मेघालय	0.4	—	0.4	13.10	—	—	—	10.00
14. नागालैंड	5.4	—	5.4	9.00	—	—	—	20.00
15. उड़ीसा	112.9	31.5	144.4	586.00	8.1	—	8.1	820.00
16. पंजाब	—	6.3	6.3	179.00	—	—	—	252.00
17. राजस्थान	33.1	136.6	169.7	330.20	—	0.8	0.8	468.00
18. सिक्किम	—	—	—	4.55	—	—	—	8.00
19. तमिलनाडु	84.2	—	84.2	1059.50	12.1	—	12.1	1480.00
20. त्रिपुरा	16.1	—	16.1	38.20	—	—	—	60.00
21. उत्तर प्रदेश	102.4	108 6	211.0	2373.40	0.2	0.2	0.4	3340.00
22. पश्चिम बंगाल	59.5	7.0	66.5	955.60	7.8	—	7.8	1346.00
23. अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	9.30	—	—	—	16.00
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	9.30	—	—	—	16.00
25. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—
26. मिजोरम	—	—	—	9.30	—	—	—	32.00
27. पाण्डिचेरी	0.2	—	0.2	9.30	—	—	—	16.00
योग	827.8	513.7	1341.5	12,740.00	40.6	17.1	57.7	15,984.00

टिप्पण : कुछ मामलों में बंटित मात्रा से अधिक उपलब्ध किए गए खाद्यान्नों की मात्रा में अधिकता (जैसा कि विवरण-1 में दर्शाया गया है) पिछले वर्ष से सम्बन्धित राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र को बंटित मात्रा में से खाद्यान्न उठाने के कारण है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

5648. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" में सुधार लाने की यदि कोई योजनाएं हैं तो वे क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का मूल्यांकन कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा वर्ष 1979-80 में किया गया था।

(ख) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों के आधार पर सम्पूर्ण कार्यक्रम की पुनरीक्षा तथा पुनर्संरचना की गई और इसे अक्तूबर, 1980 से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम का नाम दे दिया गया है।

"हुडको" द्वारा पश्चिम बंगाल में फ्लैटों का निर्माण

5649. श्री मुकुन्द मण्डल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बरलीपुर, सोनारपुर, गरीहा, बाघा जतीन, जादवपुर और ढकुरिया के आस-पास के क्षेत्रों में पृथक-पृथक प्लाटों पर किराए के फ्लैट (एल० आई० जी० और एम० आई० जी०) तथा औद्योगिक मकान बनाने का "हुडको" का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मुख्यतः हुडको विकास अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आवास योजनाओं को वित्तीय सहायता देता है। साधारणतया यह कोई निर्माण कार्य सीधे ही अपने हाथ में नहीं लेता है, सिवाय उन कार्यों के जो यह विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ती के लिए कम कीमत के निर्माण की सम्भाव्यता को प्रदर्शित करने हेतु कुछ आवास अभिकरणों की ओर से सीमित आधार पर करता है।

चावलों के मूल्य में वृद्धि

5650. श्री दयाराम शाक्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की मुक्त बिक्री में अचानक 60 प्रतिशत की कटौती करने तथा खुले सामान्य लाइसेंस (आर० जी० एल०) के अधीन परमल चावल को वास्मति चावल के नाम से बेचने की अनुमति दिए जाने कारण चावल की कीमतें निरन्तर बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चावल की कीमतें स्थिर रखने के विचार से चावल की मुक्त बिक्री पर लगाई गई कटौती को हटायेगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए चावल का निर्यात बन्द करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) बासमती चावल का खुले सामान्य लाइसेंस पर निर्यात किया जाता है। जहां तक अन्य किस्मों के चावल का सम्बन्ध है, वार्षिक आधार पर किए गए निर्णय के अनुसार ही केवल सीमित मात्रा का निर्यात करने की इजाजत दी जाती है और वह भी केवल भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात किया जाता है। केवल उतनी मात्रा में ही चावल का निर्यात करने की अनुमति दी जाती है जिससे देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खतरा पड़ने की कोई आशंका न हो अथवा आन्तरिक मूल्यों में अनुचित वृद्धि होने की कोई सम्भावना न हो। इस वर्ष चावल के मूल्यों में जो मामूली वृद्धि हुई थी वह अंशतः 1981-82 के खरीफ मौसम के लिए धान के वसूली मूल्यों में 10 रुपये प्रति क्विन्टल की वृद्धि होने और पैट्रोल तथा डीजल के मूल्यों में वृद्धि होने से परिवहन लागत में वृद्धि होने के कारण भी हुई थी। पश्चिमी बंगाल और बिहार में हथिया वर्षा के असफल रहने के कारण धान की फसल भी क्षतिग्रस्त हो गई थी।

ग्रामीण पुनर्निर्माण

5651. श्री भोगेन्द्र झा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज सहायता ऋण या अनुदान के रूप में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को कितनी राशि आबंटित की गई है और की जा रही है;

(ख) इसी अवधि के दौरान बिहार राज्य के लिए जिलेवार कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ग) कौन-कौन से राज्य आबंटित राशि का उपयोग नहीं कर सके हैं और उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को ग्रामीण पुनर्निर्माण के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए किए गये राज्यवार केन्द्रीय बंटन विवरण 1 से 4 में दर्शाये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3777/82]

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय बंटन जिलावार नहीं किये जाते हैं। बिहार के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलावार केन्द्रीय बंटन अनुबन्ध 5 तथा 6 में दर्शाये गए हैं। बिहार में मरुभूमि विकास कार्यक्रम नहीं चल रहा है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3777/82]

(ग) सामान्यतया, राज्यों में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष के अन्त में जो केन्द्रीय सहायता बिना उपयोग किए रह जाती है, वह अगले वर्ष के दौरान उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है। कम उपयोग के मुख्य कारण प्रशासनिक तथा आधारभूत ढांचे सम्बन्धी अपर्याप्तता तथा ऋण उपलब्ध होने में कठिनाइयां हैं।

सहकारी समितियों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लागू करना

5652. **श्री सुभाष यादव :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल सहकारी समितियों के माध्यम से लागू की गई है;

(ख) इस योजना को वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) जिन राज्यों में सहकारी समितियां अभी तक सक्रियता से कार्य नहीं कर रही हैं, वहां इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) ऐसे उन राज्यों के क्या नाम हैं और वहां कितनी सहकारी समितियां कार्यरत हैं?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) पिछली रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में उचित दर की दुकानों की कुल संख्या तथा सहकारी क्षेत्र में ऐसी दुकानों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। किसी भी राज्य ने अभी तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केवल सहकारी समितियों के माध्यम से लागू नहीं किया है। तथापि, छठी पंचवर्षीय योजना में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के लिए सहकारी समितियों की ज्यादा बड़ी भूमिका सौंपनी होगी, ताकि कुछ समय में सम्पूर्ण फुटकर बिक्री केन्द्र उनके द्वारा चलाये जा सकें। 24-11-81 को सभी मुख्य मंत्रियों को भेजे गये पत्र में केन्द्रीय कृषि ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ इस पक्ष की ओर भी उनका ध्यान दिलाया है। केन्द्रीय क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण इलाकों में सहकारी समितियों के विकास के लिए 56 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	उचित दर की दुकानों की कुल संख्या	सहकारी क्षेत्र में उचित दर की दुकानों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	28317	2985
2.	असम	15731	14254
3.	बिहार	37142	3058
4.	गुजरात	9783	3915
5.	हरियाणा	5184	1550
6.	हिमाचल प्रदेश	2873	1970
7.	जम्मू व कश्मीर	3377	1373
8.	कर्नाटक	14000	8165
9.	केरल	11471	1713
10.	मध्यप्रदेश	22812	5236
11.	महाराष्ट्र	28749	9076
12.	मणिपुर	945	25
13.	मेघालय	1755	105
14.	नागालैण्ड	11	—
15.	उड़ीसा	17366	2584
16.	पंजाब	10210	2939
17.	राजस्थान	9972	5483
18.	सिक्किम	13	—
19.	तमिलनाडु	17506	12559
20.	त्रिपुरा	745	88
21.	उत्तर प्रदेश	48075	10700
22.	पश्चिम बंगाल	18193	1064
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	192	62
24.	अरुणाचल प्रदेश	171	71
25.	चण्डीगढ़	200	55
26.	दादरा व नागर हवेली	40	31
27.	दिल्ली	2180	118
28.	गोवा, दमण व दीव	379	176
29.	लक्षद्वीप	23	23
30.	मिजोराम	357	32
31.	पांडिचेरी	166	107

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के लिए नये रजिस्ट्रेशन

5653. **श्री स्कारिया थामस :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मकानों के लिए नये रजिस्ट्रेशन बन्द कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली में नई आवासीय कालोनियों का निर्माण करने की कोई योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी नहीं। यह पंजीकरण योजनाएं समय-समय पर चलाई जाती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया कि वह निम्नलिखित नई रिहायशी कालोनियों का विकास कर रहा है :—

किशन गढ़, रोहिणी, शालीमार बाग, ब्लाक "सी" तथा "डी", गोंडा, त्रिलोकपुरी, वसन्त एक्सटेन्शन, मसूदपुर कम्प्लैक्स, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, सुखदेव विहार, गाजीपुर, जहांगीरपुरी, गुलाबी बाग, और एन्ड्रयूज गंज के पीछे का क्षेत्र।

सरकारी आवास

5654. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराये जाने की क्या योजनायें हैं;

(ख) अब तक कितने प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध हो चुका है; और

(ग) आगामी दो वर्षों के दौरान कितने सरकारी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) छठी योजना के दौरान दिल्ली में "सामान्य पूल" में 17258 क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ख) दिल्ली में "सामान्य पूल" में सन्तुष्टि की प्रतिशतता 49 है।

(ग) यह आशा है कि आगामी दो वर्षों के दौरान दिल्ली में सामान्य पूल में लगभग 8,000 क्वार्टरों का निर्माण किया जाएगा ।

ग्रामीण पुनर्निर्माण परियोजनायें

5655. श्री टी० आर० शमन्ना : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की ग्रामीण पुनर्निर्माण परियोजनाएं सीधी अथवा राज्य सरकारों के माध्यम से चलाई जाती हैं;

(ख) राज्य और केन्द्र सरकार की योजनाओं के बीच कितना समन्वय रहता है विशेषकर जब राज्य सरकार की अपनी निजी ग्रामीण पुनर्निर्माण परियोजनाएं हैं; और

(ग) रोजी और रोटी की तलाश में नगरों में आने वाले ग्रामीणों की भारी भीड़ को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम आदि जैसे केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को राज्य सरकारों तथा उनके अन्तर्गत कार्य कर रही जिला एवं खण्ड स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ।

(ख) समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों तथा परामर्शों के अलावा, ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समन्वय, राज्य स्तर पर समन्वय समितियों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है जिनमें केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि राज्य सरकारों के विभागों, निगमों तथा अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं । जिलास्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी जिसके अध्यक्ष समाहर्ता/उप आयुक्त होते हैं, को विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आयोजना, कार्यान्वयन तथा प्रबोधन का कार्य सौंप कर समन्वय का प्रयास किया जा रहा है । खण्ड स्तर पर भी, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में खण्ड मशीनरी को शामिल करके समन्वय किया जा रहा है ।

(ग) यद्यपि कृषि, सिंचाई, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों, सेवाओं आदि के विकास के लिए कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जा रहे निवेश से ग्रामीण जनता के आम आर्थिक हालात में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का शहरी क्षेत्रों की ओर आना कम होगा फिर भी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण जनता के अधिकांश जरूरतमंद वर्गों को काम के बदले अनाज सुलभ करने हेतु एक विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है । अकेले इसी कार्यक्रम के माध्यम से देश में प्रति वर्ष 300 से 400 मिलियन श्रमदिनों का रोजगार सृजित किया जाता है और छठी योजना में इस कार्यक्रम के लिए 1620 करोड़ रुपये का परिव्यय सुलभ किया गया है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 20-सूत्री कार्यक्रम का अंग है और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उत्साहवर्धक कदम उठाए गए हैं ।

पश्चिमी राजस्थान में बिना सिंचाई वाले क्षेत्र

5656. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है और वहां देश में सबसे कम वर्षा होती है, और यदि हां, तो इस समय ऐसा कुल क्षेत्र कितना है;

(ख) किसानों की बेहतरी के लिए शुष्क खेती में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन कौन-कौन से संगठन कार्य कर रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। नवीनतम जानकारी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, गंगानगर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, तथा पाली जिलों में कुल 79.41 लाख हैक्टार वास्तविक वपित क्षेत्र में से 1979-80 के दौरान 12.20 लाख हैक्टार क्षेत्र निवल सिंचित क्षेत्र था। इस प्रकार 67.21 लाख हैक्टार के निवल असिंचित क्षेत्र में बुआई की गई।

(ख) बारानी खेती सम्बन्धी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के मुख्य अनुसंधान केन्द्रों में से एक केन्द्र केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में स्थित है। विशिष्ट बारानी खेती की प्रौद्योगिकी की स्थिति का पता लगाने के लिए गहन अनुसंधान कार्य किए गए हैं। अनुसंधान परिणामों के आधार पर पश्चिमी राजस्थान में कृषि उत्पादन के स्थिरीकरण/संवर्धन के लिए भूमि और जल प्रबन्ध और सस्य सम्बन्धी कार्य प्रणालियों के उपयुक्त पैकेजों की सिफ़ारिश की गई है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरु विकास कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है जिसके उप केन्द्र बीकानेर और पाली में हैं।

फालतू जमीन का उपयोग और लाभ उठाने के लिए केन्द्रीय अध्ययन दल की नियुक्ति

5657. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहीत की गई फालतू भूमि के उपयोग और उसका लाभ उठाने के सम्बन्ध में किसी अध्ययन दल की नियुक्ति की थी; और यदि हां; तो कब तक तथा अध्ययन दल के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) इस दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की और रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत नगर विस्तार के लिए आरम्भ में कितनी फालतू जमीन उपलब्ध होने की संभावना थी; और अब कितनी जमीन के उपलब्ध होने की संभावना है; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस अधिनियम के अन्तर्गत फालतू जमीन अधिग्रहीत की है और वास्तव में उन्होंने अब तक कितनी जमीन अधिग्रहीत कर ली है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 का कानून बनने से पूर्व असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश राज्य में और छावनी क्षेत्र में अनुमानित रिक्त भूमि की सीमा 74,110.26 हेक्टेयर थी। तथापि, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों एवं पाण्डिचेरी, चण्डीगढ़ प्रशासन तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में कोई सूचना नहीं बताई गई।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 6(1) के अन्तर्गत दर्ज फालतू रिक्त भूमि के विवरणों के आधार पर फालतू रिक्त भूमि की सीमा उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 3,06,036.88 हेक्टेयर बताई जाती है जिनमें यह अधिनियम लागू है।

अब तक अर्जित एवं राज्य सरकारों के पास निहित रिक्त भूमि की सीमा 4,136.82 हेक्टेयर बताई जाती है जो इस प्रकार है :—

राज्य	भूमि हेक्टेयरों में
आन्ध्र प्रदेश	206.50
बिहार	15.76
गुजरात	64.27
कर्नाटक	729.32
मध्य प्रदेश	646.01
महाराष्ट्र	1195.00
उड़ीसा	8.71
राजस्थान	14.93
उत्तर प्रदेश	1161.81
पश्चिम बंगाल	73.31
संघ राज्य क्षेत्र	
दिल्ली	21.20

विषय : उर्वरक और बीजों को जमा करने के लिए ड्रिल

5658. श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने उर्वरक और बीजों को जमा करने के लिए 60 रुपये की लागत से एक ड्रिल बनाया है;

(ख) क्या सरकार ने इस ड्रिल की पूरी जांच कर ली है और उसने इसको किसानों के लिए उपयोगी पाया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बड़े पैमाने पर इस ड्रिल का उत्पादन और समुचित प्रचार करके इसके उपयोग को लोकप्रिय बनाने का है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) तक अपेक्षित जानकारी कर्नाटक सरकार से एकत्र की जा रही है।

कर्नाटक को खाद्यान्न

5659. श्री जी० वाई कृष्णन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि केन्द्र द्वारा खाद्यान्न की कम सप्लाई किए जाने के कारण कर्नाटक की सार्वजनिक वितरण प्रणाली अव्यवस्थित हो गई है;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने वर्ष 1980-81 के दौरान चावल, गेहूं और चीनी खाद्यान्नों की और अधिक सप्लाई के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजी गई मात्रा तथा राज्य सरकार द्वारा मांगी गई मात्रा के बारे में ब्योरे क्या हैं।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया था कि कर्नाटक के चावल के मासिक आवंटन को नवम्बर; 1981 के 25,000 मीटरी टन से कम करके दिसम्बर, 1981 में 10,000 मीटरी टन करने से उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। खाद्यान्नों के आवंटन में वृद्धि करने सम्बन्धी उनके अनुरोध के उत्तर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल के मासिक आवंटन को जनवरी, 1982 के 10,000 मीटरी टन से बढ़ाकर फरवरी, 1982 में 15,000 मीटरी टन और मार्च, 1982 में 20,000 मीटरी टन कर दिया गया था। एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1980-81 के दौरान कर्नाटक की चावल, गेहूं और चीनी की मासिक मांग और उनके आवंटन के बारे में बताया गया है।

विवरण

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

मास	मांग			आबंटन			
	चावल	गेहूं	चीनी	चावल	गेहूं		चीनी
	आ० वि०		मिल	सा० वि०			मिल
	कृपया नीचे के नोट को देखिए						
अप्रैल 80	Nil	10.0	36.0	—	10.0	36.0	14.215
मई 80	5.0	10.0	36.0	5.0	10.0	36.0	14.215
जून 80	5.0	10.0	36.0	5.0	10.0	36.0	14.215
जुलाई 80	7.5	5.0	36.0	7.5	5.0	36.0	14.215
अगस्त 80	5.0	10.0	36.0	7.5	5.0	17.39	14.215
सितम्बर 80	12.5	5.0	36.0	12.5	5.0	17.39	14.215
अक्तूबर 80	5.0	5.0	36.0	12.5	2.0	25.0	14.215
नवम्बर 80	10.0	10.0	36.0	12.5	2.0	23.0	14.215
दिसम्बर 80	10.0	10.0	36.0	12.5	2.0	22.0	14.215
जनवरी 81	14.5	5.0	36.0	14.5	3.0	22.0	14.215
फरवरी 81	25.0	3.0	22.0	14.5	3.0	22.0	14.215
मार्च 81	20.0	3.0	30.0	15.0	3.0	22.0	14.215

नोट :—राज्य की चीनी की आवश्यकता 1-4-1978 को प्रायोजित जनसंख्या के लिए प्रतिव्यक्ति 425 ग्राम की उपलब्धता के आधार पर निकाली गई थी।

अन्तर्राज्यीय बस अड्डा, दिल्ली पर डी० डी० ए० द्वारा दिए गए ठेके

5660. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर ठेके दिये जाते हैं और यदि हां, तो जिन व्यक्तियों को गत तीन वर्षों में ठेके दिये गये हैं उनके नाम क्या हैं;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन ठेकों से गत आठ वर्षों के दौरान कितनी आय हुई है; और

(ग) बस अड्डे के भवन के लिए कितने टेंडर दिए जाते हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण को इससे कितना वार्षिक किराया मिलता है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्वार्टरों के चिमनीहुड में गैस की पट्टियों की व्यवस्था

5661. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या निर्माण और आवास मंत्री सरकारी कालोनी आर० के० पुरम, नई दिल्ली में खाना पकाने की गैस के लिये पट्टियों की व्यवस्था के बारे में 14 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4060 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिमनीहुड में गैस की एक पट्टी की व्यवस्था करने पर अनुमानतः कितनी लागत आती है;

(ख) क्या यह कार्य पूरा करने के लिए चरणबद्ध योजना बनाई जायेगी ताकि बहुत आवश्यक या कम से कम मांग करने वाली यह सुविधा दी जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) लगभग 100 रुपये।

(ख) तथा (ग) आयोजना भिन्न पर कुल लागत 13 लाख रुपये से अधिक होने के कारण, यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या ऐसा कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

5662. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने सम्बन्धी राज्यों के विशेष कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए एक पैनल बनाने का है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) का कोई नवीन मूल्यांकन किया है;

(ग) क्या सरकारी विभागों द्वारा पर्याप्त धनराशि और काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्याप्त खाद्यान्न न देने के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में रुकावट आई है;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि खाद्यान्न और सीमेंट सोडा और इस्पात जैसी अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ङ) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में भी ग्रामीण बैंकों से पर्याप्त धन न मिलने के कारण रुकावट आई है; और

(च) सरकार ने इस दोनों कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार हेतु नीति से सम्बन्धित एक समिति का गठन किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) व (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में पर्याप्त धनराशि तथा खाद्यान्नों का आबंटन न करने के कारण रुकावट नहीं आई है । तथापि, अगले वर्ष अर्थात् 1982-83 के लिए कार्यक्रम हेतु निधियों के प्रावधान को चालू वर्ष के 360 करोड़ रुपये के प्रावधान से बढ़ाकर 380 करोड़ रुपये कर दिया गया है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीमेन्ट तथा इस्पात जैसी अनिवार्य सामग्री की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश दिए गए हैं ।

(ङ) व (च) प्राप्त सूचना के अनुसार राज्यों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन को बैंकों से पर्याप्त ऋण सहायता न मिलने के कारण अपेक्षित प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है । इस दिशा में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :—

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का एक परिपत्र जारी किया गया है ।

(2) समन्वित ग्रामीण विकास हेतु ऋण सहायता की पुनरीक्षा करने तथा राज्यों द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु ऋण सहायता प्राप्त करने में अनुभव की गई कठिनाइयों का पता लगाने तथा इन्हें सुधारने हेतु उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए डा० मनमोहन सिंह सदस्य-सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है ।

(3) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता के बारे में अनुभव की गई कठिनाइयों का हल ढूंढने के लिए समय-समय पर संस्थागत वित्त के बारे में क्षेत्रीय गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं ।

(4) वित्त मंत्रालय ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता की समस्याओं का पता लगाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा राज्य सरकारों के प्राधिकारियों की समय-समय पर बैठकें बुलाई हैं ।

केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान (सी० एस० डब्ल्यू० आर० आई०) में भेड़ों की मृत्यु के कारणों का पता लगाने सम्बन्धी जांच समिति

5663. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर के निकट केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान के प्रबन्धक मण्डल द्वारा गठित जांच समिति ने जांच करने पर पाया है कि इस संस्था में बड़ी संख्या में भेड़ों के मरने के कारण कुप्रबन्ध और कदाचार है; और

(ख) यदि हां, जो जांच सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जयपुर के निकट केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर में भेड़ों की अधिक मृत्यु दर से सम्बन्धित मामले की जांच के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय ने 15 मार्च, 1979 को एक जांच समिति की स्थापना की थी और उसे दो महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। अन्तिम रिपोर्ट की केवल एक अप्रमाणित प्रति परिषद को 20 फरवरी, 1982 को प्राप्त हुई है।

रिपोर्ट के भाग I और II जो पहले विस्तृत रूप में प्राप्त हुए थे, के साथ अन्तिम रिपोर्ट की जांच की जाएगी उसके बाद उस पर परिषद की टिप्पणियों के साथ जांच समिति की सम्पूर्ण रिपोर्ट परिषद के शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

भील क्षेत्रों में सूखा

5664. **श्री जय नारायण रोट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में विद्यमान भयंकर सूखे की स्थिति के कारण भील क्षेत्रों में भूख से पीड़ित लाखों आदिवासी लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : केन्द्रीये दल की रिपोर्टों तथा राहत सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1981-82 के दौरान विभिन्न सूखा राहत उपायों के लिए 8782.80 लाख रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी है। राज्य सरकार, आदिवासी क्षेत्रों सहित प्रभावित जिलों में हुई क्षति के अनुसार निधियों का आगे आवंटन करती है।

लोधी कालोनी, नई दिल्ली में टाईप-4 के सरकारी क्वार्टरों का आवंटन

5665. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोधी कालोनी, नई दिल्ली में 1-1-1981 से 31-12-1981 तक टाइप-4 के कितने सरकारी क्वार्टरों का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले 12 महीनों में 9-10 वर्ष से अपनी बारी की प्रतीक्षा करने वालों की अवहेलना करके कुछ व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो लोधी कालोनी में टाइप-4 के कितने क्वार्टर तदर्थ आधार पर आवंटित किए गए हैं और परिवर्तन सूची से कितने क्वार्टर आवटित किए गए हैं तथा दोनों श्रेणियों के आवंटन की प्रतीक्षा करने वाले/अपनी बारी के अनुसार परिवर्तन पाने वाले/बिना पारी के क्वार्टर पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की सूची में किस तारीख तक क्वार्टर आवंटित किए जा चुके हैं; और

(घ) यदि अपर भाग (ख) का उत्तर सकारात्मक हो तो 1 : 1 के अनुपात में क्वार्टर आबंटित करने के सिद्धान्त के अनुसार आबंटन न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 21

(ख) तथा (घ) प्रत्येक मामले के गुणों के आधार पर कतिपय व्यक्तियों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। पिछले 12 महीनों के दौरान इन मकानों में से 16 मकानों को तदर्थ आधार पर आबंटित किया गया है और 5 को बदली की प्रतीक्षा सूची में से आबंटित किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेय जल के कुएं

5666. **श्री ओस्कार फर्नाण्डीस :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेय जल के खुले कुएं बनाने के लिए वित्तीय सहायता नहीं दे रही है; और

(ख) यदि हां तो सरकार पेय जल की समस्या का समाधान किस प्रकार करना चाहती है जबकि नलकूप से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और पानी का श्रोत केवल खुले कुएं ही हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) जबकि पेय जल के खुले कुओं को पेय जलपूर्ति का स्वच्छ स्रोत नहीं माना जाता है तो खोदे गये ऐसे स्वच्छ कुएं जिनमें उपयुक्त नाली व्यवस्था हो तथा जिनमें सतह से पानी के रिसन को रोकने की व्यवस्था हो और वे ऊपर से ढके हुए हों, जिनमें कुएं से पानी निकालने के लिए हैण्डपम्प लगाया गया हो, ऐसे बनाए गए कुएं जलपूर्ति का सुरक्षित साधन हैं। स्वच्छ कुओं, नलकूपों या पाइपों द्वारा पानी जैसा भी उचित हो, उपलब्ध कराने से पेय जल समस्या को हल करने के प्रयास किए जाएंगे। इसमें अधिक मितव्यता के विकल्पों को अपनाया जाएगा। यह कहना सही नहीं है कि खोदे गये कुएं कामयाब नहीं हुए हैं।

पशुपालन के लिए राजस्थान को सहायता

5667. **श्री विरदा राम फुलवारिया :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 और 1982 में सरकार ने राजस्थान को भेड़ पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, सूअर पालन तथा पशुपालन के लिए सहायता और अनुदान के रूप में कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुदान और सहायता के रूप में राज्य में जिले वार दी गई धनराशि का पूरा ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) इस सम्बन्ध में वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम तथा कृषि मंत्रालय की सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान को दी गई केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई बकरीपालन घटक नहीं है। उल्लिखित गतिविधियों को सम्बन्धित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी शुरू किया जाता है लेकिन जिलों के लिए केन्द्रीय सहायता सम्पूर्ण कार्यक्रम जिसमें अन्य क्षेत्रों की गतिविधियां भी शामिल हैं, के लिए बंटित की जाती है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में ऊपर दिए गए कार्यक्रमों (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को छोड़कर) के अन्तर्गत आने वाली पशुपालन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जिलों को बंटन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किए जाते हैं।

विवरण

क्रम सं०	कार्यक्रम	बंटित धनराशि (लाख रुपये में) 1980-81	1981-82
1.	विशेष पशुधन कार्यक्रम		
	1. दोगली किस्म की ओसरे पालना	5.98	16.00
	2. मुर्गीपालन, सूअरपालन तथा भेड़ संवर्धन	44.98	9.71
2.	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम		
	1. भेड़ तथा चारागाह विकास	51.60	29.19 ()
	2. पशु तथा डेरी विकास	42.04	16.06 ()
3.	मरुभूमि विकास कार्यक्रम		
	1. भेड़ तथा चरागाह विकास 2. पशु तथा डेरी विकास	18.11 113.16	46.36 ()
4.	पशु प्लेग उन्मूलन	0.65	1.75
5.	खुर यथा मुंह की बीमारी पर नियन्त्रण	2.00	2.00
6.	चारा मिनीकिट प्रदर्शन कार्यक्रम	0.56 (लगभग)	0.70 (लगभग)

( ) अक्तूबर, 1981 के अन्त तक

पंजाबी साहित्य सभा को मिंटो रोड, नई दिल्ली में प्लाट का आबंटन

5668. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाबी साहित्य सभा के मिंटो रोड नई दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में एक 181 वर्ग गज का प्लाट आबंटित करने के लिए 1969 में 37,442,60 रुपये की अदायगी की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि 22 से अधिक संसद् सदस्यों ने सिफारिश की है कि पंजाबी साहित्य सभा को इमारत संख्या 8 कोटला रोड सहित यह प्लाट दे दिया जाय क्योंकि बहुत से संस्थानों को इमारत सहित कब्जा दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि पंजाबी साहित्य सभा इस इमारत की कीमत देने को तैयार थी, फिर भी यह इमारत तोड़ दी गई;

(घ) यदि नहीं, तो सही स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या सभा को कब्जा दे दिया गया है और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कब्जा कब तक दिए जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) पंजाबी साहित्य सभा को मूल रूप से 1966 में 0.365 एकड़ नाप का एक भूखण्ड आबंटित किया गया था। जिसको 1967 में रद्द करने के बाद प्रस्तावित राउज एवेन्यू सांस्थानिक क्षेत्र में पुनर्जिवित किया गया और इस सभा ने मार्च 1968 में 37442.60 रुपये का भुगतान किया।

(ख) संसद सदस्यों के विशिष्ट विवरण या वह समय जब तथाकथित सिफारिशें दी गई थी, के अभाव में इसकी पुष्टि करना या इससे इनकार करना कठिन है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, नही। कुछ बंगलों के खाली न होने के कारण इस क्षेत्र के पुनर्विकास में विलम्ब हुआ। जैसे ही ये बंगले खाली कर दिए जाएंगे और विन्यास नक्शे के अनुसार इस क्षेत्र को पुनर्विकसित किया जाएगा वैसे ही सभा को कब्जा दे दिया जायेगा।

यमुना पार क्षेत्र में कालोनियों का विकास

5669. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निर्माण और आवास मत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में किये गये कार्य के बारे में 1 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1336 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुनापार क्षेत्र में लक्ष्मी नगर तथा शकरपुर के विकास के लिए क्या कार्य किए गए हैं;

(ख) इन कालोनियों को नियमित करने के लिये हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कालोनियों के नक्शों को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा जिसके लिए जनता ने अपने सुझाव दिये थे; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है यद्यपि लक्ष्मी नगर और शकर पुर क्षेत्र के लिए नियमितिकरण योजना के प्रारूप बनाये गये थे, परन्तु यह पाया गया है कि ये कालोनियां प्रमुख रूप से सरकारी भूमि पर स्थित हैं और इस विषय पर नीति के अनुसार ये नियमितिकरण के योग्य नहीं हैं।

उचित दर की दुकानों पर यूनिटों की संख्या

5670. **श्री धर्म दास शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में खोली गई उचित दर की दुकानों (कांग्रेस शासन में) पर निर्धारित 4000 यूनिटें नहीं हैं जब कि बहुत सी दुकानों पर 6000 यूनिटों से भी अधिक हैं;

(ख) क्या इन उचित दर की नई दुकानों के मालिकों को माल सप्लाई करते समय कई बार परेशान भी किया जाता है;

(ग) क्या इस नीति से इस बात का संकेत नहीं मिलता कि यह उन अधिकारियों का षड्यंत्र है जो दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार नहीं लाने देना चाहते;

(घ) दिल्ली में उन उचित दर की नई दुकानों की संख्या कितनी है जिनके पास पूरी 4000 यूनिटें हैं और जिनके पास 4000 यूनिटों से अधिक हैं और यदि अधिक हैं तो कितनी यूनिटें अधिक हैं और किस तारीख को उन्हें लाइसेंस जारी किए गए थे; और

(ङ) खाद्य तथा पूर्ति विभाग द्वारा अपने ही आदेश को लागू न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) दिल्ली में हाल ही में खोली गयीं 790 उचित दर की दुकानों में से 232 में प्रत्येक के पास 4,000 से अधिक अनाज यूनिटें हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में 2862 उचित दर की दुकानें काम कर रही हैं और इनमें से 392 दुकानों में प्रत्येक के पास 6,000 या अधिक यूनिटें हैं। ये दुकानें आमतौर पर उन क्षेत्रों में हैं जहां उच्च प्रीमियम के कारण स्थान मिलना अत्यधिक कठिन है और नई रिक्तियां अधिसूचित किए जाने पर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है।

(ख) जी नहीं। प्रत्येक उचित दर की दुकान को आवंटन समान रूप से तथा उनके पास दर्ज अनाज यूनिटों के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) दिल्ली प्रशासन के निर्णयानुसार मोटे तौर पर प्रत्येक 4,000 अनाज यूनिटों के लिए एक उचित दर की दुकान की व्यवस्था की जानी है। तथापि, यह संभव नहीं है कि प्रत्येक उचित दर की दुकान के पास न्यूनतम या अधिकतम 4,000 यूनिट हों, क्योंकि व्यावहारिक रूप में इस निर्देश का कार्यान्वयन बहुत सी बाध्यताओं तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक बाधा तो दुकान के लिए व्यापार-स्थान के मिलने और अधिसूचित रिक्ति के लिए आवेदकों से आवेदन प्राप्त होने के बारे में है। दूसरी बात, खाद्य कार्ड धारियों की सहूलियत को भी ध्यान में रखना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में, प्रत्येक गांव में एक उचित दर की दुकान की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है, चाहे यूनिटों की संख्या 4,000 से कम ही हो। इसके अतिरिक्त, यदि 6,000 यूनिटों से अधिक यूनिट रखने वाली उचित दर की दुकान से भीड़ कम करने के लिए एक और दुकान खोली जाती है, तो स्पष्ट है कि शुरू में नई दुकान में 4,000 यूनिटों से कम यूनिट होंगे और इस कमी को, जब भी नये खाद्य कार्ड जारी किये जाएगे उन्हें शामिल करके धीरे-धीरे पूरा किया जा सकेगा, परन्तु इसके लिए भी खाद्य कार्डधारियों की सुविधा को ध्यान में रखना होगा।

जनवरी, 1981 से अब तक जिन 232 उचित दर की दुकानों को लाइसेंस दिये गये, उनमें से 156 दुकानों में प्रत्येक के पास 4,000-5,000 तक यूनिट दर्ज हैं, 49 दुकानों के पास 5,000 से 6,000 तक यूनिट दर्ज हैं और 27 दुकानों में प्रत्येक के पास 6,000 से अधिक यूनिट दर्ज हैं।

हुडको योजना 1979

5671. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री हुडको योजनाओं के बारे में 14 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3669 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्राप्त हो गई;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) दिए हुए आश्वासन को पहले ही पूरा किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विषय : उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सात सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन

5672. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का अगले वर्ष उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सात सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) और (ख) उर्वरकों की खपत बढ़ाने के लिए ऐसा कोई "7-सूत्री कार्यक्रम" नहीं है। तथापि, सरकार ने इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. देशी उत्पादन और आयात के माध्यम से समय पर उर्वरकों की उपलब्धि सुनिश्चित करना।
2. फसलों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि करके अनुकूलतम लागत-लाभ अनुपात सुनिश्चित करना ताकि उर्वरक मूल्यों में हुई वृद्धि की पूर्ति हो सके।
3. समूचे देश में सरकारी खर्च पर खण्ड मुख्यालयों तक उर्वरक पहुंचाना।
4. गहराई से अध्ययन पूरा होने तक 15-8-1981 से वितरण मार्जिन में तदर्थ आधार पर लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि करना।
5. ऐसे चुनींदा जिलों में जहां खपत की सम्भाव्यताएं मौजूद हैं किन्तु वर्तमान खपत कम है, सघन उर्वरक सम्वर्द्धन अभियान चलाना।
6. राज्यों को आदानों की खरीद और वितरण, जिसमें उर्वरक भी शामिल हैं, के लिए अल्पकालीन ऋणों को 1979-80 में 136 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1980-81 तथा 1981-82 में 200 करोड़ रुपये करना।
7. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए छोटे और सीमांत किसानों को क्रमशः 25 प्रतिशत और 33-1/3 प्रतिशत की दर से राज-सहायता देना।

सरकारी कालोनियों का रख-रखाव

5673. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या निर्माण और आवास मंत्री "दूसरी दिल्ली" शीर्षक दूरदर्शन कार्यक्रम के बारे में 23 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 140 और आर० के० पुरम, नई दिल्ली के सेक्टर-एक में मरम्मत कार्य के बारे में 3 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1298 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि दिल्ली में सड़कों का रख-रखाव उचित और पर्याप्त था और मैनहोल ठीक हालत में और ढके हुए रखे जाते तो टी० वी० प्राधिकारियों ने 27 अगस्त, 1981 के अपने 'परिक्रमा' कार्यक्रम में उन्हें दिखाने की आवश्यकता क्यों महसूस की; और

(ख) सरकारी आवासीय कालोनियों में पहुंच मार्गों की आवश्यक मरम्मत की आवश्यकता और खुले मेनहोल ढकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) कतिपय प्रश्नों के उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि दिल्ली प्रशासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित की जा रही दिल्ली की मुख्य सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा बृहद् योजना की सड़कें सामान्यतः अच्छी दशा में हैं तथा उनके उचित अनुरक्षण के लिए सतत् प्रयास किए जाते हैं।

जहां तक सड़कों की मरम्मत का सम्बन्ध है, जैसा कि पहले ही 30 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1298 के उत्तर में कहा गया है कि चरणबद्ध कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा संसाधनों की कमियों के भीतर इसे निष्पादित किया जाएगा।

जहां तक मेनहोलों को ढकने का सम्बन्ध है, नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि टाउन हाल, नई दिल्ली में एक केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष के साथ 12 शिकायत केन्द्र इस प्रयोजनार्थ कार्य कर रहे हैं जहां शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर तुरन्त ही मेनहोलों के खोए हुए ढकनों को बदलने के प्रयास किए जाते हैं।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए विशाखापत्तनम में अड्डा

5674. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का उद्योग का विशाखापत्तनम अड्डा बन गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : गहरे समुद्र के अधिकांश व्यापारिक मत्स्यन जलयान विशाखापत्तनम से चलते हैं।

विदिशा में पेय जल हेतु समस्या वाले गांव

5675. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1981 की विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितने गांव पेय जल के लिए समस्या वाले गांव हैं;

(ग) समस्या के हल के लिए क्या प्रभावकारी कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में धनराशि की कमी के कारण पी० एच० ई० कार्यक्रम में रुकावट आई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार विदिशा संसदीय चुनाव क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 1981 की स्थिति के अनुसार 1320 घोषित समस्याग्रस्त ग्राम थे। जिनमें से 586 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल सुविधा मुहैया कर दी गई है। शेष ग्रामों को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेय जल मुहैया कराने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

राजस्थान में राष्ट्रीय पार्क

5676. **श्री चतुर्भुज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना में अन्य जीवों के संरक्षण के लिए राजस्थान में एक राष्ट्रीय पार्क

बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो उपरोक्त राष्ट्रीय पार्क के स्थान के चयन के लिए अपनाए गए मानदण्ड क्या हैं और इसके लिए कौन सा स्थान चुना गया है; और

(ख) इस पार्क पर कितना व्यय होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भरतपुर तथा सवाई माधोपुर स्थित मौजूदा राष्ट्रीय पार्कों के अतिरिक्त, राजस्थान के जैसलमेर तथा बाढ़मेर जिलों में एक मरु राष्ट्रीय पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय पार्क का मुख्य लक्ष्य वन पारस्थितिक प्रणाली का संरक्षण करना है।

(ख) इस राष्ट्रीय पार्क के लिए 247 लाख रुपये के परिव्यय से एक योजना तैयार की गई है।

तमिलनाडु को पेय जल के लिए सहायता

5677. **श्री सी० चिन्ना स्वामी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों को पेय जल देने सम्बन्धी योजनाओं के लिए केन्द्र से सहायता मांगी है ताकि राज्य सरकार पूरे राज्य में जल की सप्लाई कर सके क्योंकि पेय जल सप्लाई की वार्षिक अनुरक्षण लागत बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने इस सम्बन्ध में क्या योजना बनाई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल मुहैया करना नए 20-सूत्री कार्यक्रम का एक भाग है, नयूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में निधियों की व्यवस्था की जाती है। राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके प्रयासों की जलपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। छठी योजना के दौरान चुने गए सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल का कम से कम एक स्रोत जिसमें वर्ष भर जल उपलब्ध हो, मुहैया कराने के प्रयत्न किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में चुने गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या 6649 है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के गांवों का पक्की सड़कों से जोड़ा जाना

5678. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या ग्रमीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में आदिवासी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के ऐसे कितने गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा;

(ग) इस कार्य हेतु राजस्थान के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या निर्धारित समय में यह कार्य पूरा करने के लिए यह धनराशि पर्याप्त है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990 तक 1500 और उससे ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000 से 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को सभी मौसमों में खुली रहने वाली सम्पर्क सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है। तथापि, पड़ाही आदिवासी, मरुस्थल तथा तटवर्ती क्षेत्रों जहां जनसंख्या बिखारी हुई है, के मामले में उपयुक्त मानदण्डों में छूट देने हेतु सामूहिक गांवों के दृष्टिकोण को अपनाया जाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी राज्यों को सलाह दी है कि गांवों जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक है, का चयन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्र श्रेणी में आने वाले गांवों में से किया जाए और इन गांवों को सड़कों से जोड़ने हेतु भौतिक लक्ष्यों को विशिष्ट रूप से बताया जाए और उनके लिए वित्तीय प्रावधान भी निर्धारित किए जाए।

(ख) राजस्थान में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना अवधि के दौरान 1500 तथा इससे ऊपर की जनसंख्या वाले 724 गांवों और 1000 से 1500 के बीच जनसंख्या वाले 123 गांवों को सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ा जाना है।

(ग) छठी योजना में इस प्रयोजन के लिए राज्य क्षेत्र में 65 करोड़ रुपये का परिव्यय सुलभ किया गया है।

(घ) समग्र संसाधन सम्बन्धी अड़चनों को ध्यान में रखते हुए, छठी योजना को तैयार करते समय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में ग्रामीण सड़कों के लिए सुलभ किए गए परिव्यय सामान्यतः पर्याप्त हैं।

रोहिणी योजना के अन्तर्गत भूमि का आबंटन

5679. श्री आर० आर० भोले : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत प्लाटों के आबंटन के लिए पृथक्-पृथक् कितनी राशि एकत्र की गई है और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) अब तक कितने प्लाट विकसित किए हैं और आबंटन कब तक पूरा होने की आशा है; और

(ग) क्या सरकार इस योजना के अन्तर्गत अब तक किये गये विकास कार्य से सन्तुष्ट है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि रोहिणी पंजीकरण योजना के अन्तर्गत 21.15 करोड़ रुपये की कुल राशि प्राप्त हुई है। आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल करने और उनको वर्गीकृत करने के पश्चात् ही श्रेणीवार ब्यौरे दिए जा सकते हैं (इनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजति से सम्बन्धित ब्यौरे भी शामिल हैं।)

(ख) लगभग 20,000 प्लाट विकासाधीन है और आशा है कि इस वर्ष के दौरान ये आबंटन के लिए तैयार हो जाएंगे। अगले 5 वर्षों के दौरान इस कालोनी का विकास पूर्ण हो जाने की आशा है बशर्ते कि परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कुल भूमि का अधिग्रहण हो।

(ग) जी, हां।

सिंचाई योजनाओं के लिए सहायता हेतु मध्य प्रदेश से प्रस्ताव

5680. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 37.000 हेक्टेयर कृषि भूमि की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न करने की दृष्टि से राजघाट बाणसागर हसदेव बंगी, बरगी बांध, बरगी नहर, उर्मिल, कोंडर और बाणगंगा की प्रमुख सिंचाई योजनाओं और मध्यम तथा लघु योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) संसाधनों की तंगी को ध्यान में रखकर, चालू वर्ष के दौरान कोई अग्रिम योजनागत सहायता देना संभव नहीं हो सका है।

विषय : कृषि सेवा केन्द्रों को समाप्त करना

5681. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तकनीकी कार्मिकों को रोजगार देने, रूढ़ीगत किराए की सेवाओं और कृषि आदानों के सम्बन्ध में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए कृषि सेवा केन्द्रों को समाप्त करने पर विचार कर रही है क्योंकि ये केन्द्र सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है; और

(ग) इस स्थिति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) कृषि उद्यमियों द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान और उसके बाद स्थापित किए गए मौजूदा कृषि सेवा केन्द्रों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इन केन्द्रों को सुदृढ़ करने तथा इनके कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उद्यमियों के ब्याज राज सहायता के समस्त दावों का संवितरण शीघ्रता से कर दें।
2. राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि वे भूमि सुधार और कमान क्षेत्र विकास सहित अपने विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन उद्यमियों को कस्टम भाड़ा सम्बन्धी कार्य दिलाने में सहायता करें।

3. केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह वित्तीय बैंकों को निर्देश दें कि जिन उद्यमियों ने अपने केन्द्र बन्द कर दिए हैं उन पर देय ब्याज माफकर दिया जाए तथा उपयुक्त मामलों में उनके कार्यकलापों में परिवर्तन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

4. पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से भी अनुरोध किया गया है कि वह इन केन्द्रों को डीजल, पैट्रोल और स्नेहकों के वितरण की एजेंसी देकर इनकी पुनर्स्थापना करवाएं।

विषय : असिंचित भूमि क्षेत्र

5682. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की सिंचित भूमि कृषि परियोजना से यह रहस्योद्घाटन हुआ है कि नई प्रौद्योगिकी द्वारा असिंचित भूमि से राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि की जा सकती है;

(ख) देश में असिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल क्या है और क्या इस क्षेत्रफल से बड़ी उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया जाना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) असिंचित भूमि प्रौद्योगिकी के जरिए उत्पादन बढ़ाने के लिए तात्कालिक योजनाएं क्या हैं;

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए किसी क्षेत्रफल और फसल की किस्म का चयन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) देश के 143 मिलियन हेक्टेयर कृष्य भूमि में से करीब 105 मिलियन हेक्टेयर भूमि वर्षा पर आश्रित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को स्थिर करने के लिए उपयुक्त फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के विकास पर विशेष जोर दे रही है।

(ग) देश की शुष्क भूमि समस्याओं की जानकारी के लिए बारानी कृषि हेतु एक अखिल भारतीय अनुसंधान प्रायोजना 1970 में कार्यान्वित की गई थी। यह प्रायोजना 23 केन्द्रों में चालू है जो कि देश के विभिन्न बारानी स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान बारानी कृषि प्रायोजना पर किए जाने वाले निवेश में काफी वृद्धि हुई है जो चौथी योजना में 189 लाख रु० से बढ़कर छठी योजना के दौरान 605 लाख रु० हो गया है।

इसके अतिरिक्त, छठी योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा बड़ी शुष्क भूमि कृषि फसलों से सम्बद्ध अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं को सुदृढ़ किया गया है।

राज्य स्तर पर 22 कृषि विश्वविद्यालयों में चल रहे अनुसंधान को राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना (एन० ए० आर० पी०) के माध्यम से सुदृढ़ किया जा रहा है जो उन्नत बारानी प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने में योगदान देगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त (i) ज्वार, बाजारा, अरहर, चना तथा मूंगफली के आनुवंशिक सुधार और (ii) मौसमी शुष्क अर्द्ध शुष्क उष्णकटि बंध में उत्पादन को स्थिर करने के लिए कृषि-पद्धति से सम्बन्धित अर्द्धशुष्क कटिबन्ध के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, पटानचेरु, हैदराबाद के गहन अनुसंधान कार्यक्रम बारानी प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने में काफी हद तक सहायक होंगे।

(ग) और (घ) देश के प्रत्येक कृषि जलवायु सम्बन्धी क्षेत्रों के लिए फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है और गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, सरसों, चना और अरहर आदि जैसी फसलों की कारगर किस्में विकसित की गयी हैं।

महत्वपूर्ण बारानी कृषि के लिए कुछ कारगर फसल उत्पादन अंचलों के नाम परिशिष्ट में दिए गए हैं।

विवरण

वर्षा पर आश्रित संभावित क्षेत्र

फसल	संभावित क्षेत्र
1	2
गेहूं	(i) जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश के उप-पर्वतीय क्षेत्र।
	(ii) उत्तर प्रदेश की गंगा को जलोढ़ मिट्टी वाली पट्टी और बिहार के मैदान।
	(iii) बुन्देलखंड और रीवा क्षेत्र।
ज्वार	खरीफ वाली काली मिट्टी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की पट्टियां।
बाजरा	(i) महाराष्ट्र और गुजरात की छिछली काली मिट्टी वाला क्षेत्र।
	(ii) हरियाणा और राजस्थान के सिरोजम
	(iii) गुजरात की "कोराडू" मिट्टी वाला क्षेत्र
	(vi) उत्तर प्रदेश की अर्द्ध-शुष्क जलोढ़ पट्टी वाला क्षेत्र

1	2
मक्का	(i) बिहार और उत्तर प्रदेश की अर्द्ध-नम जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र
	(ii) दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान में काली मिट्टी वाली पट्टी वाला क्षेत्र
	(iii) जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश के उप-पर्वतीय क्षेत्र
रागी	कर्नाटक की अर्द्ध-शुष्क लाल मिट्टियों वाला क्षेत्र
चना	(i) दूसरी फसल के लिए उत्तर प्रदेश का जलोढ़ क्षेत्र
	(ii) दूसरी फसल के लिए उत्तरी मध्य प्रदेश की काली मिट्टियों वाला क्षेत्र
	(iii) एक फसल के लिए हरियाणा और राजस्थान का सिरोजम क्षेत्र
अरहर	(i) अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में ज्वार और बाजरा के साथ अन्तःफसल के रूप में।
	(ii) गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक की अर्द्ध-शुष्क उथली काली मिट्टियों वाला क्षेत्र
तोरिया/सरसों	(i) दूसरी फसल के रूप में उत्तर प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र
	(ii) दूसरी फसलों के रूप में राजस्थान के दक्षिणी भाग की काली मिट्टियों वाला क्षेत्र
	(iii) अकेली फसल के लिए हरियाणा का सिरोजम वाला क्षेत्र
	(iv) जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश का उप पर्वतीय क्षेत्र
कुसुम	दूसरी फसल या अकेली फसल के लिए 20° एन से कम के समतुल्य गहरी काली मिट्टियां।

29 मार्च, 1982 को उत्तर के लिए औद्योगिक श्रमिकों की आवासीय समस्या को हल करने हेतु हुडको की योजना

5683. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों के लिए मकानों के निर्माण में हुडको ने उद्योग की कहां तक मदद की है;

(ख) औद्योगिक श्रमिकों की आवासीय समस्या हल करने हेतु योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष 1981-82 में अब तक की अवधि के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के लिए उद्योग-वार मंजूर की गई ऐसी योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(घ) प्रत्येक योजना के लिए कितनी राशि उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई और वास्तव में खर्च की गई; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितने श्रमिकों को मकान उपलब्ध कराए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) आवास तथा नगर विकास निगम के पास सिर्फ औद्योगिक कर्मचारियों के लिए कोई योजना नहीं है। तथापि, स्टाफ के लिए हुडको की दो सामान्य योजनाएं है। इन योजनाओं की शर्तें विवरण-I में दी गई हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत योजनाओं, ऋण राशि और उसक अन्तर्गत बनाए जाने वाले रिहायशी एककों की संख्या का उद्योगवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-1

हुडकों की स्टाफ आवास योजनाएं—ऋण देने की शर्तें

I. किराया स्टाफ आवास

सार्वजनिक क्षेत्र : हुडको, ब्याज की 12 प्रतिशत कुल दर पर योजनाओं के लिए (परियोजना लागत का 70 प्रतिशत तक सीमित) वित्तीय सहायता देता है। पुनर्भुगतान की अवधि 7 वर्ष है।

निजी क्षेत्र : हुडको, ब्याज की 12 प्रतिशत कुल दर पर योजनाओं के लिए (परियोजना लागत का 70 प्रतिशत तक सीमित) वित्तीय सहायता देता है। पुनर्भुगतान की अवधि 7 वर्ष है।

II. किराया खरीद आवास

सार्वजनिक क्षेत्र : किराया खरीद स्टाफ आवास योजनाओं के लिए सहायता का वर्गीकृत मान के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाती है। एक मकान की निम्नतर लागत, परियोजना लागत के भाग के रूप में हुडको द्वारा वचनबद्ध अधिकतम ऋण है। ब्याज की कुल दर 5 प्रतिशत से लेकर (आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के लिए जिनकी मासिक आय 350 रुपये से अनधिक) 11.5 प्रतिशत तक अलग-अलग हैं। (उच्च आय वर्ग, स्टाफ के लिए जिनकी मासिक आय 1500 रु० से अधिक है)। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के लिए स्टाफ आवास योजनाओं के लिए 20 वर्ष से और उच्च आय वर्ग स्टाफ आवास योजनाओं के लिए 10 वर्ष तक की अवधि के भीतर हुडको का ऋण लौटाया जा सकता है।

निजी क्षेत्र : किराया खरीद स्टाफ आवास योजनाओं के लिए, हुडको परियोजना का 70 प्रतिशत वित्तीय सहायता देता है और ब्याज की कुल दर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के 6.5 प्रतिशत से और उच्च आय वर्ग के स्टाफ के लिए 12 प्रतिशत तक अलग-अलग है। हुडको द्वारा यथा निर्धारित ऋण के लिए पुनर्भुगतान की अवधि भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग स्टाफ आवास योजनाओं के लिए 20 वर्ष और उच्च आय वर्ग स्टाफ आवास योजनाओं के लिए 10 वर्ष के मध्य अलग-अलग है।

विवरण-2

1979-80, 1980-81 और 1981-82 (31-1-1982 तक) हुडको द्वारा स्वीकृत आवास योजनाओं का ब्यौरा

वर्ष 1979-80

	राज्य/अभिकरण	योजनाओं की संख्या	ऋण राशि (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृत रिहायशी एककों की संख्या
	1	2	3	4
1.	टेलको जमशेदपुर	1	0.80	288
2.	गुजरात राज्य निर्माण निगम	3	2.65	990
3.	जी० आई० डी० सी०	6	1.01	784
4.	हरियाणा राज्य विद्युत मण्डल	2	4.27	1085
5.	कर्नाटक राज्य विद्युत मण्डल	1	0.35	78
6.	मैसूर सीमेंट	1	0.10	50
7.	महाराष्ट्र राज्य पुलिस आवास कल्याण निगम	2	1.61	736
8.	औद्योगिक विकास निगम, उड़ीसा	2	0.41	170
9.	पंजाब आवास तथा विकास मण्डल	2	0.80	260
10.	राजस्थान विद्युत मण्डल	1	0.74	253
11.	राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम, कोयम्बतूर	1	0.67	302
		22	13.41	4996

वर्ष 1980-81

1	2	3	4
1. गुजरात राज्य औद्योगिक विकास निगम	6	1.17	612
2. गुजरात राज्य निर्माण निगम	1	0.67	270
3. भारत स्टील ट्यूब्स, गन्नोर	1	0.31	100
4. हरियाणा राज्य लघु सिंचाई नलकूप निगम	1	0.10	16
5. हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड	1	0.27	60
6. बल्लारपुर, इण्डस्ट्रीज	1	0.62	208
7. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मण्डल	1	0.25	60
8. महाराष्ट्र राज्य पुलिस आवास कल्याण निगम	3	2.24	684
9. उज्जैन विकास प्राधिकरण	1	0.13	96
10. पंजाब आवास तथा विकास मण्डल	8	7.33	1918
11. राजस्थान विद्युत मण्डल	1	1.11	240
12. हाड़ा कपड़ा उद्योग विष्णपुर, पश्चिम बंगाल	1	0.06	12
	26	14.26	4276

वर्ष 1981-82 (31-1-82 तक)

1. हैदराबाद एसबैस्टस	1	0.24	36
2. गुजरात राज्य औद्योगिक विकास निगम	1	1.12	426
3. हरियाणा राज्य विद्युत मण्डल	2	1.09	312
4. हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड	9	1.30	262
5. कर्नाटक आवास बोर्ड	4	2.28	5550
6. महाराष्ट्र राज्य पुलिस आवास कल्याण निगम	1	1.29	400
7. मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1	0.49	184

	1	2	3	4
8.	उड़ीसा राज्य आवास बोर्ड	1	0.16	74
9.	भवानी सूती मिल, एबोहर	1	0.17	52
10.	पंजाब आवास तथा विकास बोर्ड	5	1.93	366
11.	जे० के० इण्डस्ट्रीज राजस्थान	1	0.18	56
12.	इंस्ट्यूमेंटेशन लि० कोटा	1	0.35	102
		28	10.60	7820

विषय : वर्ष 1982 के लिए रबी फसल का अनुमान

5684. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1981 और जनवरी तथा फरवरी 1982 के दौरान उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्षा से इन वर्षों में फसल की अच्छी संभावनाएं बनी हैं;

(ग) यदि हां, तो किस हद तक;

(घ) क्या सरकार गेहूं और चावल की वसूली के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में आश्वास्त है;

(ङ) यदि हां, तो चावल की कितनी वसूली की गई है; और

(च) क्या खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति में भी सुधार होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) अधिकांशत: यह वर्षा अच्छी फसल की संभावनाओं के लिए लाभप्रद थी ।

(ग) यद्यपि सम्भावित उत्पादन का सही-सही अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है, फिर भी आशा है कि वर्ष 1980-81 की अपेक्षा अधिक उत्पादन होगा ।

(घ) गेहूं तथा चावल की अधिप्राप्ति के कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

(ङ) चालू फसल वर्ष के दौरान 24 मार्च, 1982 तक धान तथा चावल की अधिप्राप्ति 62 लाख मीटरी टन चावल के बराबर है ।

(च) जी, हां ।

"अर्बन प्लानिंग बींग इग्नोर्ड" शीर्षक समाचार

5685. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में "अर्बन प्लानिंग बींग इग्नोर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जहां तक देश के विकास में शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध है इसे जहां तक सम्भव हो प्रकृति के साथ तारतम्य रखकर विकसित किया जाना चाहिए किन्तु पिछले दशक के दौरान इसकी पूरी तरह से अवहेलना की गई है;

(ग) क्या परिवहन प्रणाली सहित आवास तथा कार्य के बीच तालमेल बिठाकर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या नगर तथा ग्राम्य आयोजन संगठन के मुख्य आयोजक ने कहा है कि दिल्ली के पर्यावरण को बिगड़ने से बचाने के लिए राजधानी के आस-पास के क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए; और

(च) क्या उक्त विशेषज्ञ ने यह भी टिप्पणी की है कि 40 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र को बृहद् योजना के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह ठीक है कि शहरी क्षेत्रों का विकास जहां तक सम्भव हो तालमेल के अनुरूप होना चाहिए। तथापि, व्यवहार्य रूप में यह तालमेल हमेशा नहीं बनाये रखा जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) नगर विकास तथा क्षेत्रीय आयोजना राज्य के विषय हैं। तथा केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्यों को सुनियोजित नगर विकास के लिए अपनाये जाने वाले उपायों की सलाह देती है।

(ङ) और (च) आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल नई दिल्ली द्वारा 1980 में आयोजित की गई एक कार्यशाला में नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन के मुख्य आयोजक ने अपनी टिप्पणियों में आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल नई दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा किए गए एक अध्ययन का उल्लेख किया। अध्ययन की खोजों में से एक खोज यह थी कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 40 प्रतिशत रिज क्षेत्र (जिसमें उत्तर में वजीराबाद बांध से घोला कुआं तक तथा दिल्ली छावनी के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों सहित दक्षिणी परिधि तक का क्षेत्र परिभाषित है) पहले से ही मनोरंजन, पार्क, वनरोपण तथा ऊसर भूमि जिनकी दिल्ली की बृहद

योजना में विचार किया गया था, के अन्यथा उपयोग में है। जहां तक राजधानी के आस-पास के क्षेत्रों के विकास का सम्बन्ध है मुख्य आयोजक ने सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की उचित आयोजना तथा विकास की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया।

नलकूपों से जल स्तर के सुधार हेतु उपाय

5686. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां भूमि से जल निकालने हेतु नलकूपों की संख्या अधिक है वहां पिछले 20 वर्षों में जल का स्तर 20 फुट नीचे चला गया है;

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) कुछ स्थानिक क्षेत्रों में, नलकूपों के जल स्तर में कमी होती देखी गई है। तथापि, यह कुछ क्षेत्रों में एक स्थानीय घटना है जहां पर भूमिगत जल का निकास पुनः पूर्ति योग्य रिचार्ज से अधिक हुआ है।

(ख) और (ग) (एक) भूमिगत जल प्रणाली के प्रचालन को मानीटर करने के लिए; 1969 के बाद देश में 4500 जल-सर्वेक्षण केन्द्रों का एक नैटवर्क स्थापित किया गया है। और गहन प्रेक्षण करने के लिए, आने वाले वर्षों में से जल सर्वेक्षण केन्द्रों की संख्या में और वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(दो) ऐसे सभी क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है जहां पर भूमिगत जल को अधिक मात्रा में निकाला जाता है अथवा अधिक मात्रा में निकाले जाने की सम्भावना है।

(तीन) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को, जो ऐसे ऋण का पुनर्वित्त पोषण करता है, ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल के और आगे उपयोग को निरुत्साहित करने के लिए ऋण देने के नियमन में इस पहलू को ध्यान में रखता है।

(चार) ग्राम विद्युतीकरण निगम थी, जो राज्य बिजली बोर्डों के ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए वित्त व्यवस्था करता है, उनकी स्कीमों की स्वीकृति देते समय इस पहलू को ध्यान में रखता है।

(पांच) राज्यों के भूमिगत जल संगठन ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त नलकूपों के लिए स्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी नहीं करते।

(छः) भूमिगत जल संसाधनों के विकास को उपयुक्त वैज्ञानिक आधार पर नियमित करने के लिए एक माडल विधेयक राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है।

(सात) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड कुछ क्षेत्रों में, जहां जल स्तर में निरन्तर कमी होती देखने में आ रही है, भूमिगत जल प्रणाली की कृत्रिम ढंग से रिचार्जिंग करने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन कर रहा है।

दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

5587. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विफल हो गई है, क्योंकि गेहूं, खुला वनस्पति घी, कोयला, सीमेंट आदि सरकारी नियंत्रण वाली दुकानों से आसानी से उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) सरकारी रिहायशी कालोनियों में प्रत्येक उचित दर दुकान की गेहूं की मात्रा क्या है, उनमें से प्रत्येक दुकान को कितना गेहूं मिला, क्या इसमें कितनी कमी थी, गेहूं लेने से कितने कार्डधारी वंचित रह गए, भविष्य में इसकी पुरावृत्ति रोकना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए, उनकी मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए और आयात किए जाने के बावजूद इस अभाव के क्या कारण हैं तथा सप्लाई किए गए/वसूल किए गए गेहूं की किस्म की जांच हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उनके भंडारों की सभी समितियों के शाखा भंडारों पर खुला घी न बेचे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता तब तक छोटे पैकों में डिब्बे बन्द घी पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) जी नहीं। आवश्यक वस्तुओं के उपलब्ध स्टाक में से, केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इन वस्तुओं के उचित आवंटन की व्यवस्था करती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली को किए गए आवंटनों में से, दिल्ली प्रशासन उचित दर की दुकानों को, उनमें से से प्रत्येक के पास दर्ज यूनिटों के अनुपात में इन वस्तुओं का पुन: आवंटन करता है। कुल मिलाकर, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में सार्वजजिक वितरण के लिए वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है, यद्यपि, किसी भी वस्तु की अस्थाई तथा स्थानीय स्वरूप की कमी होने से इनकार नही किया जा सकता।

औसतन, प्रत्येक उचित दर की दुकान की 4000 यूनिटों के आधार पर गेहूं की 217 क्विंटल प्रतिमास की पात्रता बनती है। इसकी तुलना में, इन उचित दर की दुकानों में से प्रत्येक को औसतन 140 क्विंटल तक गेहूं दिया जाता है। लगभग 20 प्रतिशत खाद्य कार्डधारी गेहूं का अपना कोटा नहीं लेते हैं। पुराने कोटे, जिसे अब संशोधित कर दिया गया है के आधार पर वास्तविक कमी पात्रता के 25 प्रतिशत तक रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिया जाने वाला गेहूं आमतौर पर अच्छी किस्म का होता है और किस्म सम्बन्धी किसी भी शिकायत के बारे में भारतीय खाद्य निगम को लिखा जाता है।

(ग) दिल्ली की सभी सहकारी समितियों के शाखा भंडार, जिनके पास खुदरा खाद्य तेल लाइसेंस है, खुला वनस्पति घी बेच रहे हैं।

(घ) छोटे पैकों में डिब्बे बन्द वनस्पति घी को उपभोक्ताओं ने पसन्द किया है और इस पर प्रतिबंध आम उपभोक्ताओं द्वारा पसन्द नहीं किया जायेगा। दिल्ली प्रशासन ने नियत मूल्यों

पर खुले वनस्पति घी की बिक्री के लिए आवश्यक नियामक तथा प्रवर्तन उपाए किए हैं और इसकी बिक्री पर लगातार नजर रखी जा रही है ।

कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की शिकायतें

5688. प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री रशीद मसूद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मंत्रालय में अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने विभाग से या तो स्थानान्तरण मांगा है अथवा उन्होंने समय पूर्व सेवनिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं, जिनके कारण इन अधिकारियों को ऐसे कदम उठाने को विवश होना पड़ा तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

उर्वरकों की खपत में कमी और खाद्यान्नों में योजना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यवाही

5689. श्री दौलत राम सारण :
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री जगपाल सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि तथा उसके फलस्वरूप अनुमानित खाद्य उत्पादन में कमी के कारण उर्वरकों की खपत में 1979-80, 1980-81 और 1981-92 के दौरान आज तक किस सीमा तक कमी हुई; और

(ख) छठी योजना में निर्दिष्ट खाद्यान्न लक्ष्य पर उर्वरकों की खपत की दर की घोषणा का कहां तक प्रभाव पड़ने की संभावना है और अधिकतम सीमा तक योजना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) उर्वरक की खपत मौसम, सिंचित क्षेत्र, अधिक उपज देने वाली किस्मों का क्षेत्र, ऋण, उर्वरक के मूल्यों, फसलों का उत्पादन मूल्य और उर्वरक की उपलब्धि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है। उर्वरक की खपत पर केवल एक घटक अर्थात् मूल्य वृद्धि के प्रभाव का पता लगाना और निर्धारित करना कठिन है। तथापि, 1980 और 1982 में मूल्यों में वृद्धि होने के बावजूद उर्वरक की खपत में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्ज की गई है यद्यपि वृद्धि की दर कम थी। उर्वरक की खपत में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) घरेलू उत्पादन और आयात के माध्यम से उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धि को सुनिश्चित करना ।

(2) फसलों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि करके अनुकूलतम लागत नीचे अनुपात सुनिश्चित करना ताकि उर्वरक मूल्यों में हुई वृद्धि, की पूर्ति हो सके।

(3) समूचे देश में सरकारी खाते पर खण्ड मुख्यालयों तक उर्वरक पहुंचाना।

(4) गहन अध्ययन किए जाने तक 15-8-81 से वितरण मार्जिन में तदर्थ आधार पर लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि करना।

(5) उन चुनींदा जिलों में, जहां उर्वरकों की खपत की सम्भावना विद्यमान हैं और फिलहाल खपत कम है,-गहन उर्वरक सम्बर्धन अभियान चलाना।

(6) राज्यों को उर्वरकों सहित आदानों की खरीद और वितरण के लिए दिए जाने वाले अल्पावधि ऋणों को 1979-80 के 136 करोड़ से बढ़ाकर 1980-81 और 1981-82 में 200 करोड़ रुपये करना है।

(7) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए लघु और सीमान्त किसानों को क्रमशः 25 प्रतिशत और 33-1/3 प्रतिशत की दर से राज सहायता देना।

खाद्यान्नों का उत्पादन भी उर्वरकों, बीजों, कृमिनाशियों जैसे आदानों के उपयोग के अतिरिक्त मौसम, कुल समस्यागत क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, उच्च पैदावार देने वाली किस्मों का क्षेत्र आदि जैसे कई घटकों पर निर्भर करता है। आशा है कि उठाए गए उल्लिखित कदमों से उर्वरकों की खपत में वृद्धि होगी और छठी योजना में रखा गया खाद्यान्नों का लक्ष्य प्राप्त होता रहेगा।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

5690. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या ग्रामीण विकस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं कि खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ऐसे 650 व्यक्तियों की (जो एस० एफ० डी० ए० के अन्तर्गत आते हैं) सूची ग्रामीण बैंकों को दी जानी चाहिए जिनका समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास हो सके;

(ख) यदि हां, तो ये आदेश कब जारी किए गए थे और इन्हें कब तक क्रियान्वित किया जाना था तथा इस सम्बन्ध में सारे देश में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) बिहार के हजारीबाग और गिरिडीह जिलों के प्रत्येक खण्ड के बारे में स्थिति क्या है और क्या बैंकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शामिल कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में पूंजी का निवेश न करें और क्या विकास खण्डों तथा स्थानीय बैंकों ने निर्धारित समय सीमा का पालन किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति खण्ड प्रति वर्ष 600 परिवारों, जो गरीबी की रेखा से नीचे हों, को उनका आर्थिक स्तर सुधारने के लिए सहायता दी जानी है। कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित वर्ग को उपदान बैंक ऋण से सम्बद्ध सक्षम आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए किया जाता है।

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान 14,400 तथा 10,800 परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले में क्रमशः हजारीबाग जिले में 2617 परिवारों तथा गिरिडीह जिले में 2913 परिवारों को सहायता पहुँचाई गई है। मंत्रालय द्वारा खंडवार सूचना एकत्र नहीं की जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ही एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए बैंक ऋण उपलब्ध करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बैंकों को ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं कि वे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को छोड़कर अन्य कार्यों में पूंजी का निवेश न करें। अतः बैंकों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लंबित पड़े ऋण आवेदन-पत्रों का खण्ड, जिला तथा राज्य स्तर पर पुनरीक्षण किया जाता है।

भूमि मालिकों को ब्याज की अदायगी

5691. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार राज्य सरकारों को यह निदेश जारी करने का है कि सरकारी कार्यों के लिए अधिगृहीत भूमि के मालिकों को यदि अधिगृहीत भूमि का मुआवजा शीघ्र नहीं दिया जाता है, तो उन्हें ब्याज दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो अधिगृहीत भूमि का मुआवजा कितनी अवधि तक बिना ब्याज के दिया जा सकता है;

(ग) क्या सरकार भूमि अधिग्रसण से पूर्व मुआवजा देने के प्रश्न पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में भूमि का कब्जा लेने के समय से प्रदत्त की गई धन-राशि पर, उक्त धनराशि के भुगतान तक या इसके न्यायालय में जमा रहने तक, ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में पहले ही प्रावधान है।

(ग) और (घ) अधिनियम में भूमि का कब्जा लेने से पहले मुआवजे का भुगतान करने का पहले ही प्रावधान है। तथापि तात्कालिकता के मामलों में, मुआवजा देने से पहले कब्जा लिया जा सकता है। अधिनियम (भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894) में संशोधन करने का एक विधेयक सरकार के विचाराधीन है।

इम्फाल में जल सप्लाई योजना

5692. **श्री सन्तोष मोहन देव :**

श्री रास बिहारी बहेरा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब स्वर्गीय श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थीं, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में पानी सप्लाई की योजना शुरू की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इम्फाल की जनता के लिए उस समय जल सप्लाई हेतु मंजूर की गई योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस समय क्रियान्वित की जा रही योजना की तुलना में उक्त राशि क्या थी और इस योजना के क्रियान्वयन में समय-समय पर वर्षवार लगे अधिकारियों के नाम क्या हैं और इस योजना हेतु अब तक वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और इस योजना के पूरा होने की लक्ष्य तिथि क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्योर ड्रिंक्स द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को नकद अग्रिम धन की अदायगी

5693. **डा० ए० यू० आजमी :**

श्री चतुर्भुज :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री रतन सिंह राजदा :

श्री आर० एन० राकेश : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्योर ड्रिंक्स द्वारा जमीन पर कब्जा लिए जाने से पहले नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितनी नकद अग्रिम राशि का भुगतान किया गया;

(ख) होटल के शुरू होने से पूर्व उसके भुगतान की निर्धारित अवधि क्या है; और

(ग) क्या इसे एशियाई खेलों तथा एशियाड-82 से सम्बद्ध अन्य परियोजनाओं के समय से पहले शुरू न होने पर कोई दण्ड निर्धारित किया गया है और उसका ब्यौरा क्या है तथा निर्माण के पूरा होने का निर्धारित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका को आबंटित विण्डसर प्लेस में स्थित प्लाट पर एक 5 तारा होटल के निर्माण, फर्निशिंग तथा चलाने के लिए निष्पादित एक लाइसेंस करार के अन्तर्गत मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० ने नई दिल्ली नगर पालिका के पास 90 लाख रुपये की राशि जमा की है। कम्पनी द्वारा 1.78 करोड़ रुपये की राशि नई दिल्ली नगर पालिका को उस समय देय होगी जब कि नई दिल्ली नगर पालिका उक्त प्लाट का खाली तथा ऋण सहित कब्जा कम्पनी को देगी। ये दोनों राशियां जिनका योग 2.68 करोड़ रुपये है, नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा प्लाट का कब्जा दिए जाने की तारीख से आरम्भ होने वाले पहले वर्ष की अग्रिम फीस के रूप में मानी जाएंगी। कम्पनी द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को कोई अग्रिम नहीं दिया गया है।

(ग) जहां तक निर्माण और आवास मंत्रालय का सम्बन्ध है, एशियाई खेलों के लिए वास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 5 तारा होटलों के निर्माणार्थ चार होटल स्थल आबंटित किए गए थे —दो, नई दिल्ली नगर पालिका को, एक, दिल्ली विकास प्राधिकरण को तथा एक, आई० टी० डी० सी० को। सरकार द्वारा किए गए आबंटन की शर्तों के अनुसार, आबंटियों को एशियाई खेल, 1982 के आरम्भ होने से पर्याप्त समय पहले होटलों का निर्माण तथा चालू करना अपेक्षित है। उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन न करने की दशा में उचित समय पर उचित कार्यवाही करने पर विचार किया जाएगा।

विषय : वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवैध शिकार के विरुद्ध शिकायतें

5694. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल के आरक्षित वनों में अवैध शिकार किए जाने के बारे में उन्हें शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने जो, (प्रोजेक्ट टाइगर स्टीयरिंग कमेटी) की अध्यक्षा हैं, से भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून के रक्षक कानून को न तोड़े तथा कानून तोड़ने वाले लोगों को कड़ा दण्ड दिया जाए, इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न स्थानों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा दोषी लोगों को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) चोरी छिपे शिकार करने की केवल एक घटना प्रकाश में आई है जिसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शरीक हैं। यह सूचना उत्तर प्रदेश स्थित कार्बेट के बाघ आरक्षित स्थल के क्षेत्र निदेशक से प्राप्त हुई थी। श्री बृजेन्द्र सिंह, जो एक संरक्षणवादी है, ने भी इसी घटना की सूचना दी थी। इस घटना के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि 2 जनवरी 1982 को आयुक्त, मुरादाबाद, जिलाधीश, बिजनौर, पुलिस अधीक्षक, बिजनौर सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट नगीना

(जिला बिजनौर) पुलिस थाना अधिकारी, कालागढ़ (जिला बिजनौर) ने राज्य सिंचाई विभाग की एक नौका से कार्बेट राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र में प्रवेश किया। इस दल ने पार्क के अन्दर कुछ चीतलों पर नौका से कुछ गोलियां चलाईं। श्री बृजेन्द्र सिंह और कुछ अन्य व्यक्तियों ने उन्हें देखा और अपराधियों को पकड़ने तथा मामला दर्ज कराने में बाघ परियोजना के स्टाफ की सहायता की।

इस सूचना के प्राप्त होने पर, केन्द्रीय कृषि मंत्री ने तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ इस मामले को उठाया। मामले की गम्भीरता को देखते हुए राज्य सरकार से दोषी अधिकारियों पर मुकादमा चलाने के साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू करने का अनुरोध किया गया।

राज्य सरकार ने अब सम्बन्धित अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधान सभा और विधान परिषद् में भी इस मामले के उठाए जाने के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। विधान परिषद् के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के वन राज्य मंत्री को निदेश दिया है कि वे स्वयं इस मामले की जांच करें।

राज्य सरकार से अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए तत्काल कार्यवाही करने के सम्बन्ध में पुनः अनुरोध किया गया है। प्रधान मंत्री के कार्यालय को इस बारे में निरन्तर अवगत कराया जा रहा है।

दिल्ली को ओखला हैडवर्क्स से पेय जल की सप्लाई

5695. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ओखला हैडवर्क्स के निकट हजारों लीटर औद्योगिक निस्राव वहां बहकर आता है और इस पानी में मिल जाता है जिसे बाद में साफ करके दिल्ली निवासियों को, विशेषतः दक्षिण दिल्ली के निवासियों को पेय जल के रूप में भेजा जा रहा है;

(ख) क्या इस प्रदूषित जल का दुर्गन्धमय निस्राव वहां कई मील के क्षेत्र में फैला रहता है तथा इससे वहां लोगों का जीना दूभर कर रहा है;

(ग) क्या इस स्थान पर पानी का रंग गहरा काला होता है और इसलिए वह पानी इतना विषाक्त है जिससे प्रतिदिन हजारों लाखों मछलियां मर जाती हैं जबकि प्रकृति ने उन्हें प्रदूषण का मुकाबला करने में बहुत समर्थ बनाया है; और

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त स्थल पर जाकर उसका सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो कब और इस प्रदूषण के बारे में क्या निष्कर्ष निकले तथा औद्योगिक निस्राव को नदी जल में जाने से रोकने हेतु क्या तुरन्त कदम उठाए गए हैं ताकि राजधानी में कोई महामारी न फैल जाए ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रुई की मशीन से निकली धूल से बायो-गैस

5696. श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में रुई प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला द्वारा बनाई गई बायो-गैस उत्पादन की नई पद्धति जिससे सूती कपड़ा मिलों की रुई की मशीनों से निकलने वाली धूलि से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस नई खोज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि इसका लाभ उठाया जा रहा है, तो देश में कपड़ा मिलों की इससे उनकी कोयले पर कम से कम 50 प्रतिशत निर्भरता कम हो सकती है तथा उत्पादन की लागत में भी काफी कमी होगी क्योंकि इस समय मिलों की व्यर्थ सामग्री (वेस्ट) को या तो बाहर फेंक दिया जाता है अथवा अल्प मूल्य पर बेच दिया जाता है; और

(घ) क्या सरकार उक्त खोज की गम्भीरता से जांच करेगी और इस प्रयोजन हेतु यदि कोई योजनाएं बनाई गई हैं, तो वे क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान् । कपास के विल्लों डस्ट या विल्लोवेस्ट, जो सूती कपड़ा मिलों में एक अपशिष्ट पदार्थ है, का उपयोग वातनिरपेक्ष बैच किण्वन प्रक्रिया द्वारा बायो-गैस तैयार करने के लिए किया जा सकता है । विल्लो-गैस द्वारा निर्मित यह गैस गोबर गैस (बायो गैस) जैसा ही है । एक इन्टरनल कम्बूसन (आई० सी) इंजन को चलाने के लिए बायो-गैस का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जा सकता है । आई० सी इंजन विशेषतौर पर डीजल इंजन का इस्तेमाल जेरनेटरों को चलाने के लिए किया जाता है । एस/एस किर्लोस्कर आयल इंजन लिमिटेड ने एक दोहरा ईंधन वाला इंजन का विकास किया है जो डीजल तथा गोबर गैस (बायो-गैस) से चलता है । यह इंजन एक जेनरेटर से भी जोड़ा जा सकता है । फिर भी, विल्लो डस्ट से प्राप्त होने वाले बायो-गैस की कुल मात्रा एक जेनरेटर को काफी लम्बी अवधि तक चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी । बायो-गैस से बिजली के उत्पादन का अर्थशास्त्र तैयार नहीं किया गया है ।

(ख) 100 किलोग्राम की क्षमता के एक प्रयोगशाला एकक की कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, बम्बई में स्थापना की गई है और उस पर परीक्षण किए गए हैं । कपास के विल्लो डस्ट को क्षार से उपचारित किया जाता है और करीब 3 से 4 दिनों तक किण्वन के लिए खुली जगह पर छोड़ दिया जाता है इसके बाद इसे वातनिरपेक्ष डाइजेस्टर में स्थानान्तरित कर दिया जाता है और प्रत्येक एक किलोग्राम विल्लोडस्ट के लिए 6 लीटर जल मिलाया जाता है । किण्वन के प्रथम सप्ताह के दौरान जो गैस उत्पन्न होती है उसमें काफी मात्रा में कार्बन डाईआक्साइड इकट्ठी हो जाती है और इसलिए उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता । प्रथम सप्ताह के बाद बायो गैस में मेथान की मात्रा 55—60 प्रतिशत तक बढ़ जाती है और उसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जा सकता है । इस उत्पादित गैस को एक उपयुक्त गैस होल्डर में जल के ऊपर एकत्र किया जा सकता है । पहले माह के बाद जब गैस का उत्पादन कम हो

जाता है घोल (गारा) को हटा लिया जाता है और एक नया चार्ज डाइजेस्टर में रख दिया जाता है। बायो-गैस के अतिरिक्त एक 100 किलोग्राम का विल्लो डस्ट से 50 किलोग्राम बहुत अच्छी खाद प्राप्त होती है।

(ग) विल्लो डस्ट से होने वाले बायो-गैस के उत्पादन से इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा की बचत करना आवश्यकता से अधिक आशावादी होना है। यह अनुमान लगाया जाता है कि देश के सूती कपड़ा मिलों से केवल करीब 30,000 से 33,000 मीटरी टन विल्लो डस्ट का उत्पादन होता है। केन्द्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, बम्बई में विकसित की गई प्रौद्योगिकी से प्रतिवर्ष 2.58 मिलियन क्यूबिक मीटर बायो-गैस पैदा करना सम्भव है जो करीब 2-3 मिलियन लिटर डिजल आयल या 17 के० डब्ल्यू० एच० बिजली के बराबर होता है। यह गैस सूती कपड़ा मिलों में अनेक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है जैसे—सूतों को झुलसाने, प्रयोगशाला और कैन्टीन आदि में उपयोग में लाना आदि। विल्लोडस्ट बायो-गैस से पैदा होने वाली बिजली के सूती कपड़ा के उद्योग में इस्तेमाल करने पर अभी भी अध्ययन किया जाना है।

(घ) हाल ही में योजना आयोग में आयोजित एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बम्बई के राष्ट्रीयकृत सूती कपड़ा मिलों में से एक मिल में एक पाइलट प्लान्ट की स्थापना की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि एक सूती कपड़ा मिल में इस गैस का उपयोग कहां तक संभव हो सकेगा।

मत्स्य नौकाओं के घाट शुल्क में वृद्धि

5697. श्री मोहन लाल पटेल :

श्री डी० पी० जदेजा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मत्स्य बन्दरगाहों पर घाट शुल्क तथा अन्य सुविधाओं के लिए ऊंची दरें वसूल की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वसूल की जा रही दरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार मत्स्य उद्योग की आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन दरों में कमी करने पर विचार करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) देश के कुछ प्रमुख मत्स्यन बन्दरगाहों पर घाट शुल्क तथा अन्य सुविधाओं की दरें इस प्रकार हैं :—

(1) मद्रास मत्स्यन बन्दरगाह (11-7-1981 को)

(क) पकड़ी गई मछलियों पर स्थान शुल्क :

10 मी० तक	11.00 रुपये प्रति दौरा
10 मी० से अधिक व 15 मीटर तक	22.00 रुपये प्रति दौरा
15 मी० से अधिक व 20 मी० तक	27.50 रुपये प्रति दौरा
20 मी० से अधिक व 25 मी० तक	38.50 रुपये प्रति दौरा
25 मी० से अधिक	44.00 रुपये प्रति दौरा

(ख) घाट-किराया शुल्क :

1. प्रतिदिन की दर : प्रति ट्रालर या नौका के लिए 6.00 रु० प्रतिदिन या उसका भाग ।

2. मासिक दर : प्रति ट्रालर या नौका 150 रु० प्रति माह या उसका भाग ।

(ग) ताजे जल की आपूर्ति हेतु, 16.80 रुपये प्रति 1000 लीटर की दर ।

(2) कोचीन मत्स्यन बन्दरगाह (11-12-1980 को)

1. मत्स्यन नौकाओं के लिए घाट शुल्क : जलयान की लम्बाई के अनुसार प्रति दिन 3.00 रुपये से 5.00 रुपये तक । पर्स सीन नौकाओं के लिए जलयान की लम्बाई के अनुसार प्रति दिन का शुल्क 15 रुपये तथा 10 रुपये है ।

2. एजेंट शुल्क—100 रुपये प्रति माह ।

3. व्यापारी के लिए 10 रुपये तथा 30 रुपये प्रवेश शुल्क, जो कि पकड़ी गई मछली को घाट से उठाने के माध्यम अर्थात् लारी या हाथ ठेले या साइकल पर निर्भर करती है ।

4. जाल बनाने वालो के लिए 100 रुपये प्रति माह ।

5. प्रति लारी 4 रुपये, प्रति टैम्पो वाहन 2 रुपये, प्रति हाथ-ठेला तथा आटो-ट्रक 1 रुपया और प्रति साइकिल 50 पैसे की दर से दैनिक प्रवेश शुल्क ।

(3) विशाखापतनम मत्स्यन बन्दरगाह (17-10-1980 को)

1. मत्स्यन नौकाओं पर घाट भाड़ा शुल्क की दर : 5.40 रुपये प्रति दिन या उसका भाग ।

2. मत्स्यन ट्रालरों पर घाट भाड़ा शुल्क : 107.50 रुपये प्रति दिन या उसका भाग ।

3. मत्स्यन नौकाओं के माध्यम से मछली उतारने पर स्थान शुल्क : 53.80 रुपये प्रति नौका प्रति माह ।

4. मत्स्यन ट्रालरों के माध्यम से मछली उतारने पर स्थान शुल्क : 537.50 रुपये प्रति ट्रालर प्रति माह ।

5. प्रति मीटरी टन 15 रुपये से 50 रुपये तक स्लिपिंग शुल्क और मरम्मत घाट शुल्क प्रति जलयान 350 रुपये से 650 रुपये तक प्रत्येक प्रथम दिन के लिए और बाद के दिनों के लिए 175 रुपये से 325 रुपये प्रति दिन ।

(ग) मुख्य मत्स्यन बन्दरगाहों के बारे में ये दरें पत्तन न्यास द्वारा निर्धारित की जाती हैं और लघु मत्स्यन बन्दरगाहों के बारे में दरें राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं । राज्य सरकारों तथा पत्तन न्यास प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में मत्स्यन उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच करें ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलाम किए गए आवासीय तथा व्यावसायिक भूखण्ड

5698. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या निर्माण और आवास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रैल, 1981 से मार्च, 1982 तक हर माह नीलाम किए गए व्यावसायिक तथा आवासीय भूखण्डों की संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल तथा मूल्य क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र में सरकार द्वारा निर्धारित किए गए प्रति वर्ग मीटर मूल्य की तुलना में प्रत्येक भूखण्ड का वर्तमान मूल्य क्या है;

(ग) शहरी भूमि के मूल्यों में इस असाधारण वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) मूल्यों में कमी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्य तेल तथा वसा की सप्लाई और मांग के बीच अन्तर

5699. **श्री नवीन रवाणी :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तेलों तथा वसा की सप्लाई तथा मांग के बीच अन्तर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में खाद्य तेल की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी : (क) तथा (ख) पिछले कई वर्षों से खाद्य तेलों और वसा की सप्लाई तथा मांग के बीच अन्तर 11 से 13 लाख मीटरी टन प्रति वर्ष के बीच रहा है ।

(ग) सरकार ने देश में खाद्य तेलों की मांग को पूरा करने के लिए कई उपाय किए हैं । उनमें से महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

1. खाद्य तेलों का पर्याप्त मात्रा में आयात जारी रखना;
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित तेलों की सप्लाई करना;
3. वनस्पति उद्योग को, कुछ मानदण्डों के अनुसार, आयातित तेल सप्लाई करना;
4. भण्डारण नियंत्रण आदेशों तथा अन्य सम्बन्धित कानूनों को सख्ती से लागू करना;
5. पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक तिलहनों और तेलों का उत्पादन तथा उनकी उत्पादकता बढ़ाना;

6. पहले से उपलब्ध, किन्तु अब तक प्रयोग में न लाये गये तिलहनों के उपयोग द्वारा तेल का अधिकतम उत्पादन करने के लिए सुनियोजित प्रयास;

7. देश में इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कई स्कीमें शुरू की गई हैं। इनमें सोयाबीन संसाधन की सुविधाएं तैयार करना, आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, वृक्ष तथा वन मूल के तिलहनों का विकास तथा संसाधन करना, आधुनिक तेल उद्योग समूहों की स्थापना करना, आदि शामिल हैं।

भेड़ उद्योग का विकास

5700. **श्री के० मालन्ना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर भेड़ उद्योग के विकास किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत अच्छी किस्म की ऊनी कालीनों और परिधानीय ऊन का उत्पादन करने में पीछे है, यद्यपि, जहां तक विश्व में भेड़ों की संख्या का सम्बन्ध है, यह एक बहुत बड़ा देश है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) गलीचे बनाने तथा वस्त्र बनाने के काम में आने वाली ऊन के उत्पादन तथा गुणवता में सुधार लाने के लिए विस्तृत कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। गलीचे बनाने के काम में आने वाली ऊन के उत्पादन और गुणवता में सुधार लाने के कार्यक्रमों में उन नस्लों का विदेशी द्विउद्देशीय बढ़िया ऊन देने वाली नस्लों के साथ संकर प्रजनन कराना, जिनके ऊन से मोटे गलीचे बनाए जाते हैं तथा जिनके अधिक बाल होते हैं, तथा गलीचे बनाने के लिए बढ़िया ऊन देने वाली देशी नस्लों का दर्जा बढ़ाना शामिल है। वस्त्र बनाने के काम में आने वाली ऊन के उत्पादन में सुधार लाने के कार्यक्रमों में उपयुक्त क्षेत्रों में देशी भेड़ों का, बढ़िया ऊन देने वाली विदेशी नस्ल की भेड़ों से संकर प्रजनन कराना शामिल है। इन कार्यक्रमों को समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था तथा भेड़ पालन की उन्नत पद्धतियां अच्छी किस्म की भेड़ों के वितरण आदि से भी समर्थन मिल रहा है। इस प्रकार देश में गलीचे बनाने तथा वस्त्र बनाने के काम में आने वाली बेहतरीन किस्म की ऊन की उपलब्धि बढ़ाने से गलीचों आदि का निर्यात करके और अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जाएगी।

(ख) भेड़ों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में छठा स्थान है तथा वस्त्र बनाने के काम में आने वाली ऊन के उत्पादन में काफी पीछे है। किन्तु यह अच्छी किस्म के ऊनी गलीचे बनाने वाले अग्रणी देशों में है।

वन्य पशुओं के शिकार पर प्रतिबन्ध

5701. **श्री के० मालन्ना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में, वन्य पशुओं और पक्षियों का शिकार करने और उन्हें फंसाने पर प्रतिबन्ध है;

(ख) कब से यह प्रतिबन्ध लगाया गया;

(ग) क्या सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के उल्लंघन के बारे में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह के राज्यों के क्या नाम हैं तथा इस प्रकार शिकार हुए वन्य पशुओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) जानकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कृषि बोर्ड

5702. श्री बी० वी० देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि बोर्ड को पुनरूजीवित किया जा रहा है;

(ख) क्या सीमान्त और छोटे किसानों की जरूरत के लिए सुधरे हुए बैलगाड़ियां, ओजारों तथा सस्ती मशीनों और कृषि ओजारों के विकास को बढ़ावा दिए जाने की आशा है;

(ग) यदि हां, तो कृषि विकास के लिए अपनाई जा रही नई नीति के अन्य मुद्दे क्या हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से बड़ी संख्या में छोटे तथा मध्यम किसानों को मदद मिलेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) कृषि मशीनरी और उपस्कर बोर्ड को पुनर्जीवित किया जा रहा है । यह बोर्ड कृषि मशीनों और उपस्करों के नवीनीकरण और उनके सुधार, उनके मानकीकरण, गुण नियंत्रण, विनिर्माण और वितरण व्यवस्था के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों का समन्वय और प्रबोधन करेगा। यह बोर्ड उनके प्रचार-प्रसार के लिए ऋण की आवश्यकताओं और उपर्युक्त मशीनरी और उपस्करों के विनिर्माण और वितरण में लगे उद्योग से सम्बन्धित अन्य मामलों की भी समीक्षा करेगा ।

नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के लिए चुने हुए उन्नत कृषि ओजारों, और बैलों से खींचे जाने वाले उपस्करों और मशीनों के प्रचार-प्रसार और वितरण के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं । इन उपस्करों और मशीनों के उपयोग से लघु और मध्यम दर्जे के किसानों को खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आशातीत सहायता मिलेगी ।

विश्व के खाद्य संकट को दूर करना

5703. श्री बी० वी० देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने 2 मार्च, 1982 को खाद्य सहायता

सम्मेलन का उद्घाटन करते समय इस बात का उल्लेख किया था कि विश्व की खाद्य संकट का निदान होने के कोई अच्छे आसार नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके अनुसार वर्ष 1982 के दौरान विश्व को भारी खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1982 के दौरान विश्व खाद्यान्न की बहुत कमी होने के कारण भारत को खाद्यान्न प्राप्त करने में बहुत अधिक कठिनाई उठानी पड़ेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या इससे पहले किए गए खाद्यान्न आयात करने के सभी अनुबन्ध पूरे कर लिए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) न्यूयार्क में 2-3-1982 को हुए विश्व खाद्य कार्यक्रम/खाद्य तथा कृषि संगठन के 1982 प्लेजिंग सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में महासचिव ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि "विश्व इस समय एक क्षेत्र के अनाज उत्पादन पर अत्यधिक निर्भर है। पूर्ति और मांग के बीच संतुलन इतना अधिक अनिश्चित रहता है कि किसी एक प्रमुख उत्पादक देश में कम फसल होने से विश्व भर में मुद्रास्फीति की लहर दौड़ सकती है। खाद्यान्न प्राप्त करने की दौड़ जो कि इसके परिणामस्वरूप अवश्यम्भावी है, में पहले गरीब देशों की जरूरतों की बलि चढ़ेगी जैसा कि सेवनटीज़ के विश्व खाद्य संकट के दौरान हुआ था। तथापि, 1982 में ऐसी किसी स्थिति के परिणाम और भी भयंकर होंगे।" उन्होंने विकासशील देशों की प्रतिकूल स्थिति और कृषि उत्पादन तथा खाद्य वितरण सैक्टर में सुधार लाने तथा उसका आधुनिकीकरण करने के लिए अपेक्षित पूंजी निवेश की राशि की दृष्टि में कृषि के लिए बाहरी सहायता बढ़ाने की आवश्यकता की ओर भी ध्यान आकर्षित किया था।

(ग) और (घ) 1982-83 के दौरान गेहूं और चावल का आयात करने के लिए भारत सरकार का इस समय कोई विचार नहीं है। जहां तक मौजूदा आयात ठेकों का सम्बन्ध है, 22-3-1982 को स्थिति के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात की जाने वाली ठेकाबद्ध गेहूं की समूची मात्रा का भारत भेजने के लिए जहाजों पर लदान हो गया था जबकि आस्ट्रेलिया से गेहूं की 6.32 लाख मीटरी टन मात्रा का लदान हो गया था। केवल 1.18 लाख मीटरी टन शेष मात्रा का लदान होना है। इन ठेकों को पूरी तरह कार्यरूप देने में किसी कठिनाई के आने की आशंका नहीं है।

आधुनिक कोल्ड स्टोरों का विकास करना

5704. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन वैज्ञानिकों और एक बागवानी विद ने संयुक्त रूप से फार्म उत्पादों के भण्डारण के लिए कम लागत के कोल्ड स्टोर का डिजाइन तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा तैयार किए गए नये गोदाम के डिजाइन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में उनकी सिफारिशें मान ली हैं; और

(घ) इस प्रकार के गोदामों को बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और वे कहां तक सहायक होंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) नये गोदामों को या तो नेचुरल ड्राफ्ट द्वारा या बिजली से चलाये जाने वाले पंखों द्वारा सूक्ष्म छिद्र वाले गीली सतह के जरिये आद्रवायु का प्रवेश कराकर ठण्डा किया जाता है। वाष्पीकृत शीतलन पर आधारित शीतलन पद्धतियां साधारण, सस्ती और ऊर्जा-युक्त होती हैं और नष्ट होने वाले विभिन्न किस्म के उत्पादनों के भण्डारण के लिए फार्म, विपणन और वितरण केन्द्रों पर स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्री से आसानी से तैयार की जा सकती हैं। गर्म और शुष्क मौसम में उपरोक्त कथित ठण्डे गोदामों का तापमान उतना कम नहीं होता जितना परम्परागत ठण्डे गोदामों को होता है लेकिन वह तापमान उतना अधिक कम होता है जिसमें नष्ट होने वाले पदार्थों को काफी लम्बी अवधि तक भण्डारित किया जा सकता है। अनुज्ञेय अंकुर निरोधकों और फफूंदनाशी रसायनों के प्रयोग द्वारा इस नई पद्धति की कारगरता (कुशलता) को और बढ़ाया जा सकता है। यंत्रों से चलाये जाने वाले परम्परागत शीत भण्डारों की तुलना में जो अत्यन्त आधुनिक किस्म के हैं, जिन्हें बैठाने में अधिक खर्च होता है तथा जिनमें बहुत अधिक बिजली खर्च होती है, नये तरीके से तैयार किए गए गोदाम बहुत सस्ते हैं ।

(ग) प्रारम्भिक अवलोकन बहुत उत्साहवर्द्धक हैं। जैसा कि नये गोदामों का अभी भी परीक्षण किया जाना है, और अधिक आंकड़े उपलब्ध होने पर सिफारिशों के अनुमोदन की जांच की जाएगी ।

(घ) इस अवस्था में इसका प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नये किस्म के गोदामों की अभी भी जांच की जा रही है ।

कृषि विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता

5705. श्री चिन्तामणि जैना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विश्व बैंक के किसी पर्यवेक्षण दल ने कुछ राज्यों में कुछ कृषि-परियोजनाओं के कार्यकरण का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और उक्त दल द्वारा विकास अथवा प्रगति सम्बन्धी कार्यकरण के बारे में दिए गए प्रतिवेदन का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार भी उन परियोजनाओं में हुई प्रगति, विशेषतः राज्य की परियोजनाओं में हुई प्रगति से सन्तुष्ट है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग)चालू वर्ष (1982) के दौरान, अब तक, विश्व बैंक के पर्यवेक्षण दलों की टिप्पणियां बिहार, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल की विस्तार परियोजनाओं, पंजाब, हरियाणा तथा महाराष्ट्र में क्रियान्वित की जा रही समेकित कपास परियोजना तथा राष्ट्रीय बीज परियोजनाओं के बारे में प्राप्त हो गई हैं। इन दलों की प्रमुख टिप्पणियां अनुबंध में दी गई हैं। परियोजना क्रियान्वयन प्राधिकरण ने इन टिप्पणियों को ध्यान में रखा है।

उड़ीसा विस्तार परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति के बारे में विश्व बैंक के दल ने संतोष व्यक्त किया है।

विवरण

विश्व बैंक के पर्यवेक्षण दलों द्वारा कृषि परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन के बारे में की गई प्रमुख टिप्पणियां, जो चालू वर्ष (1982) में प्राप्त हुई।

विस्तार परियोजनाएं

चालू वर्ष (1982) में अभी तक विश्व बैंक पर्यवेक्षण दलों की टिप्पणियां बिहार, गुजरात उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल की विस्तार परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुई हैं।

बिहार के मामले में दल ने यह विचार व्यक्त किया है कि परियोजना के क्रियान्वयन की प्रमुख कठिनाइयों को सुलझा लिया गया है और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था कर ली गई है। दल ने यह भी आशा व्यक्त की है कि यदि बेहतर प्रगति बनी रही तो परियोजना को उसकी समाप्ति की तिथि अर्थात् अक्तूबर, 1983 के बाद भी जारी रखना संभव होगा।

गुजरात के मामले में, दल ने सौराष्ट्र क्षेत्र में विस्तार कार्यों की प्रगति तथा मूंगफली उत्पादन से सम्बन्धित इसके लाभकारी फायदों के बारे में संतोष व्यक्त किया है। दल ने यह भी नोट किया है कि इस परियोजना के तहत सिविल निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने सीमेंट का सुनिश्चित कोटा प्राप्त कर लिया है, जिससे परियोजना के इस घटक को समय पर करने में सहायता मिलेगी।

उड़ीसा विस्तार परियोजना के मामले में, विश्व बैंक ने कार्यान्वयन की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दल ने इस बात को रिकार्ड किया है कि उन्होंने पुरी जिले में चल रहे प्रभावशाली विकास को देखा है जहां अविशिष्ट आर्द्रता में मूंगफली का व्यापक रोपण किया गया है।

राजस्थान के सम्बन्ध में, दल ने ग्राम-विस्तार कार्मिकों के योगदान और स्थिति का निर्धारण न किए जाने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

तमिलनाडु का दौरा करने वाले दल ने परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में विशेष तौर से कार्यान्वयन के सबसे प्रारम्भिक चरण के बारे में अच्छी प्रगति होने की रिपोर्ट दी है।

पश्चिम बंगाल विस्तार परियोजना के मामले में बैंक के पर्यवेक्षण मिशन ने यह नोट किया कि कार्य अच्छा चल रहा है लेकिन कुछ समस्याओं जैसे परियोजना के कार्यान्वयन के लिए

पदों का भरा जाना, आवश्यक वाहनों की खरीद की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाया है।

सघन कपास विकास परियोजना :

पर्यवेक्षण दल ने नोट किया कि परियोजना के कार्य में सुधार हो रहा है। तथापि, दल ने परियोजना के कार्यान्वयन की कुछ समस्याओं जैसे स्टाफ की नियुक्ति, महत्वपूर्ण सामग्री जैसे सीमेंट, स्टील और विद्युत सम्पर्क का उल्लेख किया है।

राष्ट्रीय बीज योजनाएं :

दो राष्ट्रीय बीज परियोजनाओं की समीक्षा करने वाले दल ने यह अनुभव किया कि परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जिसे कार्यान्वयन में संलग्न विभिन्न एजेंसियों के प्रशासनीय प्रयासों से प्रोत्साहन मिला है।

चीनी तथा उर्वरकों के व्यापार को संभालने के लिए नये निगम

5706. **श्री एन० ई० होरो :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी तथा उर्वरकों के व्यापार को संभालने के लिए और नये निगम गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से कपड़े की बिक्री हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त

5707. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने उचित दर की दुकानों के माध्यम से निर्धन उपभोक्ताओं को नियंत्रित कपड़ा बेचने के लिए राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय उचित दर दुकानों के माध्यम से किन राज्यों में नियन्त्रित कपड़ा बेचा जाता है;

(ग) ऐसी प्रणाली किन राज्यों ने लागू नहीं की है; और

(घ) समूचे देश में ऐसी प्रणाली लागू करने के लिए उनके मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से मई, 1980 में अनुरोध किया गया था कि लक्ष्य वर्ग, अर्थात् कमजोर/अरक्षित वर्गों को नियंत्रित कपड़े का वितरण करने का कार्य दूसरी आवश्यक वस्तुओं के वितरण के साथ सम्बद्ध किया जाए।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से मिले उत्तरों से पता चलता है कि उपर्युक्त नीति का आमतौर पर पालन किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों की चालू सिंचाई परियोजनाएं

5708. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में चालू सिंचाई परियोजनाओं और उनके लिए परियोजना-वार मंजूर की गई धनराशि का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) इन राज्यों की इन सिंचाई परियोजनाओं में अब तक राज्यवार कितना काम पूरा हो गया है और पिछले तीन सालों के दौरान वर्ष वार परियोजनावार इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) राज्य-वार परियोजना-वार इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए की जा रही कार्यवाही सहित इनके पूरा होने की सही तिथि क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मणिपुर तथा त्रिपुरा की निर्माणधीन सिंचाई परियोजनाओं का उपलब्ध ब्योरा विवरण (एक तथा दो) में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3778/82]

तिस्ता सिंचाई परियोजना

5709. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिस्ता सिंचाई परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परियोजना का ब्योरा क्या है;

(ग) पिछले तीन सालों के दौरान अब तक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पेश की गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है और परियोजना-वार तथा वर्ष-वार उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) राज्य की कुछ परियोजनाओं के बारे में निर्णय करने में किए गए विलम्ब के परियोजना-वार कारण क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई तीस्ता बराज परियोजना [प्रथम उप-चरण—(अवस्था-एक)] को योजना आयोग द्वारा 1975 में स्वीकृत किया गया था। और इस समय यह निर्माणाधीन है। इस परियोजना में दो बराज परिकल्पित हैं—एक तीस्ता तथा दूसरा महानन्दा पर—दोनों बराजों को मिलाने वाली एक पक्की लिंक नहर तथा महानन्दा बराज से वाम तट से निकलने वाली एक मुख्य नहर और उसके साथ वितरण प्रणाली। इस परियोजना की अनुमानित लागत 69.72 करोड़ रुपये है और इससे पश्चिमी दीनाजपुर तथा मालदा जिलों में 9.8 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई की व्यवस्था होगी।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों से प्रस्तुत की गई सिंचाई स्कीमों का ब्योरा तथा उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना का नाम	बेसिन	अनुमानित लागत (लाख रु०)	लाभ हजार हेक्टेयर	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
(क)	बृहद् स्कीमें					
1.	कंग्सावती जलाशय परियोजना का आधुनिकीकरण (पुरुलिया तथा बांकुरा)	कंग्सावती	2855	32.37	9-2-79	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दी गई गाइड लाइनों के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा परियोजना रिपोर्ट संशोधित की जा रही है।
2.	दामोदर घाटी परियोजना बराज सिंचाई आधुनिकीकरण स्कीम—चरण-एक नहरों की चयनात्मक लाइनिंग (बर्दवान, हुगली, हावड़ा तथा बांकुरा)	दामोदर	1570	36.50	20-7-79	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिसम्बर, 1979 और मार्च, 1980 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तरों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।
3.	ताराफेनी जलाशय स्कीम (मिदनापुर)	कंग्सावती	600.00	12.15	14-11-79	राज्य ने अब इस स्कीम को कंग्सावती की संशोधित आधुनिकीकरण परियोजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है।
4.	लोअर डोलोंग जलाशय स्कीम (मिदनापुर)	स्वर्णरेखा	1136.00	20.23	30-10-80	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा फरवरी, जून और सितम्बर, 1981 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तरों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
5.	बामनगोला हबीबपुर सिंचाई स्कीम (माल्दा)	महानन्दा	2167.65	31.00	28-5-80	योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई। तथापि, राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त न होने के कारण योजना आयोग ने अभी तक तक इसे अनुमोदित नहीं किया है।
6.	टंगन घाटी सिंचाई स्कीम (पश्चिम दीनाजपुर)	महानन्दा	1360.00	32.46	4-6-80	
7.	स्वर्णरेखा बराज परियोजना (मिदनापुर)	स्वर्णरेखा	9750.00	106.20	6-5-81	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां अक्तूबर और नवम्बर, 81 में भेजी गई थीं। दिसम्बर, 81 में राज्य के इंजीनियरों के साथ हुए विचार-विमर्श के दौरान, उन्होंने यह बताया था कि फरवरी, 1982 तक उत्तर भेज दिए जाएंगे, जिनकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है।
8.	वेहला वेसिन सिंचाई स्कीम (वर्दवान तथा हुगली)	दामोदर	1026.00	25.65	25-9-81	केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।
(ख)	मध्यम परियोजनाएं					
1.	भैरव वंकी जलाशय स्कीम (बांकुरा)	कंसावती	450.00	6.32	13-1-80	राज्य द्वारा अब इस स्कीम को कंसावती की संशोधित आधुनिकीकरण परियोजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

विषय : लेह में पक्षियों द्वारा आत्म हत्या

5610. **श्री निहाल सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 फरवरी, 1982 को आकाशवाणी से प्रसारित समाचार सही है कि लेह में प्रतिवर्ष सितम्बर में सैकड़ों पशु और पक्षी आत्महत्या करते हैं; और

(ख) इस बारे में वैज्ञानिकों द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 7 फरवरी, 1982 को आकाशवाणी से प्रसारित समाचार असम के जातिंगा गांव से सम्बन्धित है न कि लेह से ।

(ख) वैज्ञानिक पक्षियों के इस आश्चर्यजनक व्यवहार के सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं तथा इस सम्बन्ध में अभी तक कोई संतोषजनक तथ्य प्राप्त नहीं हुए हैं ।

विषय : कृषि और औजार

5711. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को धोखा देने के लिए जाली कृषि-औजारों तथा मशीनों का निर्माण चल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन औजारों का कोई तकनीकी परीक्षण नहीं किया जाता जिसके फलस्वरूप किसानों को भारी हानि उठानी पड़ती है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे अपराधों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विधान कब तक लाये जाने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) पावर थ्रेशरों को छोड़कर, कृषि उपस्करों और मशीनों की विशिष्टयों के बारे में कोई कानून अथवा सरकारी आदेश लागू नहीं है । भारतीय मानक संस्था ने कुछ उपस्करों के लिए मानक तैयार किए हैं, लेकिन यह योजना स्वैच्छिक है । केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण केन्द्र, बुदनी और ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र, हिसार में कृषि उपस्करों और मशीनों की जांच की जाती है । तथापि, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत विनिर्माताओं को अपने उपस्करों और मशीनों की जांच करवाने के लिए बाध्य किया जा सके ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को उम्दा किस्म के कृषि उपस्कर और मशीनें सप्लाई की जायें, सरकार मानक तैयार करने और उन्हें लागू करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक है । कृषि उपस्करों की संख्या और किस्मों को देखते हुए इस कार्य के लिए निरन्तर दीर्घ-कालीन प्रक्रिया अपनानी होगी ।

जूनिय इंजनियर (सिविल) और (इलैक्ट्रीकल)

5712. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पदोन्नति के लिए पात्र और 1981 के अन्त तक इसकी प्रतीक्षा करते रहे जूनियर इंजीनियरों (सिविल) और (इलैक्ट्रीकल) की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उनके मामलों में पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) इस समय 425 कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) तथा 185 कनिष्ठ इंजीनियर (इलैक्ट्रीकल) पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

(ख) पात्रता अवधि पूरी करने के बाद कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) के मामले में प्रतीक्षा अवधि 9 से 13 वर्ष के बीच है जबकि कनिष्ठ इंजीनियर (इलैक्ट्रीकल) के बारे में यह 7 से 9 वर्ष है।

धान के मूल्य

5713. श्रीमती जयन्ती पटनायक :

श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में विभिन्न राज्यों से विभिन्न किस्मों के धान और चावल की वसूली के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ राज्यों में चावल और धान वसूली की अलग दरें निर्धारित की गई हैं जो केन्द्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्यों से अधिक हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने सर्वांगीण राष्ट्रीय हित में उन राज्य सरकारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों से ऊंचे समर्थन मूल्य घोषित न करने की सलाह दी है या सलाह देने का विचार है; और

(ङ) इस मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) खरीफ मौसम 1981-82 के लिए धान और चावल की वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने खरीफ मौसम 1981-82 के लिए केवल धान के समर्थन मूल्यों की घोषणा की है और आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल की सरकारों ने केन्द्र द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों से या तो राजसहायता, बोनस अथवा परिवहन लागत के रूप में धान के अधिक वसूली मूल्यों की घोषणा की है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित

किया है कि 1-4-1982 से क्रय केन्द्रों पर उत्पादकों द्वारा धान की पेशकश पर 10/- प्रति क्विन्टल की उत्पादन राज सहायता के भुगतान को खत्म करने के बारे में आदेश जारी किए गए हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार ने समूचे राष्ट्रीय हित में राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों से अधिक समर्थन मूल्यों की घोषणा न करें।

जिन राज्यों ने केन्द्र द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों से या तो राजसहायता, बोनस अथवा परिवहन लागत के रूप में धान के अधिक मूल्य देने की घोअणा की है, उन्हें वसूली परिचालनों के लिए ऋण की सुविधा प्राप्त करने के लिए 12.5 प्रतिशत की सामान्य रियायती दर की तुलना में 19.5 प्रतिशत वाणिज्यिक दर पर ब्याज अदा करना पड़ता है।

उड़ीसा में कृषि विस्तार योजना

5714. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कृषि विस्तार योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में कृषि विस्तार कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा के विभिन्न जिलों में ऐसे कार्यक्रम को लागू किए जाने के समय से अब तक उक्त राज्य में कुल कितने किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) पुनर्गठित कृषि विस्तार प्रणाली (प्रशिक्षण तथा दौरा) विश्व बैंक की सहायता से उड़ीसा में क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) जून, 1977.

(ग) प्रत्यक्ष रूप में नहीं। ग्राम सेवकों, जो ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किए जाते हैं, के अधीन प्रत्येक सर्किल में लगभग 800 से 1000 किसान आते हैं। वे एक पखवाड़े में एक निर्धारित दिन 100 से 120 किसानों के एक दल की बैठक करते हैं। वे किसानों को उनके खेतों में मिलते हैं और उनको उचित तथा शीघ्र उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी के बारे में बताते हैं। ग्राम सेवक किसानों की क्षेत्र सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए अपराह्न में कृषकों के दलों के साथ भी बैठक करते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

वन्य जीव अभयारण्यों में मनोरंजन सुविधाएं

5715. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1982-83 के दौरान देश के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में मनोरंजन सुविधाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के उन अभयारण्यों के क्या नाम हैं जो उपर्युक्त अवधि के दौरान उस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाने हेतु पता किए गए हैं; और

(ग) इस प्रकार के प्रस्ताव का कार्यान्वयन करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश के विभिन्न वन्य प्राणि आश्रय-स्थलों में मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। तथापि पर्यटकों के लिए अवस्थापना सम्बन्धी विकास करना देश के विभिन्न राष्ट्रीय पार्कों तथा आश्रय-स्थलों की विकासात्मक योजनाओं का एक भाग है।

(ख) 1982-83 के दौरान उड़ीसा के आश्रय-स्थलों में मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश को भू-संरक्षण अथवा वन विकास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

5716. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष को सम्मिलित करते हुए गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश को जिलेवार भू-संरक्षण अथवा वन विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिए कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) इस वित्तीय सहायता के अन्तर्गत जिलेवार ऐसी कौन-कौन सी योजनायें हैं, जो पूरी हो चुकी हैं;

(ग) जिलेवार जिन योजनाओं का निष्पादन कार्य चल रहा है उनके किस सम्भावित तारीख तक पूरी हो जाने की आशा है तथा जिन योजनाओं के लिए जांच कार्य चल रहा है उनका काम कब तक शुरू हो जाने की आशा है; और

(घ) क्या इस प्रयोजन हेतु सम्पूर्ण राज्य के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केन्द्र द्वारा हिमाचल प्रदेश को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत वर्ष 1979-80

से 1981-82 के दौरान मृदा संरक्षण तथा वन विकास के लिए दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :—

(लाख रुपये)

	79-80	80-81	81-82
(1) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की योजना	58.68	60.70	112.25
(2) सिंध-गंगा बेसिन की बाढ़ प्रवरण नदियों में समेकित पनधारा प्रबन्ध	—	—	20.00
(3) हिमालय में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण	30.00	36.00	53.39
(4) सामाजिक वानिकी जिसमें ग्रामीण जलावन की लड़की के पेड़ों का रोपण भी शामिल है	—	14.22	2.48

जिलावार आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।

(ख) चालू सभी योजनाएं

(ग) निष्पादन कार्य के पूरा होने की तारीख का अनुमान अभी नहीं लगाया गया है। गिरी के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध की 200 लाख रुपये की विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है।

आवासीय समस्या के बारे में नागरिक परिषद् दिल्ली का अभ्यावेदन

5717. श्री रोत लाल प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली की आवासीय समस्या के बारे में नागरिक परिषद् दिल्ली का एक अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने परिषद् के प्रत्येक सुझाव पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली में पट्टा प्रणाली समाप्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन में दिए गए मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं :—

(i) बहु अभिकरण आधार पर मकानों को बनाने के लिए दिल्ली में एक आवास बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।

(ii) नई गृह निर्माण समितियों को पंजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए।

(iii) दिल्ली विकास प्राधिकरण या अन्य सरकारी अभिकरणों द्वारा बनाये गये बिक्री मूल्य को निर्धारित करने के लिए एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति नियुक्त की जाय।

(iv) विद्यमान भूमि पट्टा पद्धति को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाय।

(ग) तथा (घ) (i) यह निर्णय लिया गया है कि कोई पृथक आवास बोर्ड स्थापित न किया जाय।

(ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि के आवंटन के लिए विद्यमान सहकारी ग्रुप आवास समितियों से आवेदन पत्र मांगे हैं। नई ग्रुप आवास समितियों के लिए पंजीकरण आरम्भ करने का प्रश्न तभी उठेगा जब कि विद्यमान मांग को पूर्ण रूप से पूरा किया जाए।

(iii) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये फ्लैटों की बिक्री निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा सूत्र निर्धारित किया गया है। इसलिए इस प्रयोजन के लिए कोई समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) सरकार एक सीमित प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या वर्तमान पट्टा विलेख पद्धति, को समाप्त कर दिया जाय या दिल्ली में रिहायशी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में इसको बदला जाए इस सम्बन्ध में निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की सम्भावना है।

विषय : सी० टी० सी० आर० आई० के निदेशक का स्थानांतरण

S718. श्री मीखा भाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० टी० सी० आर० आई० त्रिवेन्द्रम के निदेशक का सी० पी० सी० आर० आई० कासारगोड़, केरल के निदेशक के बतौर स्थानान्तरण किया गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि दोनों संस्थान आपस में जुड़े है फिर भी दोनों की गतिविधियों के अपने विशेष क्षेत्र हैं और इसी पृष्ठ भूमि पर दो भिन्न संस्थान पास-पास में खोले गए हैं; और

(ग) क्या सरकार इन दोनों संस्थानों का एकीकरण और स्रोतों को सुरक्षित करने पर विचार करेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (सी० टी० सी० आर० आई०) त्रिवेन्द्रम और केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान (सी० पी० सी० आर० आई०) कासारगोड परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित नहीं हैं क्योंकि वे फसल के विभिन्न वर्गों से सम्बन्धित है। केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान आलू के अतिरिक्त कंद फसलों पर अनुसंधान करता है, जबकि केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान बागानी फसलों तथा मसालों पर अनुसंधान कार्य करता है। उपरोक्त संस्थान केवल वैज्ञानिक/तकनीकी विचारों के आधार पर केरल राज्य में स्थापित किया गया था।

(ग) उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए इन दो संस्थानों के परस्पर विलय के लिए सलाह नहीं दी जा सकती।

बीकानेर भवन का खाली किया जाना

5719. **श्री भीखा भाई**: क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा बीकानेर भवन जिसमें केन्द्रीय विद्युत आयोग स्थित है, अधिकारियों और मंत्रियों के लिए राजस्थान के अन्य भवनों में कम स्थान होने के कारण खाली किया जाना था;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार के साथ होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों में मंत्रियों और कर्मचारियों को ठहरने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; यदि हां, तो क्या सरकारी रेजीडेन्ट कमिश्नर या राजस्थान सरकार ने इस मामले में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) बीकानेर भवन और केन्द्र सरकार के कब्जे वाले इसके क्षेत्र को खाली करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) से (ग) बीकानेर हाऊस; को वापिस करने की प्रार्थना राजस्थान सरकार इस आधार पर कर रही है कि यह उन्हें अपने प्रयोग के लिए चाहिए। परन्तु दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए कार्यालय वास की अत्यधिक कमी के कारण केन्द्रीय सरकार के लिए अभी यह सम्भव नहीं है कि वह इस हाऊस को वापिस कर दे। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह कुछ और अधिक समय के लिए केन्द्रीय सरकार को इस भवन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करे।

भूमि संरक्षण कार्यक्रम

5720. **श्री बी० बी देसाई**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि संरक्षण के लिए एक जोरदार कार्यक्रम हाथ में लिया है और चालू योजना में इस पर 6400 मिलियन रुपये खर्च करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी सफलता मिली है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। सरकार ने 433.21 करोड़ रुपये के परिव्यय से राज्य तथा केन्द्रीय दोनों क्षेत्रों के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान 65.2 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार करने के लिए मृदा संरक्षण का एक वृहद् कार्यक्रम शुरू किया है।

(ख) छठी योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1980-81 के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत 83.41 करोड़ रुपये की लागत से 9.73 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार किया गया था। 1981-82 के दौरान 89.09 करोड़ रुपये की लागत से 10.42 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार किये जाने की सम्भावना है।

राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत, कार्यक्रम विभिन्न सस्य विज्ञान, इन्जीनियरी तथा जैव विज्ञान सम्बन्धी उपयों के माध्यम से कृषि तथा गैर कृषि भूमियों का उपचार करने पर सकेन्द्रित है।

राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के अन्तर्गत छठी योजना के लिए 532 लाख हेक्टार के वास्तविक लक्ष्य की तुलना में 1980-81 के दौरान 68.38 करोड़ रुपये के व्यय से 8.65 लाख हेक्टार क्षेत्र का उपचार किया गया है।

छठी योजना के दौरान कृषि तथा गैर-कृषि भूमियों का उपचार करने के लिए राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख उपाय करना जारी रहा है जबकि केन्द्र द्वारा—

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण

(2) बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध

(3) मृदा सर्वेक्षण संगठनों को सुदृढ़ बनाने,

(4) संघ शासित क्षेत्रों में झूम खेती के नियन्त्रण, और

(5) अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन को सुदृढ़ बनाने की योजनाओं के माध्यम से विशेष समर्थन दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कुल उत्पादन को स्थिर रखने तथा उसमें वृद्धि करने के लिए जल संरक्षण/जल उपयोग प्रौद्योगिकी के प्रचार की एक केन्द्रीय योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। मृदा की स्थिति के संरक्षण से सम्बन्धित मामलों पर नीति निर्देश प्रदान करने की दृष्टि से तथा विभिन्न विभागों में मृदा संरक्षण के कार्यक्रमों को समन्वित करने के लिए एक केन्द्रीय भूमि संसाधन संरक्षण तथा विकास आयोग स्थापित किया जा रहा है। यह आयोग 26 राज्य भूमि उपयोग बोर्डों के कार्यकलापों का निरीक्षण व समन्वय भी करेगा।

छठी योजना के लिए 11.9 लाख हेक्टार के वास्तविक लक्ष्य की कुलना में केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत 15.03 करोड़ रुपये की लागत से 1980-81 के दौरान 1.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया है।

इसके अतिरिक्त, निम्न योजनाओं, जिनके लिए 290 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया है, के माध्यम से कृषि तथा गैर कृषि भूमियों का उपचार करने के लिए भी उपाय किये जा रहे है :—

1. हिमाचल क्षेत्र में मृदा, जल और वृक्ष संरक्षण।

2. ग्रामीण इंधन की लकड़ी के बागानो सहित सामाजिक वानिकी

3. सूखा प्रवण क्षेत्र विकास

4. मरु विकास

1980-81 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत 3.63 लाख हेक्टार क्षेत्र का उपचार किया गया है।

चंडीगढ़ के लिए निगम का दर्जा

5721. **डा कृपासिन्धु भोई :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ के लिए एक निगम के दर्जे की मांग की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि चंडीगढ़ के लोगों को केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए निर्वाचित निकाय से वंचित रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) चण्डीगढ़ को निगम का दर्जा देने की कुछ क्षेत्रों से मांग की गई है।

(ख) इस समय चण्डीगढ़ में कोई निर्वाचित निकाय नहीं है।

(ग) चंडीगढ़ के वर्तमान प्रशासन में हेर-फेर करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विषय : वनों के कटाव के कारण परिस्थितिक असन्तुलन

5722. **श्री अनादि चरण दास :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के विभिन्न भागों में बनों की बढ़ती हुई कटाई के कारण परिस्थितिक असंतुलन बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो कुछ राज्यों में वृक्षों की बड़े पैमाने पर कटाई रोकने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को क्या मार्गदर्शी निर्देश भेजे गए हैं; और

(ग) देश में परिस्थितिक विशेषकर बन क्षेत्रों में सन्तुलन की पुनः स्थापना हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई कार्यकारी योजनाओं/स्कीमों के अन्तर्गत वन क्षेत्रों में कटाई की जाती है। अनधिकृत कटाई के मामलों में केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव कार्यवाही की जाती है कि कटाई उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहे जिनके लिए कार्यकारी योजनाओं/स्कीमों के अन्तर्गत अनुमति दी गई है।

(ग) कार्यकारी योजनाओं/स्कीमों के अन्तर्गत वन प्रबन्ध करने के अलावा देश में निम्नलिखित वानिकी और भूमि संरक्षण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

	छठी पंचवर्षीय योजना का परिव्यय (लगभग करोड़ रुपये में)
(1) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में भूमि संरक्षण	80.00
(2) सिंधु-गंगा के बेसिन की बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध	68.00
(3) हिमाचल में भूमि जल और वृक्ष संरक्षण (भारत सरकार का शेयर)	15.00
(4) ग्रामीण ईन्धन की लकड़ी के रोपण सहित सामाजिक वानिकी (भारत सरकार का शेयर)	50.00
(5) राज्य सामाजिक वानिकी योजनाएं	301.88
(6) राज्य भूमि संरक्षण योजनाएं	343.57
कुल	858.45

विषय : मत्स्य उद्योग को रियायतें

5723. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री डी० पी० जडेजा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजरानी विकास कोष समिति (शिपिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी) को मालूम है कि मत्स्य उद्योग को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मत्स्य उद्योग को किसी प्रकार की रियायत देने पर विचार किया जा रहा है जैसा कि अन्य शिपिंग कम्पनियों के लिए किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जहाजरानी विकास कोष समिति ने बताया है कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि मत्स्य उद्योग आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहा है। तथापि, समिति ने बताया है कि कम्पनियों द्वारा ऋण अदा न करने के कुछ मामले इसके ध्यान में आये हैं।

(ख) तथा (ग) ऐसे मत्स्यन जलयानों, जो 13.7 मीटर लम्बे हों और जिनमें कम से कम 150 अश्व-शक्ति के इंजिन लगे हों को दी जाने वाली राज-सहायता की एक योजना पहले से ही लागू है। इस योजना में निम्ना व्यवस्था है :—

1. हाई-स्पीड डीजल पर 50 प्रतिशत उत्पादन शुल्क की छूट, चाह उसका निर्यात किया जाता हो या नहीं, और

2. झींगा मछली की एक मीटरी टन मात्रा के निर्यात के लिए हर 1.88 किलोमीटर डीजल पर 50 प्रतिशत उत्पादन शुल्क की अतिरिक्त छूट।

छोटे यंत्रीकृत जलयानों पर इस योजना को लागू करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र सरकार प्रति नौका : प्रति लीटर हाई-स्पीड डीजल पर 15 पैसे राहत दे रही है, लेकिन यह राहत प्रति नौका 1000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होगी। हाल में, गोआ, दमन और दीव प्रशासन को इसी तरह की राहत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है, लेकिन प्रति नौका के लिए अधिकतम राशि की सीमा 650 रुपये वार्षिक रखी गई है।

समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने उष्मा-रोधी मछली के डिब्बे देने के लिए 9.75 लाख रुपये की एक राज-सहायता योजना शुरू की है। यंत्रीकृत नौकाओं और ट्रालरों को यह सुविधा दी जाती है। गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयानों की खरीद के लिए जहाजरानी विकास कोष समिति के माध्यम से सरल ऋण सुविधा देने के अन्तर्गत ऋण की अदायगी की अवधि को 8 वर्ष से 16 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें उद्यमियों पर पड़ने वाले वित्तीय भार में काफी कमी हो जाती है।

इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग एण्ड न्यूट्रीसन, पूसा नई दिल्ली में हड़ताल

5724. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग एण्ड न्यूट्रीसन पूसा नई दिल्ली के छात्रों ने हाल में सांकेतिक हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर विचार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु शैक्षणिक प्रणाली को आधुनिक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) विद्यार्थियों ने इस संस्था को कृषि मंत्रालय से पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय को हस्तान्तरित करने की मांग की है। इस मांग की समय-समय पर जांच की गई है लेकिन इसे हस्तान्तरित करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) इस संस्था ने साथ-साथ होटल उद्योग के प्रतिनिधियों के परामर्श से होटल प्रबन्ध, खान-पान और पोषाहार के 3 वर्ष के डिप्लोमा के सिलेबस में परिवर्तन कर दिया है।

कृषि ऋण समितियां

5725. श्री सुधीर कुमार गिरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि ऋण समितियों की संख्या कितनी है और ऐसी समितियों के अन्तर्गत आने वाले गांवों की संख्या क्या है;

(ख) इन प्रत्येक समिति द्वारा वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान वर्षवार कुल कितने ऋण जारी किए गए; और

(ग) ऐसे कृषि ऋणों की मात्रा में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 30 जून, 1980 को देश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की कुल संख्या 94,495 थी। वर्ष 1978-79 के दौरान (नवीनतम वर्ष जिसके सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध है) ये समितियां कुल 5,65,625 गांवों में चल रही थीं।

(ख) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान दिए गए कुल ऋण की मात्रा नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपये)

1978-79	1979-80 (अनन्तिम)	1980-81 (अनन्तिम)
1,458	1,465	1,591

नोट : सहकारिता वर्ष (जुलाई—जून) 1981-82 को अभी समाप्त होना है।

(ग) राज्य सरकारें, जिनका सहकारी समितियों पर प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी नियंत्रण होता है, विधायी उपायों, वित्तीय सहयोग तकनीकी सेवाओं तथा ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए वातावरण तैयार करने के जरिए सहकारी समितियों को सहयोग देने के लिए उपाय कर रही हैं। भारत सरकार विभिन्न प्लान योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के जरिए इन समितियों की सहायता करती है।

मछुआरों को आधुनिक तकनीक देना

5726. श्री मोहन लाल पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्रतटीय राज्य गुजरात के मछुआरों को आधुनिक तकनीक की सहायता नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास मछुआरों को मछली पकड़ने, पैकिंग, प्रशिक्षण और मत्स्य संसाधनों पर निगरानी रखने सहित सभी पहलुओं में आधुनिक तकनीक दिलाने के बारे में कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। मछुआरों को पहले से ही आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जा रही है तथा इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का विस्तार के माध्यम से जायजा लिया जाता है।

(ख) तथा (ग) राज्य मत्स्यकी प्रभाग, "पोस्ट सीनियर स्कूल" प्रमाण-पत्र के स्तर के लिए मत्स्यन की आधुनिक पद्धतियां, परिसंस्करण, गिअर प्रौद्योगिकी आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके अलावा नवयुवक मछुआरों, जिन्होंने चौथी कक्षा तक अध्ययन किया है, के लिए आधुनिक मत्स्यन उपकरणों तथा तरीकों सहित यंत्रीकृत मत्स्यन पर तीन प्रशिक्षण केन्द्रों पर एक सामान्य पाठ्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। अन्तर्देशीय मत्स्यन में प्रशिक्षण पाने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए चार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए थे, जहां अन्तर्देशीय मत्स्यन कार्यों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। केन्द्रीय समुद्री मत्स्यन अनुसंधान संस्थान ने गुजरात सरकार द्वारा प्रायोजित अधिकारियों को मात्स्यिकी संसाधनों के निर्धारण तथा संगणना गति की, झींगा मछली पालन, शुक्ति पालन तथा मुक्ता पालन प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया।

मध्य प्रदेश की अनुमोदन हेतु पड़ी सिंचाई परियोजनाएं

5727. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 17 बड़ी और मध्यम योजनाओं के लिए परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग को अनुमोदन हेतु भेजे थे और उनमें से 9 परियोजनाएं लम्बे समय से आयोग की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की जांच कब तक की जायेगी और उन पर तकनीकी स्वीकृति दे दी जाएगी;

(ग) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को आठ योजनाएं उनमें आवश्यक संशोधन करने के लिए अपनी टिप्पणियों सहित लौटा दी थीं और क्या वे योजनाएं संशोधित किये जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार से इस बीच जांच और तकनीकी अनुमोदन के लिए आयोग को वापस मिल गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका तकनीकी अनुमोदन कब तक कर दिया जाएगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने तकनीकी जांच करने एवं योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 19 वृहद् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमें केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की हैं। इन स्कीमों की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई थी और इन सभी स्कीमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगे गए थे। राज्य सरकार से केवल तीन स्कीमों के बारे में उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं, जिनकी केन्द्रीय जल आयोग में आगे जांच की जा रही है।

(ख) इन तीनों स्कीमों पर आगे जांच करने के पश्चात्, योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा उन पर विचार किया जाएगा। अन्य स्कीमों का अनुमोदन, राज्य सरकार से संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने और उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित हो जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को कोई स्कीम रिपोर्ट वापस नहीं की गई है। तथापि, राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निर्धारित गाइड लाइनों के अनुसार 8 स्कीमों के बारे में संशोधित रिपोर्टें तैयार करने के लिए कहा गया है, जो राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) यह राज्य सरकार द्वारा संशोधित रिपोर्टें प्रस्तुत करने तथा उनके तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाए जाने की सीमा पर निर्भर करेगा।

बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

5728. श्री हरिहर सोरन : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में, राज्यवार मंजूर की गई बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कितनी अनुमानित लागत आएगी तथा उनको कार्यान्वित करने से कितना क्षेत्र सिंचाई के अधीन आएगा; और

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के बारे में ब्यौरे क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) सिंचाई मंत्रालय किसी सिंचाई परियोजना को स्वीकृत नहीं करता। योजना आयोग उन्हें राज्यों की वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल करने के लिए स्वीकार करता है। गत तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई वृहद् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3779/82]

विषय : कराकुल भेड़ के मेमनों का वध

5729. श्री दिग्विजय सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बीकानेर स्थित केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन

अनुसंधान संस्थान द्वारा काकुल भेड़ के मेमनों का शान हेतु विशेष 'पीट' का उत्पादन करने के लिए जन्म के 48 घण्टों के भीतर वध किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे व्यापार को भेड़ जाति में मां तथा मेमने के सम्बन्ध के प्रति क्रूरता नहीं माना जायेगा; और

(ग) यदि यह पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के अधीन क्रूरता है तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये जाएंगे ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) पेल्ट उत्पादन के लिए जन्म के 48 घण्टों के अन्दर कराकुल मेमना का वध किया जाता है जिसका फरस्किन के रूप में अधिक व्यापारिक और निर्यात मूल्य है। यह एक पूर्ण रूप से व्यापारिक समस्या है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् पेल्ट उत्पादन के लिए दरी बनाने वाले मोटी ऊन वाली नस्ल के साथ कराकुल और उनके संकरों के साथ प्रजनन के लिए अनुसंधान कर रही है। पेल्ट उत्पादन से सम्बन्धित अनुसंधान केवल दिखावा मात्र नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्, पेल्ट उत्पादन के लिए कराकुल भेड़ के मेमनों का वध जन्म के 48 घण्टों के अन्दर मानवोचित ढंग से किया जाता है और पशुओं के क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत क्रूरता का उल्लेख नहीं है।

निर्माण बिहार दिल्ली में यातायात एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरा

5730. **श्री कमल नाथ** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि इन्द्रप्रस्थ एक्सटेंशन में निर्माण बिहार के साथ साथ लगी पटपड़गंज सड़क की पूर्वी ओर भूमि के बहुत बड़े भाग की खुदाई की गई है और काफी समय से यह खुला पड़ा है जिसके कारण यातायात एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ज्यों ही ठेकेदार मलनिर्यास लाइन के लिए अपेक्षित सीमेंट कंकरीट मिश्रित पाइप प्राप्त कर लेगा, कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा। आवश्यक बाढ़ तथा अन्य सुरक्षा के उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि इन खाइयों से यातायात में असुविधा न हो तथा ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो।

दिल्ली में आवासीय बस्तियों का होटलों के लिये प्रयोग

5731. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की आवासीय बस्तियों का संसद् सदस्यों और अन्यों के लिए आरक्षित वर्तमान आवासीय भवनों के स्थान पर फाइवस्टार होटलों के निर्माण के लिए उपयोग किया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो नए फाइव स्टार होटलों के निर्माण के लिए किए गए इन नए प्रयासों का औचित्य क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) 5 तारा होटल के निर्माणार्थ, आबंटन हेतु सरकार ने केवल दो स्थलों का, जहां संसद् सदस्यों एवं अन्यों के बंगले हैं, उपयोग किया एक विण्डसर प्लेस में रायसीना रोड तथा जनपथ के क्रासिंग पर तथा दूसरा बाराखम्बा रोड क्षेत्र में वृहद् क्षेत्रीय विकास योजना में विण्डसर प्लेस के प्लाट को वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनों के लिए उद्दिष्ट किया गया है। बाराखम्बा रोड क्षेत्र का प्लाट केन्द्रीय जिला व्यापार का अंग है जहां होटलों के लिए अनुमति है।

दिल्ली में बेघर व्यक्ति

5732. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली महानगर में 20,00,000 से अधिक व्यक्ति अपने सिर के ऊपर छत के बिना रात व्यतीत करते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कम से कम 20 लाख व्यक्ति अमानवीय हालातों में रहते हैं; और

(ग) उनको आश्रय देने तथा गन्दी बस्तियों को साफ करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐसा कोई सर्वेक्षण नही किया गया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आगे सूचित किया है कि अधिसूचित गन्दी बस्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों की संख्या लगभग 15 लाख है परन्तु यह कहना सही नहीं है कि वे अमानवीय हालतों में रहते हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1960 से पुनर्वास कालोनियों में 2,08,000 प्लाटों का विकास किया है और लगभग 2 लाख परिवारों को ये प्लाट आवन्टित किये गये हैं। इन में से अधिकतर प्लाट संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सरकारी भूमि पर से हटाये गये अनधिकृत झुग्गी-झोपड़ी समूह के लोगों को आवान्टित किये गये हैं। इस अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्रधिकरण ने 15,000 टैनामैन्टों का निर्माण और आवंटन भी किया है। लगभग 4000 टैनामैन्ट पहले ही निर्माणधीन हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में और अधिक प्लाटों और टेनामैन्टों के दिये जाने का प्रस्ताव है।

मौसम के बाद तक गन्ने की पेराई करते रहने के लिये प्रोत्साहन

5733. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन चीनी मिलों को विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है जो मौसम के समाप्त हो जाने पर भी गन्ने की पेराई करती रही;

(ख) यदि हां, तो प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का उन मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाई करने का विचार है जिन्होंने मौसम के समाप्त होने से पूर्व पेराई बन्द कर दी थी; और

(घ) पिछले वर्ष दिए गये प्रोत्साहनों का ब्योरा क्या है और उन मिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन प्रोत्साहनों का लाभ उठाया ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) गन्ने की भरपूर फसल की दृष्टि में, सरकार को आशा है कि गन्ने का पेराई कार्य गर्मी के महीनों तक चलता रहेगा ताकि यथा सम्भव अधिक से अधिक गन्ने की पेराई की जा सके। देर तक गन्ने की पेराई करने के लिए चीनी उद्योग को उत्पादन शुल्क में रिबेट देने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 में चीनी का उत्पादन सुनिश्चित करने और जन-हित में केन्द्रीय सरकार द्वारा, असाधारण परिस्थितियों में, किसी अव्यवस्थित मिल के प्रबन्ध को अस्थायी तौर पर अधिकार में लेने की व्यवस्था है। तथापि, उपर्युक्त अधिनियम के अधीन किसी मिल के प्रबन्ध को अधिकार में लेने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) पिछले वर्ष के दौरान, देर तक गन्ने का पेराई कार्य करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। अतः उन मिलों, जिन्होंने इन प्रोत्साहनों का लाभ उठाया, के दाम बताने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में राशन की वस्तुओं तथा खुले घी की कमी

5734. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में नवम्बर, 1981 से राशन की वस्तुओं तथा खुले घी की भारी कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक उचित दर की दुकान के पास पंजीकृत खाद्य कार्डों के आधार पर प्रत्येक दुकान की राशन की वस्तुओं की कुल मासिक मांग क्या है तथा प्रत्येक वस्तु की कितनी वास्तविक कमी है; और

(घ) आवश्यक वस्तुओं की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं जिससे कि मूल्य वृद्धि की बढ़ती हुई प्रवृत्ति तथा काला बाजारी को रोका जा सके ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) (क) और (ख) नवम्बर, 1981 से रामकृष्णपुरम क्षेत्र में गेहूं और चीनी की कुछ कमी रही है। तथापि, उस क्षेत्र में चावल और गेहूं से बने पदार्थों की कोई कमी नहीं थी। खुला वनस्पति घी भी आमतौर पर उपलब्ध रहा है और इस समय भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

(ग) रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में प्रत्येक उचित दर की दुकान की राशन की वस्तुओं की कुल मासिक मांग संलग्न विवरण में दी गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि चावल मांग के अनुसार दिया जाता है और इसकी मात्रा हमेशा अनुमानित पात्रता से कम उठायी जाती रही है।

(घ) केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तुओं के उपलब्ध स्टाक में से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच इन वस्तुओं के उचित आबंटन की व्यवस्था करती है। आबंटन करते समय राज्य/सरकारों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भेजी गई मांग और साथ ही उनके द्वारा पहले उठायी गई मात्रा के रुख को ध्यान में रखा जाता है। दिल्ली को किए गए आबंटनों में से, दिल्ली प्रशासन उचित दर की दुकानों को उनमें से प्रत्येक के पास पंजीकृत मात्रकों के आधार पर इन वस्तुओं का पुनः आवंटन करता है। दिल्ली प्रशासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत के खुदरा बिक्री केन्द्रों के कार्यकरण पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

विवरण

आर० के० पुरम क्षेत्र की उचित दर की दुकानों के दुकानदारों को किए गए आबटन का विवरण

क्रम सं०	उ० द० दु० की सं०	मात्राओं की स्थिति			मात्रकों की स्थिति के आधार पर अनुमानित आवश्यकता			किया गया आवंटन		
		गेहूं	चावल	चीनी	गेहूं	चावल (आंकड़े क्विंटल में)	चीनी	गेहूं	चावल (आंकड़े क्विंटल में)	चीनी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2655	5147	4838	5423	405	590	48	200	110	42
2.	5715	8004	3150	6124	540	570	56	225	90	52
3.	2653	2026	1965	2110	160	235	19	90	50	20
4.	2674	2183	2732	2766	185	305	24	120	75	25
5.	5693	2100	1840	2256	160	230	20	105	60	20
6.	3032	3592	3830	3924	290	450	35	130	68	30
7.	6219	4200	1353	2914	275	270	26	125	50	26
8.	4902	3151	4022	3850	270	445	34	130	90	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	5229	3063	3675	3594	255	415	32	120	75	31
10.	4780	4357	4802	5038	360	455	45	200	100	44
11.	4984	4096	4285	4582	330	515	41	160	92	39
12.	2863	2341	2223	2255	185	270	20	115	65	20
13.	2867	2511	2365	2341	198	290	21	120	60	21
14.	3116	4792	4657	5179	380	565	46	200	100	45
15.	4047	3406	3826	4006	280	365	36	160	80	37
16.	4509	2818	2742	3015	225	330	27	135	70	26
17.	4067	2882	3485	3439	240	450	31	135	60	30
18.	4733	4389	2628	3830	315	385	34	175	70	34
19.	4740	5030	3875	4898	380	430	44	230	90	44
20.	4672	2362	2437	2555	190	285	23	140	60	24
21.	5692	852	864	939	68	85	8	60	40	10
22.	5910	1353	1126	1338	103	144	12	85	55	15
23.	3822	4036	4408	4462	330	514	40	170	90	41

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर/अधीनस्थ अधिकारी

5735. श्री भीखा भाई : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरी/अधीनस्थ अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पदों में कमी को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) 1.1.1982 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नियमित स्थापना में इंजीनियरों/अधीनस्थ अधिकारियों की कुल संख्या 24892 है ।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिखाए गए कुल कर्मचारियों में से 2256 कर्मचारी अनुसूचित जाति और 54 कर्मचारी अनुसूचित अनजाति के हैं ।

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित पद्धति के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न भर्ती अभिकरणों द्वारा कर्यवाही की जा रही है ।

नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली नगर निगम में इंजीनियरी/अधीनस्थ अधिकारी

5736. श्री भीखा भाई : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका/दिल्ली नगर निगम में इंजीनियरों/अधीनस्थ अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संगठन-वार कुल प्रतिशतता क्या है; और

(ग) सरकार ने अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों के रिक्तियों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में जमीन का अनधिकृत कब्जा

5737. श्री सूरज भान :

श्री राम प्रसाद अहिरवार :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जा रहा है;

(ख) अनधिकृत कब्जा करने वालों द्वारा भूमि को किस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है;

(ग) सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने का तरीका क्या रहा और आगे और अधिक गैर-कानूनी तथा अनधिकृत कब्जों को रोकने तथा पहले से कब्जे वाली जमीन को खाली कराने के लिए इस अवधि में क्या प्रभावी कदम उठाए गए; और

(घ) एक वर्ष में बनने वाली अनधिकृत कालोनियों के नाम क्या हैं और उनमें राशन की दुकानें, डाकघर, सड़कें बनाना, पार्क, आदि की क्या सुविधाएं दी गई तथा प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ए० एस० आर० बी० के विरुद्ध अभ्यावेदन

5738. श्री रशीद मसूद : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को फरवरी, 1981 से ए० एस० आर० बी० के विरुद्ध वैज्ञानिकों के कितने अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) फरवरी, 1981 से कृषि वैज्ञानिक भर्ती मंडल के विरुद्ध वैज्ञानिकों के कुल 43 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इन में 11 अभ्यावेदन वे हैं जो वैज्ञानिकों के चयन के खिलाफ हैं और 32 अभ्यावेदन कृषि अनुसंधान सेवा नियम 19 के अंतर्गत वैज्ञानिकों की कि गई जांच के खिलाफ हैं ।

(ख) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन सभी अभ्यावेदनों की जांच की गई थी । कृषि वैज्ञानिक भर्ती मंडल की सिफारिशों में हस्तक्षेप करने के लिए इन मामलों में कोई औचित्य नहीं पाया गया था जो यू० पी० एस० सी० के प्रतिमान पर स्वतन्त्र रूप से कार्य करता है ।

सम्पत समिति योजना के अधीन प्रोत्साहनों के लिए 1 मार्च, 1982 को चीनी कारखानों के सम्बित दावे

6739. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चीनी कारखानों के नाम क्या हैं जिनके सम्पत समिति योजना के अधीन प्रोत्साहनों के लिए दावे 1 मार्च 1982 को निपटाये जाने थे तथा दावे पेश किये जाने की (वर्ष-वार तथा कारखाना-वार) तारीखें क्या हैं;

(ख) लम्बित मामलों को तेजी से निपटाने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने हैं;

(ग) प्रत्येक दावा लगभग किस तारीख तक निपटाया जायेगा; और

(घ) दावों को निपटाने में ऐसे अत्याधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमरी : (क) फैक्ट्रियों के नाम जिनके सम्पत समिति प्रोत्साहन योजना के अधीन प्रोत्साहन के दावे पहली मार्च, 1982 को अभी तक लम्बित पड़े हैं और दावों की प्राप्ति की तारीख (वर्ष-वार और फैक्ट्रीवार) बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) उन नई फैक्ट्रियों के लम्बित दावों के बारे में जिन्होंने योजना की अपेक्षाएं पूरी कर दी हैं, अनन्तिम मूल्यांकन किया जा चुका है और उन्हें काफी जल्दी प्रोत्साहन के फायदे उठाने की अनुमति दी गई है। जहां तक विस्तार सम्बन्धी लम्बित दावों का सम्बन्ध है, स्थल पर जांच करने और नई परियोजनाओं की तुलना में उनके दावों को अन्तिम रूप देने में अग्रता दी जा रही है ताकि वे प्रोत्साहन के लाभों को यथा शीघ्र प्राप्त कर सकें।

(ग) यदि सम्बन्धित फैक्ट्रियों द्वारा सारी सूचना प्रस्तुत कर दी जाती है तो विस्तार परियोजनाओं के लम्बित दावों को 6-8 महीनों की अवधि के अन्दर अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है। जहां तक नई चीनी फैक्ट्रियों के लम्बित दावों का सम्बन्ध है, यदि फैक्ट्रियां सरकार द्वारा अपेक्षित पूरी सूचना प्रस्तुत कर देती हैं तो इन दावों को डेढ़ वर्ष के अन्दर अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है।

(घ) इसमें विलम्ब होने का मुख्य कारण अत्यधिक संख्या में पिछले मामलों का होना था जो कि पिछली (सम्पत समिति) योजना की अवधि से सम्बन्धित थे, जिस अवधि में प्रोत्साहन योजना लागू नहीं थी और संशोधित योजना के अधीन प्रोत्साहन की पात्र फैक्ट्रियों के बहुत अधिक संख्या में नए दावों का प्राप्त होना था।

विवरण

चीनी फैक्ट्रियों के नाम जिन्होंने सम्पत समिति प्रोत्साहन योजना के अधीन नये यूनिटों और विस्तार के लिए अपने दावे प्रस्तुत किए हैं जो कि पहली मार्च, 1982 को लम्बित पड़े हैं और उनके दावों की प्राप्ति की तारीख बताने वाला विवरण।

क्रम सं०	फैक्टरी का नाम	दावा प्राप्ति की तारीख	वर्ष
1		2	3
	नई फैक्टरियां		
1.	गंगावती (कर्नाटक)	23-12-76	1976-77
2.	करनाल (हरियाणा)	19-10-77	1977-78
3.	सोनीपत	10-11-77	1977-78

1	2	3
4. भीमासिमी (आन्ध्र प्रदेश)	19-12-77	1977-78
5. कछार (असम)	16-2-78	1977-78
6. मिरयालगुडा (आन्ध्र प्रदेश)	13-6-78	1977-78
7. टलाला (गुजरात)	26-4-79	1978-79
8. नंदगंज (उत्तर प्रदेश)	8-5-79	1978-79
9. सयान (गुजरात)	14-5-79	1978-79
10. चांदपुर (उत्तर प्रदेश)	11-6-79	1978-79
11. मुला (महाराष्ट्र)	18-7-79	1978-79
12. बिलासपुर (उत्तर प्रदेश)	18-7-79	1978-79
13. मेंवराई (महाराष्ट्र)	16-10-79	1979-80
14. बिलासपुर (उत्तर प्रदेश)	5-12-79	1979-80
15. गांधीगलाज (महाराष्ट्र)	18-1-80	1979-80
16. केडा (महाराष्ट्र)	19-1-80	1979-80
17. नंदगंज (दरियापुर) (उत्तर प्रदेश)	5-2-80	1979-80
18. वेंकटेश्वरा (आन्ध्र प्रदेश)	27-2-80	1979-80
19. रायबाग (कर्नाटक)	10-3-80	1979-80
20. वलसाद (गुजरात)	8-4-80	1979-80
21. गुरसाले (महाराष्ट्र)	22-5-80	1979-80
22. हिन्दुपुर (कर्नाटक)	5-7-80	1979-80
23. बदायूं (उत्तर प्रदेश)	22-7-80	1979-80
24. रमाला (उत्तर प्रदेश)	28-7-80	1979-80
25. भद्रा (कर्नाटक)	2-12-80	1980-81
26. कदवा (महाराष्ट्र)	6-12-80	1980-81
27. ननौटा (उत्तर प्रदेश)	19-12-80	1980-81
28. गुरदासपुर (पंजाब)	20-12-80	1980-81
29. भोगवती (महाराष्ट्र)	16-1-81	1980-81
30. महुआ (गुजरात)	21-1-81	1980-81
31. संत इकनाथ (महाराष्ट्र)	24-1-81	1980-81

1		2	3
32.	मालवा (बरलाई) (म० प्र०)	30-1-81	1980-81
33.	पथरी (महाराष्ट्र)	3-2-81	1980-81
34.	उलुन्दुरपेट (तमिलनाडु)	6-2-81	1980-81
35.	कागल (महाराष्ट्र)	17-2-81	1980-81
36.	कोवूर (महाराष्ट्र)	23-2-81	1980-81
37.	भीमा (महाराष्ट्र)	24-2-81	1980-81
38.	गोकाक (कर्नाटक)	26-2-81	1980-81
39.	चुनचंकाटे (कर्नाटक)	27-4-81	1980-81
40.	विलराया (उत्तर प्रदेश)	5-5-81	1980-81
41.	जीरा (पंजाब)	30-6-81	1980-81
42.	पूर्णा (महाराष्ट्र)	11-9-81	1980-81
43.	भीमा (महोल) (महाराष्ट्र)	21-10-81	1981-82
44	गोदावरी मनार (महाराष्ट्र)	7-11-81	1981-82
45.	टिलहर (उत्तर प्रदेश)	22-1-82	1981-82
46.	नन्दयाल (आन्ध्र प्रदेश)	11-2-82	1981-82
47.	करीमनगर (आन्ध्र प्रदेश)	18-2-82	1981-82
	विस्तार परियोजना		
48.	उगार (कर्नाटक)	8-3-77	1976-77
49.	एरा (उत्तर प्रदेश)	13-6-77	1976-77
50.	चोदावरम	25-9-78	1977-78
51.	समीरवाड़ी (कर्नाटक)	3-1-79	1978-79
52.	सालेम (तमिलनाडु)	7-3-79	1978-79
53.	अकलूज (महाराष्ट्र)।	24-4-79	1978-79
54.	अलनागनालूर (तमिलनाडु)	5-6-79	1978-79
55.	वय्युरू (आन्ध्र प्रदेश)	29-10-79	1979-80
56.	माधी (गुजरात)	20-5-80	1979-80
57.	बिद्री (महाराष्ट्र)	18-9-80	1980-81
58.	मोदीनगर (उत्तर प्रदेश)	3-11-80	1980-81
59.	शिरोल (महाराष्ट्र)	10-2-81	1980-81
60.	बलरामपुर (उत्तर प्रदेश)	12-8-81	1980-81

1		2	3
61.	विरनग्राकेशी (कर्नाटक)	13-8-81	1980-81
62.	संजीवनी (महाराष्ट्र)	18-8-81	1980-81
63.	विरदोली (गुजरा) दूसरा विस्तार	12-10-81	1981-82
64.	शंकर (महाराष्ट्र)	15-10-81	1981-82
65.	मवाना (उत्तर प्रदेश)	19-10-81	1981-82
66.	सरसवा (उत्तर प्रदेश)	3-11-81	1981-82
67.	दौराला (उत्तर प्रदेश)	11-12-81	1981-82
68.	खतौली (उत्तर प्रदेश)	1-2-82	1981-82
69.	कैप्टैनगंज (उत्तर प्रदेश)	20-2-82	1981-82

नोट :—उपयुक्त के अलावा, तीन अन्तिम प्रमाण-पत्र मार्च, 1982 में जारी किए गए थे—दो नई चीनी फैक्ट्रियों (कर्नाटक में कोल्लेगल और उत्तर प्रदेश में छाता) और एक विस्तार परियोजना (हरियाणा में यमुनानगर) के लिए जारी किए गए थे। अतः पहली मार्च, 1982 को 72 दावे लम्बित पड़े थे।

गुड़ का मूल्य और निर्यात

5740. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**

श्री गुलाम मोहम्मद खाँ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुड़ के मूल्य में भारी कमी के कारण किसानों को बहुत ही कम मूल्य पर गुड़ और गन्ने की बिक्री करनी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में उनका वर्तमान मूल्य क्या है;

(ग) क्या किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए गुड़ का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) व्यस्ततम पिराई अवधि के दौरान गुड़ के मूल्यों में मौसमी गिरावट आती है। अन्य बातों के अलावा गुड़ के मूल्य गन्ने की उपलब्धता और चीनी उद्योग की उसे खपाने की क्षमता से प्रभावित होते हैं। गुड़ क्षेत्र को पिराई के लिए अधिकतम गन्ना लेकर चीनी फैक्ट्रियों द्वारा परोक्ष समर्थन प्राप्त होना चाहिए जिससे गुड़ के उत्पादन पर दबाव कम हो सके।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) 31-3-1982 तक 15,000 मीटरी टन की सीमा के अन्दर-अन्दर गुड़ का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

चुनींदा क्षेत्र में गुड़ के मास अन्त के थोक मूल्य विवरण

राज्य/केन्द्र	किस्म	वर्ष	अक्तू०	नव०	दिस०	जन०	फर०	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग०	सित०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
आन्ध्र प्रदेश-II	सीट	1981-82	220	209	195	170	135	135						
अनकापल्ली		1980-81	280	295	233	256	250	295	340	350	336	280	255	290
		1979-80	180	240	218	199	229	202	240	280	320	336	372	411
असम	उ० प्र०	1981-82	400	320	270	250	225	250						
गोहाटी		1980-81	450	365	360	330	340	355	435	420	400	390	440	400
		1979-80	280	235	280	250	310	290	330	375	400	510	540	665
बिहार	ए-2	1981-82	330	240	250	230	210	220						
पटना		1980-81	360	290	270	305	335	290	310	380	380	310	300	320
		1979-80	220	215	265	250	275	280	270	305	300	325	315	350
गुजरात	चाकू	1981-82	NR	310	320	315	315	305						
अहमदाबाद		1980-81	NR	330	295	340	335	375	435	365	390	385	380	340
		1979-80	260	240	230	235	290	275	285	340	425	490	485	600
कर्नाटक	स्थानीय	1981-82	250	260	295	270	230	260						
बंगलोर		1980-81	455	450	390	380	350	380	400	400	410	400	360	330
		1979-80	280	370	270	300	330	330	340	370	400	430	420	440
केरल	थिरूपथूर	1981-82	280	240	240	230	210	180						
कोचीन		1980-81	430	440	355	355	360	350	395	410	350	300	325	280
		1979-80	265	300	265	260	300	275	280	330	360	435	375	430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
महाराष्ट्र	नं० 2	1981-82	290	295	225	225	205	190						
अहमदनगर		1980-81	285	325	305	295	305	335	430	385	380	375	320	345
		1979-80	229	248	230	245	295	272	290	335	380	445	425	485
23 अथवा नवीनतम उपलब्ध														
मध्य प्रदेश	देशी	1981-82	320	320	290	280	275	280						
भोपाल		1980-81	350	300	310	365	335	360	400	400	350	350	340	320
		1979-80	205	250	280	235	280	270	270	325	380	445	435	480
उड़ीसा	अनकापल्ली	1981-82	375	320	335	300	260	260						
कटक		1980-81	480	425	415	395	380	NR सू०न०	450	375	460	460	430	378
		1979-80	252	255	240	270	308	335	330	336	400	400	425	440
राजस्थान	—	1981-82	255	245	215	212	180	175						
जयपुर		1980-81	340	270	250	285	275	320	325	335	330	335	290	285
		1979-80	205	205	225	210	250	225	245	275	340	410	360	480
पंजाब	देशी	1981-82	270	250	215	290	200	220						
जालन्धर		1980-81	300	300	270	300	320	375	400	380	375	350	380	365
		1979-80	180	220	230	215	260	265	325	350	350	485	480	600
तमिलनाडु	II सार्ट	1981-82	200	160	165	160	135	125						
वैल्लोर		1980-81	330	340	265	285	258	270	315	280	235	300	240	320
		1979-80	220	230	235	235	255	235	230	265	315	415	310	350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
उत्तर प्रदेश	फटवा नं० 1	1981-82	220	200	190	165	150	145						
हापुड़		1980-81	240	NR सू० नं०	255	250	240	285	340	NR	335	275	270	250
		1979-80	175	200	175	182	230	195	275	NR सू० नं०	330	400	380	490
23 अथवा नवीनतम उपलब्ध														
उत्तर प्रदेश (जारी)	चाकू	1981-82	210	200	195	185	165	165						
मुजफ्फरनगर		1980-81	295	258	240	280	275	370	345	310	333	300	310	310
		1979-80	150	190	183	185	240	215	280	305	340	485	490	670
पश्चिमी बंगाल	भैली	1981-82	350	320	360	290	280	280						
कलकत्ता		1980-81	550	300	335	315	290	365	420	370	380	360	380	370
		1979-80	275	230	235	220	290	220	290	340	400	460	460	565
दिल्ली	डाईसेरा	1981-82	295	260	240	230	210	280						
दिल्ली		1980-81	325	280	275	310	275	350	370	355	345	340	335	335
		1979-80	215	215	220	205	260	240	290	310	375	470	450	680

सू० नं०—सूचित नहीं किया

विषय : ऊना में सवां नदी के साथ-साथ चैनल बनाना तथा भू-संरक्षण

5741. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सवां नदी (सोम-भद्र) के साथ-साथ चैनल बनाने तथा भू-संरक्षण की कोई योजना विश्व बैंक के साथ बातचीत के लिए हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो योजना कब प्राप्त हुई थी और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है और क्या योजना विश्व बैंक को प्रेषित कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो योजना विश्व बैंक को कब भेजी जायेगी और इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) विश्व बैंक से सहायता मांगने के लिए कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

विषय : मात्स्यिकी विकास एजेंसियां

5742. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में देश में राज्य-वार कितनी मात्स्यिकी विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश के लिए भी इस प्रकार की एजेंसी मंजूर की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसे किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा और इसके द्वारा किस तारीख से काम आरम्भ किया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्र के तहत अब तक 106 मछली पालक विकास एजेंसियां मंजूर की गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित की गई एजेंसियों की संख्या नीचे दी गई है :—

1. असम	—	2
2. बिहार	—	16
3. गुजरात	—	1
4. हरियाणा	—	1
5. हिमाचल प्रदेश	—	1
6. मध्य प्रदेश	—	4
7. महाराष्ट्र	—	1

8. मणिपुर	—	1
9. नागालैंड	—	1
10. उड़ीसा	—	3
11. पंजाब	—	1
12. जम्मू तथा कश्मीर	—	1
13. तमिलनाडु	—	1
14. त्रिपुरा	—	2
15. उत्तर प्रदेश	—	14
16. पश्चिम बंगाल	—	6

(ख) जी, हां।

(ग) मछली पालक विकास एजेंसी की स्थापना 1982-83 के दौरान किए जाने की संभावना है जिसका मुख्यालय ऊना में होगा।

मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत और अधिक वस्तुएं लाना

5743. श्री अनन्त रामुलु मल्लू : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत कुछ और अधिक वस्तुएं लाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं। जहां तक आवश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है ऐसा नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश से अनुमोदन के लिए सिंचाई योजनाएं

5744. श्री अनन्त रामुलु मल्लू : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य ने अपनी नई सिंचाई योजनाओं के लिए वर्ष 1980-81 के दौरान वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश राज्य द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भेजी गई इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य ने 1980-81 के दौरान अपनी नई सिंचाई स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता की मांग नहीं की थी।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दिल्ली में आवास के बारे में अध्ययन दल

5745. **श्री भीकू राम जैन :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और भूमि के अधिक मूल्यों को देखते हुए, सरकार का विचार इस मामले पर विचार करने और कार्यान्वयन के लिए सुझाव देने हेतु एक अध्ययन दल गठित करने का है;

(ख) क्या सरकार इस चुनौती का सामना करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों पर भी विचार करेगी;

(ग) क्या यह भी विचार किया गया है कि विकास कार्यक्रम का कार्य स्वैच्छिक एजेंसियों को सौंपा जाए; और

(घ) राजधानी में विविध प्रकार की सामाजिक, नागरिक, आर्थिक और समुदाय सम्बन्ध गतिविधियों का पर्याप्त रूप से सामना करने से लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कारगर उपाय करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली में भूमि के मूल्यों में वृद्धि विभिन्न घटकों के कारण है, जैसे कि सामान्य स्फीति प्रवृत्ति तथा खरीदने के लिए बढ़ती हुई मांग की तुलना में भूमि की कमी जो कि जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप है।

सरकार सिफारिशों की जांच कर रही है। सरकार राजधानी में सहकारी सामूहिक आवास समितियों को पूर्व निर्धारित दरों पर भूमि दे कर गृह निर्माण के सहकारिता आन्दोलन को भी प्रोत्साहित करेगी। तथापि इन समस्याओं की जांच करने के लिए कोई विशेष अध्ययन दल गठित करने का प्रस्ताव नहीं है।

विषय : पंजाब में कपास पर कीटनाशी दवाइयां छिड़कने के लिए हैलीकाप्टरों की कमी

5746. **श्री लहना सिंह तुर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कीटनाशी दवाइयां छिड़कने के लिए हैलीकाप्टरों की कमी के कारण पंजाब में कपास के उत्पादन पर गम्भीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि जहां 1972 में विमानों से 2.47 लाख हेक्टार भूमि पर छिड़काव किया गया था, वहां वर्ष 1981 में आंकड़े घट कर 94,000 हेक्टार रह गये हैं; और

(ग) क्या सरकार यह सख्त जरूरत पूरी करने और कपास तथा गेहूं की फसलों के पूरे उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए विमानों द्वारा छिड़काव के लिए हैलीकाप्टर उपलब्ध करायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) पंजाब में वर्ष 1980-81 में वर्ष 1979-80 की तुलना में कपास के उत्पादन में मामूली कमी आई। तथापि, इसे हवाई छिड़काव के जरिए कम क्षेत्र में छिड़काव किए जाने से सीधे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

(ख) जी हां।

(ग) भारत सरकार ने पंजाब सरकार को कपास की फसल पर छिड़काव के लिए उतने हैलीकाप्टर प्रदान किये थे, जितने की 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान उनके द्वारा मांग की गई थी। गेहूं की फसल पर छिड़काव के लिए हैलीकाप्टरों की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

विषय : "फैलारिस माइनर" रोग का फैलना

5747. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "फैलारिस माइनर" (गुल्ली डंडा) रोग के फैलने का पता है जिससे पंजाब में लगभग 25 प्रतिशत गेहूं के खेतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस गंभीर समस्या पर विचार किया है और इसके कोई उपचार निकाले हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस रोग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त और समय पर खरपतवारनाशी औषधियों के आयात को सुनिश्चित करेगी और इन्हें किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करायेगी और इन खरपतवार औषधियों पर सीमा शुल्क लगाना समाप्त करेगी; और

(घ) क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को निदेश देगी कि वह उपचारात्मक कार्य शीघ्र करे जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि इस उदासीनता से गेहूं का आयात करना आवश्यक न हो जाए जिससे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की असफलता के कारण गत 20 वर्षों में करनाल बंट द्वारा गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुका है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान। गेहूं की फसल में फैलारिस माइनर (गुल्ली डंडा) के प्रकोप के बारे में सरकार को जानकारी है। पंजाब में खरपतवार वनस्पति पर किए गए एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि गेहूं की फसल से सम्बन्धित प्रमुख खरपतवार फैलारिस माइनर तथा जंगली जई हैं। यह भी अनुमान लगाया गया है कि पंजाब में सस्यगत क्षेत्र का करीब 25 प्रतिशत क्षेत्र इन दो खरपतवारों से ग्रसित है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् 1978 से ही खरपतवार नियन्त्रण पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रयोजना को कार्यान्वित कर रही है जो कि देश के विभिन्न भागों में स्थित 13 केन्द्रों में चालू है। इन केन्द्रों में से एक केन्द्र पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में स्थित है। खेत में किए गए अध्ययनों से यह पता चला है कि अधिक मात्रा में बीज देने से फैलारिस माइनर को काफी हद तक रोका गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार प्रायोजना के विज्ञानियों ने फैलारिस माइनर तथा जंगली जई के नियंत्रण पर व्यापक रूप में परीक्षण किए हैं तथा पिछले 7 वर्षों से इन खरपतवारों के नियन्त्रण के लिए सिफारिश करते आ रहे हैं। खरपतवार नाशी जैसे ट्रिब्यूनिल, डोसानेक्स, टोलकन, ग्रामनीनन, ऐरियोलोन इन खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए काफी कारगार पाये गये हैं।

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अपेक्षित खरपतवारनाशी के आयात के लिए व्यवस्था की गई थी तथा उसे संबंधित राज्यों को ठीक समय पर पहुंचा दिया गया था।

इन खरपतवार नाशियों की लागत पर 25 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता दी जाती है तथा यह आर्थिक सहायता सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 के आधार पर दी जाती है।

(घ) जैसा कि उपरोक्त (ख) में पहले ही कहा गया है उपयुक्त खरपतवार नियन्त्रण प्रणाली को विकसित करने के लिए अनुसंधान अध्ययनों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रभावशाली ढंग से कृषि विश्वविद्यालय में अनुशीलन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सिर्फ नियन्त्रण उपाय की, जैसा कि आजकल है, सिफारिश की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा फैलारिस माइनर तथा जंगाली जई के नियन्त्रण के लिए सिफारिश किए गए रसायन काफी कारगर साबित हुए हैं।

गेहूं के करनाल बंट रोग के सम्बन्ध में, पिछले 20 वर्षों से यह बीमारी गम्भीर नहीं रही है। हालांकि करनाल में 1931 में इसे पहली बार देखा गया था और यह वर्ष 1968-69 तक कोई महत्वपूर्ण बीमारी नहीं थी, जो कभी-कभी अलग-अलग प्लाटों में दिखाई देती थी। तथापि 1975 से उसका प्रकोप विशेषकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बढ़ना शुरू हुआ। अनुसंधान कार्य के माध्यम से यह प्रमाणित किया गया कि यह रोग बीज से, मृदा से तथा वायु से भी उत्पन्न होता है। अतः सन्तोषप्रद ढंग से रासायनिक तथा कल्चरल नियन्त्रण संभव नहीं है। इस समय इस रोग के नियन्त्रण के लिए एकमात्र तथा बढ़िया हल यह है कि गेहूं की सहिष्णु या रोग रोधी किस्में प्रयोग में लाई जायं जिसके लिए समय की आवश्यकता होती है। विज्ञानियों ने इसे पहले ही पहचान लिया है तथा कुछ किस्मों की सिफारिश की है जिन पर क्षेत्र स्थितियों के अन्तर्गत इस रोग का बहुत कम प्रकोप होता है। अधिक रोग रोधी किस्मों की छंटाई हेतु बेहतर तकनीकों को विकसित करने हेतु अनुसंधान कार्य को तेज किया गया है। इस रोग के प्रकोप पर लगातार प्रभावशाली ढंग से प्रबोधन किया जा रहा है तथा निगरानी रखी जा रही है।

विषय : गेहूं के मूल्य का निर्धारण

5748. श्री लहना सिंह तुर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपयुक्त समय पर वर्ष 1981-82 की गेहूं की फसल के लाभप्रद वसूली मूल्य की शीघ्र घोषणा हेतु पंजाब राज्य से कोई प्रस्ताव मिले हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है;

(ख) क्या मूल्य निर्धारित करते हुए सरकार आदानों की अधिक लागत सहित निर्मित वस्तुओं और धान के मूल्यों के बारे में समानता पर विचार करेगी; और

(ग) क्या सरकार उर्वरकों के मामले में समान बिक्री कर की नीति तथा इन्हें केन्द्रीय बिक्री कर की लेवी से छूट देने पर भी विचार करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1981-82 के लिग गेहूं की मूल्य नीति के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट पंजाब सरकार को उनकी टिप्पणी के लिए भेजी गई थी जो प्राप्त हो गई है। गेहूं के लाभप्रद अधिप्राप्ति मूल्यों को निर्धारित करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ख) अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करते समय सरकार आदानों की लागत और विनिर्मित माल और अन्य कृषि जिंसों के बीच मूल्य सम्बन्धों सहित समस्त सम्बन्धित कारकों पर भी विचार करेगी।

(ग) राज्य में माल के विक्रय या क्रय पर कर की लेवी लगाना राज्य का विषय है। माल की अन्तः राज्यीय बिक्री पर लगाए जाने वाले केन्द्रीय बिक्री कर का प्रशासन भी कानून द्वारा राज्य की बिक्री कर प्राधिकारियों को सौंपा गया है। केन्द्रीय बिक्री कर से प्राप्त राजस्व भी राज्यों को दिया जाता है और केवल राज्य सरकारें ही इसमें छूट देने या कमी करने के लिए सक्षम है, यदि वे यह समझे कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की क्रियान्वित

5749. श्री रामावतार शास्त्री : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई राशि को कुछ सरकारों द्वारा कुछ अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और सरकार द्वारा इस पद्धति पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ऐसे कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यकारी अधिकारी

5750. **श्री तारिक अनवर :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यकारी अभियंताओं की कुल संख्या क्या है;

(ख) इन पदों पर वास्तव में नियुक्त (नियमित तथा तदर्थ आधार पर पृथक-पृथक) अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ग) कितने पद अवकाश हेतु (लीव रिजर्व) रखे गए हैं; और

(घ) इनमें से कितने पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे और कितने पद विभागीय उम्मीदवारों (डिग्रीधारी तथा डिपलोमाधारियों) द्वारा भरे जाएंगे ?

निर्माण और आवासमंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 367.

(ख) नियमित	130
तदर्थ	237

(ग) तथा (घ) कोई छुट्टी आरक्षित पद नहीं है, इसलिए सीधे भर्ती और विभागीय उम्मीदवारों के बीच ऐसे पदों को विभाजित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यकारी अभियंताओं के रिक्त पद

5751. **श्री तारिक अनवर :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्भाण विभाग में बड़ी संख्या में कार्यकारी अभियन्ताओं के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदों की संख्या क्या है;

(ग) इन पदों को अब तक न भरे जाने के (पद-वार) कारण क्या हैं;

(घ) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) इन पदों के कब तक भरने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। इस समय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य पालक इंजीनियर के पदों में से केवल 18 खाली पड़े हुए हैं।

(ग) ये पद हाल ही में रिक्त हुए हैं।

(घ) तथा (ङ) इन खाली पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों का चयन पहले ही किया जा चुका है, जो जल्दी ही भरे जायेंगे।

जल सप्लाई की समस्यायें

5752. श्री सुधीर कुमार गिरि :

श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में जल सप्लाई की समस्याओं के मूल्यांकन के लिए कोई सर्वेक्षण किया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भारत के 25 प्रतिशत ग्रामों के पास एक मील के अन्दर पानी नहीं है अथवा सतह ही के 50 फीट के अन्तर्गत जल नहीं है अथवा विद्यमान जल दूषित है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) वर्ष 1971-72 के दौरान देश भर में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, देश में पीने के पानी के स्वच्छ एवं आश्वासित स्रोत रहित कुल 1.52 लाख गांवों का पता लगाया गया था। तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों ने बाद में बताया कि पूर्व सर्वेक्षण से आंशिक रूप से समस्या के आकार का पर्याप्त रूप से पता नहीं चलता है क्योंकि बाद के वर्षों में सूखे की स्थिति से उन नए क्षेत्रों का पता चला जहां जल पूर्ति की अत्यधिक कमी की। राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 1-4-80 को, देश में 2.31 लाख गांव हैं जिसमें अग्रता के आधार पर जलपूर्ति की सुविधाएं मुहैया करने की आवश्यकता है।

(ख) इन गांवों का विभाजन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की सप्लाई को नए 20-सूत्री कार्यक्रम (सूत्र संख्या 8) में शामिल किया गया है। छठी योजना के दौरान, स्वच्छ पेय जल का कम से कम एक स्रोत जिसमें वर्ष भर जल उपलब्ध हो, सहित पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त गांवों में पीने का पानी मुहैया करने के प्रयास किए जाएंगे।

विवरण

ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

31 मार्च, 1980 तक पता लगाए गए उन समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या जिनमें जलपूर्ति की व्यवस्था की जानी है।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या
1		2
1.	आन्ध्र प्रदेश	8,206
2.	असम	15,743

1	2
3. बिहार	15,194
4. गुजरात	5,318
5. हरियाणा	3,440
6. हिमाचल प्रदेश	7,815
7. जम्मू तथा कश्मीर	4,698
8. कर्नाटक	15,456
9. केरल	1,158
10. मध्य प्रदेश	24,944
11. महाराष्ट्र	12,935
12. मणिपुर	1,212
13. मेघालय	8,927
14. नागालैण्ड	649
15. उड़ीसा	23,616
16. पंजाब	1,767
17. राजस्थान	19,803
18. सिक्किम	296
19. तमिलनाडु	6,649
20. त्रिपुरा	2,800
21. उत्तर प्रदेश	28,505
22. पश्चिम बंगाल	25,843
23. अण्डमान, निकोबार द्वीपसमूह	173
24. अरुणाचल प्रदेश	1,740
25. चण्डीगढ़	शून्य
26. दिल्ली	99
27. दादर, तथा नागर हवेली	—
28. गोआ, दमण तथा दीव	66
29. लक्ष द्वीप	—
30. मिजोरम	214
31. पांडिचेरी	118
जोड़	2,30,784

भूमि की अधिकतम सीमा

5753. श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में इस समय विद्यमान भूमि की अधिकतम सीमा कितनी-कितनी है; और

(ख) राज्यों में, राज्यवार, भूमिहीन लोगों की कुल संख्या कितनी है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य का नाम	भूमि की अधिकतम सीमा	1974-75 में भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों की अनुमानित संख्या (हजार में)†
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	10 से 54 एकड़	1624
असम	50 बीघा (16-2/3) एकड़	125
बिहार	15 से 45 एकड़	1238
गुजरात	10 से 54 एकड़	497
हरियाणा	7.25 हेक्टेयर से 21.8 हेक्टेयर	104
हिमाचल प्रदेश	10 से 70 एकड़	2
जम्मू तथा काश्मीर	8-13/14 से 22-8/11 एकड़	4
कर्नाटक	10 से 54 एकड़	667
केरल	12 से 15 एकड़	118
मध्य प्रदेश	18 से 54 एकड़	625
महाराष्ट्र	18 से 54 एकड़	1030
मणिपुर	5 से 6 हेक्टेयर	1
मेघालय	—	4
उड़ीसा	10 से 45 एकड़	467
पंजाब	7 से 21.8 हेक्टेयर	348
राजस्थान	18 से 17.5 एकड़	84
सिक्किम	12.5 से 50 एकड़	अप्राप्य
तमिलनाडु	12 से 60 एकड़	1530
त्रिपुरा	4 से 12 हेक्टेयर	18
उत्तर प्रदेश	7.30 से 18.25 हेक्टेयर	1035
पश्चिम बंगाल	5 से 7 हेक्टेयर	889
		10510

†स्रोत: ग्रामीण श्रमिक जांच 1974-75

ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए योजनाएं

5754. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए आरम्भ की गई योजनाओं का क्या ब्यौरा है;

(ख) योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामीण वैज्ञानिक केन्द्र खोले गए है; और उन पर केन्द्र सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया है; और

(ग) उनकी क्या उपलब्धियां हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण पुनर्निर्माण के प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

छठी योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपदानों और संस्थागत ऋण का प्रावधान करके प्रत्येक खण्ड में लघु/सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों आदि के लक्षित वर्ग से सम्बन्धित परिवारों के कम से कम 3,000 परिवारों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य है जिससे वे सक्षम आर्थिक गतिविधियां आरम्भ कर सकेंगे। छोटे किसानों के लिए उपदान की पर परियोजना की पूंजी लागत की 25 प्रतिशत और सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों आदि के लिए 33-1/3 प्रतिशत है जो अधिक से अधिक 3000 रुपये तक किया जा सकता है। आदिवासियों के लिए उपदान की दर 50 प्रतिशत है जो कि अधिकतम 5,000 रुपये होगी। कम से कम 30 प्रतिशत लाभभोगी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से लिए जाने हैं और इन वर्गों को कुल लाभों का कम से कम 30 प्रतिशत भाग ऋण और उपदान के रूप में दिया जाना है ; समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर व्यय केन्द्र तथा राज्य द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने अक्तूबर, 1980 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान ले लिया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित करना और उसके द्वारा स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजार्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। परिव्यय का 10 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सामाजार्थिक जीवन को सीधे प्रभावित करने वाली परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है। राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को आबंटन संबंधित राज्य में कृषि श्रमिकों और सीमान्त किसानों की जनसंख्या पर 75 प्रतिशत बल तथा गरीबी के प्रभाव पर 25 प्रतिशत बल देते हुए किया जाता है। 1-4-1981 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर व्यय केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर.बराबर के आधार पर वहन किया जाता है।

(3) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :—

(1) सिंचाई संसाधनों का विकास और प्रबन्ध;

(2) भूमि तथा जल संरक्षण और वनरोपण;

(3) फसल पद्धति की पुनर्संरचना तथा चरागाह विकास;

(4) शुष्क भूमि पर खेती की तकनीकों को लोकप्रिय बनाना;

(5) पशुधन विकास; और

(6) छोटे तथा सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों आदि का विकास सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को देश के 73 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इस योजना पर व्यय केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है।

(4) मरुभूमि विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्म तथा ठंडे, दोनों तरह के रेगिस्तानी क्षेत्रों का भौतिक, मानवीय तथा पशुधन संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने के माध्यम से उत्पादकता, आय स्तर तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके समन्वित विकास करना है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पित मुख्य गतिविधियां वनरोपण, चरागाह विकास, भू-जल विकास, जल-संचयन हेतु ढांचों का निर्माण, पम्प सैटों के लिए ग्रामीण विद्युतिकरण, कृषि बागवानी और पशुपालन के विकास से संम्बन्धित हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के 21 जिले आते हैं। मरूभूमि विकास कार्यक्रम पर व्यय केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत कोई भी ग्रामीण वैज्ञानिक केन्द्र नहीं खोला गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई क्षमता के विकास और उपयोग में अन्तर

5755. श्री के० टी० कोसलराम : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई क्षमता के विकास और उपयोग में कितना अन्तर है; और

(ख) इस समय सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सिंचाई क्षमता के विकास तथा उपयोग के बीच 4.3 मिलियन हैक्टेयर का अन्तर है।

फसल तथा मौसम की निगरानी रखने वाला दल

5756 : श्री के० टी० कोसलराम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुकूल क्षेत्रों में समय के अनुसार फसल की पद्धति, फसल को बचाने की तकनीकी तथा क्षतिपूर्ति कार्यक्रमों के सम्बन्ध में किसानों को दी जा रही सलाह का स्वरूप क्या है;

(ख) कितने खण्डों में फसल और मौसम पर निगरानी रखने वाले समूहों की स्थापना की गई है; और

(ग) भूमि तथा जल उपयोग के आयोजन में राज्य भूमि उपयोग बोर्ड द्वारा दी जा रही सहायता का स्वरूप क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अनुकूल क्षेत्रों में समय के अनुसार फसल की पद्धति फसल को बचाने की तकनीक तथा क्षतिपूर्ति कार्यक्रमों के सम्बन्ध में किसानों को दी गई सलाह नीचे दी गई है :—

(1) समय के अनुसार फसल उगाना

समय के अनुसार फसल की पद्धति मौसम की परिस्थिति पर निर्भर करती है। यदि मानसून में विलम्ब हो जाय और धान की अथवा ज्वार की परम्परागत फसल बोने के लिए काफी विलम्ब हो जाय तो पर्ल माइलेट, मूंग, अरहर, सेम अथवा सूरजमुखी जैसी वैकल्पिक फसल पैदा की जा सकती है जो भूमि की नमी के स्तर पर निर्भर करती है। मध्यवर्ती मौसम के दौरान लम्बे समय से सूखा पड़ने। लगातार वर्षा होने के कारण खरीफ की फसल नष्ट होने की स्थिति में संभावित मौसम की स्थिति के मुताबिक उसके बदले में किसी अन्य फसल जो अपना समय चक्र पूरा कर सके, को उगाया जा सकता है।

उदाहरणार्थ, यदि ज्वार और बाजरे की फसल अगस्त अथवा सितम्बर के शुरू में नष्ट हो जाती है तो अरण्डी की फसल उगाई जा सकती है। यदि फसल मानसून के शीघ्र समाप्त होने के कारण खराब हो जाए तो खड़ी फसल का चारे आदि के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए और अक्तूबर/नवम्बर के महीनों में होने वाली वर्षा की सहायता से तोरिया, मसूर, जौ तिल, कुसुम आदि जैसी कम नमी वाली रबी की फसलें उगाने के लिए भूमि का उपयोग करने व्यवस्था की जाय। बीज, उर्वरकों, वनस्पति रक्षण सामग्री आदि के आपूर्ति कर्त्ताओं तथा कृषकों को आदानों का आनुसंगिक भण्डारण करने की सलाह दी जाती है।

परम्परागत रबी की फसल पैदा करने वाले क्षेत्रों में कृषकों को गेहूं के बजाए कम पानी की आवश्यकता वाली कुसुम तिल, चना, तोरिया और सरसों जैसी फसलें उगाने की सलाह दी जाती है, ताकि सस्यप्रतिस्थापन के अन्तर्गत अधिकतम क्षेत्र लाया जा सके।

(2) फसल बचाने की तकनीक

(I) कृषकों को सलाह दी जाती है कि वे भूमि की परत में अधिक से अधिक जल बनाए रखे और इसका मौसम के अनुसार अधिक से अधिक अवधि तक उपयोग करें और बहते हुए जल को उपयुक्त भण्डारण-ढांचों, जिनमें तालाब, रोपन बांध, नाला बांध आदि शामिल हैं, में इकठ्ठा करें ताकि लम्बी अवधि तक पड़ने वाले सूखे के दौरान फसलों के लिए महत्वपूर्ण सिंचाई की जा सके।

(II) नहर/नलकूप जल का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यथा सम्भव अधिकांश क्षेत्रों में सीमित सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए पानी ले जाने और उसकी वितरण प्रणाली में सुधार किया जाता है। खेतों की जलवाहिकाओं सहित वितरण प्रणाली में सुधार किया जाए और उन्हें ऐसा बनाय जाय जिससे जल का शीघ्र और प्रभावी निकास हो सके। विस्तार कर्मचारियों द्वारा फसलों के लिए छोटी रोध बेसिनों पंक्ति सिंचाई पद्धति; आदि सहित सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(3) अनुकूलतम क्षेत्रों में पूरक

कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं।

(1) उपज वृद्धि और उत्पादन कार्यक्रम में तेजी लाकर गंभीर रूप से प्रभावित हुए क्षेत्रों में फसल की हानि को पूरा करने की कोशिश करना;

(2) अधिक अनुकूल क्षेत्रों में जहां अच्छी वर्षा अथवा सिंचाई सुविधाएं हैं उत्पादन में वृद्धि करना;

(3) विशिष्ठ क्षेत्रों में दालों, चारा, रबी की मूंगफली अथवा रबी ज्वार आदि की मध्यवर्ती फसलें शुरू करके फसल की हानि को पूरा करना;

(4) सूखे के दौरान बिना बुबाई बाले क्षेत्रों में अल्पकालीन शरद अथवा ग्रीष्म कालीन फसलों की बुआई की जा सकती है।

(5) हर माह आनुसंगिक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं और पर्याप्त मृदा आद्रता पर निर्भर करते हुए उनको क्रियान्वयन किया जाता है।

(ख) केन्द्र में एक फसल मौसम निगरानी दल की स्थापना की गई है और राज्य सरकारों को केन्द्र और जिला स्तरों पर ऐसे दलों की स्थापना करने की सलाह दी गई है।

(ग) संबंधित राज्यों के लिए भू-उपयोग मण्डलों से सम्बन्धित सलाह के स्वरूप में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) राज्यों में विद्यमान भू-उपयोग की समीक्षा करना और उनकी क्षमता के अनुसार भूमि उपयोग के लिए की जाने वाली कार्यवाही का पता लगाना;

(2) (1) कमांड क्षेत्र में विकास परियोजनाओं, (2) स्रवण क्षेत्र विकास परियोजनाओं और (3) बागवानी खेती की तकनीकों का क्रियान्वयन; और

(3) उपयुक्त सस्य पद्धति अपनाकर सस्य/सिंचाई सघनता में वृद्धि करके भू-जल सम्बन्धी क्षमता को बढ़ाना।

चिन्नामुट्टम मत्स्य पत्तन परियोजना

5757. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु में चिन्नामुट्टम मत्स्य पत्तन परियोजना के लिए केन्द्रीय बजट में सांकेतिक प्रावधान कब किया गया था; और

(ख) इस परियोजना को पूरी करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) चिन्नामुट्टम मत्स्यन पत्तन परियोजना के लिए 1980-81 के केन्द्रीय बजट में 10 लाख रु० का प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि 1980-81 के दौरान परियोजना को स्वीकृत नहीं किया गया था।

(ख) 234 लाख रुपये की परियोजना प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति 23 फरवरी, 1982 को जारी की गई थी। 1981-82 के दौरान परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए केन्द्रीय योगदान के 50 प्रतिशत अर्थात् 21.92 लाख रुपये की राशि तमिलनाडु सरकार को उपलब्ध कराई गई है। अनुमान है कि परियोजना के पूरा होने में चार वर्ष लग जाएंगे।

मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता

5758. **श्री वी० आर० नहाटा :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करके इसे राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) इस औसत को राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए मध्य प्रदेश में और सिंचाई परियोजनाएं आबंटित करने में क्या बाधायें है और इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में सिंचाई का विकास; राज्य में बहने वाली बड़ी नदी, नर्मदा के जल के बंटवारे के बारे में अन्तर्राज्यिक विवादों के कारण, लगभग दो दशकों तक रुका रहा था। इस विवाद को हाल में हल कर लिया गया है। अब यह आशा है कि सिंचाई विकास की गति में काफी तेजी आएगी। मध्य प्रदेश में सिंचाई की प्रतिशतता, जो छठी योजना के आरम्भ में 10.4 थी, उसके छठी योजना के अन्त तक 18.7 तक पहुंच जाने की उम्मीद है।

पानी की टंकियों की सहायता के लिए कर्नाटक सरकार का अनुरोध

5759. **श्री के० मालन्ना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पानी की उन अनेक टंकियों के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता देने की मांग की है जो वर्ष 1980-81 के हाल की भारी वर्षा ऋतु में टूटी हुई देखी गई हैं;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य ने विशेषकर जन और सम्पत्ति को हुई अनुमानित हानि के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है; और

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य की मांग का ब्यौरा क्या है और इस स्थिति से निपटने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) कर्नाटक सरकार ने अक्तूबर तथा दिसम्बर, 1980 में ज्ञापन देकर केन्द्रीय सरकार को मांग भेजी है, जिसमें उन्होंने मई से अगस्त, 1980 के दौरान बाढ़ से प्रभावित लोगों के राहत तथा उनके पुनर्वास और बाढ़ों से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत तथा उसके पुनः स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है ।

(ख) कर्नाटक सरकार प्राप्त हुए ज्ञापन के अनुसार जीवन तथा सम्पत्ति की हुई क्षति की मात्रा नीचे दी गई है :—

(1) प्रभावित सस्यगत क्षेत्र	0.77 लाख हैक्टार
(2) प्रभावित जनसंख्या	3.38 लाख
(3) मृतक मनुष्यों की संख्या	11
(4) मृतक पशुओं की संख्या	359
(5) क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	8563
(6) लघु सिंचाई के क्षतिग्रस्त जलाशयों की संख्या	372
(7) क्षतिग्रस्त मछली संसाधन/संचयन तालाब	22

(ग) राज्य सरकार ने बाढ़ों के दौरान राहत तथा पुनर्वास और क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पति की मरम्मत तथा उसके पुनःस्थापना की व्यवस्था के लिए 2556.71 लाख रुपये के व्यय की मांग का अनुमान बताया है ।

11 से 15 नवम्बर, 1980 तक राज्य का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा उस पर राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने राहत तथा पुनर्वास और क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत तथा पुनःस्थापना हेतु 17 जनवरी, 1981 को वर्ष 1980-81 के लिए 347.50 लाख रुपये के व्यय की अधिक सीमा की मंजूरी दी है ।

काली मिट्टी की उर्वरता

5760. श्री के० मालन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काली मिट्टी वाले क्षेत्र में खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि करने की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जहां तक उत्पादन का प्रश्न है सम्बन्धित राज्यों तथा काली मिट्टी के लिए उपयुक्त किस्मों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान । क्षेत्र में किए गए परीक्षणों से यह पता चला है कि उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाकर सामान्यरूप से अच्छी जल निकास वाली गहरी काली मिट्टियों पर ज्वार, कपास और गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है । इस नई उत्पादन प्रौद्योगिकी में निम्न क्रियाएं शामिल हैं—(i) पानी के बहाव और भूक्षरण को कम करने के लिए भूमि व्यवस्था प्रक्रिया को अपनाना तथा उन्नत सतह जल निकास की व्यवस्था करना, (ii) सस्य पद्धति और फसल प्रक्रिया जो वर्षा तथा वर्षा के बाद के मौसम के दौरान नमी का कारगर ढंग से उपयोग करती हैं और पौध के अच्छे ठहराव को सुनिश्चित करती हैं, (iii) उचित क्यारियों की तैयारी, बुआई और खाद डालने के लिए उपकरणों का प्रयोग: (iv) पौध संरक्षण तकनीकों का उपयोग और (v) फसल को बचाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था हेतु जल के बहाव का पुनर्आवर्तन ।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान । भारत में काली मिट्टियों का क्षेत्र करीब 76·4 मिलियन हैक्टर है । यह क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मोटे तौर पर 22.2 प्रतिशत है जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार (परिशिष्ट) में है । काली मिट्टियों पर फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के उपयुक्त पैकेज विकसित करने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रमों में क्षेत्र परीक्षण किए जा रहे हैं :—

(i) बारानी कृषि से सम्बन्धित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से काली मिट्टी वाले 8 केन्द्रों अर्थात् बेल्लरी, बीजापुर, सोलापुर, उदयपुर, अकोला, कोविपट्टी, इन्दौर और रीवा में किए जा रहे अनुसंधान कार्य में प्रगति जारी है ।

(ii) गहरी काली मिट्टियों पर बारानी कृषि से सम्बन्धित एक भारत ब्रिटेन परिचालन अनुसंधान प्रायोजना इन्दौर में 1973 से ही कार्य कर रही है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ए० पी० सेस फन्ड के अन्तर्गत कार्यान्वयन के लिए काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में कुछ अतिरिक्त परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाएं विकसित की गयी हैं ।

(iii) चौथी पंचवर्षीय योजना से धारवाड़ में कर्नाटक की काली कपास वाली मिट्टियों पर अनुसंधान के लिए एक अग्रिम केन्द्र भी कार्य कर रहा है। ऐसी आशा की जाती है कि यह केन्द्र विभिन्न राज्यों की काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में चलाई जा रही समन्वित प्रायोजनाओं को बुनियादी एवं अग्रिम व्यावहारिक अनुसंधान सहायता प्रदान करेगा।

(iv) राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो और भूमि उपयोग नियोजन, नागपुर उस क्षेत्र के मृदा संसाधनों पर निरन्तर एक आधुनिक तालिका तैयार कर रहे हैं और काली मिटियों की सीमाओं और क्षमताओं पर आश्रित उनके कुशल उपयोग में सुधार लाने के लिए भूमि उपयोग योजना का सुझाव देते हैं।

(v) उपरोक्त के अतिरिक्त, काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में स्थिति कृषि विश्वविद्यालयों के मृदा-विभागों द्वारा काली मृदाओं के प्रबन्ध पर भी कार्य किया जा रहा है।

(vi) हैदराबाद स्थित अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबन्ध के अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान भी (आई० सी० आर० आई० एस० ए० टी०) सोरघम, बाजरा, अरहर, चना और मूंगफली के उत्पादन में सुधार लाने और उसे स्थिर करने के लिए फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है। आई० सी० आर० आई० एस० ए० टी० ने भी काली मिट्टी वाले क्षेत्रों के लिए कुछ परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं को प्रारम्भ किया है।

विवरण

वर्टिसोल और सम्बद्ध मिट्टियां : वितरण

राज्य	वर्टिसोल और सम्बद्ध मिट्टयों के अन्तर्लंत कुल क्षेत्र	वर्टिसोल और सम्बद्ध मिट्टियों के अन्तर्गत क्षेत्र इस प्रकार दिखाए गये हैं	
		भारत में कुल वर्टिसोल क्षेत्र का प्रतिशत	भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत
महाराष्ट्र	29.9	35.5	7.9
मध्य प्रदेश	16-7	23.0	6.1
गुजरात	8.2	11.9	2.6
आन्ध्र प्रदेश	7.2	10.0	2.2
कर्नाटक	6.9	9.4	2.1
तमिलनाडु	3.2	4.2	1.0
राजस्थान	2.3	3.0	0.7
उड़ीसा	1.3	2.0	0.4
बिहार	0.7	1.0	0.2
उत्तर प्रदेश	नगण्य	नगण्य	नगण्य
	76.4	100.0	12.2

पोर्ट-ब्लेयर में चावल का सड़ जाना

5761. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक हजार चार सौ बोरी चावल खराब अवस्था में पड़ा हुआ है और वह मनुष्यों के खाने के योग्य नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) मद्रास से 9-12-81 को प्राप्त चावल के स्टाक की जब निकासी की गई थी तो उसमें से कुछ स्टाक गीला और क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया गया था। उसकी सफाई करने के बाद, चावल के 1102 बोरे क्षतिग्रस्त अवस्था में अलग किए गए थे जिसके लिए वाहकों के विरुद्ध दावा किया गया है।

नागरिक पूर्ति दिल्ली द्वारा रेलवे निगम को विलम्ब शुल्क का भुगतान

5762. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान कोयले की ढुलाई के मामले में दिल्ली के नागरिक पूर्ति निगम ने रेलवे को विलम्ब शुल्क के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया है;

(ख) "केरी" कोयला-धूल और कोयला राख के रूप में खुले में पड़े ऐसे कोयले का मूल्य क्या है, जिसे सरकारी व्यापारियों ने खरीदने से इनकार कर दिया है;

(ग) इन सब बातों लिए कौन जिम्मेदार है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या प्रभावशाली कदम उठाए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी : (क) अगस्त, 1981 से जनवरी, 1982 के छः महीनों के दौरान लगभग 105 लाख रु०।

(ख) से (घ) 18 फरवरी, 1982 को 6.7 लाख रु० मूल्य का सॉफ्ट कोक निम्नांकित कारणों से खत्ते (डम्प) में पड़ा हुआ था :—

(1) भारत कोल कम्पनी लि० द्वारा कुछ वैगन बहुत ही घटिया किस्म के सॉफ्ट कोक के सप्लाई किये गये थे, जिसे कोयले के लाइसेंसधारियों ने इस कारण नहीं उठाया कि कोयला उपभोक्ताओं को बेचे जाने के उपयुक्त नहीं था।

(2) ट्रान्सपोर्टरों तथा कोयले के लाइसेंसधारियों में निगम के प्रति कुछ विरोध की भावना थी, क्योंकि उन्हें कोयले के व्यापार में निगम का प्रवेश अच्छा नहीं लगा। अतः कुछ मामलों में, उन्होंने अच्छी किस्म का सॉफ्ट कोक भी नहीं उठाया।

(3) सॉफ्ट कोक की आमद दिल्ली की आवश्यकताओं से अधिक थी, जिसे कोयले के लाइसेंसधारी नहीं उठा सके।

(4) कभी-कभी सॉफ्ट कोक के रेक दिल्ली में निरन्तर कई दिनों तक आते रहे और मजदूर उन्हें उतारने के काम को पूरा नहीं कर सके, जिसके फलस्वरूप निगम पर विलम्ब शुल्क आदि पड़ा।

इन परिस्थितियों में निगम द्वारा किसी को विशेष रूप से जिम्मेदार ठहराना सम्भव नहीं था।

(ङ) (1) निगम द्वारा लाइसेंसधारियों को सॉफ्ट कोक आबंटित करने की एक नई प्रणाली शुरू की गई है, जिनमें कोयले के लाइसेंसधारियों के एक समूह को एक वैगन/सी० आर० टी०/बाक्स का आबंटन किया जाता है और उन्हें आबंटित की गई सारी मात्रा उठानी होती है। यदि रेल पथ (लाइन) से स्टाक को उठाने में उनकी ओर से कोई देरी होती है तो उन्हें स्थान-शुल्क देना पड़ता है।

(2) निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने नवम्बर, 1981 में धनबाद कोयला-खान का दौरा किया था, ताकि भविष्य में दिल्ली को अच्छे किस्म के सॉफ्ट कोक की सप्लाई करने की व्यवस्था की जा सके।

(3) निगम के एक अधिकारी को धनबाद कोयल-खान में नियुक्त करने का प्रस्ताव है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निगम को अच्छी किस्म के सॉफ्ट कोक का लदान हो।

(4) निगम को प्राप्त होने वाले सॉफ्ट कोक की किस्म का ज़ायजा लेने के लिए समिति गठित की गई है, जिसमें निगम तथा दिल्ली प्रशासन के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी और भारत कोल कम्पनी लि० का एक प्रतिनिधि शामिल है। लाइसेंसधारियों को दाण्डित कार्यवाही के भय से उन्हें आबंटित किये गये सॉफ्ट कोक को उठाना होगा, बशर्ते इस समिति ने स्टाक को घटिया न घोषित किया हो।

(5) खत्ते में जमा घटिया किस्म के 6000 मी० टन सॉफ्ट कोक में से 4000 मी० टन की मात्रा थोक उपभोक्ताओं को पुनः बेचने के लिए दिल्ली के गैर लाइसेंसधारी व्यक्तियों को बेच दी गई है। खत्ते में बाकी बची सॉफ्ट कोक की मात्रा को उठाने का कार्य भी चल रहा है और आशा है कि मार्च, 1982 के अन्त तक इसका निपटान भी कर दिया जाएगा।

(6) निगम को भारत कोल कम्पनी लि० से, घटिया किस्म के कोक की सप्लाई करने के लिए 1.25 लाख रु० की छूट मिली है और एक और दावा भारत कोल कम्पनी लि० के पास बकाया पड़ा है ।

(7) रेलवे प्राधिकारियों से विलम्ब-शुल्क तथा स्थान-शुल्क माफ करने की मांग की गयी है ।

दिल्ली प्रशासन के अनुसार, सॉफ्ट कोक के आबंटन की वर्तमान प्रणाली काफी संतोषजनक तरीके से चल रही है ।

नानीवाला बाग आजादपुर में झुग्गियों का गिराया जाना

5763 **श्री दया राम शाक्य:** क्या निर्याण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, के अन्तिम सप्ताह में नगर निगम के कर्मचारियों ने नानीवाला बाग और आजादपुर में झुग्गियों को गिरवा दिया था तथा झुग्गी-वासियों को यह आवासन दिया था कि एक सप्ताह के भीतर-भीतर इन्हें जहांगीरपुरी में भू-खण्डों का आबंटन किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इन झुग्गी-वासियों को अब तक भू-खण्ड आबंटित न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : इस क्षेत्र की झुग्गियों को हटाने के बाद, दिल्ली नगर निगम ने पात्र झुग्गी निवासियों को वैकल्पिक प्लाट आबंटित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को झुग्गी निवासियों की एक सूची दी थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सूची की जांच करके उन 37 व्यक्तियों को आबंटन स्लिप जारी की गई है जिनके पास पुराने राशन कार्ड थे तथा नए अनधिवासियों को कोई वैकल्पिक आबंटन नहीं किया जाता है ।

व्यापारियों द्वारा अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर भूमि की बिक्री

5764. **श्री राम लाल राही :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ धनी व्यापारी दिल्ली नगर से संलग्न पड़ोसी क्षेत्रों की भूमि सस्ते दामों में खरीद लेते हैं और उस पर प्लाट काट कर बढ़े हुए दामों पर बेच देते हैं;

(ख) क्या इससे भूमि के वास्तविक गरीब मालिकों का शोषण होता है; और

(ग) यदि हां, तो इस शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्योरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आरक्षित वन क्षेत्रों को गैर वन क्षेत्रों में बदलना

5765 : श्री एन० ई० होरो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1980-81 के दौरान विभिन्न राज्यों में आरक्षित वन क्षेत्रों को गैर वन क्षेत्रों में बदले जाने की सूचना एकत्र की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; विशेष रूप से बिहार राज्य में वर्ष 1980-81 के दौरान सामाजिक वनीकरण योजना के अन्तर्गत कितनी हैक्टेयर भूमि रखी गई थी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) व (ख) वर्ष 1980-81 में विभिन्न राज्यों में आरक्षित वन क्षेत्रों को गैर-वन क्षेत्रों में बदलने के बारे में राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी विवरण में दी गई है।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1980-81 के दौरान किसी आरक्षित वन क्षेत्र को गैर-वन क्षेत्र में नहीं बदला गया है।

बिहार राज्य में वर्ष 1980-81 के दौरान 5453 हैक्टार क्षेत्र को सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत लाया गया था।

विवरण

वर्ष 1980-81 के दौरान गैर-वन क्षेत्र में बदले गए आरक्षित वन क्षेत्र

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र हैक्टार में	अनुबन्ध स्थान
1.	गुजरात	2081.46 (भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना क्षेत्र)	बडोदरा जिला
		80.94 (सुरक्षित वन)	जूनागढ़ जिला
		1.12	पंचमहल जिला
2.	कर्नाटक	54.69	कनारा मंडल
		101.27	बेलगाव मंडल
3.	त्रिपुरा	2.59	गंगानगर तहसील
		2.20	लोंगथोराणं मौजा
4.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	169.00	ग्रेट निकोबार
		138.00	कैम्पबिल खाड़ी
5.	अरुणाचल प्रदेश	50.98	वेस्ट कामेंग जिला
		30.60	लोहित जिला

II. आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र, नागालैंड उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी, मिजोराम, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, दमन एवं दीव और दिल्ली की सरकारों ने सूचित किया है कि वर्ष 1980-81 के दौरान कोई भी आरक्षित वन क्षेत्र, गैर-वन क्षेत्रों में नहीं बदला गया। असम, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों से कोई जानकारी प्राप्त नही हुई है।

भू-संसाधन संरक्षण

5766 : श्री एन० ई० होरो :

श्री अनन्त रामुलू मल्लु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के भूसंसाधनों में तेजी से खराबी आ रही है और वे घटते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई सक्रिय कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश के मृदा संसाधनों में ह्रास की ठीक दर का पता लगाने के लिए नियमित अन्तरालों पर सारे देश में कोई व्यापक मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तथापि, किये गये निरीक्षणों के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया है कि देश में कटाव से सालाना लगभग 6,0000 लाख मीटरी टन मृदा की हानि हो रही है, जिसमें लगभग 84 लाख मीटरी टन पोषक तत्व होते है। अनेक बहुउद्देश्यीय जलाशयों में अवसादन की दरें, इन ढांचों में तैयार करते समय अभिकल्पित दरों की अपेक्षा काफी ऊंची हैं। यह ऊंचा अवसादन उनके स्रवण क्षेत्रों के विस्तृत कटाव का परिव्यय है, और इससे स्रवण क्षेत्रों में मृदा संसाधनों के लगातार ह्रास का पता लगता है।

(ख) और (ग) सरकार भूक्षरण और भूमि के अवनत होने की समस्यायों पर लगातार ध्यान दे रही है। केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के माध्यम से पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत से मृदा संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए थे। बाद की योजना अवधि में इन कार्यक्रमों का कृषि और गैर कृषि भूमि का सुधार करने के लिए विस्तार और विविधिकरण किया गया। मूल आंकड़े और जानकारी एकत्रित करने और पैकेज पद्धतियों का विकास करने तथा व्यावसायिक ढांचे को बनाने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए, अनुसन्धान प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्रों की श्रृंखला स्थापित की गई थी।

राज्य क्षेत्र में कार्यक्रम के तहत अधिकतर विभिन्न कृषि सस्य, अभियांत्रिकी और जैविक उपायों के सहयोग से कृषि भूमि और कुछ गैर-कृषि क्षेत्रों का सुधार करने पर ध्यान दिया जाता है। चुनींदा नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों का स्थिरीकरण और सुधार करने में केन्द्र द्वारा सहयोग दिया जाता है। अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण संगठन स्रवण क्षेत्रों और चुनींदा जिलों में सर्वेक्षण कर रहा है। 100 हैक्टार से कम के

खण्डों में कृष्य परती भूमि में वर्गीकरण और सर्वेक्षण सम्बन्धी योजना के तहत उत्पादक विकास में लिए 17 राज्यों में 2-3 लाख हैक्टार क्षेत्र का पता लगाया गया और सुधारी गई परती भूमि पर 1.1 लाख भूमिहीन श्रमिक परिवारों को पुनः बसाया गया। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ऊबड़-खाबड़ भूमि में लगभग 8.3 लाख हैक्टार क्षेत्र का एक अन्य केन्द्रीय योजना के जरिये सर्वेक्षण किया गया तथा निजी, सरकारी और पंचायतों के स्वामित्व जैसे विभिन्न प्रतिमानों के अन्तर्गत उसको विस्तृत रूप से श्रेणीबद्ध किया गया। पठारी और ऊबड़-खाबड़ भूमि के कटाव को रोकने, कृषि/बागवानी के लिए उथली ऊबड़-खाबड़ भूमि का सुधार करने और ईंधन और चारे के आरक्षित क्षेत्रों के विकास द्वारा मध्यम और गहरी ऊबड़-खाबड़ भूमि का स्थिरीकरण करने के लिए ऊबड़-खाबड़ भूमि विषयक राष्ट्रीय नीति का भी विकास किया गया था। केन्द्रीय सहयोग से मार्गदर्शी परियोजनाओं के माध्यम से चौथी और पांचवी योजनाओं के दौरान इस दृष्टिकोण की तकनीकी सम्भाव्यता और आर्थिक क्षमता भी प्रदर्शित की गई है। पांचवी योजनावधि के दौरान, नदी घाटी परियोजनाओं में स्रवण क्षेत्रों तथा ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों में कार्यक्रमों को जारी रखने के अतिरिक्त झूम-खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को नियंत्रित करने तथा क्षारीय भूमि का सुधार करने के लिए मार्गदर्शी परियोजनायें शुरू की गई थी। वर्ष 1979-80 तक, केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत, लगभग 66400 लाख रुपये की लागत से 234 लाख हैक्टार क्षेत्र का सुधार किया जा चुका है।

छठी योजना के दौरान राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि और गैर-कृषि भूमि का सुधार करने के लिए प्रमुख प्रयास जारी है और निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से केन्द्र से विशेष सहायता दी जा रही है; (1) नदी घाटी परियोजनाओं के श्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण; (2) बाढ प्रवण नदियों के श्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा व्यवस्था; (3) मृदा सर्वेक्षण संगठनों को सुदृढ करना (4) संघ राज्य क्षेत्रों में झूम खेती का नियंत्रण और (5) अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण संगठन को सुदृढ़ करना।

इसके अतिरिक्त वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन में स्थायित्व लाने एवं उसे बढ़ाने के लिए जल संरक्षण/जलोपयोग प्रौद्योगिकी के प्रसार की एक केन्द्रीय योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। मृदा-सुधार की व्यवस्था से सम्बन्धित मामलों पर नीति निर्देश देने तथा विभिन्न विभागों के मृदा संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों का समन्वय करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय भूमि संसाधन संरक्षण एवं विकास आयोग की स्थापना की जा रही है। यह आयोग 25 राज्य भूमि उपयोग बोर्डों के कार्यकलापों की भी देख रेख एवं समन्वय करेगा। छठी योजना के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत 65 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किये जाने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाओं के तहत जो कि छठी योजना में भी चालू है, मृदा संरक्षण और बनरोपण के उपायों से वर्ष 1980-81 तक कुल 22.38 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार किया गया :—

(1) हिमाचल क्षेत्र में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण;
(2) सामाजिक वानिकी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी वाले पड़ लगाना;
(3) सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
(4) मरु विकास कार्यक्रम।

वसूली कार्य के लिए अनाज की खत्तियां

5767. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी रबी मौसम के दौरान विश्व बैंक की सहायता से अनाज की कितनी आधुनिकतम खत्तियों की स्थापना की जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : आगामी रबी मौसम के दौरान खाद्यान्नों के लिए विश्व बैंक की सहायता से साइलो बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

वनस्पति घी बनाने के लिए तोरिया का उपयोग

5768. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति के उत्पादनकर्त्ता वनस्पति घी बनाने में तोरिया का भारी मात्रा में उपयोग कर रहें हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

यमुना पार क्षेत्र में मत्स्य पालन तालाब

5769. **श्री निहाल सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने पांच छः वर्ष पहले यमुना पार क्षेत्र जी० टी० रोड के साथ-साथ मत्स्य-पालन तालाबों का निर्माण कराया था;

(ख) यदि हां, तो उनके निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च की गई थी; और

(ग) वहां पर मछली पालन का काम अब तक शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां । दिल्ली प्रशासन, यमुना पार क्षेत्र में प्रयोगात्मक मत्स्य बीज उत्पादन फार्म का चरणों में निर्माण कर रहा है । निर्माण कार्य छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा किया जाना है ।

(ख) और (ग) इस पर लगभग 20 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं । पूर्ण फार्म का एक भाग कार्य कर रहा है ।

गेहूं को उतारने में भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि

5769. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं को उतारने में भारतीय खाद्य निगम को नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो 1980-81 के दौरान इसे कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) गेहूं को उतारने के तरीकों को सुधारने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की हानि न हो ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) मार्गस्थ हानि जिसमें गेहूं के उतारने में होने वाली हानि शामिल है (जो कि सभी खाद्यान्नों के उतारने के मामले में है) अनाज के दाने गिर जाने, लाने-ले-जाने के दौरान नमी सम्बन्धी हानि, नौकान्तरण, चोरी, क्षति आदि के कारण होती है।

(ख) अकेले अनाज के उतारने के कारण होने वाली हानि के अलावा आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथपि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1980-81 के दौरान गेहूं के बारे में कुल मार्गस्थ हानि लगभग 28.39 करोड़ रुपये थी।

(ग) भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों को सम्भालने और प्रबन्ध पद्धतियों में सुधार लाकर मार्गस्थ हानि को बहुत ही कम करने के लिए सभी व्यवहार्य उपाय कर रहा है।

कृषि ऋणों की बकाया राशि वसूली

5770. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य सरकारों द्वारा कृषि ऋण की बकाया राशि को बट्टे खाते में डाल देने से ऐसे ऋणों की वसूली पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) जिन किसानों पर पांच वर्षों से अधिक से ये बकाया राशि है उनका पुनर्वास करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) तथा (ख) लघु एवं सीमान्त किसानों के कृषि ऋण की सहकारी बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने से सम्बन्धित निर्णय की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई 1980 में तथा तमिलनाडु सरकार ने अक्टूबर 1980 में की थी। इन उपायों का सहकारी बकाया राशि की वसूली पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन वर्ष 1980-81 के बकाया राशि से सम्बन्धित जानकारी जो अभी उपलब्ध नहीं है के आधार पर किया जा सकता है।

2. सहकारी समितियां स्वयं तथा राज्य सरकारें, जो "सहकारिता" विषय में प्रभारी हैं; उपचारात्मक उपाय करने के लिए प्रारम्भिक रूप से उत्तरदायी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों को सहकारी संस्थानों के लिए उपयुक्त पुनर्व्यवस्था के कार्यक्रमों की सिफारिश की है।

गेहूं की वसूली

5771. **श्री नवीन रवाणी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान गेहूं उत्पादक राज्यो से, राज्य-वार कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं की किस दर पर वसूली की गई;

(ख) वर्ष 1982 के लिए गेहूं उत्पादक राज्यों से राज्यवार गेहूं की वसूली के क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1982 के लिए गेहूं का क्या वसूली मूल्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रलयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 1981-82 रबी विपणन मौसम के लिए उचित औसत किस्म के गेहूं का वसूली मूल्य 130 रुपये प्रति क्विंटल है और 20 मार्च, 1982 तक गेहूं की वसूली लगभग 65.9 लाख मीटरी टन हुई थी जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं—

राज्य	वसूली (हजार मीटरी टन में)
बिहार	13
हरियाणा	1121
जम्मू तथा कश्मीर	20
मध्य प्रदेश	167
पंजाब	3763
राजस्थान	10
उत्तर प्रदेश	1496
जोड़	6590

(ख) 1982-83 रबी विपणन मौसम के लिए गेहूं की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ग) सरकार ने 1982-83 रबी विपणन मौसम के लिए गेहूं के वसूली मूल्य के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

आवास इकाइयां

5772. **श्री नवीन रवाणी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 1981 को, राज्यवार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भूमिहीन और गृह-हीन परिवारों के लिए कितनी-कितनी आवास इकाइयों की आवश्यकता थी;

(ख) चालू वर्ष के दौरान, राज्यवार उनमें से कितने परिवारों को आवास इकाइयों का आबंटन कर दिया गया है; और

(ग) समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें आवास-इकाइयां उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भूमिहीन तथा बेघर परिवारों के लिए अपेक्षित रिहायशी एककों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 31-3-81 तक आवास-स्थल तथा निर्माण सहायता के लिए पात्र ग्रामीण कामगारों के कुल 1,24,61,407 भूमिहीन परिवार थे जिन में से 86,20,208 परिवारों को पहले ही आवास स्थल दे दिए हैं तथा 14,63,062 परिवारों को निर्माण सहायता दी गई है। 30-9-1981तक प्राप्त सूचना के आधार पर मार्च से सितम्बर, 1981 के दौरान 58,170 परिवारों को आवास स्थल दिए गये हैं और 51,804 परिवारों को निर्माण सहायता दी गई है। राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) छठी पंच वर्षीय योजना में 68 लाख परिवारों को आवास स्थलों के आबंटन पर विचार किया गया है इससे 1985 तक सभी पात्र परिवारों को लाभ पहुंचेगा। 36 लाख परिवारों को निर्माण सहायता दी जायेगी। यह कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का तथा नये 20-सूत्री कार्यक्रम का भी एक भाग है। छठी योजना में 'स्थल तथा सेवा' कार्यक्रम के अन्तरित 16.2 लाख एककों के निर्माण का भी प्रावधान है।

विवरण

भूमिहीन कामगारों को ग्रामीण आवास स्थल तथा निर्माण सहायता के लिए योजना

राज्य	31-3-1981 तक राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए कुल पात्र परिवारों की संख्या	मार्च—सितम्बर, 1981 के दौरान लाभान्वित परिवारों की संख्या		टिप्पणी
		आवास स्थल द्वारा	निर्माण सहायता द्वारा	
1	2	3	4	
1. आन्ध्र प्रदेश	21,33,100	सूचित नहीं किया गया		
2. असम	2,37,607	1900	100	
3. बिहार	19,58,000*	1321	—	
4. गुजरात	4,79,616	26329	14,054	
5. हरियाणा	2,47,601	1342	—	

1	2	3	4
6. हिमाचल प्रदेश	10,964	491	35
7. जम्मू तथा कश्मीर	20,120	222	—
8. कर्नाटक	10,60,852	सूचित नहीं किया गया	
9. केरल	1,34,889	2810	1102
10. मध्य प्रदेश	9,13,037	4769	9635
11. महाराष्ट्र	4,97,547	15106	11122
12. उड़ीसा	5,00,000	3857	226
13. पंजाब	2,97,046	—	2052
14. राजस्थान	8,54,023	—	5155
15. तमिलनाडु	14,97,000	सूचित नहीं किया गया	
16. त्रिपुरा	42,650	—वही—	
17. उत्तर प्रदेश	12,40,340	—	—
18. पश्चिम बंगाल	2,96.911	—	10096
संघ राज्य क्षेत्र			
1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	7,200	—	—
2. चण्डीगढ़	90	सूचित नहीं किया गया	
3. दादर तथा नागर हवेली	1,305	—	—
4. दिल्ली	14,800	—	—
5. गोआ, दमण तथा दीव	1,596	—	—
6. पांडिचेरी	15,213	23	227
कुल योग	1,24,61,407	28,170	51,804

*योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार तथापि बिहार राज्य सरकार ने यह संख्या 2,75,000 दर्शायी है।

यह योजना मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा मिजोरम में चालू नहीं है।

शहरी भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत राज्यों में अर्जित की गई भूमि

5773. श्री मूल चन्द डागा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में शहरी भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी-कितनी भूमि का अर्जन किया गया है; और

(ख) इस समय इस प्रकार अर्जित भूमि तथा राज्यों, अथवा केन्द्रीय सरकार के कब्जे में भूमि का क्षेत्रफल क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सूचना निम्न प्रकार है :—

राज्य	इस अधिनियम की धारा 10(3) के अन्तर्गत अभी तक अर्जित की गई भूमि की सीमा (हेक्टेयर में)
आन्ध्र प्रदेश	206.50
बिहार	15.76
गुजरात	64.27
कर्नाटक	729.32
मध्य प्रदेश	646.01
महाराष्ट्र	1195.00
उड़ीसा	8.71
राजस्थान	14.93
उत्तर प्रदेश	1161.81
पश्चिम बंगाल	73.31
संघ राज्य क्षेत्र	
दिल्ली	21.20

(ख) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 10(3) के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत आने वाली सभी अधिक रिक्त भूमि को तब तक अर्जन किया गया समझा जाता है और सम्बन्धित राज्य सरकार को सौंपी गई समझी जाती है जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिसूचनाओं को निरस्त नहीं किया जाता है।

रावी-व्यास जल में राजस्थान का हिस्सा

5774. श्री मूल चन्द डागा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1955 के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार रावी-व्यास जल में राजस्थान का कितना हिस्सा है;

(ख) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान नहर परियोजना पूर्णतया राजस्थान के उक्त हिस्से के उपयोग पर निर्भर है; और

(ग) क्या वर्ष 1955 के उपरोक्त समझौते के अनुसार राजस्थान के हिस्से के मामले पर पुनः विचार करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि परियोजना पर अब पुनः विचार किया गया अथवा इसमें कोई कटौती की गई तो राजस्थान नहर पर खर्च किया गया करोड़ों रुपया बेकार चला जाएगा और इस सूखाग्रस्त राज्य के लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) भूतपूर्व पंजाब, पेप्सू, जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान के बीच 1955 में हुए करार के अनुसार, रावी-व्यास नदियों के 1921—1945 तक की अवधि के लिए औसत प्रवाह अनुक्रम में, विभाजन-पूर्व की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् राजस्थान का भाग 8.00 मि० ए० फुट है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

दालों के अलाभकारी मूल्य

5775. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में किसानों द्वारा अब तक दालों का उत्पादन न करने का एक मुख्य कारण दालों का अलाभप्रद मूल्य है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अन्य बाधाओं का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है;

(ग) वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान दालों के आयात पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। हाल के वर्षों में दलहनों के मूल्य काफी अधिक रहे हैं, लेकिन इनके उत्पादन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। दलहनों के उत्पादन की धीमी वृद्धि के कारण ये हैं, गेहूं तथा चावल की तुलना में दालों के उत्पादन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी में प्रमुख प्रगति का न होना, फसल के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र की कम प्रतिशतता, इन फसलों पर कीट तथा कृमि हमलों की अधिक संभाव्यता, तथा क्वालिटी बीजों तथा उर्वरकों का कम उपयोग आदि।

(ग) 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 (नवम्बर 1980 तक) के दौरान "सेम, मटर, मसूर और अन्य फलीदार सब्जियों, सुखाई हुई छिलके सहित चाहे उसका छिलका उतारा

गया हो या तोड़ा गया हो", जैसी मदों के उपवर्ग के निर्यात के लागत, बीमा, भाड़ा मूल्य इस प्रकार हैं :—

वर्ष	लागत, बीमा, भाड़ा मूल्य (लाख रु० में)
1978-79	2589.98
1979-80	1942.32
1980-81 (नवम्बर 1980 तक)	1259.84

(घ) राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता देने की दृष्टि से, भारत सरकार दलहनों के उत्पादन में विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्षमता वाले क्षेत्रों में प्रयास करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है तथा राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उदारतापूर्वक दी जा रही है, ताकि वे अन्य बातों के साथ-साथ प्रदर्शनों, क्वालिटी बीजों का उत्पादन व वितरण, समेकित कीटनाशी व्यवस्था, आदि कार्य कर सकें। दलहनों का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से उत्पादकता वर्ष के कार्यक्रम तथा नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक में उत्पादन की नीति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :—

(I) दलहनों को बदल-बदल कर सिंचित फसल में शुरू करना।

(II) अच्छी नमी, संरक्षण, अधिक वैज्ञानिक वनस्पति वृद्धि, वनस्पति रक्षण तथा कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी जैसे प्रयासों के जरिये वर्षा पर आधारित परिस्थितियों में उगाई जाने वाली दलहनों की उत्पादकता में सुधार।

(III) मिश्रित फसल पद्धतियों के अन्तर्गत उगाये जाने वाले दलहनों की व्यवस्था में सुधार।

इन प्रयासों के अलावा, मूल्य समर्थन सम्बन्धी प्रयास भी किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में कस्तूरी मृग

5776. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्लभ कस्तूरी—मृग उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों के कुछ हिस्सों में पाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि ऐसे मृगों की कस्तूरी प्राप्त करने के लिए तस्कर लोग बड़े पैमाने पर उन क्षेत्रों में उनकी हत्या कर रहे हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है कि मृगों की ऐसी दुर्लभ नस्ल समाप्त न हो और इसलिए इन मृगों को न मारा जाए ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) इस क्षेत्र में कस्तूरी मृग पाये जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) कस्तूरी मृग को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है और इस प्रकार उन्हें पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है। जिन राज्यों में कस्तूरी मृग पाये जाते हैं उन्हें सलाह दी गई है कि वे इस नस्ल को बनाए रखने के लिए संरक्षण के कारगर उपाय करें।

पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र में कृषि में सुधार हेतु अनुसंधान कार्य

5777. **श्री हरीश रावत :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वर्तमान योजना में क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ख) क्या पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र में कृषि में सुधार के लिए अनुसंधान करने हेतु इस योजना में कोई प्रावधान किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के लिए कितना परिव्यय आवंटित किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्तमान योजना में किए गए कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के अनुसंधान, शिक्षा तथा विस्तार शिक्षा के लिए योजना में कुल 340.00 करोड़ रु० के परिव्यय में से, 220.00 करोड़ रु० जो कि कुल परिव्यय का 65% है, केवल कृषि, पशु पालन तथा मात्स्यिकी विज्ञान के अनुसंधान के लिए, जो प्रत्यक्ष रूप से परिषद द्वारा चलाए जाते हैं, नियत किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि में अनुसंधान करने हेतु कृषि विश्वविद्यालयों की सहायता के लिए जो कृषि में अनुसंधान कार्य करते हैं 48.00 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। तथापि, इसमें प्रशिक्षण तथा शिक्षा के लिए परिषद् द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों को दिए जा रहे विकास अनुदान शामिल नहीं हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो कि अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं, कृषि में अनुसंधान हेतु करीब 18.00 करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है।

बंजर जमीन को कृषि योग्य जमीन में परिवर्तित करने की योजना

5778. **श्री हरीश रावत :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास बंजर जमीन को कृषि योग्य जमीन में परिवर्तित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है; इस पर कितना व्यय होगा और इस योजना पर कृषि उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) बंजर तथा अकृष्ट भूमि पर्वत, मरुस्थल, आदि जैसे क्षेत्र हैं जिन्हें आर्थिक रूप से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। अतः ऐसी बंजर भूमि को परिवर्तित करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

जमरानी में गोला नदी पर बांध

5779. श्री हरीश रावत : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके मंत्रालय से नैनीताल जिले की जामरानी नामक स्थान पर गोला नदी पर एक बहुउद्देश्यीय बांध का निर्माण कराये जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी : (क) और (ख) नैनीताल जिले में गोला नदी पर जमरानी बांध परियोजना (सिंचाई), योजना आयोग द्वारा 61.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 5.5.1975 को अनुमोदित की गई थी। यह एक सिंचाई परियोजना है। इसके अतिरिक्त, सिंचाई मंत्रालय के केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में किसी अन्य बहु-प्रयोजनी परियोजना का प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

छठी योजना में स्वर्णरेखा परियोजना को शामिल किया जाना

5780 : श्री चिन्तामणि जेना : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बहुउद्देश्यीय स्वर्णरेखा परियोजना को छठी योजना में शामिल किए जाने के लिए केन्द्र की सहमति मांगी है; यदि हां, तो किस तारीख को राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी थी और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या इस बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा कोई निधि आबंटित की गई है, यदि हां, तो राज्य सरकार का इस सम्बन्ध में वर्ष-वार आबंटन क्या है और इसके लिए 1982-83 का अनुमानित बजट आबंटन कितना है; और

(ग) क्या इस परियोजना को छठी योजना में शामिल न किए जाने की स्थिति में उड़ीसा राज्य सरकार कोई व्यय करने की स्थिति में नहीं है; यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस परियोजना को छठी योजना में शामिल करने के बारे में योजना आयोग को कहेगी और योजना आयोग द्वारा अन्तिम निर्णय दिए जाने तक उड़ीसा सरकार को कार्य को चालू रखने के लिए कहा जाएगा; यदि हां, तो कब ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय, पंचवर्षीय योजाना में परियोजनाओं को शामिल करने पर

राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग के साथ विचार विमर्श किया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के बारे में योजना आयोग में हुए कार्यकारी दल के विचार-विमर्श के दौरान छठी योजना के दौरान स्वर्णरेखा परियोजना के लिए कार्यकारी दल द्वारा 46 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की गई थी, बशर्ते कि राज्य सरकार के पास अधिक निधि उपलब्ध हो। तथापि, राज्य के पास उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर, छठी योजना में अन्तिम रूप से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। बाद में, दिसम्बर, 1981 में योजना आयोग के साथ हुए विचार विमर्श के दौरान, उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि यद्यपि छठी योजना के दौरान परियोजना के लिए किसी परिव्यय की व्यवस्था नहीं की गई है; फिर भी, वे छठी योजना के दौरान सिंचाई क्षेत्र के अन्तर्गत, इस परियोजना के लिए 21 करोड़ रुपये उपलब्ध करने की स्थिति में हैं।

1981-82 तक कोई व्यय नहीं किया गया है। राज्य की संसाधनों की स्थिति के कारण वार्षिक योजना 1982-83 में भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

उड़ीसा को खाद्यान्नों और चीनी की सप्लाई

5781. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार की वितरण किए जाने के लिए, गेहूं, चावल और चीनी की मासिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) उड़ीसा राज्य को गत दो वर्षों के दौरान प्रतिमास गेहूं, चावल और चीनी की अलग-अलग कितनी मात्रा आबंटित की गई;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य ने विभिन्न जिलों में सूखे की स्थिति देखते हुए वर्ष 1980-81 के दौरान कुछ अतिरिक्त खाद्यान्नों की मांग की थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य का कोटा बढ़ा दिया गया था और यदि हां, तो कितना ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) केन्द्रीय भण्डार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य सरकार की गेहूं की वर्तमान मांग 10,000 मीटरी टन है। राज्य ने इस समय चावल की कोई मांग नहीं की है। जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, यह एक दोहरी मूल्य की जिन्स है और इसलिए लेवी चीनी के कोटे का आबंटन राज्य सरकार की मासिक मांग/आवश्यकता के आधार पर नहीं किया जाता है। उड़ीसा के लिए चीनी का मासिक कोटा 10,723 मीटरी टन निर्धारित किया गया था ताकि 1.4.1978 को परियोजित अनसंख्या के लिए 425 ग्राम की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें 1.4.1982 से वृद्धि की जा रही है।

(ख) 1980 और 1981 के वर्षों के लिए अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां। राज्य के चावल के मासिक कोटे को अप्रैल, 1980 के 25,000 मीटरी टन से बढ़ाकर मई 1980 में 35,000 मीटरी टन, जून, 1980 में 50,000

मीटरी टन, जुलाई; 1980 में 60,000 मीटरी टन तथा अगस्त 1980 में 65,000 मीटरी टन कर दिया गया था।

विवरण

उड़ीसा राज्य को 1980 और 1981 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल, गेहूं और चीनी के मासवार आवंटन को बताने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन में)

	आवंटन 1980			आवंटन 1981		
मास	चांवल	गेहूं	चीनी	चावल	गेहूं	चीनी
जनवरी	20	8	10.723	—	6	10.723
फरवरी	25	8	10.723	—	5	10.723
मार्च	25	8	10.723	—	5	10.723
अप्रैल	25	10	10.723	—	5	10,723
मई	35	10	10·723	—	5	10.723
जून	50	10	10.723	—	5	10.723
जुलाई	60	10	10.723	—	5	10.723
अगस्त	65	5	10.723	—	5	10.723
सितम्बर	65	5	10-723	—	5	10.723
अक्टूबर	65	5	10.723	—	5	10.723
नवम्बर	65	6	10.723	—	5	10.723
दिसम्बर	65	6	10.723	—	5	10.723

अमरीका से आयात किया गया गेहूं

5782 : श्री चिन्तामणि जेना :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980-81 में अमरीका से आयात किया गया गेहूं घटिया किस्म का था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

छठी योजना के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना

5783 : श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कुल कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ख) केरल के लिए कितनी राशि आबंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार का विचार छठी योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस ढंग से सुदृढ़ बनाने का है और उसका ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को नागरिक पूर्ति निगमों की स्थापना करने तथा उनके द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए सहायता देने हेतु केन्द्रीय सरकार के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कार्यरत कार्मिकों को प्रबन्ध सूचना प्रणाली में प्रशिक्षण देने के लिए एक करोड़ रुपया भी रखा गया है।

उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत केरल सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने हेतु आबंटित करने के लिए इस समय विशिष्ट रूप से कोई वित्तीय सहायता निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) राज्य सरकारें, जो अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन तथा गठन के लिए जिम्मेदार हैं, को निम्नलिखित मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत भेजे गये हैं :—

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक वस्तुओं की वसूली, ढुलाई, भण्डारण तथा वितरण के बीच अधिक समन्वय हो, यह आवश्यक है कि राज्य नागरिक पूर्ति निगम अथवा राज्य स्तरीय सहकारी संगठन अथवा दोनों जहां नहीं हैं, गठित किए जायं और जहां वे पहले से ही कार्य कर रहे हैं, वहां उन्हें उपयुक्त रूप से मजबूत किया जाये;

(2) दूरस्थ तथा दुर्गम इलाकों में खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की उचित तथा पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए स्थिति का पूर्ण मूल्यांकन किया जाए;

(3) छठी योजना में की गई परिकल्पना के अनुसार, सहकारी समितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बहुत बड़ी भूमिका अदा करनी चाहिए, ताकि कुछ समय के बाद संपूर्ण खुदरा बिक्री केन्द्र उन्हीं के द्वारा चलाये जा सकें;

(4) राज्य, जिला, ब्लाक तथा तालुका स्तरों पर उपभोक्ता सलाहकार समितियां गठित की जायें, जिनमें विधायक, पंचायतों के प्रतिनिधि तथा महिला मंडलों; आदि के प्रतिनिधि हों;

(5) जिला प्रशासन तंत्र को मजबूत किया जाये और इन तथा इनसे संबंधित गतिविधियों का प्रभार केवल उन्हीं अधिकारियों को सौंपा जाए, जिन्हें इस कार्य में आवश्यक अभिरुचि तथा अनुभव है। आपूर्ति व्यवस्था को भी मजबूत किया जाये, ताकि जिला स्तर पर खुदरा बिक्री केन्द्रों का पर्याप्त पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके; और

(6) इस प्रणाली के कार्यकरण की कारगार तथा समय से परिवीक्षा सुनिश्चित की जाए और केन्द्रीय सरकार को उससे समय-समय पर अवगत कराया जाता रहे।

'हुड़को' योजना 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति

5784 : श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या निर्माण और आवास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत लोगों के बारे में 31 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2171 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'हुड़को' टाइप योजना के अन्तर्गत कितने लोग पंजीकृत हैं, इस बीच उनमें से कितनों को आबंटन किया जा चुका है; कितने फ्लैट निर्माणाधीन हैं और किन-किन स्थानों पर और उनकी आबंटन हेतु, कब तक तैयार हो जाने की आशा है; फ्लैटों का आगामी आबंटन कम किया जाना है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत सभी व्यक्तियों को पांच वर्ष की अवधि के अनुबंधित के अन्तर्गत फ्लैटों का आवंटन कर दिया जाएगा; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या 'हुड़को' टाइप योजना के मध्यम आय वर्गों के फ्लैटों हेतु दक्षिण दिल्ली में कुछ भूमि लिए जाने हेतु प्रयास जारी नही रखे जाने चाहिए ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास

5785 : श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों में तथा पांच लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में, आवास आबंटन हेतु पात्र केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कुल कितने मकान की आवश्यकता है; और कितने मकान इस समय हैं;

(ख) इसमें कमी क्या है और उसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसी आवास योजनायें शुरू करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं, जिनमें वे अपने वेतन के बिलों के माध्यम से अंशदान दे सकें और उन्हें उनके दर्जे के अनुसार बने बनाए फ्लैटों का आबंटन किया जाये ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) महानगरों तथा कतिपय अन्य शहरों जहां 'सामान्य पूल' वास है 'सामान्य पूल' वास की मांग, उपलब्धता तथा कमी संलग्न विवरण में दी गई है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों में सामान्य पूल वास की आवश्यकता के आंकड़े मुलभता से उपलब्ध नहीं हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वारित कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता मद्रास, चण्डीगढ़ हैदराबाद और बंगलौर में 19,940 क्वाटंरों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ग) फिलहाल, ऐसी योजना आरम्भ करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं।

विवरण

31-12-1981 को विभिन्न स्थानों पर रिहायशी आवास की मांग, उसकी उपलब्धता एवं कमी का विवरण।

(रिहायशी एककों की संख्या

स्थान	मांग	उपलब्धता	कमी
दिल्ली	100,384	49335	51,049
बम्बई	26,035	4857	21,178
कलकत्ता	47;685	2956	44,729
शिमला	3,825	663	3,162
नागपुर	7,648	1063	6,585
फरीदाबाद	2,438	1429	1,009
मद्रास	15,012	1091	13,921
चण्डीगढ़	8,390	1282	7,108
बंगलौर	7,123	173	6,950
गाजियाबाद	1,597	500	1,097
इन्दौर	449	164	285
जोड़	220,586	63,513	157,073

सहकारी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

5786 : **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्यवार सहकारी समितियां को पांच गांव अपनाने हेतु सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने के लिए सहकारी प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद को निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने राज्य सहकारी प्रशिक्षण संस्थान अथवा कालेज स्थापित किये गये हैं;

(ग) मध्य प्रदेश में राज्य सहकारी संस्थाओं/कालेजों द्वारा अपनाये गए गांवों की सूची क्या है;

(घ) ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ग्राम सहकारी क्षेत्र के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधायें सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) अन्य एजेन्सियों के साथ-साथ, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् को, नए बीस सूत्री कार्यक्रम तथा उत्पादकता वर्ष के संदर्भ में 1982-83 के दौरान सहकारी प्रशिक्षण और शिक्षा के ढांचे का पूर्ण उपयोग करने तथा उत्पादकता का स्तर उठाने के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं। इन उपायों में प्रत्येक सहकारी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पांच ग्रामीण सहकारी समितियों को अपनाना शामिल है। देश के विभिन्न भागों में स्थित 16 सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों और 84 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में से एक महाविद्यालय तथा चार केन्द्र मध्य प्रदेश में हैं। 1982-83 के दौरान तमिलनाडु में एक नया सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किया जाना है। राष्ट्रीय स्तर पर वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान पुणे तथा राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली है।

प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाई जाने वाली ग्रामीण सहकारी समितियों का पता लगाया जा रहा है। सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित बेसिक, डिप्लोमा तथा अल्पावधि पाठ्यक्रमों में सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण विकास के अनेक पहलू सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, पदाधिकारियों समिति के सदस्यों, सदस्यों और सम्भावित सदस्यों के लिए शिक्षा कार्यक्रम भी चल रहे हैं।

ग्रामीण विकास

5787 : **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा विकास हेतु गांवों को अपनाए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए योजनायें तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने गांव इसक अन्तर्गत आ जायेंगे और राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त ग्राम विकास परियोजना हेतु विदेशों में बसे भारतीयों से विदेशी सहायता की कितनी राशि मिल जाने की संभावना है; और

(घ) क्या इस योजना को जारी रखा जाएगा अथवा भारत के ग्रामीण विकास में भागीदारी हेतु विदेशों में बसे भारतीयों को आकर्षित करने के लिए एक नया फार्मूला तैयार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां, विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा गांवों को अपनाये जाने हेतु एक योजना तैयार की गई है।

(ख) और (ग) योजना के अन्तर्गत अब तक 15 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। अभ्यर्थियों द्वारा अपनाये जाने वाले गांवों, सम्भावित परियोजनायें तथा राज्य-वार प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) विदेशों में बसे भारतीयों के लिए नई योजना तैयार करने हेतु भारत सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

"विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा ग्रामों को अपनाने" की योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुए पत्रों का ब्यौरा।

क्रम सं०	राज्य	इनसे प्राप्त आवेदन-पत्र	अपनाये जाने वाले गांव	शुरू की जाने वाली परियोजनाएं	प्राप्त होने वाली राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	श्री पी० सुब्बा रेड्डी	मीत्तामेदिपाली, जिला प्रकाशम	प्रौढ़ साक्षरता और अस्पृश्यता उन्मूलन, बेरोजगारी, रोग, सूखा और कृषि तथा बागवानी का विकास भी	1000 डालर के उपकरण
2.	आन्ध्र प्रदेश	श्री विद्या सागर एस टुलुमारी	काचीपुड़ी जिला कृष्णा	प्राथमिक विद्यालय	2000 डालर
3.	आन्ध्र प्रदेश	श्री पुलीवरथी इलीशा बोब	दर्शाया नहीं गया	शैक्षणिक तथा कल्याण सेवा केन्द्र	दर्शाया नहीं गया
4.	बिहार	श्री दिनेश मेहता	पश्चिम बंगाल और बिहार के गांव (गांव का नाम नहीं दिया गया)	प्राथमिक स्कूल, डिस्पैन्सरी, प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र, शैक्षणिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, ग्रामीण सड़कें तथा सम्पर्क सड़कें, फुटपाथ नालियां तथा पेय जल कूपों तथा तालाबों की सफाई	दर्शाया नहीं गया

1	2	3	4	5	6
5.	गुजरात	श्री कीर्ति शाह तथा सहयोगी	गांव भीमैकुई और नंटारिया जिला खेड़ा	जल निर्माण	1.79 लाख रुपये
6.	कर्नाटक	डा० एम० वी० वासुदेवन	गांव मुढलोड़ जिला कोलार	चलती फिरती गाड़ी के प्रावधान सहित डिस्पेंसरी	दर्शाया नहीं गया
7.	महाराष्ट्र	प्रीतम बी० ड़ानड़ाडे	गांव उनडरी, जिला बुल्दाना	प्रसूति गृह तथा छोटी डिस्पेंसरी	2000 डालर
8.	महाराष्ट्र	श्री विश्वानाथ वी० ड़ाटे	बताया नहीं गया	स्कूली बच्चों को पोषाहार देना	1000 डालर
9.	पंजाब	श्री एन० सिंह गिल	गांव दुधीकिया जिला फरीदकोट	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	'शून्य' दानदाता मर गया है।
10.	पंजाब	श्री बी० एस० वारना	सिंहपुरा गांव, जिला गुरदासपुर	गुरुद्वारा, भवन और सामुदायिक पंचायत घर	3000 डालर
11.	तमिलनाडु	श्रीमती रागिनी एस० सुरेश	मदुरई जिले में एक गांव	बताया नहीं गया	1000 डालर
12.	उत्तर प्रदेश	चन्द्र डी० नारायण	केलगुडा गांव, जिला देवरिया	बताया नहीं गया	दर्शाया नहीं गया
13.	उत्तर प्रदेश	श्री सिभनाथ कपिल देव	महादेव दुवे गांव, जिला गोरखपुर	पीने के पानी के लिए नलकूप	30,000 रुपये (दे दिए गए हैं)
14.	पश्चिम बंगाल	श्री एन० के० घोष	गांव चन्डी मन्दीप, जिला मुर्शीदाबाद	पीने के पानी के नलकूप	5,425 रुपये
15.	पश्चिम बंगाल	श्री अरुण घोष	नादीया अथवा पश्चिम दिनाजपुर जिले में कोई गांव	ग्रामीण उद्योग की स्थापना अथवा नलकूप लगाना	1,200 डालर

दिल्ली नगर निगम के जल पूर्ति तथा मल व्ययन विभाग में बेकार पड़ी मशीनें

5788. **श्री निहाल सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली नगर निगम के जल पूर्ति तथा मल व्ययन विभाग के केशवनगर (तिलक नगर) में बेकार पड़ी मशीन का ब्योरा क्या है तथा वहां बेकार पड़े उपकरण का विवरण तथा मूल्य क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जल तथा मल निस्सारण विभाग, दिल्ली नगर निगम द्वारा यमुना जल का पीने के पानी के रूप में प्रयोग

5789. **श्री निहाल सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के जल एवं मल निस्सारण विभाग द्वारा यमुना नदी का कितना पानी वजीदाबाद वाटर वर्क्स पर पीने के पानी के रूप में प्रयोग में लाये जाने हेतु जमा किया जा रहा है और उसमें से कितनी मात्रा यमुना में छोड़ी जा रही है;

(ग) वजीराबाद से ओखला बांध तक कितने गन्दे नाले यमुना में गिरते हैं और उनके द्वारा कितना गन्दा पानी नदी में फेंका जाता है और क्या ओखला में यह पानी मानव द्वारा पीने के लिए उपयुक्त है; और

(ग) क्या इस पानी को भूली भटियारी में मानव द्वारा पीने के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया है और यदि हां, तो ओखला वाटर वर्क्स से दिल्ली को पेय जल की सप्लाई करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जारी है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

5790. **श्री एच० एन० नन्जे गोडा :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम हेतु 1982 के लिए राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन राज्यवार, कितना किया गया है;

(ख) 1981 की तुलना में ये आंकड़े क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के लिए खाद्यान्नों के साथ-साथ दिये जाने हेतु कपड़े को भी शामिल करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 के लिए विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन अभी किया जाना है। तथापि, वर्ष 1981-82 हेतु खाद्यान्नों के आबंटन तथा नकद निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

विवरण

वर्ष 1981-82 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को खाद्यान्नों के आबंटन तथा नकद निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	आबंटित नकद निधियां (लाख रुपए में)	*आबंटित खाद्यान्न (मीटरी टन में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1896.00	31,500
2.	असम	400.00	6,000
3.	बिहार	2420.00	40,000
4.	गुजरात	560.00	9,200
5.	हरियाणा	160.00	2,500
6.	हिमाचल प्रदेश	120.00	2,000
7.	जम्मू तथा काश्मीर	160.00	2,500
8.	कर्नाटक	828.00	14,000
9.	केरल	804.00	13,400
10.	मध्य प्रदेश	1320.00	22,000
11.	महाराष्ट्र	1420.00	24,000
12.	मणिपुर	20.00	300
13.	मेघालय	20.00	400
14.	नागालैंड	20.00	200
15.	उड़ीसा	820.00	14,000
16.	पंजाब	252.00	4,300
17.	राजस्थान	468.00	8,000
18.	सिक्किम	16.00	200

1	2	3	4
19.	तमिलनाडु	1480.00	25,000
20.	त्रिपुरा	60.00	1,000
21.	उत्तर प्रदेश	3340.00	55,800
22.	पश्चिम बंगाल	1348.00	22,500
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	16.00	300
24.	अरुणाचल प्रदेश	16.00	300
25.	मिजोरम	16,00	300
26.	पाण्डिचेरी	16.00	300
27.	चण्डीगढ़	4.00	—
		18,000.00	3,00,000

* (4) में आबंटित खाद्यान्नों का मूल्य (कालम 3) में राज्य सरकारों/केन्द्र आबंटित निधियों में शामिल किया गया है।

कमला नदी पर बांध

5791. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई मंत्री कमला नदी पर बांध के लिए भारत-नेपाल समझौता के बारे में 15 मार्च, 1982 के आतरांकित प्रश्न संख्या 3458 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान सीसपानी में कमल नदी पर बहुद्देश्यीय बांध का निर्माण करना और इसे प्रश्न के भाग (ग) के अनुसार सोन कोसी से जोड़ने के बारे में बातचीत हुई थी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो क्या इस पर कार्यवाही की जाएगी; और

(ख) कमला बांध को जयनगर के पीछे शिरचैया तक बढ़ाने की योजना कब से लम्बित पड़ी हुई है और इसके रास्ते में क्या कठिनाई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) कमला नदी के जल का दोनों देशों के लाभ के लिए उपयोग करने के सम्बन्ध में नेपाल की महामहिम सरकार के अधिकारियों के साथ हाल में हुए विचार-विमर्श के दौरान, दोनों पक्ष विचार-विमर्श को आगे जारी रखने पर सहमत हुए थे। इस समय, कमला नदी पर जल-संचयन के लिए नेपाल की महामहिम सरकार द्वारा कोई ठोस प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

(ख) बाढ़ नियन्त्रण एक राज्य-विषय है और कमला नदी के साथ बाढ़ तटबन्धों के लिए ऐसी किसी स्कीम को बिहार सरकार ने तैयार करना है। नेपाल के क्षेत्र में जयनगर के परे कमला नदी के तटबन्धों का विस्तार करने के लिए बिहार सरकार से केन्द्रीय सरकार को कोई स्कीम अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय खाद्य निगम के कलकत्ता स्थित गोदाम में आग

5792. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 मार्च, 1982 को दक्षिण कलकत्ता के टौलीगंज क्षेत्र में पाम आयल और रेपसीड आयल की भारी मात्रा के भंडारण वाले भारतीय खाद्य निगम के छः गोदाम आग लगने से पूरी तरह स्वाह हो गए; और

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण हैं और उसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं। 14 मार्च, 1982 को दक्षिण कलकत्ता के टौलीगंज क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के किसी भी गोदाम में आग नहीं लगी थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बीज, खाद और उर्वरक की खरीद के लिए राजस्थान को प्रदान की गई धनराशि

5793. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 और 1982 में केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को, राज्य में अकाल की स्थिति को देखते हुए किसानों द्वारा बीज, खाद्य, उर्वरक और कृषि-आदानों को खरीद करने के लिए सहायता और अनुदान के रूप में कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की है; और

(ख) इस धनराशि के वितरण का जिलेवार ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने सूखा राहत सम्बन्धी उपायों के रूप में छोटे तथा सीमान्त किसानों को कृषि आदानों के लिए वर्ष 1980-81 के दौरान 100 लाख रुपये की व्यय की अधिकतम सीमा तथा 1981-82 में राज सहायता के लिए अग्रिम योजना सहायता के रूप में 150 लाख रुपये की मंजूरी दी है।

(ख) राजस्थान राज्य से जानकारी प्राप्त होनी है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा के पश्चिमी भाग में वनों की कटाई

5794. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उड़ीसा के पश्चिमी भाग मुख्यतः कालाहांडी, बोलनगीर जिलों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण इस क्षेत्र में परिस्थितिक संतुलन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो एक ओर बड़े पैमाने पर वनों की कटाई रोकने तथा दूसरी ओर इस क्षेत्रों में सुनियोजित ढंग से वन लगाने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) (1) वन (संरक्षण) अधिनियम 25-10-1980 से लागू हुआ है। अधिनियम की धारा-2 के अन्तर्गत, कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी ऐसे आदेश नहीं बना सकती है जिनमें कि निम्नलिखित निर्देश हों :—

(1) किसी भी आरक्षित वन या उसके भाग को आरक्षित रखने से समाप्त करने।

(2) किसी भी वन भूमि या उसके भाग को किसी गैर-वन कार्यों के लिए उपयोग में लाने।

(2) विभिन्न वानिकी और भूमि संरक्षण योजनाओं में वन-रोपण की व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में वित्तीय आबंटन निम्नलिखित हैं :—

	छठी पंचवर्षीय योजना का आवंटन करोड़ रुपये में
(1) भूमि संरक्षण राज्य क्षेत्र	6.00
(2) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में भूमि संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	5.10
(3) वानिकी राज्य क्षेत्र	12.50
(4) ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के रोपण सहित सामाजिक वानिकी की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	4.26

जनकपुरी, नई दिल्ली में डी० डी० ए० की भूमि पर कब्जा

5795. **श्री मीकू राम जैन :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, असलत गांव के आसपास जनकपुरी के 'ए' ब्लाक में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किये जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन जमीनों पर झुग्गियों और डेरियों जैसे अवैध निर्माण को हटाने और इनका आवास, स्कूल और नर्सरियों के लिए उपयोग, करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए ये जमीनें दी गई हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह क्षेत्र इसके पंखा रोड आवासीय योजना में अन्तरित किया गया है और जब भी योजना को कार्यान्वित किया जायेगा, अनधिकृत कब्जे को हटा दिया जायेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नारियल में विल्ट रोगों के बारे में किये गये अनुसंधान की प्रगति

5796. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या कृषि मंत्री केरल में ताड़ के वृक्ष में रोगों सम्बन्धी अनुसंधान के बारे में 24 नवम्बर, 1980 के अतरांकित प्रश्न संख्या 928 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल में विल्ट रोगों के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों द्वारा किए गये अनुसंधान कार्यों में क्या प्रगति हुई है;

(ख) 20 वर्ष से भी अधिक अवधि में इस रोग का पूरा उपचार खोजने में परिषद् की असफलता को देखते हुए क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच कराने और परिषद् में उत्तरदायित्व की स्थिति लाने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों की उक्त असफलता का पंचवर्षीय उपलब्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् प्रशासी निकाय, सम्बन्धित संस्थान प्रबन्ध समिति अथवा क्षेत्रीय समिति की बैठकों में उल्लेख किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की मूल्यांकन तथा निगरानी व्यवस्था को पुनर्गठित करेगी तथा इसका नेतृत्व करने हेतु किसी उत्कृष्ट वैज्ञानिक को तैनात करेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान केन्द्र नारियल के जड़ मुरझान रोग से पूरी तरह अवगत है और इस संश्लिष्ट बीमारी पर होने वाले अपने अनुसंधान कार्य को दृढ़ता से चला रहा है। इस बीमारी को रोकने के लिए संस्थान द्वारा तैयार की गई नीति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं :—

(i) इसके और आगे फैलाव को रोक कर इसे नियन्त्रित करना;

(ii) सही मात्रा में खाद के प्रयोग, सिचाई, अन्तः फसल और मिश्रित खेती द्वारा रोग ग्रसित ताड़ के बेहतर प्रबन्ध को बढ़ावा देना;

(iii) रोग रोधी किस्मों की पहचान।

अगस्त-अक्तूबर, 1981 के दौरान छः प्रशासन महासागर के देशों से 24 नारियल के कल्टीवर्स एकत्र किये गये है और रोग-रोधिता/सहिष्णुता के लिए छंटाई हेतु इनकी पौदें उगायी गई हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त अधिक पैदावार देने वाली रोग मुक्त 'सुपर' ताड़ से तैयार की गई अनेक पोदें रोग ग्रसित बगीचों में लगाई गई हैं तकि उनकी प्रतिक्रिया और रोग रोधिता की शक्ति का अध्ययन किया जा सके। एक परीक्षण में जहां चौघाट ड्वधि आरेंज और वेस्ट कोस्ट टाल तथा वेस्ट कोस्ट टाल से संकर किस्में लायी गयीं और उनमें तुलना किया गया, और यह देखा गया कि संकर किस्मों में रोग का प्रकोप केवल 6.5% और वेस्ट कोस्ट टाल में 35.5 प्रतिशत था। ताड़ की संकर किस्मों की पैदावार 118 गिरि प्रति वृक्ष थी जब कि वेस्ट कोस्ट टाल की पैदावार 50 गिरि प्रति वृक्ष थी। केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान ने भी चाल-कुडी नदी के उत्तर में एक उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ किया था और ताड़ के 400 रोग ग्रस्त वृक्षों को काट दिया गया था।

(ख) नारियल का जड़ मुरझान रोग एक बहुत जटिल बीमारी है और इस पर जो अभी तक कार्य किया गया है उससे इस बीमारी की विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायता मिली है। रोग उत्पन्न करने वाले अनेक संभावित कारकों जैसे—विभिन्न प्रकार के फफूंद, बैक्टीरिया, नेमाटोड, मृदा कारक और विषाणुओं का पता लगाया गया है अब कार्य में प्रगति जारी है और वास्तविक कारण सम्बन्धी अंगी या कारक का पता लगाने से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। चूंकि नारियल एक बहुवर्षीय फसल है इस पर सही निष्कर्ष निकालने में समय लगता है, जबकि वार्षिक फसलों में जल्दी निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। अन्य जगहों में नारियल में कडैंग-कडैंग, जमाइकन येलो, थाटीपाका, तंजावूर मुरझान आदि जैसी अनेक बीमारियां लगती है, और सम्मिलित प्रयासों के बावजूद वास्तविक कारण सम्बन्धी अंगी (जीव) का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सरकार के पास किसी जांच का आदेश देने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक देश के प्रति पूर्ण वफादार हैं और उनको जो कार्य सौंपा गया है उसके लिए वे पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। फिर भी, अनुसंधान एक क्रिया-कलाप है जहां विकट समस्याओं के लिए समाधान प्राप्त करने हेतु कोई अवधि निर्धारित करना कठिन है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अक्तूबर, 1980 में एक पंचवर्षीय समीक्षा बल की स्थापना की है, जिसका कार्य प्रगति जारी रखने वाले अनुसंधान कार्य की गहराई से जांच करना और कार्यक्रमों को और सुदृढ़ बनाने के लिए सिफारिश करना है। पंचवर्षीय समीक्षा दल की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है और जब यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को प्राप्त हो जाएगी उस पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा।

(ग) न तो क्षेत्रीय समिति सं० 8 जिसके अन्तर्गत केरल है, और न संस्थान प्रबन्ध समिति और न तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय ने केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान

संस्थान तथा नारियल के जड़ मुरझान रोग के तथा उसके अनुसंधान कार्यक्रम के कार्यकरण पर अब तक कोई प्रतिकूल टिप्पणी की है। दिनांक 21.8.1980 को आयोजित क्षेत्रीय समिति बैठक सं०-8 में एक सदस्य की ओर से अनुरोध किया गया कि जड़ मुरझान रोग पर और अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान पर और अधिक जोर देने की सख्त जरूरत है।

शासी निकाय ने दिनांक 30.12.1980 को आयोजित अपनी बैठक में "नारियल के जड़ मुरझान से सम्बन्धित एक स्टेटस रिपोर्ट" पर भी विचार किया। शासी निकाय की बैठक में सी० पी० सी० आर० आई० के निदेशक द्वारा इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष बल दिया गया। इस बीमारी पर किये जाने वाले अनुसंधान कार्यक्रम पर शासी निकाय ने प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की।

केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान के पंचवर्षीय समीक्षा दल ने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। जब रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी उस पर संस्थान प्रबन्ध समिति और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अपने क्षेत्रीय समितियों, सामान्य निकाय, शासी निकाय और संस्थान की प्रबन्ध समिति तथा अनुसंधान परिषदों द्वारा एक मूल्यांकन और प्रबोधन पद्धति की पहले ही स्थापना की जा चुकी है, जो पंचवर्षीय समीक्षा दल जिसमें प्रतिष्ठित वैज्ञानिक होते हैं, के अतिरिक्त है।

एक असाधारण अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का वैज्ञानिक पहले से ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का मार्गदर्शन कर रहा है।

"नैचुरल रिसोर्सेज आफ दार्जिलिंग एण्ड दियर कंजर्वेशन एण्ड यूटिलाइजेशन" शीर्षक लेख

5801. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "साइंस एण्ड कल्चर" (सितम्बर, 1981, अंक 47) में "नैचुरल रिसोर्सेज आफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एण्ड दियर कंजर्वेशन एण्ड यूटिलाइजेशन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने और हिमालय क्षेत्र को विकसित करने के विभिन्न सुझाव दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उन्होंने इस सुझाव की ओर विशेष ध्यान दिया है कि 4000 फुट की ऊंचाई से ऊपर के पेड़ों को किसी भी दशा में उनके स्थान पर उचित रूप से अन्य पेड़ लगाये बिना काटा जाए; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर इन सब मामलों की जांच की जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है।

"आप्रेशन बरगा"

5802. श्री मुकुन्द मण्डल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बरगादारों के अधिकारों की तुरन्त रिकार्डिंग के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल में "आप्रेशन बरगा" चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) कितने बरगादारों ने इस "आप्रेशन" की स्थापना के बाद अपना "बरगा" अधिकार रिकार्ड किया है;

(घ) क्या सरकार अन्य राज्यों से अनुरोध करेगी कि गरीब बरगादारों को मुक्त कराने के लिए "आप्रेशन बरगा" का अनुसरण किया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां

(ख) "आप्रेशन बरगा" का उद्देश्य सार्वजनिक जांच की प्रक्रिया के माध्यम से "बरगा" (बटाईदारी के हितों) को रिकार्ड करना है।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार, इस आप्रेशन के आरम्भ से लेकर 30 जून, 1981 तक 10,89,500 "बरगादारों" को रिकार्ड किया गया है।

(घ) और (ङ) (उन राज्यों जहां पट्टेदारी) चाहे वह नकद लगान के आधार पर हो अथवा वस्तु के रूप में लगान के आधार पर हो की अनुमति दी जाती है, वहां अधिकार अभिलेखों में किरायेदार को रिकार्ड करना स्वीकृत राष्ट्रीय नीति के अनुकूल है। अनेक अन्य राज्यों ने भी इस सम्बन्ध में विशेष अभियान शुरू किए हैं।

सम्पदा अधिग्रहण अधिनियम तथा भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण

5803. श्री मुकुन्द मण्डल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य तथा संघ क्षेत्र में वर्ष 1981 तक अनुमानतः कुल अनुमानित भूमि कितनी फालतू थी, अतिरिक्त घोषित की गई और संपदा अधिग्रहण अधिनियम तथा भूमि सुधार अधिनियम दोनों के अन्तर्गत (श्रेणीवार) वितरित की गई ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क्षेत्र एकड़ में)

राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	पूर्व-संशोधित भूमि की अधिकतम सीमा/सम्पदा उन्मूलन कानूनों के अन्तर्गत			संशोधित भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत			
	फालतू घोषित क्षेत्र	कब्जे में लिया गया क्षेत्र	वितरित क्षेत्र	अनुमानित फालतू क्षेत्र	फालतू घोषित क्षेत्र	कब्जे में लिया गया क्षेत्र	वितरित क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	अप्राप्य	25792	875	1015,171	1015,171	443,655	304,677
असम	163,061	163,061	79,651	581,540	581,540	506,866	319,353
बिहार	8,956	अप्राप्य	1,100	300,000	233,205	144,008	137,658
गुजरात	45,956	44,491	43,899	132,288	132,288	48,025	6,037
हरियाणा	349,118	111,883	111,180	30,380	27,642	18,319	17,659
हिमाचल प्रदेश	6,525	292	292	285,816	136,109	135,293	3,654
जम्मू तथा काश्मीर	450,000	450,000	450,000	—	—	—	—
कर्नाटक	—	—	—	400,000	269,205	89,606	60,332
केरल	—	—	—	150,000	119,674	80,199	52,737

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश	87,047	63,127	40,908	256,211	256,211	142,115	80,053
महाराष्ट्र	269,325	254,224	168,936	370,658	370,193	281,586	281,586
मणिपुर	—	—	—	1,843	1,029	36	—
उड़ीसा	—	—	—	200,000	136,972	120,479	101,889
पंजाब	226,308	83,473	83,473	49,597	49,597	15,731	12,407
राजस्थान	346,537	295,596	212,315	794,000	245,769	218,598	119,887
तमिलनाडु	57,349	54,575	43,191	204,395	79,292	75,840	58,257
त्रिपुरा	—	—	—	4,612	1,881	1,563	1,034
उत्तर प्रदेश	224,292	195,898	137,988	282,006	282,006	259,963	232,186
पश्चिम बंगाल	1074,128	941,325	653,131	172,467	157,014	99,793	55,658
दादरा तथा नगर हवेली	—	—	—	9,390	8,958	6,180	3,406
दिल्ली	286	286	101	1,500	780	413	—
पाण्डिचेरी	—	—	—	3,210	2,520	1,006	904
योग	3308,888	2684,024	2030,340	5245,084	4107,056	2689,274	1849,374

टिप्पणी : पूर्व संशोधित भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत अनुमानित फालतू क्षेत्र उपलब्ध नहीं है ।

संपदा अधिग्रहण अधिनियम तथा भूमि सुधार अधिनियम

5804. श्री मुकुन्द मंडल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1981 तक संपदा अधिग्रहण अधिनियम तथा भूमि सुधार अधिनियम दोनों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल राज्य को कुल कितनी कृषि भूमि दी गई है;

(ख) इन अधिनियमों के अन्तर्गत भूमि का वितरण किस प्रकार किया गया है; और

(ग) दिसम्बर, 1981 तक वितरण के लिए (अलग अलग) कितनी भूमि उपलब्ध थी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	पश्चिम बंगाल सम्पदा अधिग्रहण अधिनियम 1953	पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955
1	2	3
राज्य में निहित कृषि भूमि का कुल क्षेत्र	10,74,128	1,57,014
वितरित क्षेत्र	6,56,131	55,658
वितरण के लिए उपलब्ध क्षेत्र	2,85,193	44,136

टिप्पणी : पश्चिम बंगाल सम्पदा अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत निहित क्षेत्र जो 30-6-1981 तक की अवधि से सम्बन्धित है, को छोड़कर यह सूचना 30-9-81 तक की है।

ए०-2-डी ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग काम्पलेक्स

5805. श्री मीकू राम जैन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जनकपुरी, नई दिल्ली के ए०-2-डी० ब्लाक में एक ग्रुप हाउसिंग काम्पलेक्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थल पर कितने फ्लैटों के बनाने का प्रस्ताव है और उसकी लागत अनुमानतः क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य कब शुरू किया जायेगा और उसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत 1980-81 और 1981-82 के दौरान आन्ध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता

5806. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 और 1981-82 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत कितनी राशि खर्च की और इस योजना से आन्ध्र प्रदेश के कितने गांवों को अब तक लाभ पहुंचा है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को खाद्यान्नों और नकद निधियों के रूप में दी गई सहायता निम्नानुसार है—

नकद निधियां

1980-81	1981-82
(लाख रुपये में)	(लाख रुपये में)
1345.00	1896.00

(राज्य सरकार द्वारा भी बराबर का अंशदान दिया गया)

खाद्यान्न

1980-81	1981-82
(मी० टनों में)	(मी० टनों में)
1,05,000	31,500

(इन खाद्यान्नों का मूल्य राज्य को स्वीकृत की गई नकद निधियों में शामिल है।)

(ख) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, दो वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश द्वारा खर्च की गई धनराशि निम्न प्रकार है—

1980-81	1981-82
(लाख रुपये में)	(लाख रुपये में)
2080.78	1445.49

राज्य में जिन गांवों को योजना से लाभ पहुंचा है, उनकी संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सम्पदा निदेशालय के आबंटन तथ किराया विंग में कर्मचारियों की संख्या

5807. **श्री राम लाल राही** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1973 से जनवरी, 1982 की अवधि के दौरान सम्पदा निदेशालय के अधीन एककों (आवासीय तथा वाणिज्यिक) की कुल संख्या कितनी बढ़ाई गई और साथ आबंटन और किराया विंग में तदनुसार कितनी वृद्धि हुई , यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पहले सम्पदा निदेशालय केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक भाग था और वहां किराया लेखों के रख-रखाव के लिए कार्य कर रहे क्लर्कों को एकांउट्स क्लर्क के रूप में वर्गीकृत किया गया था और जल सम्पदा निदेशालय की किराया विंग में कार्य कर रहे क्लर्कों को एकांउट्स क्लर्क के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है;

(ग) क्या सम्पदा निदेशालय के किराया विंग में पर्यवेक्षक सम्बन्धी कर्मचारियों का कार्य विशुद्ध रूप से तकनीकी किस्म (एकांउन्ट्स) का है, लेकिन गैर-पर्यवेक्षीय कर्मचारियों के उसी प्रकार के कार्य पर ऐसा नहीं माना गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1-1-73 से 1-1-82 तक की अवधि के दौरान बढ़े हुए घटे/हुए एककों (रिहायशी और वाणिज्यिक) की संख्या इस प्रकार है—

रिहायशी	वाणिज्यिक	कार्यालय वास
13858	426	21.62 लाख वर्ग फुट
बढ़े हुए	घटे हुए	बढ़े हुए

(इसमें होस्टल वास शामिल नहीं है)

(सम्पदा निदेशालय के आबंटन और किराया विंग के स्टाफ में समतुल्य वृद्धि नहीं हुई है)

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) सम्पदा निदेशालय के किराया विंग में पर्यवेक्षी स्टाफ (लेखाकार, अधीक्षक सहायक निदेशक (लेखा) का कार्य विशिष्ट प्रकृति का है। सहायक निदेशक (लेखा) और अधीक्षकों के पद, लेखाकारों में से पदोन्नोति द्वारा भरे जाते हैं। लेखाकारों का चुनाव संयुक्त विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाता है जिसके लिए लिपिकीय कर्मचारी पात्र हैं।

उत्तर प्रदेश में वन भूमि पर जबरन कब्जा

5808. **श्री राम विलास पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में वन-भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में दिनांक 16 नवम्बर, 1981 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) ऐसा सूचित किया गया है कि पिछले 7-8 वर्षा के दौरान लगभग 3000 व्यक्तियों द्वारा नैनीताल जिलें में तराई पूर्व वन प्रखण्ड में 3000 हैक्टार से अधिक वन क्षेत्र का गैर कानूनी कब्जा किया गया है।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्टों पर ध्यान दिया है और गैर कानूनी कब्जों को खाली कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया है।

रामाकृणपुरम, नई दिल्ली में लान का विकास

5809. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में क्वार्टर संख्या एस०1/689-716 के बीच की लान, ऊबड़-खाबड़ शुष्क उचित जगह पर बिना नल के, बाड़ और घास वाला है तथा वहां पानी रुका रहता है जिसके कारण वहां के निवासियों को असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो इस लान और इसके आस-पास के क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को समुचित परिस्थिति का वातावरण उपलब्ध कराए जा सकें;

(ग) रामाकृष्ण पुरम में और कितने ऐसे लान हैं और उनके सुधार के लिए भी क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि रामाकृष्ण पुरम सैक्टर-1 में गहरे नाले को समतल कर दिया जाय और नाले का बहाव ठीक कर दिया जाए और बंजर भूमि को हरियाली में बदल दिया जाय तो क्या इससे स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने में काफी सहायता मिलेगी, यदि हा, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) रामकृष्ण पुरम सैक्टर-1 में क्वार्टरों के ब्लाकों के बीच में 36 लान *तथा 20 छोटे लान हैं।* निर्धारित मानदण्डों के अनुसार इन सभी लानों का सन्तोषजनक ढंग से *अनुरक्षण किया जा रहा है।*

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में सरकारी आवास

5810. **श्री दया राम शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुमंजिलें आवास बनाने का निर्णय किस तारीख को किया गया था और 1979 से दिसम्बर, 1981 की अवधि में इस प्रकार के कितने मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया गया;

(ख) क्या दो वर्ष पूर्व बनाए गए टाईप-II के मकानों की तुलना में इस समय टाईप-III के बनाए जा रहें मकान छोटे हैं और उनमें तीन कमरों के स्थान पर केवल दो कमरे बनाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिले मकान बनाने का निर्णय लगभग दो दशक पहले लिया गया था। 1.1.1979 से 31.12.1981 तक की अवधि के दौरान 8415 मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। तथापि क्रैश आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाए जाने वाले विभिन्न किस्म के क्वार्टरों का कृषि क्षेत्र 1978 में कम कर दिया गया था जिसे 1981 में बढ़ाया जा चुका है। घटाए गए कुर्सी क्षेत्रों में बनाए III (जिसे अब टाइप 'सी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है) के क्वार्टरों में तीन कमरों की बजाए दो कमरे हैं।

गहरे समुद्र से मछली पकड़ने वाली नौकाओं को खरीदना

5811 **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 200 मील. के. आर्थिक क्षेत्र से समुद्री साधनों का लाभ उठाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किए गए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की 350 नौकाओं को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या ये सभी नौकाएं देश में ही बनाई जायेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की संख्या को 350 तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को आयातित, चार्टर्ड और देश में

बनाए गए मत्स्यन जलयानों की यथोचित मिली जुली संख्या द्वारा प्राप्त किया जाएगा । विभिन्न प्रकार के मत्स्यन जलयान प्राप्त करने के लिए जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से आशान शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था की गई है । सरकार द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के बेड़े में वृद्धि करने के लिए किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. देश में बनाए गए जलयानों की लागत पर 33 प्रतिशत राज सहायता देना; और

2. सर्वेक्षण और प्रशिक्षण के लिए बड़े मत्स्यन जलयानों का अधिग्रहण करना ।

छोटे मछुआरों द्वारा कम मछली पकड़ा जाना

5812. **श्री के० एन० स्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के समुद्र तट पर छोटे मछुआरों द्वारा मछली पकड़े जाने का पता है;

(ख) इनके मछली पकड़ने के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) मत्स्य नौकाओं (ट्रालरों) और देशी छोटी नौकाओं के क्षेत्रों को अलग करने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) यह सत्य नहीं है कि आन्ध्र प्रदेश के समुद्री तट पर छोटे मछुआरों द्वारा पकड़ी जाने वाली मछलियों की मात्रा में कोई गिरावट आई है । आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार छोटे मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियों की मात्रा में 1980 की तुलना में 1981 में सुधार हुआ है ।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार ने विभिन्न किस्मों की नावों के लिए मत्स्यन क्षेत्रों का सीमांकन करने का एक आदेश जारी कर दिया है । समाहर्ताओं ने पारस्परिक मछुआरों और यंत्रीकृत नावों के आपरेटरों के बीच पैदा होने वाले किसी विवाद को सुलझाने के लिए समितियों का गठन किया है ।

वामसाधारा और नागेवली नदी को जोड़ना

5813. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में श्री काकुलम जिले में सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण के प्रयोजन हेतु वामसाधारा और नागेवली नदी को जोड़ने की आवश्यकता के बारे में पता है;

(ख) इस मामले में की गई जांच पड़ताल को ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य के लिए क्या कदम उठाने की योजना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सिंचाई एक राज्य विषय है और नदियों के सभी विकास सम्बन्धी वर्क्स का आयोजन, अन्वेषण और उन्हें तैयार करने का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार को वामसाधारा और नागेवली नदियों को आपस में जोड़ने का कोई प्रस्ताव अभी तक आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार अथवा उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

गन्दी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार

5814. श्री हरिहर सोरन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम के अन्तर्गत गन्दी बस्ती क्षेत्रों के पर्यावरण में सुधार की एक योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो देश के उन नगरों और शहरों के नाम क्या हैं ? जहां इस प्रकार की गन्दी बस्तियों में सुधार कार्य-क्रम अब तक आरम्भ किया जा चुका है; और

(ग) उन विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनका इस योजना के अन्तर्गत छठी पंच वर्षीय योजना में सुधार किए जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) शहरी गन्दी बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार की योजना राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में चलाई जा रही है। केन्द्रीय क्षेत्र में गन्दी बस्ती क्षेत्रों के सुधार के लिए कोई योजना नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में पेय जल की समस्या वाले गांव

5815. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में दिसम्बर, 1981 तक कितने गांवों को पेय जल की समस्या वाले गांव घोषित किया गया है;

(ख) इस कार्य में कितने 'ड्रिलिंग रिग' लगे हुए हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पी० एच० ई० प्रयोजन हेतु और रिगों की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस अनुरोध पर भारत सरकार का क्या विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) मध्य प्रदेश में 31-3-80 की स्थिति के अनुसार पता लगाए गए शेषस समस्याग्रस्त ग्रामों जिनमें पेय जल सुविधाएं मुहैया की

जानी शेष थी, की संख्या 24,944 थी। जिन समस्याग्रस्त ग्रामों में 1980-81 में पेय जल पूर्ति मुहैया की गई, उनकी संख्या 7,195 थी। वर्ष 1981-82 (सितम्बर, 1981 तक) के दौरान 2,425 समस्याग्रस्त ग्रामों को जलपूर्ति मुहैया की गई थी। दोनों वर्षों के आंकड़ों में आंशिक रूप से जल मुहैया कराए गए ग्राम भी शामिल हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत पिछले कुछ वर्षों के दौरान उपलब्ध कराए गये 62 रिग्ज राज्य सरकार के खुदाई कार्यक्रम में लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कार्य चलाने के लिए राज्य सरकार के पास अपने रिग्ज भी हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न हीं नहीं उठता।

पुनर्वास कालोनियों—लीजहोल्ड पद्धति समाप्त कराना

5816. श्री भीकूराम जैन :

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास कालोनियों की संख्या क्या है और कितने अलाटी रह रहे हैं;

(ख) उनसे प्रतिवर्ष वसूल की गई जुर्माने की राशि सहित वार्षिक आय की राशि क्या है;

(ग) इस वसूली पर कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या लीजहोल्ड पद्धति समाप्त करने और प्लाटों के अलाटियों को फ्रीहोल्ड के अधिकार देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 64 (चितरंजन पार्क कालोनों सहित, जिससे सम्बन्धित कार्य, भूमि तथा विकास कार्यालय को केवल अगस्त-सितम्बर, 1981 में हस्तान्तरित किया गया था).

भूमि तथा विकास कार्यालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन कालोनियों में 50;686 आवंटी रहते हैं (चितरंजन पार्क कालोनी के लगभग 1935 आवंटियों सहित)। इन आंकड़ों में उन आवंटियों की संख्या शामिल नहीं है जिनके रिकार्ड क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसी प्रकार, चित्तरंजन पार्क कालोनी में रह रहे आवंटियों की ठीक-ठीक संख्या भूमि तथा विकास कार्यालय को ज्ञात नहीं है।

(ख) चित्तरंजन पार्क कालोनी की आय को छोड़कर, जिसके बारे में आंकड़े सुलभता से उपलब्ध नहीं हैं, 1980-81 के दौरान पुनर्वास पट्टी के बारे में भूमि किराया, हर्जाना, दुरुपयोग इत्यादि के कारण वसूलियां लगभग 40 लाख रुपये थी।

(ग) 1980-81 के दौरान पुनर्वास तथा गैर-पुनर्वास कालोनियों के पट्टों के प्रशासन पर भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा किया गया कुल खर्च लगभग 28 लाख रुपये था। केवल पुनर्वास सम्पत्तियों के प्रशासन पर खर्च के ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) यह सीमित प्रश्न कि क्या रिहायशी पट्टों जिसमें पुनर्वास पट्टे भी शामिल हैं, के बारे में लीज़ होल्ड पद्धति को समाप्त किया जा सकता है अथवा उनमें संशोधन किया जा सकता है। सरकार के विचाराधीन है, इस पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वायु एवं जल प्रदूषण

5817. **श्री गुलाम मोहम्मद खान :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अधिसंख्यक नगरों में आधारभूत सुविधाओं के अभाव में मानव निवास को खतरा बढ़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश की लगभग आधी जनसंख्या के पास शौचालय सुविधाएं नहीं है; और

(ग) वायु एवं जल-प्रदूषण को रोकने और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वत जीवन स्तर को सुधारने के क्या उपाय सोचे गये हैं?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यह सच है कि देश के कई नगरों में कतिपय आधारभूत सुविधाओं का अभाव है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार अर्थात् 31-3-81 को 1981 की प्रक्षेपित शहरी जनसंख्या का लगभग 27 प्रतिशत जनसंख्या को शहरी स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की गई है।

(ग) वायु तथा जल प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 का कानून बनाया गया है। उपर्युक्त दो अधिनियमों के अन्तर्गत गठित बोर्ड तथा राज्य बोर्ड, अधिनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं, छठी पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जा रहा है :—

1. प्राथमिक शिक्षा
2. ग्रामीण स्वास्थ्य
3. ग्रामीण जल पूर्ति
4. ग्रामीण सड़कें
5. ग्रामीण विद्युतीकरण

6. ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास सहायता ।

7. शहरी गन्दी बस्ती पर्यावरणीय सुधार ।

8. आहार ।

राज्य क्षेत्र के गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार योजना के अन्तर्गत, पता लगाए गए गन्दी बस्ती क्षेत्रों में निम्नलिखित आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं :—

(i) जलपूर्ति ।

(ii) बरसाती पानी की नालियां ।

(iii) लेनों में खंडजे बिछाना ।

(iv) सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था; और

(v) सामुदायिक स्नानगृह एवं शौचालय ।

"ट्राइसेम" कार्यक्रम के अन्तर्गत मधुबनी और दरभंगा में प्रशिक्षित किए गए व्यक्ति

5818. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादिकता प्रयासों से स्वरोजगार के लिए शुरू किए गए "ट्राइसेम" कार्यक्रम के अंग के रूप में बिहार में जिला वार और मधुबनी तथा दरभंगा जिलों में ब्लाक-वार कितने योग्य व्यक्तियों को अब तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है;

(ख) उन प्रशिक्षित व्यक्तियों में से कितने लोग बिहार में जिला-वार और मधुबनी तथा दरभंगा में ब्लाक-वार अपने कुटीर और लघु उद्योग खोलने में सफल हुए हैं और उन्होंने क्या उद्योग खोले हैं; और

(ग) अन्य लोगों के अपना काम शुरू करने के रास्ते में कौन सी बाधायें हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना मंगाई गई है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संयुक्त उद्यम के लिए बाहरी देशों का राजी होना

5819. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान, फ्रांस, नार्वे और डेनमार्क ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए संयुक्त उद्यम हेतु अपनी सहमति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों द्वारा दी गई सहमतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा संयुक्त उद्यम और मछली उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारत और फ्रांस के बीच ज्ञापन का एक अस्थायी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जापान, नार्वे और डेनमार्क सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) उपर्युक्त प्रस्ताव टूना मत्स्यन, परिसंस्करण और मछली उत्पादों के वितरण कार्य के लिए संयुक्त समितियों या सहकारी निकायों का गठन करने और मत्स्यन में संयुक्त सर्वेक्षणों को करने तथा उनके विकास के लिए है। यह प्रस्ताव प्रारम्भिक चरण में है।

(ग) सरकार की संयुक्त उद्यम और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में विदेशी पूंजी निवेश का स्वागत करने की मूल नीति है। संयुक्य उद्यमों में विदेशी मत्स्यन जलयानों को चार्टर करने सहित साम्य साझेदारी और तकनीकी सहायता शामिल है। विदेशी साम्य साझेदारी के लिए नकद या वस्तु के रूप में 40 प्रतिशत तक की स्वीकृति दी गई है। अधिक साझेदारी के बारे में गुणों के आधार पर विचार किया जा सकता है।

चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबन्ध

5820. श्री ईरा मोहन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर कितने वर्षों से प्रतिबन्ध जारी है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप तामिलनाडु में करोड़ो रुपये मूल्य की चन्दन की लकड़ी का भारी भंडार जमा हो गया है;

(ग) चन्दन की लकड़ी को कीड़ों से बचाकर कितने समय तक रखा जा सकता है; और

(घ) चन्दन की लकड़ी के इन भारी भंडारों के निपटान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) 27-4-79 और 31-3-80 की अवधि के बीच स्वीकृत की गई 300 मीटरी टन चन्दन की लकड़ी को छोड़कर, लट्ठा, चिरी हुई और बिलिट के रूप में चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर 10-11-78 से प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

(ख) तामिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि प्रतिबन्ध के कारण उनके डिपुओं में चन्दन की लकड़ी का भंडार जमा हो गया है।

(ग) चन्दन की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता।

(घ) तामिलनाडु सरकार को सलाह दी गई है कि वे चन्दन की लकड़ी को कर्नाटक सरकार को बेचे। कर्नाटक सरकार को अपनी चन्दन की लकड़ी का तेल निकालने वाली फैक्ट्रियों और हथकरघा उद्योग के लिए उक्त लकड़ी की आवश्यकता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लि० नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण; केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम लि०, हावड़ा, के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण ।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : महोदय, राव वीरेन्द्र सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये एल० टी० सं० 3759/82]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति) :—

(एक) केन्द्रीय मत्स्य-पालन निगम लिमिटेड, हावड़ा, के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) केन्द्रीय मत्स्य-पालन निगम लिमिटेड, हावड़ा, के वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये । एल० टी० सं० 3760/82]

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : किस विषय पर ?

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या आपने इसकी अनुमति दे दी है ?

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं एक आई० ए० एस० अधिकारी कि..... परिस्थितियों में मृत्यु के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से यह प्रश्न कैसे उठा सकते हैं ?

प्रो० रूप चन्द पाल : महोदय, यह एक गम्भीर प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैंने दिल्ली में एक आई० ए० एस० अधिकारी द्वारा आत्महत्या किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर मैं विचार कर रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत पहले जब श्री अन्तुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे विधान सभा ने मेरे विरुद्ध एक विशेषाधिकार पास किया था और आपके पास भेजा था। महोदय, मुझे इस बारे में और कितना इन्तजार करना पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आपको इन्तजार की कोई जरूरत नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे महाराष्ट्र विधान सभा में अपमानित किया गया था। आप हमें संरक्षण क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने सदस्यों के हितों की रक्षा कर रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप यह महसूस करते हैं कि.....(व्यवधान)। आपको इसमें टिप्पणी करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं। आप क्यों चिन्तित होते हैं। जब मैं यहां मौजूद हूं।

पशु कल्याण बोर्ड मद्रास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए। एल० टी० सं० 3761/82]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : 26 तारीख की लिस्ट आफ बिजिनेस में कहा गया था कि एस्टीमेट्स कमेटी की जो 22वीं रिपोर्ट पेश की जा रही है वह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में की जा रही है—

अध्यक्ष महोदय : आ रही है।

श्री राम विलास पासवान : रिपोर्ट पेश कर दी गई है। यह कहा गया है कि हिन्दी अंग्रेजी दोनों में उसको पेश किया गया है। हिन्दी आई नहीं है—

अध्यक्ष महोदय : आ रही है।

श्री राम विलास पासवान : नहीं आ रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री की डिमांड्ज पर बहस चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : हिन्दी आ रही है।

श्री राम विलास पासवान : आज भी टेलीफोन से मैंने पूछा है। उन्होंने कहा मेरे पास एक कापी थी। उसको मैंने टेबल पर रख दिया है। एक कापी स्पीकर के पास रहेगी, सैक्रेटरी के पास रहेगी या कहां रहेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आ गई है।

श्री राम विलास पासवान : टेबल पर रख दी गई है लेकिन मैम्बरों को उपलब्ध नहीं होती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यह गलत—बयानी है। हिन्दी का बहाना करके उस दिन केरल की डिमांड्ज का विवरण नहीं किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : इसको माफ नहीं करता हूं लेकिन उस दिन तो मैंने इजाजत उनको दे दी थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह गलत है। आप इनके कान खींचिये।

अध्यक्ष महोदय : खींच कर लम्बा कर देंगे।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : समाचार पत्रों में आया है तीस ड्रम जो बन्द थे और जिन के बारे में यह कहा गया था कि इनमें कैमिकल्ज हैं, उनमें जक बून्द भी कैमिकल्ज नहीं निकला। यह बड़ा गम्भीर मामला है। मैंने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे।

प्रो० रूप चन्द पाल : महोदय सूचना मंत्री ने 19 जनवरी को अखिल भारतीय औद्योगिक कर्मचारियों की हड़ताल से पूर्व आकाशवाणी के सभी केन्द्रों को एक परिपत्र जारी किया था कि वह बन्द की सफलता की खबरें न प्रचारित करें और बाद में सदन में उन्होंने इसका खंडन किया था कि ऐसा कोई परिपत्र नहीं जारी किया गया था।

सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्र नियम, 1982 तथा सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सरकारी बचत प्रमाणपत्र, अधिनियम 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्र नियम, 1982 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 260 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 की धारा 1 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 260 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये एल० टी० सं० 3762/82]

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की वर्ष 1982-83 और शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय (संस्कृति विभाग) की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्योरवार मांगे

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के थुंगोन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गयी देखिये एल० टी सं० 3763/82]

(2) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय (संस्कृति विभाग) की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गयी देखिये एल० टी० सं० 3764/82]

राज्य सभा से प्राप्त संदेश

सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार, मुझे राज्य सभा द्वारा 25 मार्च 1982 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, 1982 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार, मुझे राज्य सभा द्वारा 25 मार्च 1982 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये भारतीय औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 1982 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, 1982

(2) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 1982

प्राक्कलन समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री एस० वी० पी० पट्टा भिरामाराव (राजमुंद्री) : महोदय, मैं पश्चिम एशिया श्री लंका मलेशिया, बर्मा इण्डोनेशिया और सिंगापुर में विदेशस्थ भारतीयों के बारे में प्राक्कलन समिति का 24वां प्रतिवेदन भाग 3 दक्षिण पूर्व एशिया (बर्मा, मलैशिया, सिंगापुर और इण्डोनेशिया) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री बंशी लाल (भिवानी) : मैं भारतीय खाद्य निगम (कृषि मंत्रालय—खाद्य विभाग) के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 35वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विमान की क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाना

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर पर्यटन और नागर विमानन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने के समाचार और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री, (श्री खुर्शीद आलम खान) : इण्डियन एयरलाइंस द्वारा 11 फरवरी, 1982 को रांची-पटना सैक्टर पर निर्धारित संख्या से अधिक यात्री ले जाने से सम्बन्धित एक मामला सरकार के ध्यान में लाया गया था। जैसा कि 12-3-82 को लोकसभा में मौखिक प्रश्न संख्या 283 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है; 11 फरवरी, 1982 को रांची/पटना सैक्टर पर, बी-737 द्वारा परिचालित उड़ान संख्या आई० सी०-410 कलकत्ता/रांची/पटना/लखनऊ/दिल्ली पर इण्डियन एयरलाइंस अपनी एक उड़ान में अपनी निर्धारित क्षमता से 7 यात्री अधिक ले गई थी। दो यात्रियों को कॉकपिट में स्थान दिया गया। पांच अन्य यात्रियों को केबिन में बिठाया गया। इस घटना की प्रारम्भिक छानबीन से पता चला है कि रांची सिटी बुकिंग आफिस के एक यातायात सहायक की भूल के कारण, उड़ान को असावधानीवश रांची से "ओवर बुक" कर लिया गया था।

2. दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध इण्डियन एयरलाइंस द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है इण्डियन एयरलाइंस के पूर्वी क्षेत्र के कार्यालय का एक वरिष्ठ अधिकारी इस घटना की जांच कर रहा है नागर विमानन के महानिदेशक ने भी विमान नियम, 1937 के नियम 77(ग) के अन्तर्गत कर्रवाई प्रारम्भ कर दी है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

3. नागर विमानन महानिदेशक ने अपने अधिकारियों के द्वारा 13 फरवरी, 1982 से 21 मार्च, 1982 के बीच आकस्मिक निरीक्षण किए जिनका उद्देश्य विमान सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की जांच करना था जिनमें निर्धारित संख्या से अधिक यात्रियों के वहन से सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का पहलू भी सम्मिलित था। इस प्रकार के निरीक्षण लखनऊ, पटना, बागडोगरा, गोहाटी, तेजपुर, जोरहाट, लीलाबाड़ी, डिब्रूगढ़, कलकत्ता, रांची, आगरा, वाराणसी, खजुराहो, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर तथा दिल्ली के सम्बन्ध में किए गए। इन निरीक्षणों के परिणामों से पता चला है कि इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा अधिक यात्रियों का वहन करके सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की कोई घटनाएं नहीं हुई हैं।

4. इण्डियन एयरलाइन्स ने इस विषय में अपने क्षेत्रीय प्रमुखों को पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं जिनमें उन्हें चेतावनी दी गई है कि अधिक यात्री ले जाने आदि जैसे सुरक्षा मानकों के किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। सुरक्षा नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन के महानिदेशक तथा इण्डियन एयरलाइन्स आकस्मिक निरीक्षणों का कार्य जारी रखेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का वक्तव्य हम सारे सदन को ताजजुब में डालने वाला है। उन्होंने केवल एक घटना को स्वीकार किया है, जब कि मैं उन्हें अनेक घटनाएं बतलाने वाला हूं जिनमें क्षमता से अधिक यात्री लिए गये। कुछ मामले तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट-सी० ए० डी०-की नोटिस में आ चुके हैं। सदन को गुमराह करने की कोशिश

की गई है, सारे तथ्य सामने नहीं रखे गये हैं। मैं मंत्री महोदय से अभी भी कहता हूं कि वे सारी चीजें सदन के सामने रखें अन्यथा अध्यक्ष महोदय, मुझे अन्य नियमों का अवलम्बन कर के आपके सहयोग से सच्चाई का उद्घाटन करना पड़ेगा। मेरी जानकारी के अनुसार कुछ ही दिन पहले जम्मू-श्रीनगर उड़ान पर भी अधिक यात्री पाये गए थे। अधिक यात्रियों का एक मामला और हुआ है, जिसमें 4 यात्रियों को बोर्डिंग कार्ड भी दिये गये, लेकिन बाद में पता लगा कि सी० ए० डी० की इन्वैस्टीगेशन टीम जांच कर रही है, तो उन यात्रियों को हवाई जहाज में चढ़ने से रोक दिया गया गायब कर दिया गया। लेकिन रिकार्ड मौजूद है कि 4 यात्रियों को बोर्डिंग कार्ड दे दिए गए थे और वे यात्री अतिरिक्त थे।

दिल्ली में सी० ए० डी० ने स्वयं पता लगाया है कि एक बोइंग की 737 फ्लाइट में 129 यात्री थे। कुल क्षमता 126 है। ये 3 यात्री अतिरिक्त कैसे आये ? एक स्टाफ के सदस्य को अधिक यात्री के रूप में ले जाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं।

2, ढाई महीने पहले बागडोगरा-कलकत्ता उड़ान पर दो यात्री ज्यादा थे। एक एयर-होस्टैस को खड़े रहना पड़ा। उस यात्रा में एक बड़े प्रविष्ठित ट्रेवल एग्जीक्यूटिव सफर कर रहे थे, उन्होंने लिखी हुई शिकायत दी है। या तो मंत्रालय ने मंत्री महोदय को गुमराह किया है, यह वह सदन के सामने सारे तथ्यों को नहीं ला रहे हैं। वह पता लगायें कि बागडोगरा-कलकत्ता उड़ान के सम्बन्ध में कोई लिखित शिकायत आई है या नहीं ?

पटना दिल्ली उड़ान पर भी एक बार 3 यात्री खड़े हुए आये थे।

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि 7 मार्च को श्रीनगर से जो हवाई जहाज आया, उसमें पार्लियामेंट के एक मेम्बर काक-पिट में बैठकर आये थे, क्योंकि सीट नहीं थी ? क्या इसकी भी जानकारी नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, काक-पिट में किसी को बैठाकर नहीं लाया जा सकता। हाई-जैकिंग एक बार हो चुका है। सुरक्षा के नियम स्पष्ट हैं। अगर पाइलट और क्रू भीतर चले जायें तो काक-पिट का दरवाजा बन्द होना चाहिये, लेकिन जब यात्रियों को वहां बैठाकर लायेंगे तो सुरक्षा के नियमों का पालन कैसे हो सकता है ?

मंत्री महोदय ने केवल एक घटना मानी है—पटना-रांची। मगर पटना-रांची के वरिष्ठ मंत्री सदन में नहीं हैं। श्री अनन्त प्रसाद शर्मा कहां विराजमान है इस समय, क्या मैं जान सकता हूं ?

एक माननीय सदस्य : काक-पिट में हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है, लेकिन अगर लिखित दें तो और पता करूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लिखकर भेजा है, लेकिन मुझे लगता है कि वह अपने को सदन का सामान करने से बचा गये।

मंत्री महोदय ने एक घटना मानी है, उसमें उन्होंने कहा कि 7 यात्री ज्यादा थे। मेरी जानकारी है कि 13 यात्री ज्यादा थे। इसका भी फैसला करना है, मगर मैं जानना चाहता हूं कि 7 यात्री कहां थे—काक-पिट में थे और 5 केबिन में थे, क्या लैवेटरी में भी कोई था ?

अध्यक्ष महोदय : खुबूश ले रहा होगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यात्रियों को बैठाने का एक तरीका बनाया जा रहा है जो बहुत खतरनाक है आर्म रेस्ट के लिए जो प्रबन्ध हैं, वे हत्थे हटा दिए जाते हैं और उसमें अतिरिक्त यात्री बैठाये जाते हैं । हत्थे हटाकर आप सीटें बढ़ा सकते हैं, मगर कुर्सी-पेटी तो नहीं बढ़ा सकते ।

एक माननीय सदस्य : वह भी बढ़ जाती हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप तो विमान में बहुत यात्रा करते हैं । कुर्सी पेटी बांधो-कुर्सी पेटी बांधो, लगातार यह सूचना दी जाती है । हवाई जहाज उड़ रहा हो तब भी अपनी रक्षा के लिए कुर्सी-पेटी बांधे रखो, मगर जब पेटी है ही नहीं, खाली कुर्सी है तो पेटी बांधेंगे कैसे ? एक घटना हो चुकी है, कलकत्ता वागडोगरा में । उसमें हवाई जहाज अचानक गहरे बादलों में फंस गया । सूचना नहीं दी जा सकी कि आप कुर्सी-पेटी बांधिए । उस दिन 15 यात्री घायल हुए थे । अगर यात्री बिना कुर्सी-पेटी के बैठेगा, तो यह उस यात्री के लिए भी खतरनाक है और आस-पास के यात्रियों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि वह मिसाइल की तरह उड़ सकता है, घायल हो सकता है । अधिक यात्री बैठाने के लिए सुरक्षा के इस नियम की अवहेलना की जा रही है ।

लेकिन ओवर-लोडिंग का मामला केवल यात्रियों तक ही सीमित नहीं है, सामान का भी ओवर-लोडिंग किया जा रहा है । कुछ हवाई अड्डे ऐसे हैं, जिनमें सामान ज्यादा आता है, मगर कम बताया जाता है । कर्मचारियों की मिली-भगत है ।

एक माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जरा पता लगाइए । "नहीं" कहने से काम नहीं चलेगा ।

एक माननीय सदस्य : क्या यह हिस्से दार हैं, जो नहीं कह रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर सामान कम बताया जाएगा, तो पायलट कम सामान देख कर ज्यादा फयुअल ले सकता है । लेकिन अगर असलियत में सामान ज्यादा होगा, तो उड़ान खतरे में पड़ेगी । जहां से कालीन लादे जाते हैं—मैं उन जगहों का नाम नहीं लेता—, वहां से इस तरह की शिकायतें आई हैं कि वजन ज्यादा है, मगर दिखाया जाता है कम क्या इस आशय की शिकायतें मंत्री महोदय को मिली हैं ?

अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी यहां नहीं हैं । वह रेलों में काम कर चुके है । उनकी बड़ी तमन्ना थी कि उन्हें रेल मंत्री बनाया जाए । मगर वह इच्छा पूरी नहीं हुई ।

एक माननीय सदस्य : क्या आपसे बोले थे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनको उड़ाने के लिए विमान दे दिए गए । लेकिन शर्मा जी ने तय कर लिया है कि प्राइम मिनिस्टर चाहे उन्हें रेल मंत्री बनाएं या न बनाएं, वह हवाई जहाजों को रेलों की तरह चला कर दिखा देंगे । जरूरत से ज्यादा यात्री भरे जा रहे हैं । जरूरत से ज्यादा सामान भरा जा रहा है ।

एक मामला ऐसा है कि एक बिना-टिकट यात्री वहां पाया गया। यह सी० ए० डी० ने चेक किया है। मंत्री महोदय इसका पता लगाएं। वह ऊपर कैसे पहुंचा ? जहां तक रांची वाले मामले का सम्बन्ध है।"

"घटना की प्रारम्भिक जांच से यह पता चला कि रांची शहर स्थित बुकिंग कार्यालय में ट्रैफिक एसीसटैंट की गलती से रांची से उड़ान के लिए भूल से सीटों से अधिक टिकट जारी कर दिए गये थे।

केवल सिटी बुक आफिस पर जांच

मैं जानना चाहता हूं कि हवाई अड्डे पर क्या हो रहा था। मान लीजिए कि सिटी बुकिंग आफिस से गलती हो गई, ओवर-बुकिंग हो गया, तो हवाई अड्डे पर उसका पता क्यों नहीं लगाया गया ? जब हवाई जहाज पर यात्री चढ़ रहे थे, तो क्या कोई देखने वाला नहीं था ? सात यात्री कैसे ज्यादा चढ़ गए ?

यह साधारण घटना नहीं है। हवाई जहाजों में सुरक्षा के सारे नियम ताक पर रखे जा रहे हैं। हवाई उड़ान एक खतरनाक चीज बन गई है। यात्रियों का मनोबल टूट रहा है। या तो प्रभाव की वजह से-किसी को एकामोडेट करना है, इस लिए-ओवर-लोडिंग किया जाता है, या कर्मचारियों के अपने सम्बन्धी हैं, जिन्हें ले जाना है या फिर पैसा चल रहा है।

एक माननीय सदस्य : मनोबल कैसे टूट रहा है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मनोबल इस लिए टूट रहा है कि सिफारिशवाद चल रहा है। एक अफसर दो साल के भीतर कई सीढ़ियां लांघ कर-चढ़ नहीं, फांद कर-मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया है। अनेक अफसर सुपरसीड कर दिए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : यह बिल्कुल इरेलिवेंट है।

अध्यक्ष महोदय : यह नया स्पीकर कहां से आ गया ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बुढ़ापे में इतना उत्साह है, यह देख कर सचमुच मुझे रश्क होता है। मैं जवानी में भी ऐसी टोका-टोकी नहीं कर सकता था। दांत गिर गए हैं, लेकिन आंत मजबूत हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस गंभीर मामले को.....

अध्यक्ष महोदय : इसकी गंभीरता नहीं जाएगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इण्डियन एयरलाइन्ज की उड़ानें पूरी तरह से सुरक्षित हों और सुरक्षा का अर्थ है यात्रियों की सुरक्षा और हवाई जहाज की भी सुरक्षा। लेकिन मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो भी नियम हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। उनमें ढिलाई है। ढिलाई के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका आप पता लगायें। मुझे याद है श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने सिफारिश की थी कि एक्सीडेन्ट्स की जांच के लिए कोई इंडेपेन्डेन्ट कमीशन होना चाहिए। एस्टिमेट्स कमेटी ने भी उस सिफारिश

के साथ अपनी सहमति प्रकट की है। आज मैं एक्सीडेन्ट्स की बात नहीं कह रहा हूं। एक्सीडेंट्स टल रहे हैं। आपकी वजह से नहीं, यात्रियों की तकदीर उन्हें जिन्दा रख रही है, आप तो उनको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि एअर लाइन्स की सेफ्टी के सारे पहलुओं पर विचार करने के लिए आप कोई इंडेपेन्डेन्ट कमीशन बनायेंगे ? कोई दुर्घटना हो जाए, फिर आप जांच करें, पोस्टमार्टम करें.....

अध्यक्ष महोदय : आप पानी आने से पहले बन्धा लगाना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जितने भी लूप-होल्स हैं, नियमों का अगर उल्लंघन हो या ढिलाई हो या कोई भी कारण हों उनकी जांच के लिए कोई कमीशनब बनाया जाना चाहिए। लेकिन जब तक इंडेपेन्डेन्ट कमीशन नहीं होगा तब तक तथ्य सामने नहीं आयेंगे। एक दूसरे की कमियों पर पर्दा डालने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप तथ्यों के बारे में पता लगायें और मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर देने का प्रयत्न करें।

श्री खुरशीद आलम खान : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम विमान के यात्रियों की सुरक्षा के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं। हम यात्रियों की सुरक्षा के प्रति उतने ही सतर्क हैं जितने कि माननीय सदस्य महोदय हैं और हमें भी यात्रियों की उतनी ही चिन्ता है जितनी उन्हें है।

मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि जो कुछ भी सम्भव हो सकता है किया जा रहा है और इसलिए न तो यात्रियों को ही कोई खतरा है और न ही विमानों को।

जहां तक तरक्कियों और दूसरी बातों का ताल्लुक है, मुझे समझ में नहीं आता कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में ये बातें कैसे उठाई गई हैं।

मैं यह बात पहले ही मान चुका हूं कि सात यात्रियों ने रांची से पटना तक उस विमान में उसकी क्षमता से अधिक यात्रा की थी परन्तु उन सभी लोगों को जगह दे दी गई थी। दो यात्रियों को जम्प सीट पर बैठाया गया था और उन्हें समुचित सीट बैल्टें भी दी गई थीं तथा पांच यात्रियों को केबिन में बैठाया गया था। वहां भी उन्हें हत्थे (आर्म टैस्ट) हटाकर बैठाया गया था और कुर्सी पेटी (सीट बैल्ट) को और बढ़ा दिया गया था और उनका इस्तेमाल.....

(व्यवधान)

श्री खुरशीद आलम खान : आप स्वयं जाइये और देख लीजिए। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा लगाए गए आरोपों का सम्बन्ध है कि खातों में दर्ज किए बिना सामान ले जाया जा रहा है तो मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं और बल्कि मैं यह कहता हूं कि जहां कहीं भी कोई सामान ले जाया जाता है हम हमेशा ही इसका या तो मैनीफैस्ट में या फिर दस्तावेजों में इसका उल्लेख करते हैं।

हमारी एयर बसों में सामान ले जाने की क्षमता 7 से 10 टन तक है और यह कभी भी 10 टन नहीं हुई।

इसी प्रकार, बोईंग में यह क्षमता $2\frac{1}{2}$ से 3 टन तक है और कभी भी यह 3 टन तक नहीं पहुंची।

जहां तक एयरलाइन्स के कर्मचारियों के अलावा विमान चालकों के यात्रा करने का सम्बन्ध है, इसके बारे में एक विनियम बना हुआ है और इसमें यह इजाजत दी गई है कि एयर बस और बोईंग 737 में दो अतिरिक्त कर्मचारी यात्रा कर सकते हैं जबकि एवरो और फाकर विमानों में केवल एक ही कर्मचारी यात्रा कर सकता है।

12.23 (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जहां तक बागडोगरा उड़ान के बारे में माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, हमें कहीं से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है और न ही यह शिकायत हमारे नोटिस में आई है।

माननीय सदस्य ने बताया है कि एक माननीय संसद् सदस्य को श्रीनगर से दिल्ली तक काकपिट में सफर करना पड़ा था। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही माननीय सदस्य इस बात से मुझसे सहमत होंगे कि संसद् के किसी भी माननीय सदस्य द्वारा हाइजैकिंग का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।

(व्यवधान)

श्री खुरशीद आलम खान : मुझे नहीं मालूम कि आपने कभी यात्रा की भी है।

जहां तक एयरलाइन्स के कर्मचारियों के संतोष का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को यह यकीन दिलाता हूं कि एयरलाइन्स के कर्मचारी संतुष्ट हैं और हम उनके हितों की देखभाल कर रहे हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हम उनके हितों की देखभाल करने में उतने ही जागरूक हैं जितने कि आप लोग।

रांची की यह घटना सिर्फ एक बार ही हुई है। इससे पहले ऐसी कोई बात हमारी जानकारी में नहीं आई है। लेकिन इससे हमें यह मदद जरूर मिली है कि हम अपने कर्मचारियों को और अधिक सावधान रहने के लिए कहें और जैसा कि आपने देख ही लिया है कि एक हफ्ते में 7 से लेकर 9 स्टेशनों की जांच की गई है और यह आकस्मिक जांच.....यह जांच सभी जगह आकस्मिक तौर पर और गोपनीय तरीके से नियमित रूप से चलती रहेगी। माननीय सदस्य भी इस बात से मुझसे सहमत होंगे कि हम रोजाना लगभग 18,000 यात्रियों को लाते ले जाते हैं। उन्हें ऐसी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आखिरकार यह हवाई यात्रा है और हवाई यात्रा में कोई भी व्यक्ति यात्रियों के जीवन को, हवाई जहाज को या विमान चालकों के जीवन को किसी भी तरीके का कोई जोखिम में नहीं डाल सकता।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या आपने 'टाइम आफ इण्डिया' में 26 मार्च का श्री मलिक द्वारा भेजा गया समाचार देखा है और क्या आपने इसका खण्डन किया है ?

श्री खुरशीद आलम खान : लेह के यात्रियों के बारे में ?

प्रो० मधु दण्डवते : अतिरिक्त यात्रियों के बारे में।

श्री खुरशीद आलम खान : क्या आप लेह के उन यात्रियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने चण्डीगढ़ से लेह तक यात्रा की थी ?

प्रो० मधु दण्डवते : वह इससे अलग है। यह आज छपा है। मैं 26 मार्च की बात कर रहा हूं।

श्री खुरशीद आलम खान : अखबारों में क्या लिखा है, मैं नहीं जानता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने यह पूछा था कि क्या कोई स्वतन्त्र सुरक्षा आयोग नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने इसका उत्तर नही दिया है।

श्री खुरशीद आलम खान : मेरे ख्याल से किसी ऐसे सुरक्षा आयोग की कोई जरूरत नहीं है। डी० जी० सी० ए० इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरी तरह करने में सक्षम है क्योंकि यह कार्य उसे ही सौंपा गया है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वायुयान में यात्रा करना पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही गम्भीर हो गया है और खतरे से खाली नहीं है। यह बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि यदि अधिक यात्रियों को वायुयान में ले जाया जाएगा तो उनका जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता है। उनका जीवन संकट में पड़ सकता है और ऐसी कई घटनायें पहले भी हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि रांची-पटना फ्लाइट में....

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या यह प्रासंगिक है ?

श्री हरिकेश बहादुर : मैं सबसे अधिक प्रासंगिक चीज़ा के बारे में बोल रहा हूं। आप इसे प्रासंगिक मत समझिये। कृपया सुनने की मेहरबानी कीजिए।

श्री हरिकेश बहादुर : रांची-पटना फलाइट में जितने आदमियों को जाना चाहिए था; उससे ज्यादा गए। अभी अखबारों में जो सूचनाएं निकली हैं, उनमें यह कहा गया है कि जितने यात्रियों को जाना चाहिए था, कई ऐसे सरस पर, उससे अधिक यात्रियों को हवाई जहाज में बैठाया गया। इस बारे में बहुत से उदाहरण श्री वाजपेयी जी ने दिए भी हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी के जवाब से लगा कि उन्होंने इसकी पूरी जानकारी नहीं की है और पहले ही उन्होंने कह दिया ऐसा नहीं हुआ है। अखबारों में जो खबरें निकलती हैं, बगैर किसी आधार के नहीं निकलती है और मैं चाहता हूं कि उसकी ठीक ढंग से जांच की जानी चाहिए। यात्रियों का वायुयान में यात्रा करना असुरक्षित हो गया है। हवाई जहाज में तेल की जगह पर तेल और पानी का मिश्रण मिलाया जा रहा है, यह घटना बम्बई में हो चुकी है। बम्बई हवाई अड्डा जो कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हवाई अड्डा है, वहां पर भी कोई सुरक्षा नहीं है। यहां तक कि अति-महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ले जाने के लिए हवाई जहाज की केबल्स काट दी जाती है, जैसा कि अभी मकालू में हुआ था। इस तरीके से आप देखेंगे कि हवाई जहाजों में कोई सुरक्षा नहीं रह गई है। इतना ही नहीं अभी कुछ दिन पहले 747-बोइंग में बम्बई में एक महिला के साथ बलात्कार भी हुआ था। जिसकी खबरे अखबारों में छपी थीं। इससे लग रहा है कि निश्चित क्षेत्र के अन्दर जहां पर कि सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, वहां सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। बिना टिकट के लोग भी उसके अन्दर प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि माननीय वाजपेयी जी ने भी कहा है। यही वजह है कि इन तमाम हवाईजहाजों की हाईजैकिंग भी होती है, अपहरण किया जाता है। जो अपहरण में हुआ था, उसकी बात मैं नहीं करता हूँ, वह तो माननीय मंत्री जी के ही दल के

लोगों ने किया था। दूसरा अपहरण पंजाब में खालिस्तान समर्थकों ने किया। इस तरह से अब वायुयान में यात्रा करना उतना ही असुरक्षित हो गया है, जितना कि रेलों में यात्रा करना। आप देखेंगे कि बिहार के अन्दर खास तौर से किसी भी····

प्रो० एन० जी० रंगा : नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर : ऐसा नहीं है कि हमेश ही हाइजैकिंग होती है। विमान के ईंधन में पानी मिला दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप विषय पर बोलिए।

मैं कह रहा था कि इस तरह से यात्रा सुरक्षित नहीं रह गई है, यहां तक कि वायुयान के चलने का समय भी ठीक से फोलो नहीं किया जाता, वे समय से नहीं चलते हैं। कल रात मैं बम्बई से आ रहा था। प्लेन को जिस समय चलना चाहिए था उस समय न चल कर 10 मिनट या 15 मिनट बाद चला जब कि मौसम ठीक था। आमतौर से यही होता है कि हवाई जहाज समय से नहीं चलते हैं। ये सारी बातें आज हमारी वायु सेवा के साथ जुड़ी हुई हैं, इन बातों पर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। अब मैं दो-तीन प्रश्न मुख्य रूप से पूछना चाहता हूं और चाहता हूं कि मंत्री महोदय उत्तर दें—

मेरा पहला प्रश्न यह है कि हवाई मार्गों के निर्धारण तथा किराया तय करने के लिए एक स्वतन्त्र संस्था बनाने की बात कई बार उठाई गई है। इस प्रकार की इण्डिपेन्टडेन्ट बाडी कई अन्य देशों में हैं जहां पर यात्रियों को काफी लाभ मिला है। यह संस्था कोई "वायु यात्रा परिषद्" जैसी संस्था हो सकती है, इसको स्टैचूटरी संस्था बनाना चाहिए जैसा कि एअर कारपोरेशन एक्ट, 1953 में कहा गया है। परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की संस्था बनाने से यात्रियों को कुछ सुविधायें मिल सकती हैं। यह इसलिए नहीं बनाई जाती, क्योंकि इसके बनाने से मंत्रालय के लोगों तथा एयर-लाइन्स के लोगों को कठिनाई होगी, इसीलिए वे हमेशा इसके बनाने में बाधा उपस्थित करते हैं। क्या इस प्रकार की संस्था, जैसा कि 1953 के एक्ट में कहा है, बनाएंगे या नहीं।

दूसरी बात—हवाई जहाजों में जो अधिक भीड़ हो जाती है उसको दूर करने के लिए क्या आप विभिन्न वायु मार्गों पर वायुयानों की संस्था बढ़ाने की बात सोचते हैं या नहीं ?

तीसरी बात—भीड़ को कम करने के लिए, कुछ रूट्स पर जहां भीड़ ज्यादा होती है, क्या वहां पर प्रतिदिन हवाई जहाज चलाने की व्यवस्था करेंगे ? जैसे गोरखपुर जो हवाई जहाज जाता है वह आल्टरनेट डेज पर जाता है, एक दिन छोड़ कर जाता है, क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वहां प्रतिदिन हवाई सेवा प्रदान की जा सके ताकि भीड़ से बचा जा सके ?

अन्तिम सवाल, क्या एच० एस० 748 (एव्रो) तथा फोकर-फ्रेण्डशिप की जगह एयर-बस या बोइंग 737 चलाने की व्यवस्था करेंगे ? ऐसा निर्णय हुआ था कि 1982 से धीरे-धीरे इन्हें हटाया जायेगा और उनकी जगह एयर-बस तथा बोइंग 737 लगाएंगे।

एयर कारपोरेशन एक्ट, 1953 के चैप्टर 2 में कहा गया है—

यह सुनिश्चित करना कि सेवायें उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराई जाएं जो प्रश्न मैंने सबसे पहले पूछा है—क्या आप ऐसी कोई स्टेचूटरी बाड़ी बनाने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री खुर्शीद आलम खान : माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छी भूमिका बनाई सवाल पूछने से पहले, और उसमें कुछ ऐसी चीजें भी ले आए जिनसे इसका कोई ताल्लुक नहीं था, किसी के साथ कुछ हुआ, किसी के साथ कुछ हुआ, लेकिन हमें तो ऐसी कोई बात मालूम नहीं है, उनको कैसे पता चल जाता है मैं कह नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तीन विशिष्ट प्रश्न रखे हैं।

श्री खुर्शीद आलम खान : मैं इनकी भूमिका का थोड़ा सा जवाब दे रहा था। जहां तक सुरक्षा का ताल्लुक है खुद माननीय सदस्य हमेशा हवाई जहाज से सफर करते हैं, रेल से सफर नहीं करते हैं, ये बिलकुल सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे।

जहां तक आपने कौन्सिल बनाने का जिक्र किया, यह मामला विचाराधीन है। हम जरूर सोच रहे है कि एक ऐसी एअर-ट्रांस्पोर्ट कौन्सिल के मामले पर गौर करें कि इसको बनाया जा सकता है या नहीं। लेकिन जो हमारी कन्सलटेटीव कमेटी इस वक्त मौजूद है उसके अन्दर ये तमाम चीजे आती रहती हैं और उसमें जो सुझाव दिये जाते हैं—जैसे कहीं पर सर्विस बढ़ाने का सुझाव दिया जाता है या कहीं पर बड़ा जहाज लगाने का सुझाव दिया जाता है उन पर गौर किया जाता है और करने की कोशिश की जाती है।

जहां तक गोरखपुर का सवाल है, वह भी विचाराधीन है उस पर गौर किया जाएगा।

मैं वाजपेयी जी को एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि जहां तक सुरक्षा का ताल्लुक है, हमने रांची के मामले में फौरन ही एक्शन लिया है और मैं समझता हूं कि उनको यह जान कर संतुष्टि होगी, खुशी होगी कि जहां तक इसका ताल्लुक है, एयरक्राफ्ट का कैप्टेन जो था, उसको ससपेन्ड किया जा चुका है, स्टेशन मैनेजर को ससपेंड किया जा चुका है और उस ट्रैफिक एसिस-टेंट को ससपेंड किया जा चुका है, जिसने सिटी बुकिंग आफिस में ज्यादा बुकिंग कर दी थी। इतना प्रोम्प्ट एक्शन लेने के बाद आप को किसी तरह की आशंका नहीं होनी चाहिए कि हम या अधिकारी आप की सुरक्षा या हवाई जहाज और दूसरे लोगों की सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इतने ज्यादा यात्रियों को लेकर हवाई जहाज उड़ा कैसे ?

श्री खुर्शीद आलम खान : इसीलिए तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर दुर्घटना हो जाती, तो कौन जिम्मेवार था ?

श्री खुर्शीद आलम खान : दुर्घटनाएं तो कभी भी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था, इस वजह से उनको फौरन ससपेंड किया गया है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, मेरे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है अर्थात् क्या वह भीड़-भाड़ वाले मार्गों पर विमानों की संख्या में वृद्धि करेंगे ?

श्री खुर्शीद आलम खान : कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और बहुत जल्दी और कैपेसिटी बढ़ सकेगी ।

श्री कमल नाथ : महोदय, मंत्री जी ने अपना स्पष्टीकरण विस्तार से दे दिया हैं और मेरे पूर्ववर्ती सदस्य के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे चुके हैं ।

इण्यिन एयर-लाइन्स देश में चल रही एक अकेली सेवा है । मैं नही समझता कि इसे इस लाभ का दुरुपयोग करना चाहिए और अपनी उड़ानों का सड़क परिवहन निगम की बसों की तरह चलाया जाना चाहिए । मेरा यह भी ख्याल है कि नागर विमानन के प्राधिकारीगण एयर बस शब्द को ज्यादा भी गम्भीरतापूर्वक और उसका शब्दश: अर्थ लगा रहे हैं और यह समझ रहे हैं कि यह भी दिल्ली परिवहन निगम की बसों की तरह ही है । हम सभी को इण्डियन एयर-लाइन्स के लाभ की चिन्ता है । लेकिन लाभ के आगे सुरक्षा को दांव पर नहीं लगाना चाहिए । सुरक्षा अत्यन्त आवश्यक चीज है ।

महोदय विमान कोई बैलगाड़ी तो है नहीं कि आप बैलों को मारमीट कर ज्यादा से ज्यादा सामान इसमें लाद सकें । विमान तो अत्यन्त ऊंची किस्म की वैज्ञानिक और तकनीकी मशीन है । इसमें यात्रियों और सामान का पूरा-पूरा अनुपात रखा जाता है ।

कुछ वर्ष पहले बम्बई में कैरवेले विमान दुर्घटना हुई थी, उसकी जांच की गई थी । विमान दुर्घटना की जांच करने वाली इस समिति के निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष यह था कि जहां इंजन था उसके आखिर में आग लगी थी । पिछले हिस्से के यात्री अगले हिस्से में दौड़े । इसलिए भार का अनुपात बिगड़ गया और गुरुत्वाकर्षण केन्द्र आगे के हिस्से में हो गया और विमान का अगला हिस्सा नीचे की ओर आकर जमीन से टकरा गया । यह वायुयान के अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व है और उड़ान में इसका ध्यान रखना जरूरी है ।

विगत में कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिनमें एक व्यक्ति काकपिट में घुसने की कोशिश कर रहा था । प्रश्न यह नहीं है कि क्या किया जा सकता है, प्रश्न यह भी नहीं है कि क्या चीज व्यवहारिक है । प्रश्न तो यह है कि कानूनी अपेक्षाएं क्या हैं । वे कानूनी अपेक्षाएं जो संसार भर के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा और विमान निर्माताओं द्वारा किये गये व्यापक एवं विस्तृत अध्ययन के आधार पर बनाई गई हैं, पूरी की गई हैं या नहीं ।

इस वर्ष 9 फरवरी को मैं स्वयं नागपुर से दिल्ली आ रहा था और जब मैं जहाज में चढ़ा तो मैंने देखा कि नागपुर विमान के रेस्टोरेंट से एक वेटर आ रहा था जिसके हाथ में कुछ शीतल पेय थे—कुछ 'थम्सअप' थे कुछ कैम्पा कोला थे—बहरहाल कुछ भी हो—और साथ ही वह एरियेटिड पानी भी ला रहा था । लेकिन जब यात्री विमान में चढ़े, उसने उन चीजों को सीटों पर फेंक दिया । जब यात्री आगे की ओर बढ़ रहे थे तो वेटर ने एरियेटिड पानी गिरा दिया और अन्य सभी बोतलें भी गिरा दीं जो उसके हाथ में थीं । महोदय उस दिन विमान भरा हुआ था । यह 9 फरवरी की बात है । क्या-क्या चीजें दिखाई गई थी ? यदि सामान और भारी सूची में इस अतिरिक्त भार का कोई उल्लेख नहीं किया गया था तो यह न केवल बेहद खतरनाक बात थी बल्कि यह ईश्वर की मेहरबानी कहिये कि विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ । इस सूची के

आधार पर ही पायलट यह अनुमान लगाता है कि उसे इंजिन को कितनी शक्ति देनी है और उसे किस गति से चलाना है। इसलिए मेरा यह प्रश्न है कि क्या यह सूची तैयार करके पायलट को दी गई थी या नहीं ?

महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि जांच समिति बैठा दी गई है। जांच की जरूरत ही क्या है जब मंत्री महोदय स्वयं भी यह बता रहे हैं कि यह सब कुछ हुआ है। मैं यह भी जानता चाहता हूं कि इस जांच समिति की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी और उस पर क्या कार्यवाही करने की जायेगी ?

महोदय, एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि दो यात्रियों को एकही पेटी में स्थान दिया गया था। महोदय, कुर्सी पेटी जैसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में यह लिखा गया है कि इसमें वजन विशेष और दबाव विशेष को बांधने की क्षमता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि पांच यात्रियों को एकही पेटी से बांध सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात पर ध्यान दें। यह विमान पूरी तरह से भरा हुआ था और यह या तो मद्रास से आया था या हैदराबाद से। चूंकि सीटें बिल्कुल भीगी हुई थी इसलिए एक यात्री को खड़े-खड़े आना पड़ा। इस प्रकार से यहां सवाल क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने का नहीं है बल्कि उड़ानों में विद्यमान भारी व्यवस्था का है।

महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि यात्री काकपिट में थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से पहले घटी एक घटना याद है जबकि एक यात्री काकपिट में पाया गया था और इसके लिए तत्काल एक मुकदमा शुरू किया गया था। यह तीन-चार साल पहले की बात है। सम्बन्धित पायलट को सजा मिली थी। अब यह स्वीकृत तथ्य है कि अमुक-अमुक तारीख को ऐसी घटना हुई थी। और इसके बारे में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। महोदय, प्रत्येक विमान के कप्तान को उड़ान से पहले सामान आदि की एक सूची तैयार करके दी जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि तैयार की गई सामान और ट्रिक सीट में, क्या यह उल्लेख किया गया था कि इसमें सात अतिरिक्त यात्री है क्योंकि इस सामान और ट्रिक सूची के आधार पर भी पायलट को बहुत सी बातों का अनुमान लगाना पड़ता है। इसलिए, सामान और ट्रिक शीट में प्रश्न यह भी नहीं है कि आप कर क्या सकते है परन्तु प्रश्न यह है कि आप कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं। मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि क्योंकि कुर्सी पेटी एक निर्धारित वजन के लिए होती है तो क्या वह निर्धारित वजन पूरा था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बाजपेयी जैसे अविवाहित व्यक्ति इस पर कतई आपत्ति नहीं करेंगे यदि एक पेटी से दो को बांध दिया जाये।

श्री कमल नाथ : महोदय, तब तो जहाज उड़ भी नहीं पायेगा।

श्री खुर्शीद आलम खान : महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं लेकिन एक बात के लिए उन्हें अश्वासन देता हूं कि हम विमानों को डी० टी० सी० की बसों की तरह नहीं चलाते, जैसा कि उन्होंने बताया है महोदय, यदि इसी प्रकार की तुलना की जाती रही तो इसका अर्थ यह होगा कि हम अपने भी संगठन की साख खराब कर रहे हैं···

श्री कमल नाथ : महोदय, मैंने केवल यही कहा है कि ऐसा दिखाई देता है और आप इसको बहुत गहराई से लगा रहे हैं···

श्री खुर्शीद आलम खान : मेरा ख्याल है कि आपकी कल्पना की उड़ान बहुत ऊंची है।

श्री कमल नाथ : मैं तो डी० टी० सी की प्रशंसा कर रहा हूं।

श्री खुर्शीद आलम खान : हम अपनी तुलना डी० टी० सी० से नहीं करना चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का यह अर्थ है कि आप बस की छत पर भी सवारी कर सकते हैं लेकिन विमान में आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए आप विमान की तुलना बस से मत कीजिए।

श्री खुर्शीद आलम खान : महोदय, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि विमान में सात अतिरिक्त यात्री थे···पायलट ने भी यह बात मानी है। इसलिए, इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करना हमारे लिए संभव है। लेकिन, प्राकृतिक माप की दृष्टि से उन्हें एक औपचारिक नोटिस भेजना और उस नोटिस के जवाब का इन्तजार करना जरूरी है। इसके बाद फौरन कार्यवाही की जायेगी। इसमें ज्याद समय नहीं लगेगा।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पायलट को निलम्बित कर दिया गया है।

श्री कमल नाथ : ट्रैफिक एसिटेंट का क्या हुआ ?

श्री खुर्शीद आलम खान : उसे भी निलम्बित कर दिया गया है। पायलट को भी निलंबित कर दिया गया है। सह चालक (को पायलट) को सावधान कर दिया गया है। स्टेशन-अधिकारी को निलम्बित किया गया है। (एक माननीय सदस्य मंत्री महोदय को भी निलम्बित क्यों न कर दिया जाए) सुरक्षा और अन्य बातों के लिए हम निर्माताओं द्वारा निर्धारित की गई सभी विशिष्टियों का हमेशा पालन करते हैं।

श्री कमल नाथ : कुर्सी पेटी के बारे में कुछ पाबन्दियां हैं।

श्री खुर्शीद आलम खान : वे तीन व्यक्तियों और उससे ज्यादा व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल नहीं की गई हैं। और इस खास दिन किस्मत से हमारे उस विमान में 40 जापानी लोग थे जो कद में छोटे थे और उन सभी को उसमें जगह दी गई थी। उन्हें जगह देना हमारे लिए सम्भव भी हो गया था।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) निर्जीव पेड़ों के तनों और शाखाओं को हटाये जाने के कारण उड़ीसा के मयूरभंज जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों के बीच असन्तोष

(1) श्री मनमोहन टुडु (मयूरभंज) : उपाध्यक्ष महोदय मैं उड़ीसा के मयूरभंज जिले की पहाड़ी पट्टियों में रहने वाले हजारों आदिवासियों के बीच बढ़ रहे असन्तोष की ओर माननीय

कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। सिमलीपल का विकास निगम द्वारा मयूरभंज जिले के जंगलों से सूखे पेड़ों के तनों और शाखाओं को हटाने से जंगली कुकुरमुत्ता जिसे आदिवासी अपने आहार के रूप में बड़े पैमाने पर खाते हैं बहुत कम उपलब्ध होता है।

वर्षों से सिमलीपल की तराइयों में स्थित दूरस्थ खण्डों में रहने वाले साधारण आदिवासियों ने सूखे पेड़ों के तनों और शाखाओं पर उगने वाले जंगली कुकुरमुत्तों को खाने की आदत बना ली। वे इन कुकुमुत्तों को पहाड़ी वनों से एकत्र करते हैं। उन्हें कूट कर रख लेते हैं और भविष्य में अपने इस्तेमाल के लिए संभालते हैं। इस तरह ये गरीब आदिवासी वनों में उगने वाले इन कुकुरमुत्तों से अत्यन्त पोषक प्रोटीन युक्त आहार प्राप्त करते रहे हैं। वे कुकुमुत्तों को चावल के साथ खाते हैं, विशेष कर बरसात में जब कोई अन्य सब्जी उपलब्ध नहीं होती।

सिमलीपल के जंगलों में कुछ विशेष किस्म के जंगली कुकरमुत्ते बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं 'मार्चेला' इनमें से एक है और यह अपने अच्छे स्वाद और महक के लिए प्रसिद्ध है। सूखे 'मार्चेला' की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी मांग है और यह 500 रुपये प्रति कि० ग्रा० तक बेचा जाता है। भारत प्रति वर्ष 28 लाख रुपये मूल्य का यह कुकुरमुत्ता निर्यात करता है। ये वन अर्थव्यवस्था प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ताजा पत्तियों और घास-फूंस को स्थानीय रूप से 'नाडु-चाडु' या 'पख चाटु' के नाम से सुस्वाद और पौषिक कुकुरमुत्तों में बदलने के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।

सिमलीपल वन विकास निगम द्वारा सभी सूखे जीर्ण-शीर्ण और टूटे पेड़ों के तनों और शाखाओं को काट देने से वन प्राकृतिक फफूंदी वाले स्थानों से वंचित रह जाएगा जो बहुत से दुर्लभ और अमूल्य जंगली कुकुरमुत्तों की उत्पादन वृद्धि में सहायक होते हैं। सूखे और जीर्ण-शीर्ण पेड़ों के तने और शाखाएं वनों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देते। दूसरी तरफ वे स्थानीय आदिवासियों के लिए प्रोटीन और विशमित युक्त आहार के स्वाभाविक विकास की आधार सामग्री तैयार करते हैं।

वन से इन आधार सामग्रियों को हटा देने से जैविक क्रम पर भी प्रभाव पड़ेगा जिस पर बड़े अनुसंधान किए जा रहे हैं। आधार सामग्री के आग जलाने के रूप में उपयोग से वन अर्थ-व्यवस्था प्रणाली पर असर पड़ने के अलावा जंगली कुकुरमुत्ता जो औषधिओं में बहुत उपयोगी हैं कुछ दुर्लभ किस्में खत्म हो जाएंगी, इसे ध्यान में रखते हुए मेरी मांग है कि सिमलीपल वन विकास निगम द्वारा उड़ीसा के सिमलीपल जंगल से सूखे पेड़ों के तनों और शाखाओं को हटाने से रोकने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं।

(दो) मनखुर्द से बेलापुर तक एक रेल लाइन और बान्द्रा तथा अन्धेरी के बीच अतिरिक्त उपनगरीय लाइनों का निर्माण

(2) **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** (अमरावती) : बढ़ती हुई जनसंख्या वाला महानगर बम्बई गंभीर जन परिवहन समस्या का सामना कर रहा है, इस स्थिति से निबटने के लिए शुरुआत के रूप में रेल मंत्री को प्रस्ताव भेजे गए कि बांद्रा और अन्धेरी और प्रस्तावित पूर्व पश्चिम क्षेत्र को मिलाने वाले बांद्रा कुरला मनखुर्द-बेलापुर-पनवल के साथ मनखुर्द-बेलापुर खंड में दो

उपनगरीय रेलवे लाइनों का निर्माण किया जाए। रेल मंत्री और योजना मंत्री से अप्रैल 1981 में यह निवेदन किया गया था कि वे इन प्रस्तावों पर विचार करें। 14 मई 1981 को दिए गए अपने उत्तर में योजना मंत्री ने बताया कि संसाधनों की अडन्यनों के कारण छठी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार बहुत कम महानगरों परिवहन परियोजनाओं को शामिल कर सकी है और अगर अतिरिक्त राशि की संभावना रही तो बम्बई शहर में अतिरिक्त रेल परिवहन सुविधाओं को शामिल करने के प्रश्न की रेल मंत्रालय के परामर्श पर जांच की जाएगी।

रेल मंत्री और राज्य सरकारों के इस विषय पर पिछले वर्ष दो बार चर्चा हुई, रेल मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पिछले वर्ष जुलाई में यह सूचना दी कि इन योजनाओं को शुरू करने के लिए योजना मंत्री ने पहले ही वित्त मंत्री को रेलवे क्षेत्र के लिए 70 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन के लिए लिखा। रेल मंत्रालय ने योजना आयोग को बांद्रा अन्धेरी रेल लाइन योजना की सिफारिश की और कहा कि यह विचाराधीन है ओर जहां तक मनखुर्द पलवल रेल लाइन का संबन्ध है सम्बन्ध परियोजना रिपोर्ट अभी भी विचाराधीन थी, रेल मंत्री से 22-7-81 को फिर से यह निवेदन किया गया कि वह परियोजनाओं के मामले में पूर्ण सहयोग है।

रेल अधिकारियों को निर्माण कार्य करने विशेषकर पूर्व पश्चिम क्षेत्र मनखुर्द बेलापुर के बीच सम्पर्क करने में सक्षम होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि उन्हें छठी योजना में राशि प्रदान की जाए। इस परियोजना में 35 करोड़ रुपये की लागत के घाना खाड़ी पर 2 कि० मी० लम्बे रेल व सड़क पुल का निर्माण भी शामिल है जिसे पूरा होने में 5-6 वर्ष लगेंगे और निर्माण कार्य को शीघ्र आरंभ करने की आवश्यकता है। एक बार निर्माण कार्य शुरू होने पर परियोजना अगले चरणों के लिए परिव्यय निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार प्रदान किया जा सकता है। राज्य सरकार के लिए सड़क पुल की लागत चुन्गी उगाही से पूरी की जा सकती है।

बांद्रा अन्धेरी के बीच अतिरिक्त रेल लाइन की योजना इस लाइन के यातायात में भारी वृद्धि के कारण बहुत जरूरी हो गई है। बम्बई में आबादी के घनत्व को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय और कुछ थोक बाजारों को नई बम्बई में स्थानान्तति करने के निर्णय को देखते हुए मुख्य स्थल संपर्क नितान्त अनिवार्य हो गया है। शहर और महाराष्ट्र का औद्योगिक विकास निगम नई बम्बई के विकास की दिशा में बहुत आगे बढ़ गया है नई बम्बई में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग और थाल वैशीत परियोजनाएं और प्रस्तावित न्हाव सेवा पोर्ट परियोजना स्थापित करने से मुख्य स्थल रेल सम्पर्क योजना ने राष्ट्रीय योजना का महत्व धारण कर लिया है और उस पर शीघ्र क्रियान्वयन जरूरी हो गया है। योजना आयोग ने 12-11-81 को यह संकेत दिया कि 23 करोड़ रुपये की धनराशि बांद्रा-अन्धेरी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए स्वीकृत की गई लेकिन दूसरी परियोजना के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। कुछ धनराशि प्रदान करना तो अत्यन्त आवश्यक हो गया है; छटी योजना में रेल परिव्यय में पुनः समायोजित करने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपये प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में चालू परियोजना के रूप मे ग्रहण किया जा सके।

(तीन) प्राचीन मूर्तियों के संरक्षण के लिए उड़ीसा में रत्नागिरि में एक संग्रहालय का निर्माण

(3) श्री रास बिहारी बेहरा (कालाहांडी) : मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान उड़ीसा के प्राचीन शिल्पों (मूर्तियों) के प्रति की जा रही अपेक्षा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो उड़ीसा में खुले आकाश के नीचे सूर्य की रोशनी और बरसात में पड़ी हुई हैं, भारत सरकार ने 1977 में रत्नागिरि में एक संग्रहालय को स्थापित करने की मंजूरी दी थी, परन्तु यह खेदपूर्ण है कि संग्रहालय का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। तेजी से खत्म होती जा रही विगत सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए हजारों राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक प्राचीन भारत सभ्यता में किए गए योगदान को समझने के लिए इन मूर्तियों का अध्ययन करने के लिए लालायित हैं, स्वयं रत्नागिरि का इतिहास बहुत पुराना है, रत्नागिरि के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने 1.5 करोड़ रुपये की लागत के एक सड़क मार्ग और एक सम्पर्क पुल की पहले ही मन्जूरी दे दी है।

उड़ीसा की इन मूर्तियों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। रत्नागिरि में किसी संग्रहालय के ना होने से इन मूर्तियों के नष्ट होने की सम्भावना है। अतःएव यह आवश्यक है कि केन्द्रीय लोक निर्माण-विभाग को बिना और बिलंब किए एक संग्रहालय का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कहा जाए।

(चार) छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के विकास और उनका सुन्दर बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के जाजपुर कस्बे को सम्मिलित करना

(4) श्री ए० सी० दास (जाजपुर) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं। जाजपुर, जो नविगया और विराज क्षेत्र के रूप में लोकप्रिय है—का ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से महत्व है। देश के हजारों पर्यटक और तीर्थयात्री इस नगर के नागरिक और बिराजक्षेत्र देखने के लिए आते हैं। यह खेद का विषय है कि इस नगर का अपेक्षित स्तर तक विकास नहीं हो पाया है।

इस प्राचीन नगर की सड़कों में सुधार, आधुनिक सफाई सुविधाओं की व्यवस्था, बेहतर जल आपूर्ति प्रणाली, गंदी बस्ती वासियों के लिए पुनर्वास कालोनियों के निर्माण और पार्कों के विकास के लिए भारी मात्रा में धनराशि की आवश्यकता है। उड़ीसा एक निर्धन राज्य है और इस एतिहासिक नगर के समग्र विकास के लिए आयोजित लागत को राज्य सरकार अकेले वहन नहीं कर सकती है। दूसरी ओर इस नगर के विकास के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने में किए जा रहे बिलम्ब से लोगों में बड़ा असन्तोष फैल सकता है।

छठी योजनावधि के दौरान भारत सरकार ने देश के छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों के विकास और उन्हें सुन्दर बनाने के लिए कार्यक्रम बनाए हैं। इस छोटे और मध्यम दर्जे के नगर विकास और सुन्दर बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे देश में 231 नगर चुने गए हैं।

अतः इस सम्बन्ध में कृपया यह मांग है कि उक्त कार्यक्रम में उड़ीसा का जाजपुर नगर भी शामिल कर लिया जाए।

(पांच) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम को बन्द किए जाने के कारण उसके सभी कर्मचारियों को रोजगार देना

(5) श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : महोदय कृषि मंत्रालय ने केन्द्रीय मत्स्य निगम को बन्द करने का निर्णय किया है, इस निर्णय के पश्चात माननीय कृषि मंत्री ने दिनांक 25-1-82 को कृषि मंत्रालय के अधीन विभिन्न उपक्रमों के अध्यक्षों के साथ केन्द्रीय मत्स्य निगम के कर्मचारियों को यथाशीघ्र खपाने के बारे में बैठक की। परन्तु 197 नियमित कर्मचारी वर्ग में से केवल 8 को सेवा में लिया गया है (6 को राष्ट्रीय बीज निगम में और 2 को हाल्दिया पत्तन में)। अतः यह बहुत करूणास्पद है कि निर्णय को लागू करने के बजाए समस्त उपक्रमों के प्रबन्ध ने ऐसी बिलम्बकारी नीति अपनाई कि केन्द्रीय मत्स्य निगम के बन्द होने की निर्धारित सीमा पूरी हो गई। इसके अलावा उन कर्मचारियों को सेवा में लेने से बचने के लिए लगभग सभी उपक्रमों यथा राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय डेयरी निगम, मार्डन बेकरीज ने स्नातक कर्मचारियों को बुलाया। केन्द्रीय मत्स्य निगम में कुल 197 कर्मचारियों में से केवल 44 कर्मचारी स्नातक है। स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए केन्द्रीय मत्स्य निगम प्रबन्ध ने 3731 आकस्मिक कर्मचारियों के नामों को भी अग्रेषित नहीं किया है जो पिछले दस से चौदह सालों से बिना सेवा व्यवधान के नियमित सेवा में हैं।

यह निर्णय किए हुए दो मास बीत चुके हैं कि सभी 197 नियमित और 31 आकस्मिक कर्मचारियों को समाविष्ट कर लिया जाएगा। परन्तु अब इससे पता चलता है कि केन्द्रीय मत्स्य निगम को बन्द करने के सम्बन्ध में 30-3-1982 को नोटिस जारी किए जाने हैं। इससे गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी इससे बहुत से कर्मचारी, 189 कर्मचारी, बेरोजगार हो जाएंगे जिन्होंने इस संगठन में लम्बे समय तक अपनी अमूल्य सेवा दी है। केन्द्रीय मत्स्य निगम की ऐसी गम्भीर स्थिति को दूर करने के लिए, सरकार को अविलम्ब ठोस कदम उठाने चाहिएं।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि केन्द्रीय मत्स्य निगम के इन अभागे कर्मचारियों को समाविष्ट करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाएं और जब तक इस निगम के कर्मचारी अन्य उपक्रमों में समाविष्ट नहीं हो जाते तब तक के लिए इसको बन्द करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए।

सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें 1982-83—(जारी)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर और आगे चर्चा और मतदान करेगा।

श्री मूल चन्द डांगा अपनी बात कहने के लिए खड़े हैं। उन्होंने पहले ही चौदह मिनट ले लिए हैं। इसके लिए आबंटित समय में से दो घण्टे और अड़तालीस मिनट बाकी रह गए हैं।

मंत्री महोदय सायं 3 बजे उत्तर देंगे।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने जो यह नारा दिया है—"हैल्थ फार आल वाई 2000 ए० डी०", यह पूरा हो जायेगा या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं लेकिन यह बड़ा अच्छा सुहावना नारा है। जिस देश में 58 परसैंट लोग गरीबी की रेखा के नीचे हों, मैंने कल भी कहा था, कितने लोग बीमारी और कुपोषण के कारण बीमार रहते हैं। मेरा एक अन-स्टार्ड क्वैश्न 2 अप्रैल, 1981 को था उसमें लिखा था—

"देश में ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको अपने भोजन में कैलोरीज की आवश्यक मात्रा न मिलने के कारण बीमारी का शिकार हुए···"

प्रश्न का उत्तर यह था—यह 19 अगस्त, 1981 की बात है।

"सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।" इसे चार मास हो गए हैं।

मैंने यह कहा है कि हिन्दुस्तान में इतनी गरीबी है कि उसके कारण ही लोग बीमार हो जाते हैं, और कुपोषण के शिकार होते हैं। गांवों में न साफ पानी पीने को मिलता है और न साधन हैं। आज गांवों के अन्दर कम से कम 6 लाख आदमी ट्युबरकलोसिस से मरते हैं एक साल में। यह भी आपके पेपर में है—

"भारत में अभी भी तपेदिक से अधिक लोग मरते हैं। प्रो० आर० विश्वनाथन, एक रोग विशेषज्ञ कहते हैं कि औषधियों के सभी चमत्कारों के बावजूद भी केवल भारत में प्रतिवर्ष पांच या छह लाख लोग इस रोग से मरते हैं। तपेदिक आज भी भारत के जन स्वास्थ्य की विकट समस्या है।"

मैंने एक क्वैश्चन किया तो मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान में आज भी कम से कम 1 करोड़ आदमी अन्धे हैं। ये भी कुपोषण के ही कारण है। मेरे क्वैश्चन का उत्तर आया था 23 फरवरी, 1981 को—

"आई० सी० एम० आर० की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 9 लाख लोग अंधे हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन ने भी एक सीमित सर्वेक्षण किया था। इसके अनुसार यह संख्या 1.26····· है।

जब इतने व्यक्ति अंधे हैं, इतने विकलांग हैं और आपके पास आर्थिक साधन की कमी है जिसकी वजह से आज भी हिन्दुस्तान में राजस्थान और महाराष्ट्र में गिनी वार्म के भी लोग बहुत शिकार होते हैं। इससे हमारे राजस्थान में कम से कम 60, 70 हजार आदमी शिकार होते हैं। उनके पेट से बड़े-बड़े गिनी वार्म निकलते हैं और वह कितने इंचेज लम्बे होते हैं, यह देखकर दया आती है। इसका इलाज अभी तक नहीं होता है। इसका कारण यह है कि कुछ तो गन्दा पानी पीने को मिलता है। आज भी हमारे देश में रीजनल इम्बैलेन्सेज हैं।

मेरे पास लेटैस्ट फिगर्स 1977 के हैं। नागालैंड में 76.89, उड़ीसा में 8.95, उत्तर प्रदेश में 5···, पंजाब में 15.56, राजस्थान में 14.31 और वैस्ट बंगाल में 43.60 हैं। इन फिगर्ज से मालूम होता है कि हैल्थ पर किए जा रहे पर-कैपिटा एक्सपेंडिचर में भी बड़ा इमबैलेंस है।

क्या इन बड़े-बड़े अस्पतालों और कई तरह के विटामिनों और दवाइयों से लोगों की हैल्थ में सुधार हो सकेगा ? 5 अप्रैल, 1981 को ललिता ईश्वरन् का एक आर्टिकल निकला है, जिसमें उन्होंने कहा है :—

"भारतीय लोग स्वास्थ्यवर्धक भोजन, विटामिन और टानिक पर प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। तथापि, डाक्टरों का यह मत है कि इससे बहुत कम लाभ होता है, और कई बार तो नुकसान होता है.....।"

इस लेख में यह भी कहा गया है।

"पोषाहार शिक्षा की व्यापक कमी और अधिकतर माता-पिता की स्वयं को तथा अपने बच्चों को अधिकतम पोषाहार देने की इच्छा के कारण भारतीयों को इन गोलियों, इन खुराकों और टानिकों पर प्रतिवर्ष 200,00,00,000 रु० खर्च करने पड़ते हैं। यह डाक्टरों के अनुसार—पैसा बेकार खर्च किया गया, और पोषाहार विशेषज्ञों की यह सर्वसम्मति है कि उनको इसकी जरूरत नहीं है और कई बार तंत्र के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। व्यंग्यात्मक रूप से, प्रायः ये वही लोग होते हैं जो इन टानिकों, स्वास्थ्य सम्बन्धी शर्बत और गोलियों का खर्च वहन नहीं कर सकते और ये दवाएं अनिवार्य रूप से महंगी होती हैं—और इन लोगों का इन दवाओं में अधिक विश्वास होता है।"

विटामिन और दवाएं देने के लिए बड़े-बड़े अस्पताल हैं। इसके बजाए एजूकेशन के द्वारा लोगों को आर्ट आफ लिविंग सिखाना चाहिए। कई लोग इतना ज्यादा खाना खाते हैं कि उनके शरीर पर चर्बी चढ़ जाती है, पेट बढ़ जाता है, बदसूरत बन जाते हैं और उन्हें यनी-एनजाइम खाना पड़ता है। ऐसा कानून बनाया जाए कि ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया जाए। कुछ लोग बिना भूख के खाते रहते हैं और कुछ कुपोषण के कारण अंधे और बीमार हो जाते हैं। फैमिली प्लानिंग पर बहुत अच्छे बुलेटिन निकलते हैं। इसके साथ ही एजूकेशन द्वारा लोगों को सिखाना चाहिए कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है। अगर डाक्टर की जांच से पता चले कि कोई व्यक्ति प्याज ज्यादा खाने से बीमार पड़ा है, जिसकी वजह से वह ज्यादा दवाएं खाता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक महीने की सजा होनी चाहिए।

हमारे देश में खाने की चीजों में बहुत मिलावट है। इस बारे में मैंने एक क्वेश्चन किया था :—

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत धारावार 1980-81 और 1981-82 के दौरान दिल्ली में कितने व्यक्तियों का चालान किया गया..."

इसका यह उत्तर दिया गया :

"दिल्ली प्रशासन से इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।"

हिन्दुस्तान में खाने की कोई भी चीज शुद्ध नहीं मिलती है। दवाएं शुद्ध नहीं मिलती हैं, यहां तक कि जहर भी शुद्ध नहीं मिलता है। अगर कोई जहर खा कर मरना चाहे, तो वह नहीं मर सकता।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : यह तो अच्छा है।

श्री मूल चन्द डागा : आज जरूरत इस बात की है कि लोगों को राइट टु डाई विद डिगनिटी दिया जाए। आज मर्सी किलिंग एक बहुत जरूरी चीज है। हिन्दुस्तान में कई आदमी ऐसे हैं, जो तड़प रहे हैं, जिनकी जिन्दगी एक भार बन चुकी है, उनका कोई इलाज नहीं है, इसलिए वे मरना चाहते हैं, अपने शरीर का अन्त करना चाहते हैं। उनको राइट टु डाई विद डिगनिटी देना चाहिए। मंत्री महोदय को इस बारे में हिम्मत के साथ एक कानून लाना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं, जो एक जिन्दा लाश की तरह पड़े हुए हैं, केवल सांस है, कुछ हिलता-डुलता नहीं है, सारे घर को परेशान करते हैं, खाट पर पड़े-पड़े सारी क्रियायें करते हैं तो ऐसे जीवन से क्या लाभ है ? इसीलिए आज राइट टु डाई विद डिगनिटी की चर्चा कई जगह चली हुई है। मंत्री जी को भी चाहिए कि इसकी व्यवस्था करायें।

जैसा कि मैंने अभी पहले कहा है कि हैल्थ है क्या ? आपको हैल्थ की डेफनीशन बदलनी पड़ेगी। मैंने कहा है कि दवायें देने से कुछ होता नहीं है।

> "अन्त में, आधुनिक दवाओं, परम्परागत दवाओं के व्यापक जादुई प्रभाव जिन पर ग्रामीण लोग युगों से निर्भर रहे हैं, की अवहेलना की जा रही है। इसलिए, इन असहाय लोगों को किसी भी पद्धति का लाभ नहीं होता।"

न तो पुरानी दवायें मिलती हैं और न नयी दवायें खरीद सकते हैं।

> "यह स्पष्ट है कि वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत ये परिष्कृत आधुनिक दवाओं से सभी लोगों को लाभ नहीं होगा। इनकी बढ़ती हुई समस्याओं के लिए एक नये दृष्टिकोण की जरूरत है 'स्वास्थ्य' की अवधारणा की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति है जो मनुष्य को उपयोगी सृजनात्मक जीवन बिताने में मदद करती है। इसका अभिप्राय यह है कि आरोग्यकर दवाओं पर इस समय जो बल दिया जा रहा है, इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए।"

आजकल नई बातें सीखनी चाहिए। गरीब देश में बड़े-बड़े अस्पताल, विटामिन ए, बी, सी, डी—यह सब तो ठीक है लेकिन सबसे जरूरी चीज यह है कि किस प्रकार से जीना है। हमारी जो ट्रेडीशनल मेडिसिन्स थीं वह भी चली गई हैं और नई मेडिसिन्स से भी आपने हमको डेप्राइव कर दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में जो अंधे और विकलांग होते हैं उसका मुख्य कारण कुपोषण ही है। अच्छा खाना नहीं मिलता है और साफ पानी पीने को नहीं मिलता है। रहने के लिए अच्छा मकान नहीं होता है। पर्यावरण दूषित हो रहा है और सारी नदियां पोल्यूटेड हैं। फिर आदमी स्वस्थ कैसे होगा ? कोई भी नेशन तभी आगे बढ़ेगी जब उसके नागरिक स्वस्थ होंगे। हेल्दी मन भी तभी होगा जब हेल्दी वाडी होगी। मन्त्री जी इस विषय से सम्बन्धित लिट्रेचर, साहित्य जनता में प्रचारित करें ताकि देशवासी जीने की कला सीख सकें।

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पूर्णरूप से समाज कल्याण सेवा कर रहा है। मैंने बजट देख लिया है और यह भी देख लिया है कि गत वर्ष अनुपूरक बजट में एक शीर्ष के अन्तर्गत 16 करोड़ रुपये कम किए गए, यद्यपि कुल बजट में कोई कमी नहीं हुई थी। और फिर, एक नारा भी है : 'शताब्दी के अन्त तक सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधायें'। मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इस नारे को क्रियान्वित करे। बजट की जांच करने के पश्चात, मुझे पता चला कि प्रथम पांचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सम्बन्धी बजट का आबंटन कुल केन्द्रीय बजट का 3-3 प्रतिशत था; दूसरी पंच वर्षीय योजना में यह आबंटन 3.1 प्रतिशत था।

तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान यह आबंटन 2.4 प्रतिशत था। 1966-69 की वार्षिक योजनाओं में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर कुल बजट का 3.2 प्रतिशत खर्च किया गया। पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान यह अनुपात 3.0 प्रतिशत था। 1978-79 के दौरान यह 3.1 प्रतिशत था और 1979-80 में यह 3.0 प्रतिशत था, जब 1980 में 'शताब्दी के अन्त तक सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं' का नारा दिया गया था। इस वर्ष यह कम होकर कुल खर्च का 1.4 प्रतिशत रह गया है। इसलिए आप भलि भांति यह अनुमान लगा सकते है कि इतनी कम राशि में केन्द्र सरकार "शताब्दी के अन्त तक सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधायें" सम्बन्धी नारे का कैसे क्रियान्वयन कर सकती है। यह मेरा मुख्य प्रश्न है। यदि आप इन सब बातों की जांच करें तो आपको पता चलेगा कि यद्यपि एक बहुत अच्छा नारा स्वीकार किया गया है और दिया गया है, इस नारे का क्रियान्वयन करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मुझे मालूम है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था करने की जरूरत है। परन्तु जांच के बाद मुझे मालूम हुआ है कि यहां तक कि कुछ जिला मुख्यालयों में चिकित्सालयों की या स्वास्थ्य केन्द्रों की भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। हमारा यह सुझाव है कि खण्ड स्तरों और जिला मुख्यालय स्तर पर पोषक अस्पातालों की व्यवस्था की जानी चाहिए। चिंतनीय स्तिथि यह है कि कुछ जिला मुख्यालयों में भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं। हमारा सुझाव यह है कि यदि आप इस नारे को कि "शताब्दी के अन्त तक सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं' का क्रियान्वयन करना चाहते हैं तो प्रत्येक दो पंचायतो के लिए एक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए।

यह अच्छी बात है कि केन्द्र सरकार हैल्थ गाइड स्कीम का क्रियान्वयन करना चाहती है। यह सुझाव दिया जाता है कि केन्द्र सरकार पूर्णरूप से उस स्कीम को वित्तीय सहायता देगी। परन्तु प्रश्न यह है कि बजट प्रस्तावों में इस स्कीम के लिए किसी राशि का प्रावधान नहीं किया गया है, और प्रत्येक 1000 व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य गाइड स्कीम का तो कहना ही क्या। यह स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है परन्तु इसका क्रियान्वयन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक सरकार इसे गम्भीरता से नहीं लेती लोगों को वहां भर्ती और उन्हें प्रशिक्षित नही करती। अन्यथा यह नारा मात्र रह जाएगा यद्यपि यह एक अच्छा नारा है—जैसा कि अन्य मामलों में हुआ है।

यह कहा गया है कि कुछ रोगों पर नियंत्रण या उनका उन्मूलन किया जायेगा। बहुत समय पहले मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था। परन्तु मंत्री महोदय केवल यह कहेंगे कि कुछ मच्छर दुःसाहय बन गए हैं और उनकी प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ गई है, इसलिए, इस

बीमारी का अब उन्मूलन करना संभव नहीं है। परन्तु हमें मालूम है कि स्वन्तत्रता से पहले की स्थिति से नहीं है जब कि कुछ इलाकों जैसे पूर्वी और समुद्र तटीय क्षेत्रों में वर्षा के कारण वहां मलेरिया महामारी के रूप में फैलता था। परन्तु हमने देखा हैं कि यहां तक कि दिल्ली और अन्य उत्तरी क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती है, मलेरिया और मच्छर बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि 40 वर्ष पहले और स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले मलेरिया इन क्षेत्रों में बहुत कम था।

यह पहला कार्यक्रम था जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद चलाया गया। यदि हम इस कार्यक्रम को सही ढंग से लागू करना चाहते हैं, तो हमें ऐसी दवाओं का उत्पादन करना चाहिए जिससे मच्छर के खतरे को रोका जा सके।

क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम भी एक प्रशंसनीय कार्यक्रम है। मेरे पहले वक्ता ने इसके बारे में पहले से ही बता दिया है। हमारे देश में, 10 लाख लोग इस रोग से पीड़ित है। इसमें से 1/4 संक्रामक रोग से पीड़ित हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि इन रोगियों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। उपचार के लिए, एक्सरे फिल्मों की जरूरत होती है। परन्तु उनकी सप्लाई बहुत कम है। यहां तक कि क्षयरोग की औषधियों की सप्लाई भी कम है और वे बहुत महंगी हैं। यह रोग मुख्यतया गरीब लोगों में व्याप्त है। क्योंकि औषधियां बहुत महंगी हैं और इसी कारण गरीब लोग इस रोग से अधिक पीड़ित हैं। मुख्य बात इन लोगों को पोषकाहार देने की है। जब लोगों को यह रोग लग जाये, तो उनकी जांच और उचित इलाज की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए दवाओं, एक्स-रे फिल्मों आदि की उचित पूर्ति की जरूरत है। देश में 353 क्षयरोग चिकित्सा केन्द्र, 328 टी० बी० क्लिनिक और 40066 बिस्तर हैं परन्तु ये सुविधायें मुख्य रूप से महानगरों में ही उपलब्ध हैं। हमारे इलाके में, मैंने देखा है कि आदिवासी लोग इस रोग से मुक्त थे। परन्तु अब यह रोग उनमें भी दावानल की तरह फैल रहा है। पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में टी० बी० केन्द्र खोलने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि इन लोगों का यहीं इलाज किया जा सके।

फाइलेरिया के नियंत्रण सम्बन्धी उपायों के बारे में, देश के कुछ भागों में प्रभावित व्यक्तियों को सही उपचार एवं दवाई नहीं मिलती। इन लोगों को सस्ते दामों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। इन व्यक्तियों को इस रोग की सही जानकारी दी जानी चाहिए।

कुष्ठ रोग एक भयावह स्थिति पैदा कर रहा है। हमारे देश में लगभग 35 लाख व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त हैं। यह संख्या विश्व भर के कुल कुष्ठ रोगियों का एक चौथाई है। पश्चिमी यूरोप में यह रोग समाप्त प्राय हो चुका है। परन्तु हमारे देश में इस रोग को समाप्त करने की बात तो दूर इस पर रोक भी नहीं लग सकी है इसलिए कुष्ठ रोग को रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

परिवार कल्याण कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए जन्म तथा मृत्यु दर दोनों को कम करना होगा। शिशु मृत्यु भी कम की जानी चाहिए। इन बातों के बिना परिवार कल्याण कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। 1971 की जनगणना के अनुसार प्रजनन

दर 24-80 प्रति हजार थी और 1981 की जनगणना के अनुसार यह 24-75 प्रति हजार थी। इस प्रकार यह दर केवल .05 प्रतिशत कम हुई है। अतः वर्षों से चल रही यह परिवार कल्याण योजना से इस दिशा में बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है और परिवार कल्याण के इस कार्यक्रम द्वारा जन साधारण को तत्सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने एवं पोषण की आवश्यकता है। देखा गया है कि अधिकतम निर्धन वर्गों के व्यक्तियों को अधिक बच्चे होते हैं उनके परिवारों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होगी जबकि अच्छी खुराक खाने वाले और सही शिक्षा पा सकने वाले लोगों की जन्म-दर कम होगी। निर्धनतम वर्गों की प्रजनन दर अधिक है। उन्हें कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। किसी कार्यक्रम की चर्चा भर कर लेने से ही हमारे देश के इस जन्म-दर पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसके लिए निर्धन वर्गों का जीवन स्तर उठाना होगा। हमारे देश की 70 प्रतिशत जनता निर्धनता की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत व्यतीत कर रही है। निर्धन व्यक्तियों का आर्थिक स्तर उठाए बिना जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोका जा सकता।

इन सभी बातों को देखते हुए दवाइयों की सप्लाई सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया है। पिछले कुछ वर्षों से बहुत से लोग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बात कर रहे हैं। औषधियों की सप्लाई के क्षेत्र में हमारे देश में इनका वर्चस्व है।

महोदय, कुछ मामलों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपनी दवाईयां के खुदरा बाजार भाव बढ़ा दिए हैं और आई० डी० पी० एल० तथा अन्य संगठन उन्हें कच्चा माल सप्लाई कर रहे हैं। यहां मैं एक लेख से उदहरण देना चाहता हूं :—

> कई मामलों में, आई० डी० पी० एल० की दवाईयों का खुदरा मूल्य और सरकारी क्षेत्रों में बनाई गई उसी प्रकार की दवाओं से अधिक है। क्षयरोग जैसी बीमारी के लिए आई० डी० पी० एल० की आइसोनियाजिड़ का मूल्य साराभाई की नेड्राजिक से .21.1 प्रतिशत अधिक है और सोडियम पी० ए० एस० (आई० डी० पी० एल०) फिजर की इसी दवाई से 12.4 प्रतिशत अधिक है। मेट्रोनिडाजोल, एन्टिएमोनिक, कोम्पेबा (आई० डी० पी० एल०) का मूल्य मेट्रोजिल (यूनीक) से 13.2 प्रतिशत अधिक है। विबोसाइक्लिन (आई० डी० पी० एल०) का मूल्य डोक्सिक्लिन (गन्धिक) से 18.6 प्रतिशत अधिक है तथा आई० डी० पी० एल० द्वारा निर्मित अक्सिटेट्रासाइक्लिन का मूल्य 'डे' के समान उत्पादन से 12.9 प्रतिशत अधिक है।"

कई मामलों में आई० डी० पी० एल० तथा एच० ए० एल० के उत्पादों का मूल्य बहुराष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय फार्मासिटिकल कम्पनियों के मुकाबले बहुत अधिक है।

दूसरी बात यह है कि आइ० डी० पी० एल तथा अन्य कम्पनियां इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारी मात्रा में भेषज सप्लाई करते हैं और वे उससे दवाइयां बना कर भारतीय बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचती हैं। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके लिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि दवाइयों तथा रसायन बनाने का कार्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आ जाये। इस समय मंत्री जी कह सकते हैं कि यह कार्य उनके मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता बल्कि इसका सम्बन्ध पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय से है। भेषज एवं औषध उद्योग स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत

होना चाहिए जो इसके कार्यकरण पर नजर रखेगा। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में निर्मित दवाओं के अधिक मूल्य हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारी लाभ कमा रही हैं। ये कम्पनियां हमारे देश से धन बाहर ले जा रही हैं।

ऐसी भी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल वे स्वयं अपने देश में नहीं करते हैं और वे दवाएं हमारे देश में बेच रहे हैं। ये दवाएं वास्तव में निष्प्रभावी हैं। सस्ती एवं सही तथा प्रभावी दवाएं उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र यहां हैं। परन्तु नकली दवाएं भी हैं। कुछ दिन पूर्व समाचारपत्रों में एक खबर छपी थी। कलकत्ता में कोई मंत्री किसी अस्पताल में दवाओं की जांच करने गये। उन्होंने एक कैप्सूल खोला। उस कैप्सूल में रेत भरी थी। मैं नहीं जानता कि ऐसी नकली दवाएं अस्पतालों और दूसरे स्थानों पर कैसे पहुंच जाती हैं। दिल्ली में नकली दवाएं बनाई जा रही हैं और एकत्र की जा रही है। अस्वीकार कर दी गई दवाओं को यहां एकत्र करके रखा जा रहा है। हमारी सरकार उन्हें ऐसी नकली दवाएं आयात करने अथवा बनाने से नहीं रोक रही है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

ब्रिटिश काल में उन्माद अधिनियम पारित किया गया था। यह आज भी विद्यमान है। यह निष्प्रभावी हो चुका है। परन्तु इसके स्थान पर दूसरा अधिनियम बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। पागलों को अस्पतालों में दाखिल नहीं किया जाता। दाखिल होने के लिए उन्हें मजिस्ट्रेट से एक प्रमाणपत्र लेना पड़ता है। उसके बाद से कई घटनाएं घट चुकी हैं। 20 वर्ष पूर्व मानसिक स्वस्थता के बारे में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। जनता और दूसरी सरकारें सत्तारूढ़ हो चुकी हैं परन्तु अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया जा सका। वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में संशोधन करके, इसे पारित किया जाना चाहिए। मानसिक रोगियों की सही देखभाल एवं उपचार हेतु ऐसा किया जाना चाहिए। आई० पी० डी० एल० अपेक्षित मात्रा में दवाएं नहीं बना रहा है। वे अपनी क्षमता का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की दवाओं सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ और कारखाने लगाना आवश्यक है।

आज हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भर करते हैं। वे दवाएं बनाकर बेच रही हैं। हमें स्वयं दवाएं बनानी चाहिए।

एक नारा है—मां के दूध का कोई विकल्प नही हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपनी दवाएं लोक प्रिय बनाने से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। धूम्रपान के मामले हम देखते है कि एक चेतावनी लिखी होती है "यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" परन्तु फिर भी धूम्रपान किया जा रहा है। सरकार ने जब इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मां के दूध का कोई विकल्प नहीं हैं, तो एक कानून बना दिया जाना चाहिए ताकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने स्वार्थ के लिए इस बात का खुलेआम प्रचार न करे कि यह चीज मां के दूध का विकल्प है। मां के दूध को लोक प्रिय बनाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

परन्तु बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस प्रकार के विज्ञापन दे रही हैं कि शुष्क दुग्ध चूर्ण मां के दूध का विकल्प है। वे ऐसे चित्र भी छापते हैं जिसमें एक ओर तो शिशु मां का दूध पी रहा है

और दूसरी ओर वह शिशु उनका सूखा दूध पी रहा है। परन्तु इससे शिशुओं को भारी हानि होगी। अतः सरकार को तुरन्त ऐसा कानून बनाने का निर्णय लेना चाहिए जिसमें यह प्रदर्शित करने का उपबन्ध हो कि मां के दूध का कोई विकल्प नहीं है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पाद मां के दूध विकल्प नहीं हैं, इसलिए बच्चों का मां का दूध पिलाना चाहिए, इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को इसका प्रचार करने के लिए कहा जाना चाहिए कि मां के दूध का कोई विकल्प नहीं है। अन्यथा, समूचा स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं इसका कार्यान्वयन व्यर्थ हो जाएगा।

निष्कर्षतः मैं बजट के बारे में यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ हमने कहा है। इस शताब्दि के अन्त तक प्रत्येक को स्वास्थ्य सुविधाएं जब तक प्रभावी नहीं हो सकता तब तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए बजट का आवंटन इन सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए तदनुसार बढ़ा नहीं दिया जाता।

डा० कृपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य तथा कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। साथ-साथ मुझे खेद है कि यद्यपि स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का विषय भारतीयों तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है तथापि इस पर प्रतिवर्ष सदन में नियमित रूप से चर्चा नहीं की जाती और यदि चर्चा भी की जाती है तो इस विषय को केवल पांच घण्टे का समय दिया जाता है।

मेरे माननीय सहयोगियों ने स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के बारे में कई बातें कहीं हैं। मैं केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिद् के 7वें संयुक्त सम्मेलन, जिसका उद्घाटन श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किया गया था, के जनता स्वास्थ्य और परिवार नियोजन अभियान से उद्धत करूंगा :

> "समूचे कल्याण का आधार स्वास्थ्य है। राष्ट्र की स्वास्थ्य उसकी जनता के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है।"

महोदय, छठी योजना सम्बन्धी दस्तावेज में स्पष्टतः इस बात पर बल दिया गया है तथा स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठनों को मार्गदर्शक सिद्धान्त दिए गए हैं कि 2,000 ई० तक हम देश के निर्धनतम लोगों को स्वास्थ्य रक्षा हेतु न्यूनतम सुविधाएं दे देंगे। मेरे माननीय सहयोगियों ने पहले इस वर्ष तथा छठी पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटित योजनागत व्यय का उल्लेख किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सीमित अवधि में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष के लिए स्वास्थ्य आवंटन का एक प्रतिशत नहीं है। यह 2.4 प्रतिशत से अधिक है। फिर भी यह तो केवल ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। इसलिए सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण बात है निरोग्य जीवन व्यतीत करना। दिमाग और शरीर का सम्बन्ध अत्यन्त आवश्यक है। इस संबंध को कैसे बनाये रखा जाए? मैं स्वास्थ्य कार्यक्रमों व स्वास्थ्य रक्षा योजनाओं पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे कई सहयोगियों ने इस बारे में बहुत कुछ कह दिया है। परन्तु मैं स्वदेश में तथा समूचे विश्व में जनसंख्या विस्फोट के बारे में कुछ विचार व्यक्त करूंगा।

देश भर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का प्रशासन तीन स्तरीय है। यह राज्य का विषय है। हालाकि हमारे देश में संघीय शासन पद्धति है, हम सारा धन राज्यों को दे रहे है इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सभी स्वास्थ्य योजनाओं पर निगरानी रखे और यह सुनिश्चित करे कि भारत सरकार द्वारा राज्यों को दिया गया प्रत्येक पैसा खर्च किया जाता है। तीन-स्तरीय व्यवस्था में, पहला स्तर है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्र प्रत्येक खण्ड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है और भारत में 5500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है और प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के तहत 5-6 उपकेन्द्र हो सकते हैं। प्रत्येक उपकेन्द्र के लिए 5000 जनसंख्या का मानदण्ड है।

उसके बाद ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक होते हैं। जनता शासन में यह काम बदला गया था। श्री राजनारायण ने देश के विभिन्न भागों में बहुत से नीमहकीम नियुक्त किए थे। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्राथमिक स्तर की शिक्षा भी नहीं प्राप्त की थी उन्हें ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत नियुक्त किया गया। अतः माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि ग्राम स्वास्थ्य रक्षक योजना के अधीन अगली भरती के लिए निम्नतम निर्धारित अर्हता मैट्रिक होनी चाहिए ताकि ग्राम स्वास्थ्य रक्षक को समाज की दिन प्रति दिन की समस्याओं के बारे में कुछ जानकारी हो तथा उसे संचारी रोगों और परिवार कल्याण कार्यक्रम सम्बन्धी मूल बातों की जानकारी होनी चाहिए। उसे कम-से-कम छह महीने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए और पांच वर्ष के बाद छह महीने का पुनश्चर्या प्रशिक्षण मिलना चाहिए, अर्थात् पांच वर्ष की अवधि के भीतर उसे कम-से-कम एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तभी वह ग्राम स्तर की स्वास्थ्य समस्या को सुलझाने में सहायक हो सकता है। वह स्वास्थ्य संरक्षा योजनाओं के मामले में सलाह देगा। वह जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए भी सलाह दे सकता है। उसे ऐसी औषधियां देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिनके अनेक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं।

उपकेन्द्रों के सम्बन्ध में, अब हमारे देश में डाक्टरों की कमी नहीं है.....।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : रोगियों की भी (कमी नहीं है)।

डा० कृपा सिन्धु भोई (सम्गलपुर) : डाक्टर- जनसंख्या अनुपात 1 : 2750 है और प्रति 1422 रोगियों एक पलंग उपलब्ध है। 2000 ईसवी तक हम प्रति 1000 रोगी एक पलंग का लक्ष्य प्राप्त करने की परिकल्पना कर रहे हैं। विकसित देशों में अधिक धन तथा अधिक सुविधाएं हैं। वहां प्रति 500 रोगी एक पलंग उपलब्ध है। विकासशील देशों में भी, एक-दो देशों को छोड़कर कोई भी देश इस सम्गन्ध में भारत से स्पर्धा नहीं कर सकता। हमारे देश में यह एक संतोषजनक स्थिति है। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि हमारे पास 2,55,138 से भी अधिक चिकित्सक हैं जो पंजीकृत चिकित्सक हैं। इनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के चिकित्सक शामिल हैं। हमारे देश में 25,000 से 30,000 उपकेन्द्र हैं। क्यों न हम उन चिकित्सकों में से जिन्होंने एम० बी० एस० तथा उसके समतुल्य आयुर्वेदिक और होम्योपेथिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर अपना नाम पंजीकृत कराया है, एक चिकित्सक प्रति उपकेन्द्र नियुक्त करे ताकि वह उन नीम हकमों को हटा सके जो समाज के लिए खतरनाक हैं ?

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्ध में, मैं इन केन्द्रों में क्षेयरोग, कुष्ठरोग तथा अन्य बातों के बारे में कुछ अधिक ब्यौरे दूंगा, और जैसा कि माननीय मंत्री ने अपने एक उत्तर में बताया है, 2000 ई० तक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और और अनुसूचित जाति क्षेत्र, में 30,000 जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। यह स्वागत योग्य सुझाव है।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि :

"प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हमारे पास 2 से 3 चिकित्सक हैं तथा और अधिक चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे।"

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

लेकिन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जो वर्तमान प्रणाली है उसमें विकृति-विज्ञान सम्बन्धी निदान और एक्स-रे सम्बन्धी विस्तृत जांच के लिए सुविधाएं नहीं हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे सुविधा का होना बहुत जरूरी है।

मैं नहीं समझता कि एक एक्स-रे प्लांट के लिए जो कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए जरूरी है, 100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होगा। माननीय मंत्री को मेरा सुझाव है कि 100 मिलीमीटर एक्स-रे की व्यवस्था करें क्योंकि यह रोगियों के लिए कम खतरनाक है और विकिरण का खतरा भी कम होगा। इस प्रकार की एक्स-रे प्लांट सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लगाई जानी चाहिए ताकि देश में व्याप्त क्षयरोग का चिकित्सकों को पता चल जाएगा और वे क्षयरोग का निदान करने का प्रयत्न करेंगे।

30 पलंगों वाले अस्पताल के सम्बन्ध में, यह संकेत दिया गया है कि 2000 ई० तक एक लाख जनसंख्या के लिए पलंगों वाला एक अस्पताल खोला जाएगा। लेकिन, वित्तीय कठिनाइयां भी है।

सभापति महोदय : 2000 ई० तक।

डा० कृपा सिन्धु भोई : 2000 ई० तक अभी नहीं।

सभापति महोदय : मेरा ख्याल है कि चिकित्सा शिक्षा समवर्ती सूची में है तथा यह अधिक उपयुक्त होगा कि.....

श्री कृपा सिन्धु भोई : मैं उस पहलू पर सुझाव दूंगा। मैं नहीं जानता कि आप उससे संतुष्ट होंगे अथवा नहीं।

मैंने अभी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली के बारे में बताया है। हमारी शिक्षा प्रणाली विश्व के किसी भी विकसित देश में पाई जाने वाली शिक्षा प्रणाली से घटिया नहीं है। उस दिन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेधावी चिकित्सकों के कार्य निष्पादन के बारे में चर्चा हुई थी। विस्तृत चर्चा हुई है।

माननीय मंत्री ने इस प्रश्न का सुस्पष्ट उत्तर दिया। पहले, प्रतिभा-पलायन था। चिकित्सक विदेशों में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए एम० बी० बी० एस० स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए भी बाहर जा रहे थे। अब हम अपनी किसी भी विकसित देश से तुलना कर सकते हैं यद्यपि हमारा अनुसंधान विकास स्कंध अभी पीछे है। हमारे चिकित्सक विश्व के किसी भी देश के चिकित्सकों से कम मेधावी नहीं हैं।

अतः मैं चिकित्सकों के लिए एलोपैथी, एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम, एम० डी०; एम० एस० तथा विभिन्न संस्थाओं, एम० सी० एस० के अति विशिष्टता पाट्यक्रमों के इस चिकित्सा शिक्षा विशेष के सम्बन्ध में एक सुझाव दूंगा, और यह मेरे माननीय मित्र, स्वास्थ्य मंत्री के अपने राज्य में एक पुराना रोग है। यह कैपिटेशन फीस की प्रणाली न केवल कर्नाटक में अपितु अन्य राज्यों में भी है। श्रीमती गांधी ने अपने भाषण में स्पष्ट तौर से बताया है कि इस कैपिटेशन फीस को समाप्त किया जाना चाहिए। यह राज्य सरकार का एक अधिनियम है। वे इसे समाप्त कर सकते हैं तथा राज्य सरकार से कहा जाए कि वह इस कैपिटेशन फीस को समाप्त करने के लिए विधान बनाये·····।

समापति महोदय : आपका अभिप्राय यह है कि भला कार्य घर से ही शुरू हो।

डा० कृपा सिन्धु भोई : जी हां ; श्रीमती गांधी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली को बदलकर ग्रामीण मजदूरों की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं इसके लिए, देश में चिकित्सा शिक्षा को बदलने के लिए एक समिति गठित की जा चुकी है—मंत्री अपने उत्तर में इस सम्बन्ध में कुछ बताएं। साथ ही, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि न केवल एलोपैथी में बल्कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणालियों में चिकित्सा शिक्षा पर भी उतना ही बल दिया जाए क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली ही एक मात्र आयुर्विज्ञान है जो पुराने और लम्बे रोगों का इलाज कर सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा कुष्ठ तथा गठिया जैसे रोगों को जल्दी ठीक करेगी। अतः अगले वर्ष और, यदि संभव हो, तो इसी वर्ष आयुर्वेदिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाए। वह बात नोट की जाए। होम्योपैथी भी लोकप्रिय होती जा रही है और इसे भी उतना ही महत्व दिया जाए। होम्योपैथिक शिक्षा के बारे में कोई अधिक शिकायत नहीं है।

नर्सों तथा अन्य सहायक चिकित्सा कार्मिकों के सम्बन्ध में, हमारे पास चिकित्सक अधिक हैं। मेरे विचार से, इनकी संख्या नर्सों से 100 प्रतिशत अधिक है। जनसंख्या नियंत्रण कार्य को सफल बनाने के लिए महिला नर्सों को प्रशिक्षण देना अत्यावश्यक है। हमें सभी चिकित्सा कालेजों में महिला उम्मीदवारों के लिए स्थान आरक्षित करने चाहिए। नर्सिंग प्रशिक्षण को परिवार नियोजन पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए और प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

संगठनात्मक दोषों के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूं। यह विभाग पूर्णतः तकनीकी प्रकृति का है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों में यह धारणा है कि प्रशासनिक स्तर पर उनकी समस्याओं पर उचित रूप से विचार नहीं किया जाता। केन्द्रीय सरकार में वित्तीय पहलू को छोड़कर, जहां वित्तीय मामलों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति रखे जाएं, अन्य सचिव से निदेशकों तक के समूचे पदों पर उच्च अर्हता प्राप्त चिकित्सक होने

चाहिए। यह मेरा आग्रह है और यही देश की धारणा है जिन्होंने अपने हितों के संरक्षण के लिए कई बार माननीय मंत्री को ज्ञापन दिए हैं। मैं माननीय मंत्री, श्री पी० वेंकट सुब्बया के सुझाव का स्वागत करता हूं जिन्होंने उस दिन यह उत्तर दिया था कि वे भारतीय प्रशासन सेवा की ही तरह भारतीय चिकित्सा सेवा तथा भारतीय इंजीनियरी सेवा शुरू करने जा रहे हैं। वह एक स्वागत योग्य सुझाव है। लेकिन वह प्रस्ताव ऊपर पहुंचने तक कुछ समय लेगा। अतः यह काफी जल्दी किया जाना चाहिए ताकि चिकित्सकों के मन की कुंठा समाप्त हो जाए।

स्वास्थ्य योजनाओं के सम्बन्ध में, एक राष्ट्रीय नीति की परिकल्पना की गई है। उस पर मेरे कई मित्रों ने चर्चा की है। राष्ट्रीय मलेरिया उल्मूलन कार्यक्रम के बारे में अनेक लोगों ने अनेक विचार व्यक्त किए और कहा कि सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। मलेरिया वाइरस के रूप में आ रहा है क्योंकि पी० फाल्सीपरम औषधि का मच्छरों पर असर नहीं हो रहा है। मंत्री को इस बारे में कुछ करना होगा। रोगाणुओं को मार सकने वाली इन औषधियों के वितरण में कठिनाइयां हैं। इन औषधियों में डी० डी० टी०, सी० सी० एफ० तथा अन्य कई मलेरिया-रोधी किटाणुनाशक दवाइया संघटक के रूप में शामिल हैं। इस देश के कृषि क्षेत्र में हमें हमेशा इस विकट रोग का सामना करना पड़ा है। मलेरिया कार्यकर्ता 80 प्रतिशत औषधियां कृषि क्षेत्र को बेच रहे हैं। गावों में उचित ढंग से छिड़काव नहीं किया जाता। वे मलेरिया औषधि का छिड़काव उचित ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कोई निगरानी प्रकोष्ठ नहीं है। यद्यपि इस समय इसका आन्तक नहीं है, लेकिन पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान अनेक लोगों की मलेरिया रोगों से मृत्यु हुई है। ये रोग मतिष्क पर प्रभाव डालते थे।

अतः मलेरिया बेहोशी के सम्बन्ध में, मैं मंत्री से आग्रह करूंगा कि मलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए इस पर उचित निगरानी रखी जाए। हम शेखी बघार रहे थे कि हम मलेरिया का उन्मूलन कर चुके हैं। हमें श्रीमती गांधी की इस सरकार तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देनी चाहिये कि हमने चेचक का उन्मूलन कर दिया है। स्वास्थ्य संरक्षण योजना की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। परन्तु सर्वाधिक महत्व की बात कुष्ठरोग नियंत्रण तथा उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठरोग के उन्मूलन की है—विश्व के कुल कुष्ठरोगियों में से एक तिहाई हमारे देश में है। इसके लिये हमने अनुसंधान तथा विकास हेतु बहुत थोड़ी धनराशि का आवंटन किया है। हमारे देश ने कुष्ठरोग को समाप्त करने की दिशा में सफल प्रयास किया है।

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि माननीय मंत्री इस मामने पर पहले ही गम्भीरता से विचार कर रहे है।

डा० कृपा सिन्धु भोई : मंत्री जी इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि वे अनुसंधान और विकास के लिये अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि यह भयानक रोग हमारे देश में से सदा के लिए समाप्त हो जाये। टाटा संस्थान तथा अन्य संस्थानों के द्वारा निर्मित कुष्ठरोग का टीका तैयार किया जा रहा है। वे इसकी व्यापक जांच तथा परीक्षण पहले ही कर चुके हैं। परन्तु मनुष्य पर इसका परीक्षण अभी किया जाना शेष है। इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों का सामजिक बहिष्कार किया जाता है। यदि यह टीका उपलब्ध हो जायेगा तो इस रोग का निदान करना संभव हो सकेगा। लोगों के दिल में यह सामाजिक परिवर्तन लाना होगा।

सभापति महोदय : डा० भोई, आप अब अपनी बात को समाप्त करें।

डा० कृपा सिन्धु भोई : मैंने स्वास्थ्य सम्बन्धी भाग की चर्चा अभी प्रारम्भ ही की है। मैं कुछ मिनटों में ही अपनी बात समाप्त करूंगा। परन्तु परिषद् नियोजन के लिए आपको मुझे 20 से 30 मिनट का समय देना पड़ेगा।

सभापति महोदय : क्षमा करें। आपने 1336 पर बोलना शुरू किया था तथा अब 2 बजने वाले हैं। कृपया आपको पीठासीन अधिकारी से सहयोग करना चाहिये।

डा० कृपा सिन्धु भोई : कुष्ठरोग उन्मूलन के लिए भारत सरकार 100 प्रतिशत अनुदान देती है। हमें देश भर में स्वयं सेवी संगठनों को और अधिक सहायता तथा अस्पतालों में कुष्ठरोगियों को और अधिक बिस्तरों को उपलब्ध कराना चाहिए अन्यथा कुष्ठरोग को समाप्त तथा नियंत्रित करना कठिन हो जायेगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुष्ठरोग को समाप्त करने तथा नियंत्रित करने हेतु और अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिये।

महोदय, जहां तक क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम का सम्बन्ध है, हमारी जनसंख्या का 1.5 प्रतिशत भाग क्षयरोग से प्रभावित है। एक्स-रे यन्त्र इसका पता लगाने के लिए आवश्यक है अतः प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में क्षयरोग के इलाज के लिए एक्स-रे मशीनें लगाई जानी चाहिए। एक क्षयरोगी को एक वर्ष की दवाईयां लेनी पड़ती हैं अतः गरीब रोगियों के लिए अधिक धन दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सभी उपकेन्द्र में कीमती दवाईयां उपलब्ध हो सकें।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

डा० कृपा सिन्धु भोई : जनसंख्या विस्फोट हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्ष 1957--1981 की अवधि के बीच जबकि हमारा कुल राष्ट्रीय उत्पादन 50% बढ़ा है, जनसंख्या 108 प्रतिशत बढ़ गई है। जापान, सऊदी अरब तथा अन्य विकसित देशों में जनसंख्या की विकास दर कम रही है।

महोदय, 1971—1981 के दशक में हमारे विकास दर की प्रतिशतता 24.67 थी। हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में दृढ़तापूर्वक यह कहा है कि हमें राजीनामें तथा प्रेरणा द्वारा जनसंख्या की विकास दर पर नियंत्रण करना है ताकि 2000 ई० तक विकास दर की यह प्रतिशतता 12 हो सके। मैं इसका विरोध नहीं करना चाहता परन्तु मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि यदि 2000 ई० तक हमने जनसंख्या वृद्धि-दर शून्य तक नहीं पहुचाई तो उस समय हम 78 करोड़ देश वासियों को अपने आन्तरिक संसाधनों से तथा उपलब्ध उपजाऊ क्षेत्र के द्वारा उन्हें मनुष्यों के योग्य सेवाएं उपलब्य नहीं कर पायेंगे। अतः हमें आवश्यक उपाय करने चाहियें।

महोदय 1976 में जब डा० कर्ण सिंह स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि यदि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में कोई विधान बनायेंगी तो केन्द्र उनका विरोध नहीं करेगा। महोदय, जात-पात धर्म और ऊच-नीच का ध्यान दिए बिना सभी विधायकों, संसद सदस्यों, डाक्टरों इत्यादि को जनसंख्या पर नियंत्रण के कार्यक्रम में जुट जाना चाहिये।

सभापति महोदय : आपको अब अपना भाषण समाप्त करना चाहिये। आप पहले ही आधे घन्टे का समय ले चुके है।

डा० कृपा सिन्धु भोई : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जाति अथवा धर्म बेमानी है। आपात्काल के समय यह अफवाह थी कि मुस्लिम समुदाय जनसंख्या नियंत्रण के विरुद्ध है मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी ताहिर मोहम्द द्वारा लिखित मुस्लिम विचारधारा का अवलोकन करें। समय उपलब्ध होने की स्थिति में मैं उनके उद्धरणों की जानकारी दे सकता हूं। कुरान शरीफ जनसंख्या नियंत्रण के विरुद्ध नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में है। अल्लाह, भगवान यीसू मसीह—सभी जबरन जनसंख्या नियंत्रण के विरुद्ध हैं। परन्तु प्रेरणा द्वारा एक परिवार-एक बच्चे के छोटे परिवार सम्बन्धी मानदण्ड का कोई भी विरोध नहीं करता। अत: कि परिवार-एक बच्चे के लिए प्रोत्साहनों को बढ़ावा देना चाहिए तथा अधिक धनराशि के आबंटन द्वारा इसे खंडस्तर के आई० आर० डी० पी०, एन० एम० ई० जी० तथा अन्य कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करना चाहिए। एक परिवार-एक बच्चे के मानदण्ड अपनाने वाले व्यक्ति को सौफीसदी राजसहायता दी जानी चाहिये। (व्यवधान) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सरकार आदिवासियों, हरिजनों, मध्यम आय वर्ग के लोगों, छोटे सभा सीमान्त किसानों को राजसहायता प्रदान कर रही है। यदि इसके लिए हमारे वित्तीय संसाधनों से और अधिक धनराशि आबंटन नहीं हो सकता तो इसे इन कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करना चाहिए जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैं गर्भपात को उदार तथा कानूनी बनाने के हक में हूं। सभी विकासशील देशों में ऐसा किया जा रहा है.....।

सभापति महोदय : अब आपका समय समाप्त हो चुका है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। अब की रवीन्द्र वर्मा बोलेंगे।

डा० कृपा सिन्धु भोई : बेहतर तो यह होता कि मैं कुछ भी नहीं कहता। अन्त में मैं यह महत्वपूर्ण बात भी कहना चाहता हूं कि इस समय परिवार नियोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग ही उत्तरदायी है। परिवार नियोजन के लिए एक पृथक् मंत्रालय होना चाहिए क्योंकि यह समस्या बहुत बड़ी है। देश के आर्थिक विकास के लिए, जनता को मनुष्यों की तरह जीवन व्यतीत करने हेतु अच्छी शिक्षा तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जनसंख्या पर प्रतिबन्ध लगाना बहुत जरूरी है। मेरा सुझाव है कि 2000 ई० तक हमें जनसंख्या.वृद्धि को पूरी तरह रोक देना होगा। उस समय तक देश केवल 70 करोड़ लोगों का ही निर्वाह कर सकेगा। शून्य दर प्राप्त करने के बाद भी हमारी जनसंख्या लगभग 80 करोड़ ही जायेगी।

माननीय मंत्री तथा सभी संसद सदस्यों से मेरी विनीत प्रार्थना है कि वे जनता से परिवार नियोजन अपनाने के लिए कहें। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन्हें राष्ट्रीय जागृति लाने के लिए एक संसदीय मंच बनाना चाहिए तथा उसमें श्री बनातवाला तथा मेरे अन्य माननीय मित्रों को भी जिनमें प्रोफेसर भी हैं—सम्मिलित किया जाना चाहिए। हमें संसद में सर्वसम्मति से संकल्प पारित करना चाहिए। यदि हमें देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने हैं तो हमें जनसंख्या नियंत्रण को अपना सबसे पहला तथा महत्तपूर्ण कार्यक्रम स्वीकार करना पड़ेगा तथा बाद में ही अन्य कार्यक्रमों को स्वीकार करना होगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई-उत्तर) : सभापति महोदय मेरे माननीय मित्र, स्वास्थ्य मंत्री बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। उनके पास एक ऐसा विभाग है जिसके उद्देश्यों में कोई विशमता नहीं है।

हमारे देश के संविधान में इस बात को स्वीकार किया गया है कि जन स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था करना सरकार का प्राथमिक कर्त्तव्य है। एलजियर्स में हाल ही में आयोजित सम्मेलन में (जिसे एतिहासिक सम्मेलन कहा जा सकता है) में यह घोषणा की गई थी कि देश की स्वास्थ्य प्रणाली का प्रमुख कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल करना है। उनमें विकासशील देशों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमों के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के महत्व पर जोर दिया गया था।

हमने सन् 2000 को लक्ष्य वर्ष माना है जब सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा दी जायेंगी। यह एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। अतः इस दिशा में व्यापक समर्थन हेतु हर सम्भव प्रयास किए जाने चाहिए। परन्तु इस लक्ष्य प्राप्ति की सफलता कई कारणों पर निर्भर करती है। वे हैं :—

(एक) अपनी जनसंख्या की विकास दर को नियंत्रित करने में हमारी क्षमता,

(दो) पीने के गंदले पानी तथा अस्वास्थ्य वातावरण के द्वारा फैलने वाले रोगों का नियंत्रण तथा उन्मूलन करने की क्षमता;

(तीन) संक्रामक रोगों को नियंत्रित तथा उन्मूल करने की क्षमता;

(चार) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा तत्सम्बन्धी उपचार सेवाओं, रैफ़ेल तथा विशेषज्ञ सेवाओं का समुचित स्तरों पर उपलब्ध कराने की क्षमता द्वारा इनके सुलभता एवं निरन्तरता सुनिश्चित करना;

(पाँच) तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति करने की हमारी क्षमता तथा इस उद्देश्य प्राप्ति हेतु अनुकूल चिकित्सा शिक्षा एवं कार्य स्थितियों का प्रावधान करना;

(छः) चिकित्सा विज्ञान की देशी पद्धतियों तथा होम्योपैथी की संभाव्यता, उपयोग तथा विशिष्ट उपयुक्तता का अधिकतम उपयोग करने की हमारी क्षमता तथा

(सात) इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक संसाधनों के लिए पर्याप्त निवेश उपलब्ध कराने की हमारी क्षमता।

मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र इनमें से किसी भी उद्देश्य का विरोध नहीं करेंगे।

महोदय, मेरे माननीय मित्र तथा साथी डा० सरदीश राय पहले ही बता चुके हैं कि दुर्भाग्यवश जन स्वास्थ्य पर हमारा खर्च निरन्तर कम होता जा रहा है। यदि स्वास्थ्य तथा तत्सम्बन्धी व्यय को जन स्वास्थ्य; जो कि राष्ट्र निर्माण का आधार है, के कार्यक्रमों में निवेश न

समझकर मात्र व्यय समझा जाता है तो यह स्पष्ट है कि जन स्वास्थ्य पर खर्च की जाने वाली राशि की प्रतिशतता में निरन्तर कमी आयेगी। जैसा कि उन्होंने बताया था, पहली योजना में यह 3.30% था, दूसरी योजना में यह 3% रह गया तथा अब यह 2% के आस-पास है। जैसा कि मेरे मित्र जानते हैं, ब्रिटेन में 5.4% व्यय जन स्वास्थ्य पर किया जाता है : इसका 60% बच्चों, विकलांगों, वृद्ध आदि पर किया जाता है।

मैं कुल परिचय की प्रतिशतता का उल्लेख पहले होकर चुका हूं तथा मांग की व्यापकता तथा समस्या के परिप्रेक्षय में परिव्य की अल्प राशि के उल्लेख के अतिरिक्त मैं सदन का और समय नहीं लेना चाहता।

अतः मैं जन स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु पेय जल तथा सफाई के महत्व की चर्चा करूंगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 80 प्रतिशत सामान्य रोग जल के माध्यम से फैलते हैं। उनके मोटे अनुमान के अनुसार विश्व के 123 करोड़ लोग बिना स्वच्छ जल के तथा 135 करोड़ लोग बिना पर्याप्त सफाई के रहते हैं। महोदय, ग्रामीण इलाकों में केवल 22 प्रतिशत को अपेक्षाकृत स्वच्छ जल तथा 15% को मल त्याग सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 80% मौतें उन बीमारियों से होती हैं जो जल के कारण उत्पन्न होती हैं। 5 लाख से अधिक गांवों में से लगभग 1/1/2 लाख गांवों में पेय जल की कोई सुविधा नहीं है। पेय जल की स्थिति स्वच्छ पेय जल की स्थिति के समान नहीं है।

महोदय, हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि इस सम्बन्ध में की गई प्रगति बहुत धीमी है। 1975 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 77 प्रतिशत शहरी जनता तथा ग्रामीण इलाकों में 73 प्रतिशत लोगों को पीने का पानी उपलब्ध है। शहरी क्षेत्रों में मल मूत्र व्ययन की व्यवस्था 75 प्रतिशत है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यह व्यवस्था 75 प्रतिशत है। छठी योजना में इस सम्बन्ध में यह लक्षय रखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में मल-मूत्र व्ययन की व्यवस्था को बढ़ाकर शहरी जनसंख्या का 80 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्यवस्था को बढाकर ग्रामीण जनसंख्या का 25 प्रतिशत तक कर दिया जाए। मेरे माननीय साथी इस बात पर सहमत होंगे जो कि इस प्रकार हमारी जनसंख्या का काफी प्रतिशत या तो पीने के पानी अथवा सुरक्षित मल-मूत्र व्ययन व्यवस्था के बिना रह जाएगा।

अब मैं रोग प्रतिरक्षा कार्यक्रम के बारे में चर्चा करूंगा। मुझे विश्वास है मेरे माननीय साथी यह दावा नहीं करेंगे कि रोग प्रतिरक्षा कार्यक्रम योजना के अनुसार चल रहा है। जहां तक पोलियो का सम्बन्ध है इसके अन्तर्गत केवल कुछ ही जिलों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारी 80 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को अभी शामिल किया जाना है। मुझे विश्वास है वे यह दावा नहीं करेंगे कि ग्रामीण जनसंख्या के लिए पोलियों से बचाव हेतु कुछ प्राकृतिक निरोधक हैं। त्रिवार ट्रिविल टीके के मामले को ही लीजिए। यदि रोग प्रतिरक्षा कार्यक्रम का लाभ सभी को पहुंचाना है तो इस कार्यक्रम को विद्यालयों में स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिनमें प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है, के साथ जोड़ना होगा। सारी की सारी आबादी को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए पर्याप्त साधन, कारगर सुपुर्दगी प्रणाली, शिक्षित मानव शक्ति तथा चैनल (रास्तों) का होना बहुत जरूरी है।

आपकी अनुमति से मैं अब संक्रामक रोगों के बारे में चर्चा करूंगा। मलेरिया के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान के बारे में उल्लेख किया गया है। निःसन्देह इसमें काफी प्रगति हुई है। मुझे कहना चाहिए कि मलेरिया रोग के नियंत्रण तथा उन्मूलन में असाधारण प्रगति की गई थी। लेकिन अब यह रोग दुबारा जड़ पकड़ रहा है। मस्तिष्क मलेरिया के मामलों की संख्या तथा प्रतिरोधी नस्लों के प्रादुर्भाव में वृद्धि की प्रगति देखने में आती है। इसलिए हमें इस सम्बन्ध में निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। समस्या यह है कि न केवल कीटनाशी दवाओं के प्रयोग में बल्कि सतर्कता बरतने में भी प्रगति का कतिपय स्तर रखा जाए, जिससे जनता को इस तरह के खतरे से निपटने के लिए लगातार तैयार बनाये रखा जाए। हमने इस क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त की है उसमें कमी नहीं आने देनी चाहिए।

अब मैं क्षय रोग के बारे में चर्चा करूंगा। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि क्षय रोग भी हमारे जन-स्वास्थ्य के लिए भारी समस्या बना हुआ है। ऐसा अनुमान है कि क्षय रोग के कारण प्रतिवर्ष 5 से 6 लाख व्यक्ति मर जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है, मेरे माननीय साथी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, ने अभी कल ही सदन में यह कहा था कि क्षय रोग के कारण हुई मौतों की संख्या के बारे में कोई वक्तव्य दिया जाना सम्भव नहीं है—क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण उत्तर था। शायद यह एक ऐसा जवाब था जिसे सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के स्रोतों के अनुसार न्यायोचित ठहराया जा सकता था, लेकिन विशेषज्ञों ने यह हिसाब लगाया है कि इस देश में प्रतिवर्ष 5 से 6 लाख व्यक्ति क्षय रोग के कारण मर जाते हैं। मेरी माननीय साथी कुमारी कुमुद बैन जोशी के अनुसार भारत में 100 लाख व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त हैं। कुल जनसंख्या का 1.5 प्रतिशत—60 में से 1 भारतीय क्षय रोग से ग्रस्त है। इस रोग के इलाज के लिए तीन कारगर औषधियां हैं अर्थात् रिफैमुपिसियन, पामराजिनामाहड और आई० एन० एच०। यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है, तो इनमें से केवल आई० एन० एच० का निर्माण भारत में होता है। यदि हम सन् 2000 तक जन स्वास्थ्य के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इन सभी औषधियों को उपलब्ध कराना होगा। इस रोग से छुटकारा पाने के लिए हमें युद्ध स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी इस रोग का उन्मूलन करना सम्भव नहीं है, हो सकता है लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्रत्येक 60 भारतीयों में से 1 भारतीय क्षय रोग से ग्रस्त है तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सम्भवतः हम सन् 2000 तक अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाएं। अतएव इस रोग से छुटकारा पाने के लिए युद्धस्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार कि कोढ़ और अन्धेपन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया है, मैं सिफारिश करूंगा कि उसी प्रकार केन्द्र को क्षय रोग के उन्मूलन को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। महोदय, कोढ़ के रोग का सामना करने में हमारी सफलता के बारे में उल्लेख किया गया था। अब हमने सन् 2000 तक इस रोग का उन्मूलन करने का वचन दिया है।

1971 की जनगणना के समय यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 3790 लाख लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां यह रोग फैला हुआ है। ऐसा तब था जब कुल जनसंख्या लगभग 5500 लाख थी। आज यह जनसंख्या बढ़कर 6840 लाख हो गई है। इसलिए जिन क्षेत्रों में यह रोग फैला हुआ है वहां की जनसंख्या भी लगभग 24 प्रतिशत बढ़ जानी चाहिए। जितनी जनसंख्या का अक्तूबर, 1981 तक सर्वेक्षण किया गया था उसके हिसाब से कुल संख्या

3300 लाख थी। इस प्रकार लगभग 1000 लाख या इससे अधिक जनसंख्या अभी बाकी है, जिसका सर्वेक्षण किया जाना है, रोगी का पता लगाने अथवा इलाज की तो बात ही छोड़िए। यदि 1200 लाख अतिरिक्त लोगों का सर्वेक्षण किया जाना है तो हमें सर्वेक्षण रोगी का पता लगाना तथा इलाज की गति तेज करनी होगी।

इसके बाद रिफैमपिसियन जैसी प्रमाणित दवाइयां अपेक्षित मात्रा तथा उपयुक्त दरों पर उपलब्ध होनी चाहिए। यदि इस कार्यक्रम के लिए विदेशों से आयात पर निर्भर किया जाता है, तो इससे परिचालनात्मक कार्यकुशलता संकट में पड़ सकती है अथवा राष्ट्र पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।

अब मैं नेत्रहीनता के बारे में चर्चा करूंगा। 1975 में भारत में किए गए मल्टी सैन्ट्रिक सर्वेक्षण से पता चला कि देश में 90 लाख नेत्रहीन और 450 लाख व्यक्तियों की नजर कमजोर है। पिछले 7 सालों में जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ इन आंकड़ों में और भी वृद्धि हो गई होगी। हमने नजर कमजोर होने से रोकने तथा नेत्रहीनता के नियंत्रण के लिए 1976 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया था। मैं इस कार्यक्रम की गहराई में नहीं जाना चाहता लेकिन अन्य बातों के साथ-साथ इस कार्यक्रम में चलते-फिरते एककों को दृष्टि समानता उपकरणों से लैस करना तथा चालू करना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने तथा जिला अस्पतालों आदि में आंख की देखभाल करने वाले एकक चलाये जाने की बात सोची गई थी। मैंने इस वर्ष की रिपोर्ट देखी और मैंने रिपोर्ट में यह पाया कि मार्च, 1982 तक 45 चलती-फिरती इकाइयों को उपकरणों से लैस किया जाएगा, 1600 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे और 200 से ऊपर जिला अस्पतालों को उपकरणों से लैस किया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें कुछ प्रगति हुई थी और वह प्रगति क्या थी। मैंने पिछले वर्ष की रिपोर्ट देखी थी। यदि मेरे पास समय होता तो मैं इसके दो पैराग्राफ पढ़कर सुनाता। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच कोई फर्क नहीं है और इसमें छपाई की भी कोई गलती नहीं है। क्या मैं यह पढ़कर सुनाऊं? यह मनोरंजक भी है। किन्तु यह मेरा समय भी खा जाएगा। इसमें फर्क करने के लिए छपाई की भी कोई गलती नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि नेत्रहीनों के प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ लापरवाही हो गई है। अन्यथा मेरे माननीय साथी बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि रखने वाले भद्र पुरुष हैं। वे पर्याप्त दृढ़ निश्चय वाले आदमी हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। वे एक दृढ़ निश्चयी योद्धा हैं और इसके लिए जन स्वास्थ्य से बढ़कर और कौन-सा ऐसा कार्य हो सकता है। उन्हें राष्ट्र के लिए रोगों से लड़ने में आपकी इस प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए।

सभापति महोदय: मेरे विचार में वे स्पष्ट वक्ता भी हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा: उनके अन्दर काफी प्रशंसनीय गुण हैं। लेकिन उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ लोग तुच्छ राजनीति से ऊपर नहीं उठते हैं। इससे कोई प्रगति नहीं होती है। यह सत्य है कि पिछले दो वर्षों में यहां तक कि मेडिकल कालेजों के लिए जिन और उपकरणों को खरीदने के बारे में सोचा गया था, वे भी नहीं खरीदे गए अथवा चालू नहीं किए गए।

अब मैं वातज्वर तथा वात हृदय रोग के बारे में चर्चा करूंगा। बच्चों में वात ज्वर की घटनाओं की संख्या का अनुमान प्रति 1000 के पीछे उसे 10 व्यक्ति लगाया गया है। भारत के

अस्पतालों में सभी हृदय सम्बन्धी रोगियों में से 33 से 50 प्रतिशत लोग पुराने वाल्व रोग से पीड़ित हैं। स्कूली बच्चों में वात हृदय रोग होने का अनुमान प्रति 1000 के पीछे 6 लगाया गया है और दिल्ली में यह संख्या प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे 11 हैं। 14 वर्षों की आयु वाले बच्चे जो कुल जनसंख्या का 43 प्रतिशत हैं, वात हृदय रोग से पीड़ित हैं जिनकी संख्या 60 लाख बैठती है। दिल्ली तथा हैदराबाद के प्रायोगिक केन्द्रों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि रोग निरोधक इलाज सम्भव तथा प्रभावी है। अतएव अब जिस चीज की आवश्यकता है वह यह है कि वात ज्वर निवारण के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति हो जिसे विद्यालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सके। मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय साथी इस समस्या की ओर ध्यान देंगे।

मैं स्वास्थ्य सम्बन्धी निगरानी की पिरामिडीय प्रणाली के बारे में चर्चा करने में सदन का अधिक समय नहीं लूंगा जिसका मेरे माननीय साथी ग्राम स्तर से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन जब आप इस प्रकार की प्रणाली का प्रयास करते हैं तब यह सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि ग्राम स्वास्थ्य रक्षक को उचित प्रशिक्षण दिया जाए और यह कि इस कड़ी के सम्पर्कों के बीच उचित आपसी सम्बन्ध हों और उपयुक्त स्तरों पर सेवाओं का आनुपातिक विकास होता रहे। यदि इस कड़ी की कोई कड़ी टूट जाती है अथवा लक्ष्य किसी विशेष स्तर तक नहीं पहुंचते हैं तो समस्त प्रणाली भी अव्यवस्थित हो जाती है। अतएव, विभिन्न स्तरों पर लक्ष्यों की एकीकृत उपलब्धि के सम्बन्ध में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर जितना अधिक बल दिया जाये कम है।

उदाहरण के तौर पर दाईयों के प्रशिक्षण को ही लीजिए। मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि प्रत्येक गांव में एक प्रशिक्षित दाई होगी। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे देश में 5½ लाख दाईयां होनी चाहिए। अब तक 3½ लाख दाईयों को प्रशिक्षित किया है 30 वर्षों में हमने केवल 3½ लाख दाईयों को प्रशिक्षित किया है। और 5½ लाख दाईयों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त करना कैसे सम्भव हो सकता है जब तक कि इस बारे में कोई त्वरित कार्यक्रम न बनाया जाए जो सन् 2000 तक 5½ लाख दाईयों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे न रह जाएं।

इसके अलावा, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि गन्दी बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं की ओर वह ध्यान नहीं दिया गया है, जो दिया जाना चाहिए। अगले कुछ वर्षों के दौरान गन्दी बस्तियों में जनसंख्या 200 लाख तक पहुंच जाने की सम्भावना है। उस मामले में गन्दी बस्तियों में पर्याप्त प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या गन्दी बस्तियों में स्वच्छ पीने के पानी, गन्दी बस्तियों विशेष रूप से बम्बई जैसे बड़े नगरों, जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, में मल ढोने की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं।

अब मैं चिकित्सा शिक्षा के बारे में चर्चा करूंगा। महोदय, आपकी इस विषय में काफी रुचि है।

सभापति महोदय : मैंने अभी संकेत किया है कि चिकित्सा शिक्षा समवर्ती सूची में है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : ठीक है, मैं उन विषयों पर बातचीत करूंगा आपके विचार में जो युक्तियुक्त रूप से इस सदन के हित में है।

सरकार का उद्देश्य यह है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति तथा शल्य चिकित्सा तथा देशी चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में प्रतिभा, योग्यता, ज्ञान तथा अनुभव वाले प्रशिक्षित डाक्टर पर्याप्त संख्या में तैयार किए जाएं। प्रति वर्ष लगभग 11,000 स्नातक कालेजों में से निकलते हैं। लेकिन आप विरोधाभास तो देखिए, एक ओर तो यह संख्या पहले ही अपर्याप्त है और दूसरी ओर बेरोजगारी है और उसके साथ-साथ काफी डाक्टर विकसित देशों में चले जाते हैं। 1971 में संयुक्त राज्य अमरीका में गए 14,000 फिजिशियनों में से 9000 एशिया, विशेष रूप से भारत तथा पाकिस्तान से थे। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर तंजानिया ने परम्परागत स्वास्थ्य शिक्षा में संशोधन करने का एक प्रयोग किया था ताकि इसे अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों से अलग विशेष दिशा की ओर ले जाया जा सके और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की ओर उन्मुख किया जा सके ताकि हमारे स्नातकों के लिए विदेशों में मिलने वाली सेवाएं कम उपयुक्त हों और वे देश में ही राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप हों। यह तर्क दिया जा सकता है कि यह एक अदूरदर्शी उपाय है, क्योंकि हम चिकित्सा की दृष्टि से प्रशिक्षित व्यक्तियों की योग्यता में कोई कमी नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें कोई ऐसी मेडिकल शिक्षा की पद्धति निकालनी चाहिए जिसमें डाक्टरों को काफी समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना पड़े।

मुझे बहुत खुशी है कि सरकार मेडिकल तथा स्वास्थ्य शिक्षा की एक नई राष्ट्रीति नीति तैयार करने का विचार कर रही है। यदि मेरे पास समय होता तो मैं रिपोर्ट के उपयुक्त पैराग्राफों को पढ़ कर सुनाता। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। लेकिन इनके साथ-साथ सरकार ने बहुत ही योग्य फिजिशियन तथा सर्जन श्री शान्तिलाल मेहता की अध्यक्षता में मेडिकल शिक्षा पुनरीक्षण समिति नियुक्त की है। मुझे आशा है कि समिति के प्रतिवेदन पर शीघ्र अमल करने तथा इस नीति को तैयार करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, ताकि चिकित्सा शिक्षा में आगे और विलम्ब किए बिना आवश्यक सुधार किए जा सकें।

यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हों, तो चेतन में वृद्धि करना तथा कार्य करने की शर्तों में सुधार करना और कैरियर निर्माण योजनाएं लागू करना आवश्यक है।

तीसरी योजना में इस बारे में कुछ सुझाव दिये गये थे। इसमें मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रति पूर्ति भत्ता आदि के बारे में तुलनाएं की गईं। यह बताया गया कि जो भत्ते नगरों में दिये जाते हैं वे उन लोगों को उपलब्ध नहीं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं। अब मैं यह नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र तीसरी योजना को अराजक दस्तावेज समझते हैं। वह इसे अद्यतन बना सकते हैं परन्तु इन समस्याओं की ओर ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिए।

अब मैं कालेजों में प्रवेश के मामले को लेता हूं। इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा शिक्षा संस्थाओं द्वारा पालन करने योग्य सभी मानदण्डों की अवहेलना की जाती है। अंकों में हेरा-फेरी की जाती है तथा किसी ने उल्लेख किया है कि 20,000 से 2-3 लाख रुपये तक प्रति व्यक्ति शुल्क ली जाती है। मुझे पता चला है कि आन्ध्र प्रदेश में 1½ से 2 लाख रुपये लिया जाता है, मेरे मित्र विदेश मंत्री इसकी पुष्टि करेंगे।

सभापति महोदय : संतोष की बात यह है कि यह सभी जगह व्याप्त है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : ठीक है श्रीमान्, जब हर जगह यह प्रदूषित वातावरण व्याप्त है तो हमें इस प्रदूषण से बचाव के लिए मंत्री की ओर देखना पड़ता है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह विश्वव्यापी स्थिति बनी हुई है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : फिर श्रीमान्, गिरते हुए स्तरों का उल्लेख किया गया है। मेरा सुझाव है कि सरकार डाक्टरी शिक्षा में प्रवेश के मामले पर ध्यान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह एक सांविधिक निकाय का गठन करे अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक पृथक् विभाग की स्थापना करे।

अब श्रीमान्, मैं दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति को लेता हूं। अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में समाचार पत्रों में प्रतिदिन खबरें छपती हैं। मेरे इस वक्तव्य का उद्देश्य अपने मित्र को उत्तेजित करना नहीं है। मैं जानता हूं कि देश में बिगड़ती हुई स्वास्थ्य की दशा तथा रोगियों की सेवा की स्थिति से वह स्वयं चिन्तित हैं। श्रीमान् अस्पतालों में डाक्टरी देखभाल की स्थिति बिगड़ गई है, ध्यान देने में विलम्ब होता है, आवश्यक मामलों में भी बिस्तर नहीं मिल पाते, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, लापरवाही, निर्दयता, दो-तीन रोगियों को एक ही बिस्तर में स्थान देने को दिर्दयतापूर्ण व्यवहार होता है। आज इससे पूर्व विमान यात्रियों को सीटों के साथ बांधने के संदर्भ में तीन यात्रियों के एक बेल्ट के उपयोग में लाये जाने का उल्लेख हुआ। अब दो तीन रोगियों को भले ही उनके रोग अलग-अलग हों एक ही बिस्तर पर स्थान दिए जाने का उल्लेख हुआ है। रोगियों को बरामदों में, फर्शों पर तथा चारपाइयों के बीच की गन्दी जगह स्थान दिया जाता है, उन्हें गन्दे वस्त्र दिये जाते हैं। मंत्री महोदय इन सभी बातों से मेरे से अधिक परिचित हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि वह अस्पतालों में इलाज के लिए नहीं पर्यवेक्षण के लिए जाते हैं। अतः श्रीमान्, मैंने जो कुछ कहा है वह बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा है। यदि स्थिति इस प्रकार की है तथा कभी-कभी बच्चों के वार्ड में भी भूलें होती हैं तो उन्हें इन अस्पतालों की हालत पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए।

अब, श्रीमान्, मैं उन बहुत सी समितियों का उल्लेख करूंगा जिनकी नियुक्ति अस्पतालों की स्थिति की जांच के लिए की गई—राव समिति, जैन समिति, वर्मा समिति (मैं नहीं)—सिद्धू समिति—इन सभी समितियों ने अपने प्रतिवेदन पेश किए हैं। क्या उक्त प्रतिवेदन आपके मंत्रालय की अलमारियों आदि की शोभा बढ़ा रही हैं। क्या कारण है कि उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाता। यदि उनमें से आधे सुझावों को भी समय पर क्रियान्वित कर दिया जाता तो हम इन बहुत सी कठिनाइयों से बच गये होते जिनका कि हम आज सामना कर रहे हैं। यह विचित्र स्थिति है कि सरकारी अस्पतालों में एक बिस्तरे में तीन-तीन रोगियों को स्थान दिया जाता है—जबकि अन्य अस्पतालों में, जिन्हें कालोनी अस्पताल कहा जाता है कभी-कभी 50 प्रतिशत से अधिक बिस्तर खाली होते हैं।

श्रीमान्, एक योजना तैयार की गई थी कि इन अस्पतालों का अधीनस्थ अस्पतालों के रूप में उपयोग किया जाये। इन समितियों ने इन अस्पतालों में सेवाओं के सुव्यवस्थित विकास के लिए

क्षेत्रीय प्रबन्ध बोर्डों की स्थापना की सिफारिश की है ताकि कृत्रिम विभागों की दोहरी व्यवस्था से बचा जा सके। इस सिफारिश के बारे में कुछ नहीं किया गया है।

एक अन्य सुझाव यह था कि कालोनी अस्पतालों का मध्यवर्ती स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में उपयोग किया जाये। इसे भी क्रियान्वित नहीं किया गया। फिर, श्रीमान्, दुर्घटना की दशा में भी सेवाओं की अपर्याप्तता है। चोटों के लिए सेवा जो कि सफदरजंग में चालू होनी थी वह मेडिकल कालेज से सम्बद्ध आम अस्पताल में बदल गई।

श्रीमान्, आपने मुझे बताया है कि समय कम बचा है, परन्तु यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं औषधियों के बारे में उल्लेख करूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। औषधियों सम्बन्धी तकनीकी समिति ने तरल में टेट्रासाइक्लीन, पेन्सलीन आंखों की मलहम तथा फारेसीटिन पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। क्या उस रोक को क्रियान्वित किया गया है। क्या केवल यही औषधियां हैं जिनके घातक प्रभाव होते हैं?

प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने सभा को बताया कि 1980 में जब वह मंत्रालय में नये ही थे—छः औषधियों के विषैले प्रभावों का पता चला था और उस पर कार्यवाही की जा रही थी। उनमें से एक अमीडोपाहरिन थी इस पर विश्व के 20 से अधिक देशों में रोक लगी हुई है। बताया गया है कि अमीडोपाहरिन से इस देश में अनलजिन सहित 33 औषधियां बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं। क्यों?

केवल यही औषधियां नहीं हैं। औषधियों के प्रभाव को जानने के लिए हमारा अपना तंत्र नहीं है। हम उधार ली गई, विलम्बित जानकारी और देर से की गई कार्यवाही पर जीवन-निर्वाह कर रहे हैं। यहां पर युनाईटिड किंग्डम के प्रेसक्राबर' की तरह एक सरकारी औषधि समाचार पत्र होना चाहिए जिसमें औषधियों के उपयोग, दुरुपयोग तथा प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

भेषज अधिनियम का लागू किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कम से कम उप-प्रभाग स्तर पर पर्याप्त प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, तथा प्रभावी कार्यवाही द्वारा, उपभोक्ता प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

यदि मैं परिवार कल्याण का उल्लेख न करूं तो यह ठीक बात नहीं होगी। (व्यवधान) यह ऐसी बात है जिसका प्रभाव सब पर पड़ता है। मैंने परिवार कल्याण के महत्व पर बल देने से अपना भाषण शुरू किया था।

सभापति महोदय: कृपया कुछ मामले अन्य सदस्यों के लिए भी छोड़ें।

श्री रवीन्द्र वर्मा: ठीक है। मैं ऐसा ही करूंगा। परन्तु मैं परिवार कल्याण के लिए अपना समर्थन रिकार्ड करना चाहता हूं। इसके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसा कि आप जानते हैं यह शिक्षा उपकरणों की उपलब्धता तथा वही मैटर बातों पर निर्भर करता है। दुर्भाग्य से जिनका कि मैं समयाभाव के कारण उल्लेख नहीं कर पाऊंगा।

मैं देशी औषधि प्रणाली और होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और अमचिया अर्थात् तिब्बतीय औषधि प्रणाली पर भी बल देना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा कथन है कि यदि हम तिब्बतीय चिकित्सा प्रणाली पर ध्यान नहीं देते तो विश्व का कोई भी अन्य देश यह सुविधा नहीं देगा। तथा यह प्रणाली, जो कि बहुत से रोगों के लिए प्रभावी सिद्ध हुई है, लुप्त हो सकती है।

श्रीमान्, आपने मुझे जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय तथा उनके सहयोगी सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी इस विकराल समस्या पर सफलतापूर्वक कार्यवाही करेंगे।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : सभापति महोदय, मैं हैल्थ मिनिस्ट्री की डिमांड्ज का समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि बीड़ी मजदूरों में टी० बी० का रोग बहुत भयानक रूप में फैल रहा है। मध्य प्रदेश में 20 से 40 लाख बीड़ी मजदूर रहते हैं। इनको इस रोग के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे जहां उनकी आर्थिक स्थिति डांवांडोल हो जाती है। वहीं उनकी फैमिली के मुखिया के न रहने पर सारा आधार बिगड़ जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भी बीड़ी बनाने सेंटर्ज हैं, वहां टी० बी० अस्पताल बनाए जाएं। अगर टी० बी० अस्पताल बनाना सम्भव न हों, तो कम-से-कम मेन अस्पताल में टी० बी० के पेशन्ट्स के लिए अलग से वैडेज की व्यवस्था की जाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बुरहानपुर में बीड़ी का बहुत काम होता है और बुरहानपुर में 100 बैड के अस्पताल की राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है और क्योंकि हमारे नये बीस सूत्री कार्यक्रम में हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने टी० बी० को इरीडीकेट करने के लिए, लिपरोसी और आंखों की समस्याओं को हल करने के लिए बहुत जोर दिया है, इसलिए मैं यह चाहूंगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में एक टीम जरूर भेजे और विशेषकर हमारे बुरहानपुर में उस टीम को जरूर भेजे क्योंकि वहां पर लगभग 10 से 15 प्रतितिशत टी वी से लोग पीड़ित हैं। इसलिए वहां पर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना नितान्त आवश्यक है।

2000 ए० डी० तक हमारे शासन ने हैल्थ फोर आल का लक्ष्य रखा है। इस स्कीम को अगर लागू किया जाएगा, तो सारे लोगों को फायदा होगा। हमारे देश के लोगों को पूरी-पूरी तरह से एक ओर तो ये दवाइयां उपलब्ध की जाएंगी, जिससे ने बीमार न रह सकें और दूसरी तरफ जो सुरक्षा के उपाय हैं; वे सारे किए जाएंगे। मैं यह चाहता हूं कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभी से हमें तेजी से कार्यवाही करनी चाहिए।

आज जो गांवों के स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र हैं, पी० एच० सी० और मिनी पी० एच० सी० हैं, उनकी दुर्दशा है और वहां पर लोगों का ठीक से उपचार नहीं होता है। उनके पास कोई वाहन नहीं होता है और जरा सा कोई गड़बड़ी वाला मामला आ जाता है, कोई गंभीर रोगी आ जाता है, तो उसको वे सारे साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, जिनके लिए हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे है और उसका वहां ठीक से इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो पी० एच० सी० हैं या मिनी पी० एच० सी० हैं, इनको बहुत मजबूत बनाया जाए।

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि रीओरियेन्टेशन प्रोग्राम होना चाहिए, डाक्टरों के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए। आज उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार

जो डाक्टर मेडिकल कालेज में अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ लेता है, उसके बाद जो बाद में डिसकवरीज होती हैं, जो नई खोजें होती हैं और जो नये-नये प्रयोग होकर सामने आते हैं, नई-नई दवाइयां आती हैं, टेकनीक आती हैं, उनके ज्ञान का अभाव उसको रहता है और रोगी को उनका लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि री-ओरियेन्टेशन प्रोग्राम बना कर और रिफ्रेशर कोर्सेज बनाकर सारे देश में डाक्टरों के लिए और नर्सों के लिए उनको बताने का प्रोग्राम होना चाहिए।

आजकल दवाइयां काफी महंगी हो गई है और बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं, जो कि एक आम आदमी की पहुंच के बाहर हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी जो जेनरीक दवाइयों के बारे में पालिसी है, जिसको अभी पैट्रोलियम मिनिस्ट्री देखती है, उसको हैल्थ मिनिस्ट्री को देखना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य मिनिस्ट्री से उनका सम्बन्ध रहता है। मेडीकल कालेजों में विद्यार्थी जेनरिक ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं लेकिन बाद में जब ब्रांड नेम से दवाएं आती हैं और चमकीली पन्नी में वे आती हैं, उसके कारण और विज्ञापनों के कारण हमारे जो पेशेंट हैं, वे भटक जाते हैं और डाक्टर अपने कमीशन के कारण या केमिस्ट अपने आर्थिक लाभ के कारण उन दवाइयों को खपाने की कोशिश करते हैं। इससे जहां एक ओर पेशेंट को अपनी पहुंच के बाहर ज्यादा पैसे खर्च करके उन दवाइयों को प्राप्त करना होता है, वहां उनको सही दवा भी नहीं मिलती है। मैं आपको बताऊं कि ए० पी० सी० जो कम्पाऊंड है, वह एक पैसे में दो गोलियां मिलती हैं लेकिन उसी ए० पी० सी० का नाम बदल कर उसको विकोरिल, एनलजिन, सेरीडोन, नोवलजिन और वेदना-निग्रह रस के नाम से 30-40 पैसे में बेचा जाता है। इसी तरह से क्लोरो-एम-फेनीकोल जो कि एक बेसिक ड्रग है, इसको क्लोरामाइसीटीन और वेन माइसीटीन बनाकर जब बेचा जाता है, तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा कानून लागू किया जाए, जिससे रोगियों को अधिक पैसे न देने पड़े और वहीं सही दवाएं भी उनको उपलब्ध हों।

आज हम क्या देखते हैं कि एक पान की दुकान वाला भी एक केमिस्ट बन गया है, एक डाक्टर बन गया है और लोगों को इस तरह की आदत पड़ गई है कि वे वहां से सेरीडोन और एनासीन लेकर खाते हैं जिन के आफ्टर-इफैक्ट्स के बारे में उसको जानकारी नहीं होती है। अपनी सरलता के कारण और उन दवाइयों के ज्ञान के अभाव के कारण, वे लोग उन दवाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और बोडी की रेसिसटेंस की एक सीमा के बाद जब वे ऊंची पावर की दवा खाते हैं, तो उसको वे सहन नहीं कर पाते हैं। लोगों की जो इस प्रकार की एक आदत सी होती जा रही है, उसको चैक करने के लिए जो लायक डाक्टर हैं, वे ही उनको दवा दे सकें, इस तरह की व्यवस्था कानून में होनी चाहिए।

हमारे देश में फेमिली प्लानिंग का एक बहुत बड़ा सवाल है। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में जनसंख्या 1.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने यानी प्रति एक हजार के पीछे 33 व्यक्तियों की जन्म दर वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। पिछले 28-30 सालों में हमने फेमिली प्लानिंग के अपने देश में जो लक्ष्य निर्धारित किये थे उनको प्राप्त किये जाने की जितनी तेजी और तत्परता से कोशिश की जानी चाहिए थी उतनी नहीं की गयी। इतना पैसा खर्च और समय खर्च करने के बाद भी इस सम्बन्ध में हम अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। इसके लिए जिम्मेदार विचारात्मक व राजनैतिक योजना बनायी जानी चाहिए।

1950 में हमारे यहां जन्म दर दो प्रतिशत से बढ़कर 1971 में 2.2 प्रतिशत हो गयी है। योजनाकारों ने यह सोचा था कि 1974 तक प्रति हजार 32 तक और 1985 तक प्रति-हजार 25 तक जन्म दर प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। इसको पूरा करने में हम काफी पिछड़े हुए हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

1974 तक हमारी जनसंख्या की दर 32 प्रति हजार थी जो कि 33-34 प्रति हजार हो गई है। अगर यह गति रही तो इस शताब्दी के अन्त तक हम 93 करोड़ 30 लाख हो जाएंगे इसको चेक करना बहुत आवश्यक है। इससे हमारी सारी योजनाएं गड़बड़ा जाएंगी। पीने के पानी, सड़क बनाने, बिजली पहुंचाने जितने भी किसानों की उन्नति के कार्य हैं, उद्योगों के विकास के कार्य हैं उन सबकी सारी की सारी योजनाएं लड़खड़ा जाएंगी। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि—जैसा कि हमारे साथी डा० भोई सुझाव दे रहे थे—अबोर्शन को कानूनी मान्यता दिया जाना आवश्यक है। अबोर्शन के समय वैवाहिक जीवन के बारे में जो कुछ पूछा जाता है वह न पूछा जाए और जो भी जानकारी दी जाती है उसको गुप्तरखा जाए।

अपने देश में पुरुषों की वैवाहिक आयु 25 वर्ष और महिलाओं की 21 वर्ष कानूनी रूप से निर्धारित की जानी चाहिए और इस पर सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो होस्पिटल्स हैं उनमें फेमिली प्लानिंग के लिए कम से कम तीन वाहन, तीन जीप होनी आवश्यक हैं। फेमिली प्लानिंग के कार्यक्रम को चलाने के लिए ये बहुत आवश्यक हैं। जहां हम इतना रुपया खर्च करते हैं वहां इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, मैं नहीं समझता कि यह बहुत बड़ा खर्चा होगा।

हमारे सरकारी कर्मचारी चाहे केन्द्र में हो, चाहे राज्य शासन में हैं या दूसरी संस्थाओं में हों, जो सरकारी कर्मचारी फेमिली प्लानिंग को मानते हैं, इस कार्यक्रम को अमल में लाते हैं उनको सेवा में वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए, उनको और भी इन्सेन्टिव दिए जाने चाहिए, अगर वे मकान वगैरह बनाते हैं तो उनको सुलभ लोन उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे उनमें इस प्रकार के कार्यक्रम को तेजी से अमल में लाने की रुचि उत्पन्न हो।

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जो हमारे एम० पी०, एम० एल० ए०, एम० एल० सी० हैं उनके लिए भी नियम बनाया जाना आवश्यक है। जिसके दो या तीन बच्चों से ज्यादा हों उनको विधान सभाओं या संसद् में न आने दिया जाए। इस तरह से भी लोगों पर इस कार्यक्रम का प्रभाव पड़ेगा।

फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम हमारे संविधान की कन्करेन्ट लिस्ट में है। बहुत से राज्य शासनों को इस कार्यक्रम की जितनी तेजी से अमल में लाना चाहिए, उतनी तेजी से वे इसको अमल में नहीं ला रहे हैं। जो राज्य सरकार फेमिली प्लानिंग कार्यक्रम पर तेजी से अमल नहीं करती हैं ऐसी राज्य सरकारों को ओवर ड्राफ्ट की आर० बी० आई० से जो फेसिलिटी मिली हुई है वह फेसिलिटी उनको न दी जाए।

वास्तव में फेमिली प्लानिंग का एक विशाल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को तेजी से अमल में लाने के लिए एक सेप्रेट मिनिस्ट्री कायम की जानी चाहिए। इस कार्यक्रम का किसी भी धार्मिक ग्रन्थ-गीता, बाईबल, कुरान—में विरोध नहीं किया गया है। यहां बनातवाला साहब भी बैठे हैं, हमारे और भी माननीय सदस्य बैठे हैं सभी इसमें सहयोग करेंगे। हम सब सदस्यों को मिलकर एक प्रस्ताव पास करना चाहिए और बिना कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजन के फेमिली प्लानिंग कार्यक्रम को सभी के लिए सख्ती से लागू करना चाहिए। "मास इन्वाल्वमेंट" की जो कमी है, आम आदमी को समझाने की जो कमी है, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर ऐसा रास्ता निकालें ताकि सभी लोग इसमें रुचि लें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि उनकी जो पुरानी हठ थी चुनाव जीतने की, वह तो हार में बदल गई है, इसलिए अब तो कम-से-कम सही रास्ते पर आ जाएं और हमारे साथ मिलकर देश के लोगों से कहें कि इस कार्यक्रम में सहयोग दें।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे-जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है और औद्योगीकरण हो रहा है। वैसे-वैसे वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशर हो रहा है। जंगलों के कटने के कारण भी पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। इसलिए जो भी उद्योग लगते हैं, चाहे वे गंगा के किनारे हों, जमना के किनारे हों, ताप्ती के किनारे हों, नर्मना के किनारें हों, वहां पर सख्ती से इस बात का पालन कराया जाए कि उनका जो वेस्ट है वह नदी में न मिले और किनारे के ग्रामवासियों को स्वच्छ पानी पीने के लिए मिले।

आज डाक्टरों के लिए वेतन भी बहुत कम है। मुझे खुशी है कि मध्यप्रदेश में तो चौधरी आयोग इस पर विचार कर रहा है, दूसरे प्रदेशों में भी इस पर विचार किया जाना चाहिए और डाक्टर्स को अच्छा वेतन मिलना चाहिए ताकि वे खुशी से ग्रामीण, ट्राइबल और पहाड़ी इलाकों में जाकर गरीब जनता की सेवा ठीक से कर सकें।

ब्रेन-ड्रेन के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। आज हमारे यहां नर्स से ज्यादा डाक्टर हैं, लेकिन उनका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है। आज गांवों में डाक्टर्स की कमी है और दूसरी ओर हमारे डाक्टर्स सुविधाओं के अभाव में दूसरे देशों में चले जाते हैं। इसको चैक करने की भी आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,—"विकलांग वर्ष" बीत गया। बहुत से विकलांगों की सेवा की गई, लेकिन ऐसा न हो कि केवल विकलांग वर्ष में ही सेवा की जाए, भविष्य में भी उनकी ओर बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए। "जयपुर फुट" नाम से डाक्टर सेठी ने हमारे देश को बहुत अच्छी चीज दी है, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि "विकलांगों को दया, दान की जरूरत नहीं है, उनको सहयोग और सद्भावना और काम के अवसर देने की आवश्यकता है।" मैं चाहूंगा कि केवल विकलांग वर्ष में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में भी उनको पूरी सुविधाएं देकर और उनके साथ मानवीय व्यवहार करके सबके साथ उन्नति करने में मदद की जाए।

टी० बी० से हमारे देश में प्रति वर्ष 5 लाख लोग मरते हैं। इसके बारे में भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और लेप्रेसी के बारे में भी तेजी से कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में तेजी लाने की आवश्यकता है।

अन्त में मैं एडल्ट्रेशन के बारे में कहना चाहता हूं। यह कार्य नगर पालिका और नगर निगम अधिकार क्षेत्र में आता है। तेल, दाल आदि अन्य चीजें सही मिलती है या नहीं, इसको देखा जाना चाहिए ताकि लोग बीमारी से बच सकें। इस कार्य को नगर पालिका और नगर निगम के बजाए हैल्थ डिपार्टमेंट के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए ताकि देश में विषैला वातावरण पैदा न हों।

इन शब्दों के साथ मैं स्वास्थ्य विभाग की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी काफी साथियों ने अपने विचार रखे हैं। मुझे खुशी है कि इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों को भी इस चर्चा में शामिल किया गया है।

हमारी दो समस्या हैं। एक है जहां स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है गांवों में लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है। दूसरा है जहां स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध है क्या वे सही मानों में उपलब्ध है या नहीं। इन दोनों मुद्दों के बीच में सारी समस्यायें घिरी हुई हैं।

आप सहमत होंगे कि जो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हैं भी वे शहरों में ही उपलब्ध हैं और वहीं देहातों के लोग आ कर अपना इलाज भी करवाते है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो स्वास्थ्य योजना है एस्टीमैट्स कमेटी ने 26 तारीख को उसके बारे में रिपोर्ट दी थी। सी० जी० एच० एस० में किस तरह का भ्रष्टाचार है, किस तरह का बंगलिंग है, वह उसने उस रिपोर्ट में आपके सामने रखा है। उस में जा कर मैं आपका समय लेना नहीं चाहता हूं। सब से पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आप बताएं कि जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो उस में जो आंकड़े देते हैं, वे कहां से प्राप्त करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। काला बाजार के मामले को आप लें। 1977 में पहली बार जब मैं यहां जीत कर आया था और सरकारी पक्ष में मैं बैठता था तब मैंने इस सवाल को पहली बार उठाया था। तब राज नारायण जी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने जो आंकड़ा दिया था उसको मैंने तब चैलेंज किया था। मैंने कहा था कि दो हजार लोग अकेले मेरे जिले में वैशाली जिले में मरे हैं। राज नारायण जी ने तब बिहार मात्र सात संख्या बताई थी। जितना मैं आप से झगड़ा करता हूं उस समय भी मैंने उन से उतना ही झगड़ा किया था और उनको चैलेंज किया था। तब यहां के डायरेक्टर ने जा कर रिपोर्ट की कि 1100 के करीब लोग मरे हैं। मैंने फिर कहा था कि यह गलत रिपोर्ट है, आप इसकी जांच करवाइये। जगदम्बी प्रसाद जी यादव ने जाकर जांच करने के बाद कहा था कि करीब 1700 मरे हैं। मैंने फिर भी कहा कि दो हजार से अधिक लोग मरे है। फिर डब्ल्यू० एच० ओ० की तरफ से काफी वहां सहायता दी गई। उन्होंने अपनी टीम भेजी और उसने रिपोर्ट दी कि दो हजार से अधिक लोग मरे हैं। मुझे खुशी है कि इस बीमारी पर काबू पा लिया गया। लेकिन फिर भी छुटपुट घटनाएं अब भी घट रही हैं। अब आपने वार्षिक रिपोर्ट के पेज 11 पर लिखा है कि पूरे बिहार में काला अजार से पीड़ित लोगों की संख्या 11554 है और मरने वालों की मात्रा 33 है। काला अजार ऐसी बीमारी है कि अगर यह सैकिंड स्टेज में पहुंच जाए तो रोगी का मरना निश्चित हो जाता है। एक सर्वेक्षण किया गया था और उस में यह निष्कर्ष निकाला गया था। इसी सदन में उस पर चर्चा भी हुई थी, कालिंग एटेंशन के रूप में तथा दूसरे रूपों में। आपने

जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि 33 आदमी मरे हैं। चूंकि यह बीमारी अब वहां बहुत भयंकर रूप में नहीं है, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप बताएं कि जो रिपोर्ट लिखी जाती है वह किस आधार पर लिखी जाती है। गम्भीरता से आपको पता लगाना चाहिए कि क्या वास्तव में 33 आदमियों की ही मृत्यु हुई है। दूसरी जगहों पर भी काला अजार का प्रकोप शुरू हो गया है। कल को इस बीमारी के जर्म्स कहीं दूसरी जगहों पर भी पहुंच गए और वहां भी यह बीमरी फैल गई तो फिर इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा और रोगी को मौत के मुह में जाने से कोई बचा नहीं सकेगा। यह एक संक्रामक बीमारी है। जिस परिवार में यह घुस जाती है उसको समाप्त कर देती है। एक-एक सुई की कीमत दो सौ और ढाई सो रुपया होती है और देश में यह मिलती भी नहीं है।

आपने बताया है कि देश में कुल मिलाकर 1981-82 में 5686 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे और 1982-83 में आप दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने जा रहे हैं। यह ठीक बात है कि आपके पास फंड्स कम हैं। सब से पहले तो देखा यह जाना चहिए कि मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक हो। वह स्वस्थ रहेगा तभी कोई दूसरी चीज हो सकती है। स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो कोई चीज ठीक नहीं चल सकती है। इसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता होती है। आप टारगेट भी फिक्स करते हैं। कुछ बातें हैं जिनका आपको पहले से पता होना चाहिए या आपको पता करना चाहिए। एक तो हमको अभी तक पता नहीं है कि देश में कितने लोग बीमारी से ग्रसित हैं। कोई नेशनल सर्वे नहीं कराया गया। जब कोई बीमारी बढ़ जाती हैं तो आदमी अस्पताल जाता है। गांव का गरीब आदमी तो जिला अस्पताल तक भी नहीं जा पाता, ब्लाक अस्पताल भी नहीं पहुंच पाता। वह बेचारा गांव में ही मर जाता है। तो कम से कम एक बार पूरे देश में सर्वे हो जाय कि कितने लोग हैं और किनको क्या बीमारी है। अभी एक माननीन सदस्य ने बताया एक हमारे देश में सबसे ज्यादा टी० बी० है, अंधापन है और मलेरिया है। और इन सबके पीछे पौष्टिक आहार की कमी है। हमने बिहार में सुझाव दिया था जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं प्राइमरी स्टेज तक सरकार उनको एक वक्त का भोजन दे। एक गरीब घर का बच्चा जो घर से खा कर नहीं आ सकता है वह शाम तम भूखे पेट पढ़ेगा और घर पर जायगा तो मां से खाना मांगेगा और मां कहेगी कि गाय और भैंस चारा लाओ तब खाना मिलेगा, तो उस लड़के का स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है। नतीजा यह होता है कि वह हमेशा बीमारी से ग्रसित रहता है। इसीलिए जितनी भी यह बीमारियां हैं बच्चों में, खासकर अंधपन दुनिया में जितना है उसका 33 प्रतिशत हमारे देश में बच्चे अंधे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्राइमरी स्टेज तक के बच्चों के लिए कम से कम स्कूल में एक वक्त के भोजन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो मेडिकल असिस्टेंस से वंचित हैं, और दूसरी तरफ जहां हैं भी अस्पताल तो वहां क्या सुनने को मिलता है ? दवाई की कमी है, मिलती नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को छोड़ निया जाय, आम लोगों को पर्ची लिख कर डाक्टर दे देंगे कि दवा खरीद लाओं। वह कहां से खरीदेगा ? दवायें भी जो मिल रही हैं वह भी नकली मिल रही हैं। अध्यक्ष महोदय ने हाल ही में बड़ी चिन्ता व्यक्त की है। नकली दवाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। उसको बनाने वाले पर कोई असर नहीं होता जिसकी वजह से नकली दवायें बनाने के कारखारने दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो डाक्टर या अस्पताल हैं वहां दवाओं को टेस्ट नहीं किया जाता है कि चलने लायक हैं भी कि नहीं। दवा बनी अस्पताल में चलनी शुरू हो गई और लोग मरने लगते हैं। तो कम से कम जो दवायें तैयार की जाती हैं उनकी अस्पताल में लाने से पहले टेस्ट कर लिया जाय।

इसके अलावा अस्पतालों की क्या दुर्दशा है देखिये । लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में देखिए एक, एक बैड पर 3,3 गर्भवती महिलायें पड़ी हैं । आपने कहा हमारे पास बैड्स नहीं हैं। इसी तरह से ओपरेशन हो रहा है और बिजली चली गयी । तो रोगी तो बेचारा मरा । इसलिए बड़े अस्पतालों में जहां सर्जरी की जाती है वहां जैनरेटर्स की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आपरेशन के वक्त अगर बिजली चली जाय तो मरीज बिजली के अभाव में दम न तोड़ सके । इसी तरह से लेबोरेटरी टेस्ट्स पर स्वयं डाक्टरों को फेथ नहीं रहा है । क्योंकि पेशाव, पाखाना और खून की जहां जांच की जाती है वहां इतनी ओवरक्राउडिंग है कि किसी का खून किसी के नाम से चला जाता है । नतीजा यह है कि आज इन पैथोलाजिकल टेस्ट्स पर विश्वसनीयता खत्म हो गई है । खून में पेशाब में क्या जर्म्स हैं. क्या कमी है, उसकी रिपोर्ट से ही बीमारी का इलाज शुरू होता है वहीं से पता लगता है कि बीमारी क्या है । जहां से लैबोरेटरी शुरू होती है, वहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है, ठीक पता नहीं चलता है कि रिपोर्ट में क्या है । आप इस तरफ ध्यान दीजिए ।

आजकल किडनी की बीमारी काफी बढ़ गई है, लेकिन उसके उपचार के लिए जो होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है । 600 के करीब पेशेन्ट्स का उपचार हुआ है, लेकिन बीमारों की संख्या बहुत काफी है ।

हर्ट-सर्जरी का जहां तक मामला है, यह बहुत मंहगी है । गरीब आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर पाता है, वह कहां से 18,20 हजार रुपया लाए ? जब हम लिखते हैं तो आपके पास कोई फंडस होते हैं तो उसके तहत आप व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि जो गरीब है, बच्चा है, जिसका जीवन 50,60 साल का बकाया है, वह हार्ट का बीमार हो गया है और उसके पास पैसा नहीं है, एक-एक वाल्व जो 10 हजार और 20 हजार का आता है, उसे वह ले नहीं सकता है तो उसका इलाज सरकार की ओर से मुफ्त हो सके जिससे कम-से-कम जीवन बचाया जा सके ?

आज हम लोगों को विदेशी दवाओं की बहुत ललक हो गई है । मैं आग्रह करना चाहता हूं कि विदेशी दवाएं चाहे जहां तैयार की जाये, वह वहां की जलवायु के मुताबिक तैयार होती हैं । कोई जरूरी नहीं है कि जो बीमारी हिन्दुस्तान में हो वही बीमारी इंग्लैंड में हो, जो बीमारी इंग्लैंड में हो वही बीमारी यू० एस० ए० में हो । अलग-अलग देश की अलग-अलग जलवायु है, एन्वायर्नमेंट है. परिस्थितियां हैं और वहां उसके मुताबिक दवाएं तैयार होती हैं ।

हम लोगों के बाबूजी कभी गांव में थर्मामीटर नहीं लगाते थे, वह नब्ज पकड़कर बतला देते थे कि क्या बीमारी है । आज तो डाक्टर थर्मामीटर लगायेंगे, फिर पेशेन्ट् से पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ तब जाकर उसको कुछ दवा देंगे । नतीजा यह हो रहा है कि हमारी देशी पद्धति का इलाज दिनोंदिन खत्म होता जा रहा है । जिस तरह से रोग बड़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जब तक आप देशी दवाओं की व्यवस्था से इलाज नहीं करेंगे तब तक हम विदेशों पर निर्भर होकर इलाज नहीं कर पायेंगे ।

एक माननीय सदस्य : आपका इलाज उनसे कराया जायेगा ।

श्री राम विलास पासवान : हमारे इलाज की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहता हूं कि आपके विभाग के अन्तर्गत स्वच्छ जल का मामला आता है या नहीं ? अगर यह आपके मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता है तो आप

इसको लाने की कोशिश करें क्योंकि आज बीमारी की जड़ पानी है। स्वास्थ्य विभाग को आप डील करते है और पानी को दूसरा विभाग डील करें, इससे एक दूसरे में सम्बन्ध नही रहता है और यहीं से बीमारी शुरू होती है।

मैं यह देख रहा हूं, अधिकांश बीमारी गन्दा पानी पीने से हो रही हैं। गांव में तो लोगों को स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिलता है कोई नदी, नाले का पानी पीता है, अगर बगल में गन्दा पानी रहता है, तो उसी को पीता है और इस तरह से वह रोग से ग्रसित हो जाता है। मेरा कहना है कि सारी चीजों में कटौती कर के अगर आप सिर्फ पीने के पानी की ही व्यवस्था कर दें, गरीब के लिए गांव में स्वच्छ जल की ही व्यवस्था कर दें तो 50 प्रतिशत बीमारी का इलाज उसी से हो सकता है।

आज गांव की बात छोड़िए, शहर में दिल्ली में ही कोई बाहर से आता है, उसकी अगर जान-पहचान यहां नहीं है तो उसे सड़क पर कहीं साफ पानी पीने को नहीं मिलता है। ट्यूबवैल का पानी साफ नहीं है, वह किसी के घर में घुस नहीं सकता, बाहर के आए आदमी को प्यास लग जाए तो वह किसके यहां पानी पीने जाएगा ? वह सड़कों पर जो पानी उपलब्ध होता है, वही पीता है और पानी साफ न होने से बीमार पड़ जाता है।

गांव की हालत यह है कि जिस जगह पर जानवर, बैल पानी पीते हैं, वही से आदमी पानी पीता है। इस तरह से अगर वह बीमार नहीं होगा तो क्या होगा। आज स्वच्छ पानी का बहुत अभाव है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस बारे में जिस मन्त्रालय से भी बात करने की आवश्यकता पड़े, वह करें। पीने के पानी का स्वास्थ्य से गहरा सम्बन्ध है, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसके अन्तर्गत पीने के पानी का प्रबन्ध स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया जाए।

शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लड़कों के एडमिशन के सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से मिला था। अभी हमारे साथियों ने कैपिटेशन फी का जिक्र किया। कैपिटेशन फी केवल 10 या 20 हजार रुपये ही नहीं है, बल्कि वह लाख, डेढ़ लाख तक लगाई जाती है। बंगलौर इसका ज्वलंत उदाहरण है। यदि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लड़कों को 5 परसेंट ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि कोई पहाड़ टूट पड़ेगा। फौरन कहा जाता है कि ये इनएफिशेंट है, इनके आने से पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। लेकिन लाख, डेढ़ लाख रुपया कैपिटेशन की देकर 25 परसेंट मार्क्स पाने वाले भी डाक्टर बन जाते हैं और उनसे देश को कोई खतरा नहीं होता। इस कैपिटेशन फी के कारण मेडिकल कालेजों में बहुत बंगलिंग हो रही है। प्रधान मंत्री ने भी इसकी आलोचना की है। इस लिए मंत्री महोदय इसको तुरन्त खत्म करें।

हमें खुशी है कि स्वास्थ्य विभाग हो या रेल विभाग हो या कोई अन्य विभाग हो, जितनी भी बड़ी-बड़ी घटनाएं घटी हैं, संयोग से उनमें किसी शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब के कर्मचारी का हाथ नहीं बताया गया है। इस लिए यह लांछन नहीं लगाया जा सकता कि चूंकि उन्हें 5 या 10 परसेंट ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं, इसलिए वे नालायक हैं।

जब बिहार में हम लोगों की सरकार थी, तो हमने मेडिकल कालेजों में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्स ट्राइब्ज के लड़कों के लिए 35 परसेंट मार्क्स पर एडमिशन की व्यवस्था कराई। लेकिन बाद में उसको बढ़ाकर 40 परसेंट कर दिया गया। मंत्री महोदय बिहार सरकार की 20-सूत्री कर्यक्रम की किताब को मंगा कर देखें। उसमें बिहार के मुख्य मंत्री ने कहा है कि बिहार में एम० बी० बी० एस० में हरिजन-आदिवासिकों का एडमिशन 35 प्रतिशत पर किया जा रहा है-20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत यह सुनहरा अवसर, गोल्डन आपुर्चूनिटी, है। परन्तु वास्तव में वहां पर एडमिशन हो रहा है 40 परसेंट पर।

जब हम लोगों ने इस बार यह प्रश्न उठाया, तो बताया गया कि उसकों इण्डियन मेडिकल कौंसिल के पास भेज दिया गया है। मैं आपके सामने **स्टेट आफ मध्य प्रदेश एंड एनदर वर्कस कुमारी निवेदित जैन एंड अदर्ज** के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा है:—

> "इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि राज्य को अनुसूचित जातियों एव अनुसूचित जन-जातियों एवं पिछड़े समुदायों के कल्याण के लिए सभी संभव कार्य करने चाहिए तथा उन वर्गों के लिए चिकित्सा तथा अन्य तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण करने का राज्य को अधिकार है।"

मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की फोटोस्टेट कापी मंत्री महोदय के पास भिजवा रहा हूं। इण्डियन मेडिकल कौंसिल में कौन-कौन लोग हैं और वे क्या क्या करते हैं, यह मंत्री महोदय को भी मालूम है। मंत्री महोदय उनसे पूछें कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए क्या उन्हें सब से कमजोर वर्ग हरिजन और आदिवासी ही मिला है। मंत्री महोदय 35 परसेंट पर एडमिशन को जारी करवाएं, वर्ना बैकलांग बढ़ता जाएगा और एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट निर्णय दिया है, यदि उसके आधार पर मंत्री महोदय ने निर्णय कर के बिहार सरकार को भेज दिया है, तो ठीक है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो आज शाम तक या कल तक वह उसे वहां भिजवा दें। जिन अन्य राज्यों में इस तरह का बखेड़ा हो, उसे भी वह सुलझाएं, ताकि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लड़कों के भविष्य पर प्रश्न वाचक चिह्न न लगे।

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो बजट पेश किया है और मंत्री जी जो मांगें ले कर आए हैं, उन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस बजट में कमजोर वर्गों के लोगों के लिए, उन की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए काफी प्रावधान किया है, ताकि उन को चिकित्सा सुविधाएं अच्छे ढंग से मिल सकें।

मैं आप के माध्यम से यह बतलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में करीब 99 लाख लोग बीड़ी मजदूर हैं और वे जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा और चंदेरी में सब से अधिक हैं। बीड़ी बनाने का काम मजदूर अपने घरों में करते हैं, जहां उन को वे सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिन के तहत वे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। तेंदु की पत्तियों से जो दुर्गन्ध

निकलती है और वहां पर जो खराब वातावरण रहता है, उस के कारण वे टी० बी० के शिकार हो जाते हैं। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो 5 लाख लोग टी० बी० से मरते हैं उन में से शायद दो-ढाई लाख लोग मध्य प्रदेश के निश्चित रूप से रखते हैं। इसलिए मैं आप से यह प्रार्थना करता हूं कि इस रोग को मध्य प्रदेश से उठाने के लिए वहां पर हर जगह, जहां 100 से अधिक कारखाने में मजदूर हों, 200 से अधिक कारखाने में मजदूर हों, वहां पर टी० बी० के इलाज के लिए एक विशेष केन्द्र खोलने की व्यवस्था करें।

इसी प्रकार से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम जो 1977 में ठीक से चला था और उस के बाद वह गड़बड़ा गया और मैं यह भी जानता हूं कि केवल उसकी वजह से ही जनता पार्टी सत्ता में आई।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : क्या ऐसे ही उस को चलाने चाहते हैं ?

श्री रामेश्वर नीखरा : ऐसे इसलिए नहीं चलाएगें कि फिर से आप आ जाएगें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस की आप को चिन्ता है और परिवार नियोजन की चिन्ता नहीं।

श्री रामेश्वर नीखरा : परिवार नियोजन के बारे में हमें चिन्ता है। जहां 1977 में 43 लाख लोगों ने नसबन्दी कराई और परिवार नियोजन का अधिक से अधिक प्रयार और प्रसार हुआ वहां एक छोटी सी बात को लेकर, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी या तत्कालीन जनता पार्टी ने, आर० एस० एस० ने देश के अन्दर नसवन्दी के खिलाफ विष फैलाया और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया यह कह कर कि जबर्दस्ती नसबन्दी की जा रही है, उससे इस प्रोग्राम को बहुत धक्का लगा। मैं वाजपेयी जी को बतलाना चाहता हूं कि आपके नेता लोगों ने कैसे भाषण इसके खिलाफ दिये। मंसौर में और जबलपुर के नजदीक सिहोरा में उन्होंने भाषण दिया कि 500 मन नसें उछल रही हैं, इतनी ज्यादा नसबन्दी लोगों की जबर्दस्ती कर दी गई है। जगह-जगह पर उन्होंने ऐसा ही प्रसार परिवार नियोजन के खिलाफ किया और एक विष इस के खिलाफ फैलाया ····(व्यवधान)···· पूरे देश के अन्दर एक ऐसा वातावरण बनाया गया, जिस से आम जनता का ध्यान इस से हट गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुछ इस तरह का कर्यक्रम इस देश के अन्दर बनाएं, कुछ ऐसा वातावरण बनाएं जिससे इतनी आबादी जो बढ़ रही है, उसके परिणामों को आम आदमी समझ सके और इसको रोकने की चिन्ता खुद उसको हो जाए। इस बढ़ती हुई आबादी को यदि हम कन्ट्रोल नहीं करते हैं, आबादी को बढ़ने से हम नहीं रोकते हैं, अगर परिवार की एक सीमा नहीं बनती है, तो निश्चित रूप से यह हमारे इस मुल्क के लिए बहुत नुकसान देने वाली बात होगी। हम इस तरह की समझदारी इस देश के लोगों में पैदा करें, जिससे एक आम आदमी इस परिवार नियोजन कार्यक्रम की ओर आकर्षित हो सके। मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में हर साल सवा दो करोड़ बच्चे पैदा होते हैं और इस समय 14 वर्ष की नीचे की उम्र के 26 करोड़ बच्चे हैं जो लगभग 41 परसेंट बैठते हैं। उनकी आज उपेक्षा होती है और उनकी ओर जितना ध्यान जाना चाहिए उतना नहीं है। पूरी तरह से हमारा उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया है। गांवों में अगर आप जाकर देखें तो मैले-कुचेले कपड़ों में आप उनको पाएंगे। बच्चों के इतने

पेट बड़े हो रहे हैं। उन्हें तिल्ली की बीमारी, जिगर की बीमारी हो रही है। 15 बच्चों में से 5 बच्चे इन बीमारियों से ग्रस्त हैं। उ वच्चों के लिए भी स्वास्थ्य रक्षा का प्रबन्ध किया जाए। इस सम्बन्ध में आप सर्वेक्षण कराएं और पता लगा कर बचपन से ही उनमें इन बीमारियों को कंट्रोल करें, तभी जाकर देश का स्वास्थ्य बन सकता है।

मैं अपनी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बीस सूत्री कार्यक्रम में कुष्ठ रोग, अन्धत्व और टी० बी० जैसी बीमारियों का उपचार भी सम्मिलित किया है। संजय गांधी ट्रस्ट और यूथ कांग्रेस आई के माध्यम से पूरे देश में आई केम्प चलाए जा रहे हैं और उनके द्वारा अन्धत्व को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे यहां आंखों के पांच हजार डाक्टर हैं और हर साल 6 लाख लोगों के आप्रेशन किए जाते हैं। हमें अपने देश में दो मिलियन आंखों के आप्रेशन करने की आवश्यकता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से में निवेदन करूगा कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के आप्रेशन हो सकें और वे अपने अन्धत्व से छुटकारा पा सकें।

अभी अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जहां दुनिया में विकास चल रहा है यहां पर्यावरण के दूषित होने का भय भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है और इसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। अगर हमने पर्यावरण को दूषित होने से रोक दें तो हम 25 परर्सेंट बीमारियों को रोक सकते हैं।

मैं आपकों उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहां सोन नदी है। उसमें अम्लाई पेपर कारखाने का वेस्ट जाता है। वह मीलों लम्बी नदी बर्बाद हो गयी है। अगर उसका पानी कोई पी लेता है तो उसके पैर मोटे हो जाते हैं, अगर जानवर पानी पी लेता है तो वह मर जाता है। वहां के आदिवासियों को उसी का पानी पीना पड़ता है। इतने गलत काम इस तरह से देश में हो रहे हैं जिनको कि रोकने का प्रयास करना आवश्यक है। हिन्दुस्तान की हर नदी दूषण से भरी हुई है। चाहे नर्मदा हो, गंगा हो या जमुना हो। सरकार को इनके दूषण को रोकना चाहिए।

देश के अन्दर बहुत सी नकली दवाएं बन रही हैं। आपने बहुत से लोगों को लाएसेंस और कोटे दे रखे हैं। वे लोग दवाएं बना रहे हैं या नहीं उनके बारे में दो, चार, छः महीने चेकिंग की जानी चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं और जो लोग गलत दवाएं बनाते हैं उनको कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाए। मैं तो कहूंगा कि ऐसे लोगों को फांसी तक की सजा दी जानी चाहिए क्योंकि ये लोग देश की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं।

हमारे मध्य प्रदेश में 460 प्राथमिक केन्द्र हैं और 3,049 उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। जितनी राशि सरकार इन केन्द्रों पर व्यय कर रही है उस से वे स्वास्थ्य केन्द्र फायदेमन्द नहीं हो रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 12 हजार और उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 2 हजार रुपये की राशि दी जाती है। इतनी सी राशि में गरीब वर्ग के लोगों को पूरी दवा देना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मन्त्री महोदय से मेरा मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों को अधिक से अधिक धनराशि देने का अनुरोध है।

पिछले दिनों से मध्य प्रदेश के अन्दर कुत्ते काटने की दवाई के इंजेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गये हैं। अगर वे इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो सकते हैं तो कम से कम कुत्ते मारने के इंजेक्शन

उपलब्ध करा दें ताकि पागल कुत्तों को मारा जा सके। ऐसे ही सांपों के काटने से बचाने की दवाई भी उपलब्ध नहीं हो रही है।

मन्त्री जी इन तमाम मदों पर गंभीरता से विचार करें और अधिक से अधिक धनराशि बच्चों के परिवार नियोजन के कर्यक्रम के लिए रखें।

*डा० बी० कुलनदईवेलु (चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। मेरा व्यवसाय चिकित्सक का है और उन स्वास्थ्य से सम्बन्धित इस मंत्रालय के कार्यकलाप पर अपने विचार प्रकट करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इस मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन इस बात का प्रमाण है कि इसे ख्याति प्राप्त चिकित्सक विशेषज्ञों ने तैयार किया है। रिपोर्ट में कुछ कठिनाइयों का जिक्र भी है जिन्हें दूर किया जाना चाहिए यदि हमें सन् 2000 तक "सबके लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य को पूरा करना है। यदि इन कठिनाइयों को दूर नहीं किया गया तो यह लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होगा।

हमारी केन्द्रीय सरकार ने स्पष्ट घोषणा की है कि ग्रामीणों का विकास इसके कार्यक्रमों तथा योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और उनमें से अधिकांश लोग गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं। यदि उनकी न्यूनतम चिकित्सक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया तो सबके लिए स्वास्थ्य नामक परियोजना सन् 2000 तक सफल नहीं हो सकती।

इस समय देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केवल नाम मात्र की संस्थायें हैं। इन संस्थाओं के पास ऐसे कामों का रिकार्ड है जो नहीं हुये हैं। ये कष्टों के समय लोगों की सेवा नहीं करते। ये काम भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास न बिस्तर हैं और नहीं औषधियां है। दस्त जैसी बिमारियों से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बच्चे मरते हैं। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे इन बिमारियों का सामना नहीं कर सकते। पानी समाप्त हो जाता है, उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है और वे सूख जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधियां उपलब्ध नहीं होती। इन्ट्राविनस फलड्ज तथा एलेक्ट्रोलाईट फलड्ज उपलब्ध नहीं होते। अभाव के इस वातावरण में हम कैसे आशय कर सकते हैं कि मानवता के ये खिलते फूल ऐसी बिमारियों का मुकाबला कर सकते हैं।

प्रधान मंत्री ने यह बात कोई अनिश्चित रूप से नहीं कहीं कि गुप्त रोग 20 वर्ष के समय में दूर हो जायेगा। इसी प्रकार दीर्घकालीन क्षयरोग निवारण कार्यक्रम भी चलाया जा चुका है। लेकिन क्या इन बिमारियों को रोकने तथा इनका उपचार करने के लिए औषधियां उपलब्ध हैं? कुछ मुख्यालयों के अस्पतालों में ये उपलब्ध हो सकती हैं। मुझे इस बात का खेद है कि जिला मुख्यालय अस्पतालों में भी इन औषधियों की कमी रहती है। आप ऐसे गांवों में रहने वाले लोगों की दशा का अनुमान लगा सकते हैं जिनकी सेवा बिना औषधियों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करते हैं। मैं हैरान हूं कि सन् 2000 तक हम सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को कैसे पूरा कर सकते है।

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवादन का हिन्दी रूपान्तर।

क्षयरोग तथा कुष्टरोग का निवारण करने वाली स्ट्रेप्टोमाईसीन, आई० एन० एच०, पी० ए० एस०, थिसेटेडोन जैसी आवश्यक औषधियां एम्बुलैंस में देश भर में उपलब्ध की जानी चाहिए। इन औषधियों को ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी कोई भी क्रयशक्ति नहीं है। अर्ध-शहरी क्षेत्रों तथा महानगरों की गन्दी बस्तियों में इन औषधियों को यदि मुफ्त नहीं तो नाममात्र के मूल्यों पर बांटा जाना चाहिए। उसी दशा में हमारे महान् देश से क्षयरोग तथा कुष्ठरोग दूर किया जा सकता है।

मेरे से पहले के वक्ताओं ने कुछ ठोस सुझाव दिये हैं। अनुभव करता हूं कि उन्होंने देश की चिकित्सक आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए काफी समय लगाया है। वे जानते हैं कि यहां सुयोग्य अधिकारी हैं। उन्हें सारगर्भित तर्क तथा ठोस विचार रखने चाहिए। श्री रविन्द्र वर्मा तो समस्याओं का विश्लेषण करने तथा सुझाव देने में देश के बड़े चिकित्सक प्रोफेसरों से भी आगे बढ़ गये। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री महोदय इन सुझावों को ध्यान में रखेंगे और देश के गरीब लोगों की भलाई के लिए उचित कदम उठायेंगे।

चिकित्सक शिक्षा के बारें में मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि इस क्षेत्र में देश भर में बहुत कदाचार तथा अनियमिततायें हैं। मुझे कहना पड़ता है कि निर्धन लोगों को गुणों तथा अंकों की धोखाधड़ी का शिकार बनना पड़ता है। देश भर में यह एक बड़ा मजाक बन गया है कि माध्यमिक स्तर की परीक्षा में गलत तरीकें से कैसे अधिकाधिक अंक लिए जाते हैं। आपने केरल तथा कर्नाटक में हुई अंकों सम्बन्धी ऐसी धोखाधड़ी की कहानियां समाचार पत्रों में पढ़ी होंगी। प्रवेश परीक्षा के लिए झूठे प्रमाणपत्र पेश किये जाते हैं। तीन वर्ष के अध्ययन के बाद कुछ विद्यार्थियों के नाम इस आधार पर रजिस्टरों से काट दिये हैं। गैर-सरकारी चिकित्सक कालेज स्थिति से लाभ उठा रहे हैं। यदि इस कदाचार को हटाना है तो सभी गैर-सरकारी कालेजों को सरकार को अपने अधिकार में लेना चाहिए। प्रतिव्यक्ति शुल्क देने से ही गैर-सरकारी कालेजों में दाखला मिल जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि देश की स्थिति कितनी बिगड़ती जा रही है। सरकार को इस सम्बन्ध में सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए।

एलोपैथी चिकित्सा की बहुत ही आधुनिकतम तथा वैज्ञानिक प्रणाली है। जो इस देश में बहुत प्रचलित हो गयी है लेकिन हमारे लोगों के लिए यह आसानी से उपलब्ध नहीं हुई है। इन परिस्थितियों में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध आदि स्वदेशी चिकित्सक प्रणालियों की एक समेकित प्रणाली होनी चाहिए। यदि हम ऐसा करें तो यह न केवल हमारे लोगों की पहुंच के अन्दर होगा। बल्कि हम विश्व को भी चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान देंगे। इस क्षेत्र तथा विषय के लोगों के इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार को इन विभिन्न चिकित्सक प्रणालियों को समेकित करने की ओर ध्यान देना चाहिए।

मैं अंकों तथा गुण सम्बन्धी भोले-भोले लोगों को धोखा देने का जो जिक्र कर रहा था, उस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगा कि एक गांव के लड़के में उस प्रकार की चतुरता नहीं होती जो एक शहर के लड़के के अन्दर होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय तथा अन्य सुविधायें न होने के कारण वह उच्चतम अंक प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि पिछले वर्ष जिपमर में तीन हरिजन लड़कों को प्रवेश नहीं दिया गया। मैं नहीं जानता कि ऐसा किस आधार पर किया गया। विद्यार्थी की बुद्धि को परखने अथवा उसका मूल्यांकन करने का कोई भी अन्य

तरीका नहीं है। एक विद्यार्थी की विद्यार्थी की योग्यता को कैसे परखा जाता है? इन परिस्थितियों में पिछड़े क्षेत्रों के बच्चे इस प्रकार के मूल्यांकन की खराबी के शिकार हो गये हैं।

इसी प्रकार, भारतीय चिकित्सक परिषद् की मार्गदर्शी बातें तथा विनियमन भी स्पष्ट नहीं हैं। इससे स्नातकोत्तर परीक्षाओं के स्तर पर बहुत कदाचार पनपे हैं। इस बारे में उच्च न्यायालय को भी अपने निर्णय में टिप्पणी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विश्वविद्यालय अधिनियमों में निर्धारित त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली के अन्तर्गत एक ऐसे लड़के को एम० डी० पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिलता जो स्कूल से लेकर एम० बी० बी० एस० तक के अपने समूचे शैक्षाणिक जीवन में विशिष्ठ स्थान प्राप्त करता रहा और स्वर्णपदक तक भी लेता रहा। पिछले वर्ष, एक आदि द्रविड़ छात्र को जो अपने पूरे शैक्षिक जीवन में प्रतिभाशाली रहा था, मद्रास मेडिकल कालेज में एम० डी० पाठ्यक्रम में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था और मद्रास मेडिकल कालेज के चिकित्सा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष एक प्रोफेसर के षड़यन्त्र के माध्यम से जातिवाद को कायम रखने में शामिल हो गए। इस प्रोफेसर के जातिगत कट्टरपन के कारण एक अन्य पिछड़ी जाति के छात्र को, जो गोल्ड मेडलिस्ट था, एम० डी० जनरल पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल पाया।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या इस आदि द्रविड़ युवक को एम० डी० पाठ्यक्रम में प्रवेश देने से इनकार करने का मामला सरकार के ध्यान में लाया गया था?

डा० वी० कुलनदई वेलु : यह मामला सरकार के ध्यान में लाया गया था। मुझे यह कहते हुए खेद है कि जनता सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। मैंने यह आरोप लगाया था और मेरे पास इसे सिद्ध करने के प्रमाण मौजूद थे। तमिलनाडु में ए० आई० ए० डी० एम० के० सरकार इस कार्य में संलग्न थी। ऐसा अब भी हो रहा है। यह अनुसूचित जातियों के साथ प्रतिशोधात्मक रवैया अपना कर-प्रसन्न होती है। तमिलनाडु की ए० आई० ए० डी० एम० के० सरकार ने अपने जातिवाद के लिए प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्र के इस प्रोफेसर के नाम की केन्द्र की पद्म श्री पुरस्कार के लिए सिफारिश की थी। केन्द्र ने भी उसे यहां पर एक सलाहकार समिति की सदस्यता के लिए प्रस्ताव किया था। आप ऐसे छात्रों की योग्यता का अलग से निर्धारण कर सकते हैं। तमिलनाडु सरकार हरिजनों और उनके बच्चों पर अत्याचार करने की सहअपराधिता की दोषी है। आपको एक स्वतन्त्र जांच करवानी चाहिए कि ऐसी अन्यायपूर्ण बातें कैसे हुई और शोषित समुदायों को कष्ट कैसे दिया गया।

मुझे कुछ और मुद्दे उठाने हैं। दक्षिणी राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बराबर का कोई संस्थान नहीं है। जे० आई० पी० एम० ई० आर० पांडिचेरी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली की बराबरी का स्वायत्तशासी संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। संसद् में प्रस्तुत किए गए मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में इस संस्थान को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बराबरी का संस्थान घोषित किए जाने के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जे० आई० पी० एम० ई० आर० संस्थान के कर्मचारियों की संयुक्त परिषद् मुझसे मिली थी और उन्होंने अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया और उनके डर को दूर किया। मैंने उनको आश्वासन दिया कि उनके हितों पर भलीभांति ध्यान दिया जाएगा। माननीय मंत्री ने भी इस आशय का एक व्यक्तव्य जारी किया है।

महोदय, हमारा उद्देश्य सन् 2000 ई० तक 'सभी के लिए स्वास्थ्य' है। यह कैसे सम्भव है ? वित्तीय संसाधन कहां है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन चल रहे सभी अस्पतालों की सेवाएं स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिएं। इस सम्बन्ध में कानून होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम संक्रामक और संचारी रोगों के विषय में चिन्तित है परन्तु तीव्र औद्योगिकीकरण से भारी प्रदूषण के खतरे हो गए हैं। औद्योगिक रोगों के इस क्षेत्र की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, नीम हकीम डाक्टरों की संख्या भी बाढ़ गई है। हम नीम हकीम डाक्टरों की वृद्धि को रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डा० वी० कुलनदईवेलु : महोदय, हम बढ़ती हुई जनसंख्या के विषय में काफी चिन्तित हैं। जब तक हम कोई दृढ़ रवैया नहीं अपनाते हैं। तब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्थिति यह है कि यदि सरकार पुरुष नसबन्दी लागू करती है यो अन्य राजनीतिक दल इसका राअनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। अब, यह रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और जैसा कि हमारी प्रधानमंत्री ने कहा था इसे लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा एक आन्दोलन बनाया जाना चाहिए। इस आन्दोलन का देश के प्रत्येक व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए।

महोदय, अब आप गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति के विषय में बता रहे थे। मान लीजिए कोई गर्भवती मां सरकारी अस्पताल में गर्भपात के लिए जाती है तो डाक्टर उस पर नसबन्दी कराने का जोर देते हैं। यह रवैया भी समाप्त किया जाना चाहिए। हमें इसे किसी पर थोपना नहीं चाहिए। यदि गर्भवती माताएं गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति के लिए जाती हैं और यदि वे इच्छुक हों केवल तभी नसबन्दी की जानी चाहिए। इसी तरह, अस्पताल के अतिरिक्त अन्यत्र बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री को, यदि वह इच्छुक है तो, नसबन्दी कराने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर हमें अपने लोगों को विशेषकर ग्रामीणों को, शिक्षित बनाना चाहिए। हमारे ग्रामीणों को विश्वास है कि बच्चे भगवान की देन है। वे समझते हैं कि भगवान ने स्त्री को बच्चा दिया है। इस रूढ़िवादी विचार धारा को बदला जाना चाहिए। हमें उन्हें जीवन में युक्तियुक्त दृष्टिकोण अपनाने की बात बतानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

धन्यवाद !

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हैल्थ मिनिस्ट्री की डिमांड्ज का समर्थन करते हुए सब से पहले मैं मंत्री महोदय का ध्यान मेडिकल एजूकेशन के अहम प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने एडमिशन्ज में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया है। राजस्थान में मेडिकल पी० जी० और एम० बी० बी० एस० के लिए एडमिशन्ज का काम पहले डिपार्टमेंट की तरफ से होता था। एडमिशन्ज में गड़बड़ियां होने की वजह से यह काम यूनिवर्सिटी के सुपुर्द कर दिया गया। अब

यूनिवर्सिटी प्री-मेडिकल एग्जामिनेशन और एम० बी० बी० एस० एग्जामिनेशन लेती है। यह तय किया गया था कि यूनिवर्सिटी एम० बी० बी० एस० एग्जामिनेशन में जो मेरिट तय करेगी, उसके हिसाब से पी० जी० में एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने उसमें एक तुर्रा लगा दिया। अधिकारियों, खास तौर से आई० ए० एस० अफसरों और डाक्टरों, ने अपने लड़कों को भर्ती कराने के लिए जयपुर में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया अपनाई कि लोकल इंस्टीट्यूशन के स्टुडेंट्स के मार्क्स को वहां पर एडमिशन के लिए 5 परसेंट कर दिया जाएगा।

जयपुर में पी० जी० की० 100 सीट्स हैं और अजमेर, जोधपुर तथा बीकानेर में 40, 40 हैं। जयपुर के लड़कों को यह रियायत दी गई कि उनके मार्क्स को यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए मेरिट से 5 परसेंट बढ़ा दिया जाएगा, जिससे एक स्टुडेंट के मार्क्स 150 से 200 तक बढ़ जायेंगे और उसकी पोजीशन दूसरे लड़कों से अच्छी हो जाएगी।

राजस्थान के कई स्टुडेंट्स ने इस प्रक्रिया के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि राजस्थान सरकार ने 5 परसेंट मार्क्स बढ़ाने के बारे में जो सर्कुलर निकाला है, वह नल एण्ड वायड है, उसके बेसिस पर जो एडमिशन्ज पी० जी० किए गए हैं, वे बिल्कुल गलत हैं और नये एडमिशन्ज किये जायें। हाई कोर्ट ने यह फैसला पिछले साल दिया था।

जब एक और सर्कुलर जारी करके इस प्रक्रिया को रिवाइव किया गया कि लोकल इंस्टीट्यूशन्ज के स्टुडेंट्स के मार्क्स 5 परसेंट बढ़ाये जायेंगे, तो कुछ स्टुडेंट्स ने उसके खिलाफ हाई कोर्ट में इस साल रिट पिटीशन दायर किया। हाई कोर्ट ने 22 तारीख को दिये गये अपने फैसले में कहा है कि हमने पहले इस प्रकार का फैसला दिया था कि राजस्थान सरकार ने एक सर्कुलर के तहत 5 परसेंट मार्क्स बढ़ाने की जो व्यवस्था की है, वह नल एण्ड वायड है और उसके बेसिस पर जो एडमिशन्ज किये गये हैं, उन्हें गलत करार दिया जाता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकारें बराबर इस तरह की जो धांधलियां करती आ रही हैं, अगर हम उन्हें रोकेंगे, नहीं तो जिस प्रकार की व्यवस्था हम मेडिकल एजूकेशन के सम्बन्ध में करना चाहते हैं, वह नहीं हो पाएगी। इस तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने का मेरा मकसद यह है कि इस प्रकार की गलत बातों को रोका जाना चाहिए, क्योंकि लोगों पर उनका अलग-अलग दुष्प्रभाव पड़ता है और उन्हें रोकने से मेडिकल एजूकेशन को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आयुर्वेदिक संस्था जो जयपुर में खोली गई है, उसकी बिल्डिंग अधूरी है और उसको पैसा भी पूरा नहीं दिया जाता है। मेरा कहना यह है कि जब यह आयुर्वेदिक संस्था आपने जयपुर में खोली है उसको अगर आप पूरा पैसा नहीं देंगे, तो इस संस्था का कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए उसके लिए पूरे पैसे की व्यवस्था की जाए।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर जो आप गांव के अन्दर बनाते हैं, उसमें गांव वालों को भी बिल्डिंग बनाने के लिए कन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जब आप सारे देश में स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और उसके लिए कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं लेते, तो प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिए जो बिल्डिंग

आप गांव में बनाते हैं, उसके लिए कन्ट्रीब्यूशन क्यों उनसे मांगते हैं। यह बिल्कुल गलत बात है और इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए।

एक बात यह कहूंगा कि आपने जो फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट बना रखी है, यह लूट वाली पोस्ट है और इस पोस्ट के जरिए फूड एडलट्रेशन की बात को लेकर कितना रुपया लोग बनाते हैं और मालामाल हो गये हैं, क्या इसकी जानकारी आपने कभी करवाई है। लोग मर रहे हैं और वे मालामाल हो रहे हैं।

एक अन्तिम बात यह कहूंगा कि आज देश के अन्दर नकली दवाइयां बन रही हैं। अभी दिल्ली के अन्दर नकली दवाइयों का कारखाना पकड़ा गया, जो पंजाब में, हरियाणा में और दूसरी जगहों पर नकली दवाइयां सप्लाई करता था। यह सब आपकी छत्रछाया के नीचे हो रहा है। ऐसे कारखाने हों, तो यह निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसको रोका जाना चाहिए।

टी० बी० के बारे में मेरा निवेदन यह है कि टी० बी० की बीमारी से ग्रस्त गरीब लोग ही होते हैं और जो मजदूर होते हैं, खानों में काम करते हैं या बीड़ी उद्योग में काम करते हैं, जिनके पास अपने इलाज के लिए पैसा नहीं होता है, वे इस मर्ज से पीड़ित रहते हैं। टी० बी० का इलाज बड़ा महंगा और लम्बा चलने वाला होता है। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे इस मर्ज की दवाओं का पूरा प्रबन्ध मजदूरों और खास तौर से गरीब लोगों के लिए हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं स्वास्थ्य मंत्रालयों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य की पांच बुनियादी जरूरतें हैं, खाना, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। इनमें शिक्षा का सबसे अहम स्थान है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज देश में लोगों का स्वास्थ्य हर दृष्टिकोण से खराब है, राजनीतिक, आर्थिक और सारे दृष्टिकोणों से। मैं इसकी और चर्चा नहीं करूंगा।

(श्री इन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

मैं केवल शारीरिक-स्वास्थ्य तक ही अपनी बात सीमित रखूंगा और उसी के बारे में दो-चार बातें कहूंगा। स्वास्थ्य विभाग दो भागों में बंटा है, एक है स्वास्थ्य और दूसरा है परिवार-कल्याण और स्वास्थ्य के भी आठ मुख्य उद्देश्य बताए हैं। मैं 1, 2, 3 और 4 गिन कर समय नष्ट नहीं करना चाहता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि इन आठों उद्देश्यों में से एक की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। कुछ संस्थाओं को पूरे तौर पर या मुख्यतः केन्द्र द्वारा अनुदान दिया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या फिर राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र, ये तीन-चार संस्थाएं हैं, जिन को पूरा अनुदान केन्द्र द्वारा दिया जाता है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां सरकार सैन्ट पर सैन्ट अनुदान भी देती है और मेरा 1971 से ले कर अब तक का अनुभव है इस सदन में कि किस तरह से जहां सैन्ट पर सैन्ट केन्द्रीय सरकार अनुदान देती है, वहां पर भी आज से वर्किंग में डिटेरियोरेशन हो रहा है। 1971-72 के दिनों में, मैं जानता हूं कि अगर गांव से कोई बीमार होकर आता था, तो वह पहले अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के पास जाता था या फिर

मंत्री जी के पास जाता था और वे डाक्टर को कह देते थे तो आल इण्डिया इंस्टीट्यूट में भी उसकी अच्छी देखभाल होती थी और उस पर निगाह रखी जाती थी लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज ऐसा नहीं है और मैं कई उदाहरण इस के दे सकता हूं, जिन में मंत्री महोदय ने स्वयं यहां से कहा कि इसकी स्पेशल केयर की जानी चाहिए और इस पर डाक्टरों ने यह रिजैक्ट किया जाओ मंत्री से आपरेशन कराओ या मंत्री को दिखाओ। यह उन जगहों की स्थिति है जहां सरकार सैन्ट पर सैन्ट अनुदान देती है। अब आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जहां अंशतः अनुदान दिया जाता है, वहां का क्या हाल होगा। मैंने बताया था कि जहां पर मुख्य रूप से अनुदान किया जाता है, वे चार संस्थाएं हैं। इनमें अन्तिम है, सैन्ट्रल कौंसिल फार रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्धा, यूनानी, योग, नैचरुपेथी एण्ड होम्योपेथी। इनके डायरेक्टर सरकारी स्वामी हैं। वे इतने बड़े डिक्टेटर हैं कि जो वे कहते हैं वही सभी को मानना होता है। मैं इस सम्बन्ध में उदाहरण देना चाहता हूं। एक नेचर क्योर हास्पिटल, बेगमपेट, हैदराबाद में है। इस मुल्क का माना हुआ नेचर क्योर का हास्पिटल है। उसको 50 परसेंट केन्द्र से और 50 परसेंट अनुदान स्टेट से मिलता था। पता नहीं कि स्वामी जी के मन में क्या हुआ कि इस अनुदान को बन्द कर दिया। उसके बाद मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी तक बात गई, पता नहीं स्वामी जी को कितना बड़ा अधिकार है कि उसके बावजूद भी यह काम नहीं हो पा रहा है। यह नेचरोपैथी होस्पिटल मुल्क के लिए एक उदाहरण हो सकता है। आज इसकी हालत यह है कि यह अपने डाक्टरों को तनख्वाह भी नहीं दे पा रहा है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि मंत्री महोदय इस पर विशेष ध्यान दें। अगर कोई और प्रावधान नहीं हो सकता है तो केन्द्र से जो 50 परसेंट अनुदान मिलता था वह तो इसे मिलता रहे। इसके लिए ऐसी व्यवस्था भी करें कि सेन्टर और स्टेट दोनों मिलकर इसको चलायें ताकि यह अच्छा काम कर सके।

स्वास्थ्य का जितना महत्व है, उसकी आपके पास कोई गारन्टी नहीं है। किस तरह से से स्वास्थ्य रखा जाए, इसकी ट्रेनिंग देने की आपके पास कोई योजना नहीं है। अगर शुरू से कसरत वगैरह नहीं किया जाएगा तो स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है। हर नागरिक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके इसके लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनायी है। स्वस्थ जीवन इस विभाग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मैं स्वास्थ्य को बजाए दो के तीन विभागों में विभक्त करना चाहता हूं। एक तो यह कि लोग बीमार न पड़ें। दूसरे बीमार होने पर सही उपचार मिले। तीसरे परिवार कल्याण। लेकिन खेद है, आजादी के 34 वर्ष बाद भी आज तक स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर ध्यान नहीं दिया गया। यों आपने अपने पेपर में कहा है कि 2000 ईस्वी तक सब के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करने के दायित्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय, स्वास्थ्य नीति का एक प्रारूप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तैयार किया है। साथ ही आपने यह भी कहा है कि यह नीति दस्तावेज फिर से तैयार किया जा रहा है, उस से ऐसा लगता है कि आज तक हमारा कोई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दस्तावेज नहीं बन सका। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि मंत्री जी इसको जल्दी से जल्दी फाइनल शेप दें ताकि देश स्वास्थ्य के बारे में समान्वित विचार हो और यहां के हर नागरिक को स्वस्थ जीवन जीने के लिए मिले।

सभापति जी, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस अनुपात में न इनके होस्पिटल बढ़ रहे हैं और न इनके डाक्टर अवेलेबल हैं। इनके हिसाब से एक हजार जनसंख्या में

एक डाक्टर होना चाहिए। लेकिन वह भी नहीं हो पा रहा है। हम गांवों से आते हैं। वहां एक ब्लाक बनता है 22-23 पंचायतों पर हैं। उसमें एक डाक्टर होता है और चार-पांच सब-सेन्टर होते हैं। हकीकत में एक डाक्टर को इन सभी केन्द्रों में जाना चाहिए लेकिन वह हकीकत में नहीं जाता है, कागज पर अवश्य जाता है। इस तरह से गांवों में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई सुख-सुविधा की बात नहीं की जाती है।

सभापति जी, इनके हिसाब से मलेरिया खत्म हो गया है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मलेरिया कितने जोर से बढ़ रहा है। मैं और जगह की बात नहीं करता। मैं दिल्ली पर आता हूं और यहां का जो सबसे बेस्ट एरिया नार्थ एवेन्यू है जहां एम० पीज रहते हैं, वहां मच्छरों का इतना प्रकोप बढ़ रहा है कि हमें इनके विभाग को टेलीफोन करना पड़ा कि यहां मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। यह तो दिल्ली की स्थिति है। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं देहातों की क्या हालत हो सकती है।

ऐसे ही स्माल पोक्स के इरेडिकेशन की बात ये कहते हैं और ये कहते हैं कि कोई बड़ी माता का उदाहरण लाकर दे तो उसको एक हजार रुपया इनाम देंगे। लेकिन इनके अधिकारियों को स्माल पोक्स के बारे में कोई कहने को जाता है तो वे मानने को तैयार नहीं हो पाते। क्योंकि इससे वे सरकार की निगाह में दोषी समझे जाएंगे और ईनाम भी देना पड़ेगा। इसके मैं उदाहरण दे सकता हूं।

आज स्माल-पॉक्स, फाइलेरिया, टी० बी०, कैंसर आदि बीमारियां दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। कैंसर का इलाज न होने के कारण किसी का भी चिंतित होना आवश्यक है। कैंसर की बीमारी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। हर महीने 2-3 लोग मेरे यहां से आते हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आवश्यक हो तो और देशों से मिलकर इस बीमारी पर रिसर्च करें और इलाज निकालें ताकि लोगों को इस बीमारी से मुक्ति मिल सके। प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

यह सही है कि रेट आफ मार्टेलिटी घटी है और लांजिविटी बढ़ी है, लेकिन आज जितनी प्रकार की बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं, उतनी पहले नहीं थीं। रोज नई-नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय को इस ओर आवश्यक कदम उठाने चाहिएं, ताकि समस्या आगे न बढ़े।

नकली दवाइयों के बारे में मैं खास तौर से कहना चाहता हूं। आए दिन यह बात सुनने में आती है। लाइफ सेविंग ड्रग्स में भी मिलावट जोरों पर है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस जुर्म के लिए मौत की सजा का प्रावधान होना चाहिए। इससे बढ़कर और कोई गुनाह नहीं हो सकता। नकली दवाओं से लोगों की जान जा सकती है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए लोगों को विशेष इंसेंटिव्स दिए जाएं। जैसे—नौकरी में प्राथमिकता या प्रमोशन में प्राथमिकता आदि का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि लोग इसमें ज्यादा रुचि दिखाएं। इसमें दबाव की जरूरत नहीं है।

अन्त में मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा, यदि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे तो देश का बहुत भला हो सकता है।

1. मृतक सांसद और भूतपूर्व संसद् सदस्यों के परिवारों को मेडीकल फेसिलिटीज दी जानी चाहिएं। मैं ऐसे बहुत से गरीब, हरिजन, गिरिजन सांसदों के परिवारों को जानता हूं, जिनको यह सुविधा प्राप्त न होने के कारण बड़ी असुविधा होती रही है।

2. देश में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए आपके विभाग में तथा और किसी भी विभाग में सर्विस में एक्सटेंशन न दिया जाए। इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सफदरजंग अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं और कंपीटेंट लोगों के होते हुए उन्हें बार-बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। इसके लिए वहां के डाक्टरों ने यूनेनिमसली विरोध भी किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि किसी को डिससेटिसफेक्शन न हो।

3. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, जैसे आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा आदि को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

4. बच्चे भारत का भविष्य हैं, लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे को प्रिविलेज्ड सिटीजन समझा जाए, ताकि कल एक स्वस्थ भारत सामने हो।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं, अभी एक माननीय सदस्य ने भी क्वैश्चन आवर में इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। कार्य निष्पादन बजट का कवर पेज तो हिन्दी में प्रिन्ट है, लेकिन अन्दर अभी तक प्रिन्ट नहीं करा पाए हैं। इस ओर भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

देश में आप देखें कैम्प हर जगह लगते हैं...

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आई वाले लोग लगाते हैं ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : उसका भी जिक्र मैं कर दूंगा। आई कैम्प आप लगाते हैं। आई कैम्प्स में आंखें फोड़ने का काम न हो यह भी आपको देखना चाहिए। आंख बचाने के कैम्प वे हों। बिहार में अभी एक आई कैम्प लगा था जिसमें लोगों द्वारा इलाज कराने के बाद ज्यादातर लोग अन्धे हो गये थे। आपके ही एक सांसद ने यह कैम्प लगाया था। इस ओर आप विशेष ध्यान दें। लोगों की आंखों के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। उनकी आंखें बची रहें, वे देखते रह सकें, यह आपको देखना चाहिए। खाना-पीना तो आप दे नहीं सकते हैं, लेकिन आंखें तो उनकी ठीक रहनी चाहिए।

मैं आग्रह करता हूं कि इन बातों की तरफ विशेष रूप से आप ध्यान दें।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, दो दिन तक देश की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर सभी सदस्यों के विचार सुनकर मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हुआ। यह चर्चा राजनीति, भाषायी, क्षेत्रीय या किसी अन्य विरोधी विचारों से अलग बहुत ऊंचे स्तर की थी।

अनेक सदस्यों द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये। मुझे कहना चाहिए कि इस देश में मैं पहली बार यह देख रहा हूं कि संसद् सदस्य, भीतर और बाहर, लोगों के दिमाग में एक जागरूकता—स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।

इस सभा ने अनेक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्नों पर चर्चा की और अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये और विवेचनात्मक विचार किये गये। जब भी कोई सदस्य बोला और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कार्यवाही किए जाने के लिए कोई सुझाव दिया गया तो उसके पीछे मैंने कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं पाया, और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं।

प्रत्येक सदस्य द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों का उत्तर देने से पूर्व मैं सभा को उन विभिन्न उपलब्धियों से अवगत कराना चाहता हूं जिन्हें हमने पिछले दो सालों में प्राप्त किया है। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि जिन्हें पिछले दो वर्षों में हमारे मंत्रालय को सौंपे गए क्रिया कलापों में हमने अनेक विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हैं और उन महत्वपूर्ण कार्यवाहियों के विषय में बताना चाहता हूं जो हमारे लोगों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का स्वरूप बदलने और उसका सुधार करने के लिए अपेक्षित हैं। हमारी प्रधान मंत्री के संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम में, जो काम करने के लिए राष्ट्र के समक्ष मूल कार्यसूची है, परिवार नियोजन की महत्ता, बढ़ती हुई प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं, कुष्ट, अंधता और तपेदिक जैसे प्रमुख रोगों का नियंत्रण पर बल दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र, समग्र रूप से, सामाजिक-आर्थिक कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में सम्पूर्ण और प्रति व्यक्ति, दोनों तरह से उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य में निवेश मानवीय संसाधनों के विकास में एक मूलभूत निवेश है जिससे जीवन-स्तर का सुधार और सम्पूर्ण विकास होगा।

इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए धनराशि का आबंटन स्थिति की आवश्यकताओं से स्पष्ट रूप से कम है।

इस मुद्दे पर, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि सदस्यों ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए योजना बजट में कम आबंटन पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है; और उन्होंने यह दिखाने के लिए कि स्वास्थ्य को कितनी कम प्राथमिकता दी जा रही है, पहली योजना से अब तक के आंकड़ों की तुलना की है। परन्तु महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति आंकड़ों से पता चलता है कि स्वास्थ्य पर, चिकित्सा पर और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय धीरे-धीरे बढ़ रहा है—इसके सम्बन्ध में आपको कुछ आंकड़े दे सकता हूं। 1975-76 में स्वास्थ्य पर प्रतिव्यक्ति व्यय 11.82 था।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : इसमें कुछ गलतियां लगती हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : यह मेरी सूचना है। 1976-77 में यह 13.31 हो गया, 1977-78 में यह 15.05 था। इसके बाद, आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इससे पता लगेगा कि प्रतिव्यक्ति व्यय बढ़ रहा है। हो सकता है अन्य मंत्रालयों के आबंटनों की तुलना में यह कम हो गया हो, क्योंकि आपके पास तुलनात्मक आंकड़े हैं। वे आंकड़े यहां आपके पास नहीं हैं क्योंकि इससे केवल यह पता लगता है कि यदि स्वास्थ्य का आबंटन तुलनात्मक रूप से कम हो गया है तो अन्य मंत्रालयों में, अन्य विभागों में यह बढ़ रहा है। और उस हद तक स्वास्थ्य आबंटन नहीं बढ़ रहा है। (व्यवधान) मैं तर्क के लिए इसे स्वीकार कर रहा हूं। मैं उनकी विचारधारा को स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

हमने 1981-82 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्रों में उपलब्ध सीमित संसाधनों से अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास किया है। इस वर्ष आबंटित धनराशि का लगभग पूरा-पूरा उपयोग किया गया है क्योंकि एक सदस्य ने आरोप लगाया था कि 1980-81 के दौरान धनराशि व्यवगत हो रही थी। हमें आगामी वर्षों में गतिविधियों की यही गति कायम रहने की आशा है। आपके सामने योजना बजट है जो हमने 1982-83 के लिए प्रस्तावित किया था अर्थात् परिवार कल्याण के लिए 245 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य के लिए 120 करोड़ रुपये। पहले ही उपलब्ध की गई गति ऐसी है कि आगामी वर्ष के दौरान मुझे अतिरिक्त संसाधनों के लिए सभा के समक्ष आना पड़ सकता है।

पिछले दो वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम में हुई प्रगति की गति से सभी भलीभांति परिचित हैं और कम से कम एन० डी० सी० जिसकी बैठक कुछ दिन पूर्व हुई थी, ने इसे स्वीकार किया है। 1981-82 में हमारे लक्ष्य 1980-81 के लक्ष्यों की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक थे। मुझे सभा को सूचित करने में प्रसन्नता है कि अधिकांश राज्यों ने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं और कुछ तो लक्ष्यों से आगे बढ़ गए हैं।

सेवाओं की मांग के उत्साह में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम को तेज गतिवर्द्धन के लिए बनाया गया है। वर्तमान राष्ट्रीय मतैक्य से, जिसका श्रेय स्पष्ट नीतिनिर्देशन तथा जनता के विश्वास की पुनः स्थापना की जाती है, यह कार्यक्रम अनुचित स्वादविवाद से बाहर निकल गया है। मगर हमारे सामने जनसंख्या को स्थिर करने का बहुत बड़ा कार्य है। हमें इस कार्य को एक स्वैच्छिक कार्यक्रम के रूप में तथा इसे एक जन आन्दोलन बनाकर बहुत ही सशक्त रूप से आगे बढ़ाना है। हमारा उद्देश्य अपनी जनता की जीवन प्रणाली को छोटे परिवार के सिद्धान्त के पालन से ओत-प्रोत कर देना है। प्रसूति व्यवस्था का निरन्तर विस्तार करके तथा संचार साधनों के प्रभावकारी प्रयोग तथा व्यक्तियों के बीच परस्पर बातचीत के द्वारा लोगों को पूरी-पूरी सूचना, जानकारी पूर्तियां तथा द्वार पर ही सेवायें प्रदान की जायेंगी। परिवार नियोजन का प्रचार केवल तरीकों से ही नहीं किया जाएगा बल्कि इसका प्रचार एक "नियोजित जनकत्व-जननीत्व" के सिद्धान्त के रूप में किया जायेगा। एक व्यापक तरीके से कार्यक्रम के सभी पहलुओं की पुनरीक्षा करने तथा उस पर नजर रखने के लिए तथा सलाह देने के लिए मेरी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 'जनसंख्या सलाहकार परिषद्' की स्थापना की जा रही है।

परिवार कल्याण में मां तथा बच्चे के स्वास्थ्य के ध्यान रखने को हमेशा शामिल किया जाता है। 1981-82 में गर्भवती माताओं तथा बच्चों को प्रतिरक्षण तथा प्रोफिलेक्सिस देने की

हमारी उपलब्धि 1980-81 से काफी अधिक रही है और कुछ मामलों में तो यह 20% से भी अधिक बड़ी है। प्रतिरक्षण कार्यक्रम को बहुत अधिक तेजी से बढ़ाने पर हम बहुत अधिक जोर देते हैं। छठी योजना के अन्त तक लगभग 50% शिशुओं को पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिरक्षण प्रदान करने के लिए हाल ही में इस कार्यक्रम के लक्ष्यों की पुनरीक्षा की गई है।

सदन में मैं इसको इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि दुर्भाग्य से निकट विगतकाल में परिवार नियोजन को केवल बन्धयीकरण ही माना गया है जो बिल्कुल गलत है तथा इससे समूचा कार्यक्रम ही बदनाम हो गया, जो कि देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे कहना चाहिए कि परिवार नियोजन एक नियोजित जननी-जनकत्व है जिसका अर्थ यह है कि—मैं इसको और अधिक विस्तार से बताना चाहता हूं—हमें देर से शादी करनी चाहिए या फिर हमारे कुछ विपक्षी मित्रों का अनुकरण करना चाहिए जो बिल्कुल भी शादी नहीं कर रहे हैं। और शादी के बाद परिवार में पहला बच्चा देर से उत्पन्न होना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि स्वयं शादी ही देर से हो तो ?

श्री बी० शंकरानन्द : यदि दूसरे बच्चों की इच्छा हो तो उसके लिए काफी समय-अन्तराल रखना चाहिए और इसके लिए बहुत से तरीके हैं। और अन्त में मैं कहूंगा कि यदि पति-पत्नी सोचें—यह अच्छा है कि वे सोचें—कि उन्हें दो से ज्यादा बच्चे नहीं रखने तो फिर प्रजनन शक्ति समाप्त करने का तरीका भी है जिसको बन्धयीकरण कहते हैं। यह परिवार नियोजन की पूरी विचारधारा है। मैं सभा के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कृपया इस सन्देश का प्रसार करें कि परिवार नियोजन केवल मात्र बन्धयीकरण ही नहीं है बल्कि एक पूर्ण रूप से नियोजित 'जननी-जनकत्व' है और यदि सारे सदस्य इस सन्देश का अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में प्रसार करें तो मैं समझता हूं कि सारा देश निश्चित रूप से उस लक्ष्य को, हमने इस शताब्दी के आखिर तक के लिए निश्चित किये हैं, प्राप्त करने के लिए तैयार हो जायेंगे।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि आपको सभा की सर्वसम्मति प्राप्त हो रही है।

श्री बी० शंकरानन्द : बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सभा आभारी हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : परन्तु जनता पार्टी की आलोचना मत कीजिए।

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने आलोचना नहीं की। मैं इसको भूल जाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप मुझे याद क्यों दिलाते हैं ?

सभापति महोदय : नहीं। वह वापस लेने के लिए सहमत हो गये हैं। आपने कहा है कि आपने अपनी बात वापस ले ली। बस मामला समाप्त हो गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसको कार्यवाही-वृतान्त में शामिल किया जाना चाहिए।

श्री बी० शंकरानन्द : आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाओं में वृद्धि, विस्तार तथा उनके स्तर में सुधार तथा उन्हें उन लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है जहां पर वह अभी तक नहीं

पहुंची है । काफी लम्बे समय से स्वास्थ्य को रोगों, डाक्टरों तथा दवाइयों को संकुचित दृष्टि से ही देखा जाता रहा है । मैं हमेशा सभा तथा सभा से बाहर यही बताता रहा हूं कि देश की स्वास्थ्य समस्याओं पर दृष्टिपात करने का रूढ़िगत तरीका केवल दवाइयों, डाक्टरों तथा रोगों की दृष्टि से ही देखने का रहा है । इस अवधि के दौरान हम बाकी को नहीं देख सके—अर्थात् निवारक तथा संवर्द्धन पहलू को अब मेरे मंत्रालय की नीति निवाराकात्मक तथा संवर्द्धनात्मक—स्वास्थ्य के पुनर्वास पहलू पर बल देने की है । हमारी नीति का लक्ष्य 'प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा' को अधिक से अधिक लागू करना है, जिसके अन्तर्गत अच्छे स्वास्थ्य की बढ़ोतरी, रोकने योग्य रोगों से सुरक्षा रोग रहित स्वास्थ्य का प्रसार आते हैं, जिसके लिए समुदाय तथा उसके संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग हो । छठी योजना के दौरान निर्धारित किये गये विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने की अच्छी सम्भावनायें हैं ।

अब, सदस्यों ने, ग्रामीण गरीबों तक स्वास्थ्य रक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है । यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास "ग्राम मार्गदर्शक योजना" नाम की बड़ी योजना है । इस योजना के अन्तर्गत एक कार्यकर्ता को, उस क्षेत्र से सम्बन्धित किसी स्त्री को वरीयता दी जायेगी, समुदाय के द्वारा छांटा जायेगा तथा उसे सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा । स्वास्थ्य मार्गदर्शक का मुख्य कार्य ग्रामीण समुदाय को छोटे परिवार का सन्देश देना, उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा पर्यावरण सम्बन्धी सफाई का ध्यान रखना तथा औषधालयों में न मिल सकने वाली वस्तुओं को उपलब्ध कराने का होगा ।

मैं इस पर बल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि स्वास्थ्य मार्गदर्शक न तो डाक्टर है और न ही नंगे पांव चलने वाला डाक्टर, जैसा कि कुछ सदस्यों ने समझा है । हम अगले दो वर्षों में कम से कम प्रत्येक 1000 ग्रामीण लोगों के लिए एक स्वास्थ्य मार्गदर्शक को प्रशिक्षित करने की आशा करते हैं । इस व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखना अच्छा नहीं है । स्वास्थ्य मार्गदर्शक डाक्टर नहीं है और न नंगे पांव चलने वाला डाक्टर, जैसा कि मैं कह चुका हूं, बल्कि समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी प्रयत्नों का प्रोत्साहक तथा उत्प्रेरक है । हम इस प्रकार के 1.83 लाख मार्गदर्शकों को प्रशिक्षित कर चुके हैं तथा उनके कार्यनिष्पादन का स्वतन्त्र रूप से मूल्यांकन किया गया है । उनके द्वारा सेवित क्षेत्रों में, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के विभिन्न सूचकों में काफी सुधार हुआ है । इसका अधिकतर श्रेय उन्हीं को जाता है । उसी प्रकार से हम प्रत्येक गांव में एक पारम्परिक प्रशिक्षित धाय रखेंगे । जब हम पैदा हुए थे तो गांवों में कोई प्रसूति गृह नहीं थे । प्रत्येक प्रसूति की देखभाल एक परम्परागत महिला द्वारा की जाती थी जिसको हम धाय कहते थे । हम उस महिला को प्रशिक्षित करना चाहते हैं ताकि उसमें प्रसूति के समय के लिए आवश्यक दक्षता आ सके । हम प्रत्येक गांव में कम से कम एक ऐसी परम्परागत धाय को प्रशिक्षित करेंगे जो कि अधिक सफाई से तथा सुरक्षित प्रसूति करा सके । अब तक हमने देश में इस प्रकार की 3.6 लाख धायों को प्रशिक्षण दिया है ।

कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को राज्य वित्त व्यवस्था की अनिश्चितता से मुक्ति दिलाने के लिए हमने स्वास्थ्य मार्गदर्शकों, नये उपकेन्द्रों की स्थापना तथा कुष्ठ रोग व अन्धेपन के नियन्त्रण की इन योजनाओं को 1981-82 में पूर्ण रूप से केन्द्रीय योजनाओं में बदल दिया है । मुझे सभा को यह सूचित करने में खुशी हो रही है कि कुष्ठ रोग, अन्धेपन, तपैदिक तथा मलेरिया के नियंत्रण

के कार्य को समेकित किया गया है, मजबूत बनाया गया है तथा काफी मात्रा में सफल बनाया गया है। हमने कुष्ठ रोग तथा अन्धेपन के नियन्त्रण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है। इस समिति की सिफारिशों से हमें कुष्ठ रोग तथा रोके जाने योग्य अन्धेपन के नियन्त्रण तथा अन्ततः इनके उन्मूलन के कार्यक्रम को और अधिक प्रति प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

सदस्यों ने अन्धेपन के सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा किए गए कार्य पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। एक विपक्ष के विद्वान् सदस्य ने पूछा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अन्धेपन की समस्या के प्रति अन्धा क्यों रहा। हम अन्धे बिल्कुल नहीं हैं, परन्तु एक क्षण के लिए उन्होंने हमारे पिछले तीन वर्षों के कार्य-निष्पादन की ओर से आंखें बन्द कर ली थीं। अन्धेपन पर नियन्त्रण करने की इस योजना को राष्ट्रीय नियन्त्रण योजना बनाया गया है और हमने इसे शत-प्रतिशत केन्द्रीय योजना बना दिया है। यह योजना पहले इसलिए कामयाब नहीं हुई क्योंकि राज्यों और केन्द्र के ऊपर इसकी आधी-आधी जिम्मेदारी थी। इसीलिए कार्यक्रम को सफलता नहीं मिली। अब इस योजना को केन्द्र की योजना बना दिया गया है। अब समस्या विशेषज्ञों तथा नेत्र सहायकों के अभाव की है ताकि मंत्रालय तथा सरकार के विचारों तथा इरादों का ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा सके। मगर मुझे कहना चाहिए कि हमने नेत्र विज्ञान में प्रशिक्षण देने तथा नेत्र सहायकों की व्यवस्था करने का कार्यक्रम शुरू किया है। 1981-82 में 19 केन्द्र बनाये गये हैं। हम 1982-83 में लक्ष्यों की पुनरीक्षा करके और अधिक बढ़ोत्तरी इस कार्यक्रम का विस्तार करना चाहते हैं। फिलहाल ठीक होने लायक अन्धेपन—मोतियाबिन्द के आपरेशन—के क्षेत्र में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। अन्य क्षेत्रों में भी महाराष्ट्र ने बहुत प्रगति की है। दूसरे राज्य भी प्रगति कर रहे हैं।

जहां तक कुष्ठरोग का सम्बन्ध है, प्रधान मंत्री के प्रेरणात्मक नेतृत्व में एक समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा कुष्ठ रोग को समाप्त करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस अत्यन्त महत्व-पूर्ण प्रयास हेतु नीति एक कार्यकारी दल द्वारा तैयार की गई है। इस दल में प्रसिद्ध कुष्ठरोग विशेषज्ञ तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता शामिल हैं। हाल ही में इस दल ने अपनी रिपोर्ट पेश की है जिस पर सरकार राज्य सरकारों एवं स्वैच्छिक निकायों के परामर्श से ध्यानपूर्वक विचार करेगी। इस कार्यकारी दल ने भावी कार्यक्रमों का सुझाव दिया है जिसमें इस रोग तथा इसके रोगियों के सम्बन्ध में जनता में व्याप्त गलत-फहमियों को दूर करने के लिए एक सामूहिक स्वास्थ्य शिक्षा अभियान का शुरू किया जाना भी शामिल है ताकि इस सामाजिक कलंक को दूर किया जा सके। यदि प्रधान मंत्री द्वारा हमारे लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इसके लिए आवश्यक है कि एक सामूहिक अभियान काफी समय तक चलाया जाये। और इस प्रयास में स्वैच्छिक निकायों की भूमिका विशेषतः महत्वपूर्ण होगी। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस देश की जनता को इस विषय पर जानकारी देना हमारा कर्तव्य है कि कुष्ठरोग केवल एक छूत का रोग है। इस देश में छूत के विभिन्न रोग हैं, जिनमें से कुष्ठरोग भी एक है। दुर्भाग्यवश, इस रोग से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण ही इसे समाप्त करना कठिन हो गया है। चुनिंदा जिलों में इस रोग के निवारण के लिए बहु-औषध कार्य शुरू किया गया है। "एम० सी० एच० कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, बच्चों को विटामिन 'ए' देकर कुपोषण द्वारा को हीन होने के मामलों को रोका जा रहा है। हमने देश में क्षयरोग केन्द्रों के लिए बड़ी संख्या में एक्स-रे यूनिटें मुहैया कराई हैं। मलेरिय सामान्य तथा पी-फ़ैल्सिफार्म प्रकार के मलेरिया के

मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में 1981-82 में कमी आई है। 1976 के 64 लाख अधिकतम मामलों की तुलना में 1981 में इस रोग से 23 लाख व्यक्ति पीड़ित हुये। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस उपलब्धि में ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षकों का भारी योगदान था क्योंकि उन्होंने जल्दी रोग का पता लगाकर तुरन्त दवाई देने में सार्थक भूमिका निभाई।

चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा विषय पर निरन्तर बहस होती रहती है। हमारे चिकित्सा-स्नातकों को हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा शैक्षिक एवं मानसिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। आज कुछ विशिष्ट वर्गों के कुछ भयंकर रोगों का इलाज करने पर बल नहीं दिया जाता बल्कि साधारण रोगों के उपचार पर ध्यान दिया जाता है जिससे जन साधारण प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में हमारे देश से हो रहे प्रतिभा पलायन को भी रोकने की बहुत अधिक आवश्यकता है। इन सभी पहलुओं की ओर ध्यान देते हुये एक उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा पुनर्विलोकन समिति बनाई गई है। यह समिति आरम्भ से चिकित्सा शिक्षा से विशेष ज्ञान तक की सभी समस्याओं की जांच कर रही है। यह समिति चिकित्सा शिक्षा के सभी पहलुओं पर अपना प्रतिवेदन देगी। मैंने कुछ ही महीनों पूर्व इस समिति का गठन किया था और मुझे आशा है कि कुछ महीने में यह समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी।

स्वास्थ्य को पर्याप्त भोजन, सही पोषण, सफाई, साफ पेय जल तथा स्वस्थकर आदतों से बनाया रखा जा सकता है, इन सब के लिए सही जानकारी की आवश्यकता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : दाखिले के बारे में राज्य सरकारों ने क्या अनियमितताएं बरती थीं ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के माध्यम से समन्वित कार्य द्वारा इन सभी क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। जिन गांवों में पेय जल की समस्या हैं वहां पेय जल पहुंचाने के कार्य को पहले ही बीस-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया जा चुका है। सभी उपलब्ध मंत्रों द्वारा स्वास्थ्य सम्बधी जानकारी समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाई जानी चाहिये।

दाखिले के लिए "कैपिटेशन फीस" और अन्य तत्सम्बन्धी समस्याओं के बारे में कई मुद्दे उठाये गये हैं। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षण समिति चिकित्सा शिक्षा के सब पहलुओं पर विचार कर रही है, इसलिए मेरे विचार से इस मुद्दे को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु एक बात मुझे कहनी चाहिये। जहां तक चिकित्सा कालेजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दाखिले के मामले में आरक्षण देने का सम्बन्ध है—क्योंकि कुछ सदस्यों ने यह मसला उठाया है—प्रधान मंत्री ने इस वर्ष किसी समय यह स्पष्ट कर दिया था—मेरे विचार में जबकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण के बारे में गुजरात आन्दोलन चल रहा था—कि संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त रियायतें जारी रखी जाएंगी। (व्यवधान)

क्या मैं योग, आयुर्वेद, सिद्ध तथा होम्योपैथी की दवाओं के बारे में कुछ कह सकता हूं ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : और अधिक चिकित्सा कालेजों के बारें में आपकी क्या राय है ? और अधिक चिकित्सा कालेजों की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय : वह योग के बारे में बोल रहे हैं। आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये ।

श्री बी० शंकरानन्द : देश में 106 मान्यता प्राप्त चिकित्सा कालेज हैं।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) : योग चिकित्सा शिक्षा का एक अंग भी है ।

श्री बी० शंकरानन्द : हम प्रति वर्ष 12,000 चिकित्सा स्नातक तैयार कर रहे हैं ।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : "डेटल" कालेज कुल कितने हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे पता नहीं है । मैं चिकित्सा शिक्षा की बात कर रहा हूं ।

इसके अतिरिक्त यदि आप आयुर्वेदिक स्नातकों होम्योपैथिक स्नातकों तथा अन्य स्नातकों की संख्या जोड़े तो यह संख्या बहुत अधिक बैठती है तथा उन्हें नौकरी देना बहुत कठिन कार्य है । परन्तु एक प्रश्न उठा है कि डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां सुविधायें उपलब्ध नहीं है । किसी हद तक यह बात सच है और मैं माननीय सदस्यों के विचारों का समर्थन करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाक्टरों की सेवा शर्तों में सुधार करना होगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आप यह अनिवार्य क्यों नहीं कर सकते ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं "अनिवार्य" बातों को भूल रहा हूं। वह मुझे 'अनिवार्य' की याद दिला रहे हैं ।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : हम इस बात पर सहमत नहीं हैं ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं इसे अनिवार्य नहीं करना चाहता । यदि मैं उन्हें सुविधाएं एवं अनिवार्य चिकित्सा शिक्षा दे सका, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे; तो मेरे विचार में 'अनिवार्य शब्द की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी ।

हमारी परम्परागत चिकित्सा प्रणालियों में आयुर्वेदिक सिद्ध तथा होम्योपैथी का पूरा उपयोग किया जा रहा है ।

महोदय, आयुर्वेदिक विशेषज्ञों और आयुर्वेदिक डाक्टरों ने मेरे 'परम्परागत प्रणाली' शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति की है । यहां मेरा मतलब केवल आयुर्वेदिक एवं सिद्ध प्रणाली से था ।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : यूनानी प्रणाली के विषय में आपके क्या विचार हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : यूनानी और होम्योपैथी प्रणालियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : परन्तु यहां "अक्कूपकंयर" चिकित्सा प्रणाली नहीं अपनाई जा रही।

श्री बी० शंकरानन्द : कृपया बहस में 'पंकयर' न करें !

चिकित्सा शिक्षा, औषध कोश तथा इन सभी चिकित्सा प्रणालियों के अनुसंधान कार्यों का मानकीकरण करने पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। एक पृथक निगम नामत: इण्डियन मैडीसंस एण्ड फर्मासूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड की उचित आयुर्वेदिक, सिद्ध तथा यूनानी दवाओं का उत्पादन करने के लिए स्थापना की गई है। यह कुछ महीनों में उत्पादन शुरू कर देगा।

उत्पादकता वर्ष में मेरे मंत्रालय के योगदान के रूप में 'हमने हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम में उत्पादन बहुत बढ़ा दिया है। 1978-79 में सबसे अधिक लगभग 1800 लाख निरोध बनाये गये थे। इस अधिकतम सीमा के मुकाबले 1981-82 में लगभग 2600 लाख निरोध बनाये जायेंगे। जिस दिन बन्द आवाह्न किया गया था, उस दिन भी हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड में कार्य हुआ और उस दिन रिकार्ड उत्पादन किया गया।

स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियां, प्रत्येक घट, गांव और समुदाय में होती हैं। प्रत्येक स्थान पर इन गतिविधियों को जारी रखना आवश्यक है ताकि सही निगरानी; सही समय पर उपचारात्मक कार्यवाही एवं हस्तक्षेप द्वारा हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसी सन्दर्भ में हमने हाल ही में स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी के प्रसार तथा उसकी निगरानी की प्रणाली में सुधार किया है। हमने "की इण्डिकेटरों" का विकास किया है जिस पर हमें क्षेत्रीय स्तर तथा उससे ऊपर के कार्यालयों से नियमित रूप से रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। इन रिपोर्टों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात् इन्हें राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शन एवं सलाह के लिए तथा धन की व्यवस्था करने, माल की खरीद करने, कार्मिकों के प्रशिक्षण आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस संदर्भ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु स्वास्थ्य योजनाओं एवं उन्हें होने वाले रोगों का पता लगाकर उन पर अनुसन्धान कार्य शुरू किये जा रहे हैं।

दिल्ली आगामी एशियाई खेलों के लिए तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के द्वारा इस मौके पर विशेष स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा की व्यवस्था कर रहा है। इन खेलों में बहुत से देश हिस्सा ले रहे हैं और वे विभिन्न खेल प्रतियोगिता में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि कुछ माननीय सदस्य देख चुके हैं कि संसदीय सौध में माननीय सदस्यों के लिए सुविधायें बढ़ा दी गई हैं।

मैंने गत दो वर्षों में की गई उपलब्धियों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। जनता को संतोषजनक स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है। अपने सभी प्रयासों में हम स्वैच्छिक संगठनों को पूर्ण प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने स्वैच्छिक संगठनों को दिये जाने वाले अनुदान और उसके देने के तरीके के बारे में शिकायत की है। सुझावों को नोट कर लिया गया है।

जैसा कि आप सब मानते हैं कि जब तक हम जनसंख्या वृद्धि की दर को तुरन्त कम नहीं करेंगे तब तक स्वास्थ्य के मामले में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेंगे। हम इस कार्य को अपने एक प्राथमिक कार्य के रूप में, विश्व स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा, महिला वर्ग में साक्षरता बढ़ाने, नारी का स्तर बढ़ाने तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के साथ जारी रखेंगे।

जहां तक अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए मुद्दों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में मुझे सर्वप्रथम उन माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए जिन्होंने कहा है कि उन्हें मरने का अधिकार होना चाहिए। (व्यवधान) हर एक को मरने का अधिकार होना चाहिए। (व्यवधान)

क्या आपको भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के बारे में जानकारी है। हम ऐसे व्यक्ति को, जो स्वयं अपनी जीवन-लीला समाप्त करना चाहता हो, निश्चित रूप से दण्ड देंगे।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : नहीं, नहीं। वह धारणा नहीं है।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं आज की वैधिक स्थिति बता रहा हूं।

श्री मूल चन्द डागा : वह धारणा नहीं है।

श्री बी० शंकरानन्द : जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वह दण्ड से बच जाता है। जो आत्महत्या का का प्रयास करता है उसे दण्ड दिया जाता है। यह आज की विधिक स्थिति है। (व्यवधान) मैं समझ सकता हूं। मैं नहीं जानता कि श्री डागा ने किस कारण ऐसा कहा है।

श्री मूल चन्द डागा : मैं पहले ही गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक का प्रस्ताव कर चुका हूं।

श्री बी० शंकरानन्द : जान से मारना एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई परहेज करता है और घृणा करता है।

महोदय, नकली दवाइयों तथा अपमिश्रण के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। कुछ सदस्यों ने देश में नकली दवाइयों के घोटाले होने की ओर ध्यान दिलाया है। नकली दवाइयों का निर्माण करना समाज-विरोधी तत्वों का कार्य है और विभिन्न राज्य सरकारों के पुलिस प्राधिकारी इस समस्या से उतनी ही गम्भीरता से निपटते हैं जितनी कि देश में विद्यमान नकली नोटों की समस्या से। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, अभी हाल ही में, दिल्ली पुलिस ने नकली औषधियां बनाने की एक फैक्टरी तथा नकली प्रसाधन सामग्री बनाने वाली एक फैक्टरी का पता लगाया है और अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में जो नकली दवाइयों का निर्माता पकड़ा गया है उसके पास कोई भी औषधि बनाने, बेचने और भंडार करने का लाइसेंस नहीं है। पकड़े गए व्यक्ति के पास औषधियां बनाने का कोई लाइसेंस नहीं है।

श्री जेवियर अराकल (एर्णकुलम) : उसे बिजली किसने सप्लाई की।

श्री बी० शंकरानन्द : स्वास्थ्य मंत्रालय ने नहीं।

श्री जेवियर अराकल : यह अति गम्भीर मामला है चाहें यह स्वास्थ्य विभाग हो अथवा वित्त विभाग हो अथवा कोई भी अन्य विभाग हो, सरकार को इस मामले में बहुत सतर्क रहना होगा ।

श्री बी० शंकरानन्द : क्या मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि क्योंकि सरकार इस मामले में गंभीर है तभी तो इसका पता चला है और दोषी को गिरफ्तार किया गया है ?

मैंने पहले ही सभी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया है कि देश में नकली औषधियों के खतरे के बारे में सम्बन्धित विभागों को सतर्क किया जाए । मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से भी सहयोग चाहता हूं कि वे अपने चुनाव-क्षेत्रों में लोगों में यह जागरूकता पैदा करें कि नकली दवाइयों और नकली प्रसाधन सामग्री के निर्माण तथा बिक्री का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिए जनता के पूर्ण सहयोग की जरूरत है।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : आप हमसे ठीक किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : सूचना देने के लिए ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या आप चाहते हैं कि पहले हम उनको चखें ।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है जिसकी हंसी नहीं उड़ाई जानी चाहिए ।

मैं समाचार-पत्रों तथा जनता से भी अपील करूंगा । हमें इस बुराई को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने हैं :—

(क) हमने यह सुनिश्चित करना है कि जनता को सलाह दी जाए कि यह केवल जाने-पहचाने लाइसेंस-शुदा कैमिस्टों से ही औषधियां तथा प्रसाधन सामग्री खरीदें;

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : नकली दवाइयों के सम्बन्ध में, क्या स्वास्थ्य मंत्रालय देश में नकली दवाइयों का पता लगाने के लिए कोई आसूचना स्कन्ध बनाएगा ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य बिल्कुल सही कह रहे हैं । लेकिन मैं यह कहूंगा कि प्रत्येक राज्य के औषध नियन्त्रक का यह कर्तव्य है कि वह औषधि की यथाकित गुणवता को जांचे और इसके निर्माण से पूर्व लाइसेंस भी जारी करें ।

(ख) लोगों को चाहिए कि वे कोई भी औषधि खरीदते समय केश मैमो मांगे ।

(ग) लोगों को सलाह दी जाए कि वे वसूल की गई कीमत की लेबल पर अंकित कीमत से तुलना करें । यदि वसूल की गई कीमत लेबल अर अंकित कीमत से काफी कम हो तो ऐसी औषधि असली न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता । जहां भी ऐसी आशंका हो, लोगों को चाहिए कि वे तत्काल इसे स्थानीय प्राधिकारियों अथवा पुलिस के ध्यान में लाएं ।

(घ) उपभोक्ता की सलाह दी जानी चाहिए कि वह प्रयोग कर ली गई दवाईयों के डिब्बों अथवा शीशियों को नष्ट कर दें ।

मैंने इस सामान्य सभा को आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार औषध अपमिश्रण की समस्या के बारे में उतनी ही चिन्तित है और शीघ्र ही औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी जिसमें यह उपबन्ध होगा कि यदि अपमिश्रित, नकली अथवा घटिया औषधि के उपयोग के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा गम्भीर क्षति हो जाती है तो ऐसे मामलों में कम-से-कम पांच वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और कम-से.कम 10,000 रुपये का जुर्माना किया जाए ।

खाद्य अपमिश्रण के सम्बन्ध में, अनेक माननीय सदस्यों ने इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तथा खाद्य निरीक्षकों के भ्रष्ट होने की बात कही है । मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को पूर्णतः समझता हूं कि खाद्य अपमिश्रण का पता लगाया जाना चाहिए और कड़ी सजा दी जानी चाहिए । खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । मैंने हर अवसर का उपयोग करते हुए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों से आग्रह किया है कि वे देश में खाद्य अपमिश्रण की इस घातक बुराई को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों के विश्लेषण की सुविधाओं में सुधार करें । उन्हें बार-बार सलाह दी गई है कि प्रत्येक राज्य में पृथक खाद्य प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएं उनमें उचित अर्हता-प्राप्त तथा अनुभवी अधिकारी नियुक्त किए जाएं, तथा इन अधिकारियों को प्रवर्तन तन्त्र के कार्य करने, मार्ग-निर्देशन करने, और पर्यवेक्षण करने के लिए उचित दर्जा प्रदान किया जाए । अर्हता-प्राप्त खाद्य निरीक्षकों तथा विश्लेषणों का एक पृथक संवर्ग बनाने तथा उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक देने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है ।

मेरा मंत्रालय 1982-83 के दौरान इस अधिनियम को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने का विचार रखता है :—

(1) मुख्यालय एकक को सुदृढ़ बनाना;

(2) भारत में आयातित खाद्य पदार्थों के गुणवता नियन्त्रण के लिए पत्तन स्वास्थ्य संगठनों को सुदृढ़ बनाना;

(3) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता और केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद को सुदृढ़ बनाना;

(4) अपीली कार्य करने के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर तथा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, पुणे को सहायता अनुदान देना ।

(5) तकनीकों के विश्लेषण तथा आंकड़ों की व्याख्या में एक-रूपता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य निरीक्षकों, विश्लेषकों तथा इस अधिनियम के कार्यान्वियन से सम्बन्धी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव दिए हैं । मैं निश्चय ही उन्हें ध्यान में रखूंगा । लेकिन अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहूंगा कि मेरे मंत्रालय ने आज गहन स्कूल स्वास्थ्य

सेवा परियोजना शुरू की है जिसका प्रारम्भिक कदम प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। 20 राज्यों में चुने हुए 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी प्राथमिक विद्यालयों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा और इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कार्मिकों और प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पांच ब्लाकों इसके अधीन लाया जा रहा है जहां इस प्रयोजन के लिए प्राइवेट चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग कने का विचार है। स्वास्थ्य कार्ड, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए मार्ग-निर्देश और प्रतिवेदन तथा विवरण तैयार करने सहित काफी प्रारम्भिक कार्य पूरा किया जा चुका है। इस परियोजना का मुख्य प्रयोजन स्कूल स्वास्थ्य परियोजनाओं के विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच करना है ताकि बाद में उनमें से हमारे राष्ट्रीय पर्यावरण के लिए अत्यधिक उपयुक्त दृष्टिकोण का चयन करना संभव हो सके। साथ ही, इस परियोजना से यह आशा है कि आधारभूत आंकड़े स्थापित किए जा सकेंगे जो प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों में विभिन्न प्रकार के रोगों की रुग्णता दर तथा अभावों को दर्शायेंगे और यह भी बताएंगे कि इनको दूर करने के लिए रेफेरल सेवाओं सम्बन्धी कितना कार्यभार होने की संभावना है।

अनेक प्रश्न उठाए गए हैं और माननीय सदस्यों ने दिल्ली के अस्पतालों के कार्य-चालन के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मैं केवल इतना कह सकता हूं, और पहले भी कई बार यह बात मैंने इस सभा में दोहराई है, कि जब तक हम प्रत्येक अस्पताल में रोगियों की संख्या को कम नहीं कर सकते तब तक हम अस्पतालों की स्थिति में सुधार नहीं कर सकेंगे। क्या मैं माननीय सदस्यों से फिर यह अपील कर सकता हूं कि कृपया यह न समझें कि वे केवल सरकारी अस्पताल हैं। लोगों के मन में यह विचार पैदा किया जाना चाहिए कि वे जनता के अस्पताल हैं और उन्हें चाहिए कि वे इन अस्पतालों को यथासंभव स्वच्छ रखें। ऐसी बात नहीं है कि लोग वहां जाते हैं और उन्हें गन्दा कर देते हैं तथा सरकार उन्हें साफ करती है। यदि एक रोगी अस्पताल जाता है तो उसके साथ लगभग एक दर्जन व्यक्ति चले जाते हैं तथा अत्यधिक दबाव, भीड़ हो जाती है। मैं अपने माननीय मित्र, श्री रवीन्द्र वर्मा को बता दूं कि निचश्य ही मैं नहीं जानता कि वे बीमार पड़ेंगे—में कभी बीमार नहीं हुआ हूं—तो कम-से-कम एक दर्जन व्यक्ति उनके साथ जाएंगे.....

सभापति महोदय (श्री चन्द्रजीत यादव) : उनके लिए यह कामना मत कीजिए।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं कामना नहीं करती कि वह बीमार हों।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैंने यह कभी नहीं किया है।

श्री बी० शंकरानन्द : आप बीमार नहीं हुए हैं, मैं नहीं जानता।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं इसका दावा नहीं कर सकता। मैंने इसे एक सामाजिक समारोह नहीं बनाया है।

श्री बी० शंकरानन्द : दिल्ली के अस्पतालों पर बढ़ते हुए दबाव से निपटने के लिए हम दिल्ली में पांच परिधीय अस्पताल बना रहे हैं। जब वे बन जाएंगे तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के अस्पतालों का कार्यभार काफी घट जाएगा।

यदि कोई अन्य सदस्य मुझसे किसी अन्य प्रश्न का स्पष्टीकरण नहीं चाहता हो, तो मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं।

समापति महोदय : कृपया आप अब समाप्त करें। कम से कम आप समाप्त करें। तब, वे प्रश्न पूछेंगे।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं समाप्त करूंगा।

जहां तक प्राकृतिक उपचार अस्पताल का प्रश्न है, जिसका कि माननीय मित्र ने उल्लेख किया है, हमने 4 केन्द्रीय परिषदें स्थापित की हैं, एक आयुर्वेदिक के लिए एक यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, एक होम्योपैथी के लिए तथा एक योग के लिए सभी केन्द्रीय परिषदें प्रत्येक चिकित्सा पद्धति की समस्याओं की जांच कर रही हैं।

मैंने देश में सामाजिक स्वास्थ्य का विगत की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं तथा कार्यक्रमों सहित संक्षिप्त सर्वेक्षण दिया है।

आज हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में देश के विकास के एक अद्वितीय मोड़ पर खड़े हैं। हम सामाजिक क्रान्ति के देहली पर खड़े हैं जो व्यक्तियों, परिवारों और समाज में नए बोध और व्यवहार को जन्म देगी। हमारे सामने जो कार्य है वह चुनौती पूर्ण होने के साथ आशापूर्ण भी है।

अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि सामान्यतया जनता में और विशेषकर इस व्यवसाय के लोगों में अपने नैतिक और सामाजिक दायित्वों के प्रति प्रेरणात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया है।

हम अपनी इन जिम्मेदारियों को भी समझते हैं कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रगति के लाभों को इस मान्यता के अनुसार लोगों तक पहुंचाया जाए कि स्वास्थ्य का उच्चत्तम स्तर प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है।

इस संदर्भ में, स्वास्थ्य एक साध्य होने के साथ-साथ साधन भी है तथा सामाजिक और आर्थिक विकास का एक अभिन्न अंग है।

अभीष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य तथा विकास प्रक्रियाओं को निरन्तर जारी रखना होगा।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : जैसा कि मैंने पहले बताया है, अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और देश में सभी लोगों को एक शानदार भविष्य की प्रतिज्ञा के लिए, इस दिशा में किया गया कोई भी कार्य तब तक सार्थक और उपयोगी नहीं हो सकता जब तक हमारी जनसंख्या स्थिर नहीं हो जाती।

मैं इस सम्मान्य सभा के सभी वर्गों से प्रतिज्ञा और सहयोग के लिए अनुरोध करता हूं।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व क्या मैं भी क्रै को रोमेलो के कथन को उद्धृत कर सकता हूं :—

"स्वास्थ्य के बिना जीवन, जीवन नहीं है । वह एक जीता जागता जीवन नहीं है। स्वास्थ्य के बिना जीवन केवल निर्जीव है, मृत्य की प्रतिछाया है ।"

श्री साइमन जॉनसन ने कहा है :—

"स्वास्थ्य को बनाए रखना एक नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है" ।

क्योंकि मेरे मार्क्सवादी मित्र ने मुझे यह कहने के लिए प्रेरित किया, जब कि वह स्वास्थ्य के बारे में मधुर स्वप्नों की बात कर रहे हैं । "आप स्वप्नों भरी नींद सोना चाहते हैं," मैं नहीं जानता ।

मैं आशा करता हूं कि आप इस बात पर सहमत हैं कि स्वास्थ्य को बनाए रखना एक नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है । भी विलियम हाल के शब्दों में :—

"यदि हम स्वास्थ्य नहीं हैं तो किसी भी काम के लिए उपयोगी नहीं हो सकते ।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उस पुस्तक का क्या नाम है ?

श्री बी० शंकरानन्द : "टेक केयर आव युअर हैल्थ" (अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए)" ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या उस पुस्तक के लेखक आपके विभाग में कार्य करते हैं?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के किसी व्यक्ति को उद्धृत नहीं कर रहा हूं ।

मैं या तो अपना या स्वास्थ्य से सम्बन्धि किसी व्यक्ति का उद्धरण दे रहा हूं ।

आपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा मैं नहीं तो मैं आपके शब्दों को भी उद्धृत कर देता । यह बहुत खेद की बात है कि मुझे विपक्ष के सदस्यों से उद्धरण करने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाया है ।

आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि अरबी में एक कहावत है :—

"जिसके पास सेहत है, उसके पास आशा है ।
जिसके पास आशा है, उसके पास सबकुछ है ।।"

मैं चाहता हूं कि सदन में सभी आशावादी होंगे और उनके पास सब कुछ होगा ।

आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी वक्ता ने यह नहीं कहा कि वह मेरे मंत्रालय की अनुदान की मागों का विरोध करता हूं । इसलिए मैं यह समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य मेरे मंत्रालय की मांगों समर्थन कर रहे हैं । मैं अनुरोध करूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों को सारा सदन सर्वसम्मति से पारित करे ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय के अधीन ऐसा कोई प्रस्ताव है कि अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान जैसे क्षेत्रीय संस्थान अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित किए जाएं, क्योंकि पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी भागों से ज्यादा लोग, विशेष उपचार के लिए दिल्ली नहीं आ सकते। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में क्षेत्रीय संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है और क्या हम उनके कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में खुलने की आशा कर सकते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्व में एक मेडिकल केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। एक समिति ने इस समस्या का अध्ययन किया है कि क्या ऐसा केन्द्र स्थापित किया जाय और समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैंने कहा था कि राजस्थान सरकार ने मेरिट के आधार पर पी० जी० क्लासेज में ऐडीमीशन न करके अपनी मर्जी से 5 परसेंट मार्क्स बढ़ाकर ऐडमीन्स किए हैं जिनको हाई कोर्ट ने वायड करार दिया है। उसके सम्बन्ध में आप क्या ऐक्शन लेंगे? कुछ सलाह देंगे कि इस प्रकार के गलत ऐडमीशन्स नहीं किए जाने चाहिये?

श्री बी० शंकरानन्द : क्या माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है? मैं नहीं.....

श्री गिरधारी लाल व्यास : कोर्ट से हो गया निर्णय। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ऐडमीशन्स नल एण्ड वायड हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : प्रश्न यह है कि अगर न्यायालय ने फैसला दे दिया है, तो न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

डा० वी० कुलनवई वेलु (चिदम्बरम) : दक्षिण के बारे में क्या स्थिति न है? मैं पहले ही यह अनुरोध कर चुका हूं कि मद्रास मेडिकल कालिज में एक स्नातकोत्तर संस्थान की स्थापना की जाय, साथ ही जवाहर स्नानकोत्तर शिक्षा एवं गवेषणा संस्थान (जिपमेर), पांडिचेरी को अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान की तरह एक स्वायन्त्र शासी संस्थान बनाया जाय।

श्री बी० शंकरानन्द : मद्रास, तामिलनाडु में स्नातकोत्तर केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक 'जिपमेर' का प्रश्न है, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए।

सभापति (श्री चन्द्रजीत यादव) : मंत्री महोदय ने स्वयं कहा था कि क्या कोई सदस्य स्पष्टीकरण या सूचना पूछना चाहता है। इसलिए मैं सिर्फ तीन या चार सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : जब मैंने हस्तक्षेप करते हुए 'एक्यूपंक्चर' पद्धति को मान्यता देने का सुझाव दिया तो, मंत्री महोदय ने इस पर गौर नहीं किया। जैसा कि आपको विदित है कि मैंने इस पद्धति और भारतीय एक्यूपंक्चर संघ, जिसके अध्यक्ष कोरनीस मेमोरियल

समिति के प्रधान डा० बी० के० बसु हैं को मान्यता देने की तरफ भारत सरकार का ध्यान अनेक बार दिलाया है। वह इस अत्यन्त प्रभावशाली पद्धति को हमारे देश में मान्यता देने के लिए प्रधान मंत्री और भारत सरकार से भी मिले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कई अस्पतालों के भौतिक चिकित्सा विभाग में इस प्रणाली को वास्तव में प्रयोग में भी लाया जा रहा है। मान्यता के अभाव में इस प्रभावकारी व बहुत ही सस्ती पद्धति का बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। विदेशी डिगरियां प्राप्त प्रतिष्ठित डाक्टर जो कि इस पद्धति को जानते हैं और जो इस पद्धति का दूसरी पद्धतियों के साथ प्रयोग करना चाहते हैं। वैसा नहीं कर पा रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : वे एक्यूपंक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। सरकार के पास इस पद्धति को आगे बढ़ाने, उसका विस्तार करने, या उसे मजबूत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रो० रूप चन्द पाल : एक्यूपंक्चर पद्धति को मान्यता देने के मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि क्योंकि अभी कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, इसलिए सीधे ही मान्यता नहीं दी जा सकती। इसका मतलब है, उन्हें इस पद्धति- की जानकारी होगी।

सभापति महोदय : ठीक है। वह उत्तर भी है और अब यह उत्तर भी मिल गया है।

अब श्री बनातवाला प्रश्न करेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : दिल्ली में एक तिब्बिया कालेज है, जिसकी स्थापना स्व० हकीम अजमल खां ने की थी। कालेज की हालत खस्ता है। काफी अर्से से यह मांग है कि कालेज को सरकार अपने हाथ में ले ले। क्या सरकार इसे अपने हाथ में लेगी और इस मामले पर शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने एक संस्थान विशेष और उसकी समस्याओं के बारे में प्रश्न उठाया है। सरकार द्वारा कालेज को अपने हाथों में लेने का अभी कोई विचार नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

सभापति महोदय : कृपया ऐसा न करें। अगर मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा तो यह प्रश्न-काल बन जायेगा और मैं इसे प्रश्न काल में बदलना नहीं चाहता। अगर कोई माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पर अलग से मतदान न कराना चाहता हो, तो मैं अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखूगां।

कटौती प्रस्ताव रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं अनुदान की मांगों को मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 44-46 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई

राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगें, 1982-83

मांग संख्या	मांग का नाम	16 मार्च, 1982 का सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		(सभा द्वारा स्वीकृत) अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
44.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	21,97,000	...	1,09,87,000	...
45.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	31,49,39,000	12,09,44,000	157,46,92,000	60,47,21,000
46.	परिवार कल्याण	44,68,16,000	17,000	223,40 77,000	83,000

(दो) विदेश मंत्रालय

सभापति महोदय : अब सदन विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 31 पर विचार और मतदान करेगा। इसके लिए 10 घण्टों का समय निर्धारित किया गया है। सदन में उपस्थित माननीय सदस्य हैं जिनके अनुदान की मांगों के बारे में कटौती प्रस्ताव प्रचारित किये गये हैं, अगर वे अपना कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें तो वे 15 मिनट के अन्दर, जिस कटौती प्रस्ताव को पेश करना चाहते हैं उसका क्रमांक लिखकर यहां दे दें। केवल वही कटौती प्रस्ताव पेश किये गए समझे जायेंगे।

ऐसे कटौती प्रस्ताव जिन्हें पेश किया हुआ माना जायेगा, उनके क्रमांक बताने वाली तालिका शीघ्र ही नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। अगर कोई सदस्य इस तालिका में कोई गलती पाता है तो इसकी सूचना शीघ्र सभा पटल पर बैठे हुए अधिकारी को दें।

अब हम वाद-विवाद शुरू करते हैं।

श्री० सत्यसाधन चक्रवर्ती।

श्री० सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आरम्भ में ही मैं कहना चाहूंगा कि विदेश मंत्री ने अपने मंत्रालय के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन में विश्व के समक्ष उपस्थित युद्ध के

संकट के बारे में जो चिन्ता व्यक्त की है कि मैं उसमें उनका समान रूप से भागीदार हूं। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो दृढ़ आशावादी होते हैं। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि युद्ध के काले बादल छाते जा रहे हैं। खतरे की तलवार लटक रही है और यह खतरा (तलवार) परमाणु युद्ध का होगा। शस्त्रास्त्रों की अनियंत्रित की होड़ और प्राण घातक अस्त्रों के निर्माण खासकर परमाणु। अस्त्रों के कारण मानव द्वारा विगत 5000 वर्षों के कठिन परिश्रम द्वारा निर्मित सभ्यता अब सम्भवतः विनाश के कगार पर खड़ी है। आजकल हम उस विश्व में जी रहे हैं जो कि अभूतपूर्व प्रौद्योगिक और वैज्ञानिक और वाणिज्यिक प्रगति के कारण हमारे काफी निकट आ गया है।

इस शतक में विज्ञान ने आश्चर्यजनक प्रगति की है। सौ वर्ष पहले लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उस से भी ज्यादा गति से मानव सभ्यता ने तरक्की की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे सामने एक उज्जवल भविष्य खोल दिया है, एक ऐसा नया विश्व, जिसमें भूखमरी, गरीबी, अज्ञानता और बीमारी नहीं होगी।

श्रीमन्, इस विकास के साथ यह सम्भावना भी बढ़ गई है कि किसी स्थानीय युद्ध अथवा आकस्मिक अग्निकांड से मानव जाति का ही खात्मा हो जाय। एक समय था जब लोग युद्ध को दूसरी भावना से देखते थे। मुझे याद है गेटे ने 'फॉस्ट' में लिखा है कि एक शाम को एक सभ्य व्यक्ति नीले आकाश की ओर देख रहा था जहां नीले आकाश के पार सफेद बादल तैर रहे थे। उसने नदी की तरफ देखा, जहां नौकाविहार हो रहा था। सारा माहौल शान्त था। उसने हाथ में एक शराब का प्याला पकड़ा हुआ था और दूर दूसरे वतन से लड़ाई की आवाजें सुन रहा था, जिससे उसका कोई वास्ता नहीं था। आज अगर दुनिया के किसी कोने में युद्ध हो रहा हो तो हम हाथ में शराब का प्याला पकड़े, स्थिति को देखते नहीं रह सकते और कह सकते कि शान्ति कितनी सुखमय है। जब युद्ध की विभीषका सारे विश्व को अपने शिकजे में जकड़ लेगी तो यह मानव जाति के लिए घातक होगी। शेक्सपीयर के ड्रामें 'टेम्पेस्ट' में, जैसा कि आप जानते हैं, जब मिरांडा पहली बार 'फरदिनान्द' को देखती है तो कहती है, "यह कितना सुन्दर व्यक्ति है।" लियोनारदो डी विन्सो ने भी कहा है कि मानव आकृति कितनी सुन्दर है। लेकिन यह, सुन्दर मानव तथा उसकी सभ्यता के सामने अब विनाश का खतरा है।

रिपोर्ट में विदेशी मंत्री ने नए गृह युद्ध के खतरे के बारे में ठीक ही संकेत दिया है। शीत युद्ध में यह प्रयास किया जाता है कि हथियारों पर अधिक से अधिक धन खर्च किया जाए तथा सामाजिक सेवाओं पर कम से कम धन खर्च किया जाए। गृह युद्ध के दौरान आप पायेंगे कि यह समुद्र के अन्दर आने जाने वाले जहा आदमी की आवश्यकता को पूरी करने वाले सामान से नहीं लदें होंगे बल्कि वे परमाणु अस्त्र-शस्त्र से लदे होंगे। आजकल आकाश विमानों से आच्छांदित है जो विश्व के विभिन्न भागों में विनाश लीला का ताण्डव कर सकते हैं। यह संसार जिसे हम देखते हैं और हम कतिपय देशों विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका में वैज्ञानिकों को देखते हैं, उनमें से मोटे तौर पर 50 से 60 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मिलिट्री उत्पादन करने अथवा इसकी प्रक्रिया में लगे हैं। महोदय, संसार में हम इस दौर से गुजर रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अविश्वास, सन्देह तथा डर के कारण नए शीत युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। क्या यह सच है ? क्या नए शीत युद्ध का अनुमान सही है ? मेरे

विचार में ऐसा नहीं है । क्या आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध कैसे शुरू हुआ था । आजकल हमारे पास प्रलेख तथा तथ्य मौजूद हैं । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र अमरीका द्वारा यह कहा गया था कि सोवियत रूस की योजना समस्त विश्व को जीतने की थी, जो सोवियत रूस की ओर से एक धमकी थी, एक आजाद विश्व को धमकी थी, अमरीकी ढंग से जीने के लिए धमकी थी और स्वतन्त्रता को धमकी थी । लेकिन जार्ज एफ० केन्नने जो पांचवे दशक के अंत में तथा छठे दशक के प्रारम्भ में अर्थात् 1956 में अमरीकी विदेश नीति का प्रमुख शिल्पकार था, ने शीत युद्ध के उद्गम के बारे में बताया था और मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं :—

"स्तालिनी रूस के बारे में जो यह तस्वीर हमारे ग्रहन में है कि वह पश्चिम पर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा है और उसको इससे तभी रोका जा सकता है जबकि हमारे पास आणविक हथियार हों, यह पश्चिमी दिमाग की उपज है ।"

इसलिए, सोवियत रूस, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक नुकसान हुआ था, की ओर से वास्तव में कोई धमकी दी गई थी । इसके 200 लाख लोग मर गए थे । उसके जख्म तो अभी हरे ही थे । अतएव, ऐसा सम्भव नहीं था । अब प्रश्न उठता है कि कौन सा ऐसा देश था जो हमला करने की स्थिति में था ? यह देश वह था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ताकतवर तथा धनवान देश के रूप में उभर कर आया था और जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था । यह वह देश था जो हथियारों के बेचने से धनवान तथा ताकतवर बना था, और जिसके पास उस समय अणु बम था । सोवियत रूस के लिए न तो हमला करना सम्भव था और न ही सोवियत नेताओं के दिमाग में ऐसा कोई विचार था । लेकिन यह विचार संयुक्त राष्ट्र अमरीका द्वारा उत्पन्न किया गया था कि नाटो तथा युद्ध सामग्री के रूप में सहायता दी जाये तथा अमरीकी सीमाओं का विस्तार किया जाए—भौगोलिक सीमाओं का नहीं बल्कि विदेशी बाजारों का विस्तार किया जाये और कच्चे माल के स्रोतों पर प्रभुत्व स्थापित किया जाए । में गृह युद्ध के बारे में सोवियत रूस से कुछ भी उल्लेख करना नहीं चाहूंगा बल्कि बरट्रैंड रसैल से कुछ उल्लेख करना चाहूंगा । उनको किसी भी तरह से कम्यूनिस्ट अथवा सोवियत संघ का मित्र नहीं कहा जा सकता । मैं उदाहरण देता हूं :

"अमरीका के गृह युद्ध आर्थिक तथा विदेश नीतियों में" आवश्यक एकता है । इसका सृजन करके माल तथा बाजारों की लगातार खोज करके, विश्व की जनसंख्या के अधिकांश अनुपात पर गरीबी थोप कर तथा अमरीकी पूंजीवाद के हितों की रक्षा करने के लिए दर्जनों देशों में अमरीका की मिलिट्री ताकत का प्रयोग कर तथा विरोधियों को नष्ट कर दिया गया है । "

बरट्रैंड रसैल ने अमरीकी विदेश नीति और किस प्रकार शीत युद्ध का उद्भव हुआ है, इस बारे में यही सब कहा है ।

महोदय, अब मैं ब्रिटेन के एक दूसरे प्रसिद्ध दार्शनिक तथा इतिहासकार श्री अर्नोल्ड टायनवी की किताब से उद्धरण दूंगा :—

"आजकल अमरीका निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए विश्वव्यापी गैर क्रान्तिकारी आन्दोलन का नेता है । आज उसका रवैया वही है जो कभी रोम का हुआ करता था ।

रोम ने लगातार उन सभी विदेशी समुदाओं में जो उसके शासन के अन्तर्गत आए गरीब देशों की तुलना में अमीर देशों का समर्थन किया·····अमरीका ने जानबूझ कर रोम की भूमिका को अपनाने का निर्णण लिया है ।"

इस प्रकार शीत युद्ध का उद्भव हुआ है । संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने दो कारणों से जानबूझ कर यह नीति अपनाई प्रथम, शांति के समय में मिलिट्री उद्देश्यों के लिए अपने शस्त्र उद्योग का उपभोग करना इसलिए उनके लिए यह आवश्यक था कि रूस को घेरने के लिए यहां शीत युद्ध शुरू किया जाए और अपने मिल्ट्री अड्डों को समस्त विश्व में फैलाया जाए ।

महोदय, स्पूतनिक रूस द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े जाने के बाद अमरीका ने यह महसूस किया है कि वह समय आ गया है जब वे शक्ति की दृष्टि से बात नहीं कर सकते हैं और तब से तनाव कम करने, बातचीत करने तथा इस प्रकार की अन्य बाते शुरू हुई । यह अच्छी बात है कि अमरीकियों ने भी अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है । मुझे याद है कैनेडी ने यह कहा था, यदि हम शिखर वार्ता में हिस्सा नहीं लेते, तो हमें सीमाओं पर मिलना पड़ेगा । दुर्भाग्य तो यह है कि आइजन हावर ने तो शिखर वार्ता में हिस्सा लिया और कनेडी क्यूबन संकट की वजह से सीमा पर मिला था। और इस तरह लगातार संवाद के साथ तनाव कम करने सम्बन्धी बातचीत शुरू हुई थी । यह हथियारों की समता की शक्तियों का एक प्रकार का संतुलन नाटो शक्तियों तथा वारसा शक्तियों के बीच शक्तियों का संतुलन था । मैं यह नहीं कहता कि इससे किसी प्रकार की स्थायी शांति की गारन्टी मिलती है लेकिन मैं कहता हूं कि इससे युद्ध न होने की स्थिति पैदा होती है । और इस युद्ध न होने की स्थिति का निःशस्त्रीकरण के लिए उपयोग किया जा सकेगा । लेकिन श्री रोनाल्ड रीगन ने सत्ता में आने के बाद इस मुकाम (हाल्ट) को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । उसने साल्ट-II समझौते को मानने से इन्कार कर दिया । और आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि श्री रोनाल्ड रीगन का कार्यक्रम क्या था । सन् 1980 में अपने चुनाव कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि :—

"मिल्ट्री तथा प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में सोवियत रूस से पूर्णतया श्रेष्ठता प्राप्त करना" ।

इसलिए, यह सब क्या है ? यह तनाव कम करने की बात नहीं हैं । यह निःशस्त्रीकरण करना नहीं है । यह शांति नहीं है । लेकिन यह सोवियत रूस से 'पूर्णतया श्रेष्ठता' 'मिल्ट्री, प्रोद्योगिकी श्रेष्ठता है और वह नीति क्या थी जो उनके द्वारा अपनाई गई थी ? मिल्ट्री भाषा में इसे काउंटर फोर्स प्रथम प्रहार करने की क्षमता नाम से जाना जाता है । अमरीका के शासन ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । अर्थात प्रथम प्रहार करने की क्षमता वाली काउंटर फोर्स' अथवा साधारण अंग्रेजी में 'परमाणु हमले की क्षमता' इसलिए वर्तमान अमरीका राष्ट्रपति की यही नीति है । और उन्होंने अपने इरादे को छिपाया नहीं है । वे कहते हैं, कि हमें पर्याप्त परमाणु हथियारों का उत्पादन करना चाहिए ताकि हमारे पास प्रथम प्रहार करने की क्षमता हो सके और हम ताकत की स्थिति के साथ बात चीत कर सकें । "ताकत की स्थिति' का तात्पर्य यह है कि 'श्रेष्ठता की वह स्थिति' जहां से वे शर्तें रख सकें और रूसियों को वे शर्तें माननी पड़ें । महोदय, क्या यह शांति की भाषा है ? क्या यह तर्क की भाषा है ? क्या ये समझदारी की बातें हैं ? नहीं । अमरीकी प्रशासन झगड़ालू नीति का समर्थक है । महोदय, सोवियत रूस की क्या प्रतिक्रिया थी ?

सोवियत रूस की मिल्ट्री तैयारी के बारे में हमने जो कुछ सुना है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अब सोवियत रूस के पास भी परमाणु बम है। उसके पास इन्टर-कान्टिनेन्टल बेलास्टिक मिसाइल्स भी हैं। इसके पास परमाणु हथियार भी हैं। लेकिन यदि आप पूर्ण सावधानी पूर्वक इन शस्त्रों के पूर्ण विकास की जांच करें और यदि आप शांतिपूर्वक हथियारों की दौड़ का विश्लेषण करें तो आप यह पाएगें कि सोवियत रूस ने कभी भी व्यापक रूप से विध्वंश करने वाले किसी हथियार का विकास करने की शुरूआत नहीं की। पहली बार अमरीका द्वारा परमाणु बम बनाया गया था और इसे हिरोसीमा तथा नागासाकी पर गिराया गया था। बाद में सोवियत रूस को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। आप को मालूम होगा कि अमरीकियों ने न्यूट्रान बम का विकास किया है। अब सोवियत रूस को भी अपनी रक्षा के लिए ऐसा करना पड़ेगा। पाकिस्तान को ही लीजिए सबसे पहले इसने एफ० 16 विमान प्राप्त किए हैं। अपनी बचाव के लिए हम मिराज प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इन दोनों की तुलना कर सकते हैं? यदि अमरीकी इन सभी हथियारों का विकास करते हैं तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि सोवियत रूस को भी अपनी सुरक्षा के लिए इन हथियारों का विकास करना पड़ेगा? लेकिन सोवियत रूस हमेशा यह कहता है कि "हमने इस हथियार का विकास किया है, लेकिन हम एक साथ बैठने के लिए तैयार हैं, बात चीत करने के लिए तैयार है। और मैं विध्वंस करने के लिए भी तैयार हूं।" आपको याद होगा, यूरोप में क्या हुआ। 'नाटो' शक्तियां अब यूरोप में मध्यम रेंज के मिसाइलों का प्रयोग करेंगी और सोवियत रूस ने कहा, देखिए मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। उन्हें हथियारों में कमी करने दीजिए। हमें इस बारे में बातचीत करनी चाहिए। यही एक कारण जिसकी वजह से शीत युद्ध की स्थिति होती है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका इसके लिये जिम्मेदार है। अब, आप अमरीका की वर्तमान आर्थिक स्थिति के स्वरूप को जानते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमरीका का 1/10 श्रमिक बल मिलिट्री रोजगार पर निर्भर है। श्री आइजन हावर के अतिरिक्त किसी व्यक्ति ने भी मिल्ट्री उद्योग बस्ती के बारे में अपनी जनता को चेतावनी दी थी। श्री आइजन हावर ने अपने विदाई-समारोह भाषण में यह कहा था कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका में प्रत्येक शहर, प्रत्येक कार्यालय तथा प्रत्यक डेस्क में मिल्ट्री औद्योगिक बस्ती विद्यामान है। वहां एक मिल्ट्री औद्योगिक बस्ती हैं और आप जानते हैं इसका क्या तात्पर्य है। उनके द्वारा रक्षा उद्देश्यों के लिए बहुत अधिक धनराशि खर्च की जा रही है और 1985 तक यह धनराशि 300 बिलियन डालर की सीमा पार कर जाएगी।

महोदय, कुछ लोग व्यरस्थं शक्तियों तथा उनकी मिलिट्री ताकत के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अच्छा मैं स्ट्ड्डीज ऑफ स्टॉक्हॉम इंसटट्रीटयूट फॉर पीस रिसर्च से उदाहरण दे सकता हूं :—

> "1980 में नाटो तथा वारसा सन्धि संगठन में मौटे तौर पर विश्व में हथियारों पर खर्च की जाने वाली राशि का 70 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। पश्चिमी पार्टसरर 43 प्रतिशत है और पूर्वी ब्लाक के देश लगभग 26 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं।"

कौन सा देश शस्त्रों पर अधिक खर्च कर रहा हैं? कौन सा देश युद्ध की तैयारी कर रहा है। कौन सा देश की अर्थ व्यवस्था का मिल्ट्रीकरण कर रहा है और यह क्यों आवश्यक है? संयुक्त राष्ट्र अमरीका के लिए ऐसा करना क्यों आवश्यक है? वुडरो विल्सन के समय से लेकर रीगन के

समय तक अमरीका की नीति यही रही है कि विदेशों में अपनी शक्ति को बढ़ाया जाए, उनके महत्वपूर्ण हितों की रक्षा की जाए अर्थात तीसरे विश्व तथा विकासशील देशों से कच्चा माल लिया जाए तथा उन देशों के संसाधनों को लूटा जाए। यही कारण है जिसकी वजह से वे विदेशों में अपनी शक्ति का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अमरीका से वास्तविक खतरा है। इसके पीछे क्या दार्शनिकता है ? मैं पुनः उदाहरण देना चाहूंगा :—

> "विलियम मेकिनले से लेकर फ्रेंक्लिन रूजवैल्ट तक, वुडरो विल्सन से लेकर रीगन तक संयुक्त राष्ट्र अमरीका के नेताओं द्वारा की गई गणना के अनुसार—अमरीका की सम्पन्नता तथा संस्थानों का संरक्षण अमरीकी जीने के ढंग संयुक्त राष्ट्र अमरीका द्वारा विदेशी बाजारों पर नियंत्रण के संरक्षण तथा विस्तार पर निर्भर करता है और इस प्रकार विदेशों में संयुक्त राष्ट्र अमरीका की शक्ति का विस्तार अपरिहार्य है। इस परिप्रेक्ष्य पर विचार करते हुए शीत युद्ध अवश्य होगा, ऐसा अमरीका के शासक वर्ग का विचार है अर्थात अमरीका फ्रन्टीयर—भौगोलिक फ्रन्टियर से मित्र "स्वतन्त्र विश्व" के लिए युद्ध के रूप में।"

हमारे विदेश मंत्री ने नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की ओर ठीक ही संकेत किया है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में भी यह कहा गया है कि यदि लाखों लोगों को गरीब, शाश्वत भूखमरी तथा अन्धकार में रखा जाता है तो किसी प्रकार की स्थायी शांति सम्भव नहीं है। यदि आज कल विश्व में विषमताएं विद्यामान हैं तो किसी प्रकार की स्थायी शांति सम्भव नहीं है।

इसलिए अमरीका में भी एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की गई थी। आज क्या स्थिति है ? आपको आज विश्व की अर्थव्यवस्था की स्थिति देखकर आश्चर्य होगा। जिन विकसित देशों की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का केवल 25 प्रतिशत है। उनका कुल राष्ट्रीय उत्पादन 83 प्रतिशत है। वे विश्व ऊर्जा का 75 प्रतिशत उपभोग करते हैं, 70 प्रतिशत खाद्यान्न का उपभोग करते हैं, विश्व के उद्योग की तुलना में उनके यहां 92 प्रतिशत उद्योग हैं। उनके अपने तकनीकी संसाधन 95 प्रतिशत हैं और वे शिक्षा पर 89 प्रतिशत खर्च करते हैं। इस प्रकार 25 प्रतिशत लोगों ने संसाधनों, उत्पादन तथा खपत पर एकाधिकार कर रखा है। शेष 75 प्रतिशत जनसंख्या के बारे में क्या है। वे भूख से मर रहे हैं वे गरीब हैं, वे शिक्षित नहीं हैं उनके स्वास्थ्य खराब हैं।

आज साम्राज्यवादी देश तीसरी दुनियां के देशों से प्राप्त होने वाले ब्याज तथा लाभ पर फल-फूल रहे हैं। आज विकासशील देशों के ऋण सेवा भुगतान प्रतिवर्ष 92 बिलियन डालर हैं और उनमें विदेशी मुद्रा आय में स्थायी वृद्धि हो रही है। 1978 में जब विकासशील देशों ने निर्यात से लगभग 14 प्रतिशत लाभ अर्जित किया और वह सब ऋण का भुगतान करने में चला गया। अब ऋण सेवा का अनुपात 20 प्रतिशत है। कुछ देशों का अनुपात 30 प्रतिशत है। इसलिए पश्चिम के विकसित देशों ने हमें शिकार बनाया हुआ है। जब कभी हम उत्पादन करते हैं हमें अपने उत्पादन का 30 प्रतिशत तक अपने ऋण सेवा भुगतान को कम करने के लिए निर्यात करना पड़ता है। विकसित देशों को तीसरी दुनियां के देशों में एक डालर निवेश करने पर 2—4 डालर प्राप्त होते हैं। तीसरी दुनियां के देशों की यह हालत है।

बहुत से लोग बुड्रो विल्सन को विश्व शान्ति का नेता मानते हैं। जो कुछ उसने कहा था उसे मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं :—

"चूंकि व्यापार राष्ट्रीय सीमा की भी परवाह नहीं करता है और विनिर्माता विश्व में अपना बाजार बनाना चाहता है। उसके देश का झण्डा उसके साथ-साथ जाता है। जिन देशों के रास्ते विनिर्माता के लिए बन्द किए गए हैं वे तोड़ दिए जाने चाहिए।"

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी "लिम्पसेस आफ वर्ल्ड हिस्टरी" नामक पुस्तक में डालर साम्राज्यवाद का उल्लेख किया है। आज हम इस डालर साम्राज्यवाद की पकड़ में हैं। हमारे गरीब होने का यह कारण है। आजकल पूंजीवादी पद्धति गम्भीर खतरे में हैं। वे क्या कर रहे हैं? विकसित पूंजीवादी देशों ने अल्प विकसित देशों में आर्थिक संकट के तत्व पैदा कर दिए हैं और यहां तक कि उन्होंने नये आर्थिक संकट पैदा कर दिए हैं। इस त्वरित विनाशकारी प्रक्रिया में निजी बैंकों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंकों आदि से अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय और मुद्रा संस्थानों ने मुख्य भूमिका निभायी है। ये संस्थान कौन से हैं। इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसने बनाया?

इन संस्थानों को विकसित देशों ने तीसरी दुनिया के देशों के ऊपर अपना प्रभुत्व रखने के लिए बनाया था।

आज हमारा आर्थिक रूप से स्थान कहां है? भारत सहित तीसरी दुनियां के देशों की स्थिति क्या है? एक ओर अल्पविकसित देशों के कच्चे माल तथा अन्य उत्पादों के मूल्यों के स्थिर होना तथा उनका कम होना, मूल्य अनुपात ठीक नहीं होना तथा दूसरी ओर विनिर्माताओं द्वारा उत्पादों की मूल्य वृद्धि करना तथा औद्योगिक देशों द्वारा की गयी सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होना ब्याज की ऊंची दर बाहरी वित्तीय साधनों का धीरे-धीरे कम होना तथा तेजी से मुद्रास्फीति होना ये आर्थिक संकट के कुछ मुख्य तत्व हैं। हमारी क्या समस्या है। हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण क्यों ले रहे हैं? हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से इसलिए ऋण मांग रहे हैं कि हम जितना भी आयात कर रहे हैं उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और हमारे निर्यात का मूल्य घट रहा है जबकि हमारे आयात का मूल्य बढ़ रहा हैं। इसलिए व्यापार के बीच खाई पैदा हो गई है। इसके लिए हमने दुबारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से ऋण की मांग की और वे इसके लिए शर्तें लगा रहे हैं। हमारा उन पर आश्रित होने के कारण हमें उनकी उन शर्तों को स्वीकार करना होगा लेकिन जब तक हमारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती तब तक हमें विश्व पूंजीवादी पद्धति को अपनाना होगा। हमें पुनः ऋण की मांग करनी होगी क्योंकि जो कुछ हमने लिया हुआ है उसका भुगतान करना है। अधिक ऋण, अधिक ऋण ग्रस्तता से अन्त में हमारे लिए खतरा पैदा होता है। मैं यहां एक अमरीकी अर्थशास्त्री का उल्लेख करता हूं जिसने यह कहा है :—

"जब तक यह स्थिति पूंजीवादी विश्व बाजार में सामूहिक रूप से रहेगी तब तक एक अल्प विकसित देश साम्राज्यवादी शोषण का शिकार रहेगा इनके निर्यातों को मनचाहे मूल्यों तथा आयातों के एकाधिकार मूल्यों के शिकार रहेंगे और वे कम से कम उनकी नयी राजनैतिक दासता के खतरे में स्थायी रूप से फंसे रहेंगे।"

आप इसका मुकाबला कैसे करते हैं ? हमारा कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ? हमारी प्रधान मंत्री मेलबोर्न कैनकन से लेकर नई दिल्ली की बातचीत में इस बात पर जोर देती रही हैं कि एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए । हमने कैनकन में यह साधारण मांग की थी कि वे अपने उत्पाद का एक प्रतिशत दें जिसे उन्हें अल्प विकसित देशों के लिए बचाना चाहिए और वे 0.07 प्रतिशत देने के लिए भी तैयार हो गए थे । अब वे इतना भी देने के लिए सहमत नहीं हैं । अब हमने कैनकन से क्या प्राप्त किया है ? हमने मेलबोर्न से क्या प्राप्त किया है ? अब हमारी सरकार जो भी प्रयास कर रही है वह यह है कि सरकार कुछ मित्रों को लेकर उन पर कुछ दबाव डालने तथा कुछ रियायतें प्राप्त करने का प्रयास कर रही है । लेकिन वे आपको रियायतें नहीं देंगे । वे हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा बोझ डाल रहे हैं और हम उनके पास जल्दी-जल्दी जाकर उनके सामने घुटने टेकने तथा उनसे याचना करने की कोशिश कर रहे हैं । आप शक्तिशाली विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राज्य अमरीका को देखें, ये हमें कुछ न कुछ देते हैं । आप इनके सामने उस निर्धन भारतीय किसान की तरह हैं । जो उस जमींदार के पास जाकर उससे याचना करता है और तब वह उस निर्धन किसान को निरन्तर ऋणग्रस्त रखता है तथा वह शोषण के कारण निरन्तर ऋणग्रस्त रहता है और लगातार उसके पास जाता है और यह कहता है । अरे जमींदार मुझे कुछ दे दीजिए ।

यह इस कारण होता है कि एक ओर हम नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बातें कर रहे हैं, हम आत्म निर्भर होने की बातें कर रहे हैं । दूसरी ओर हम अपनी अर्थव्यवस्था को गिरवी रख रहे हैं । यह आर्थिक कमजोरी जो विदेशियों के रास्ते खोल रही है । जो अल्प विकसित देशों के संसाधनों को अपने महा नगरीय देशों को भेज रहे हैं, हमें और कमजोर बना रही है । यदि यह होता रहा तो विदेश मंत्री महोदय, आपके आत्म निर्भर होने के सभी नारे गुटनिरपेक्ष की सभी बातचीतें पूर्णरूप से व्यर्थ हो जायेंगी ।

आर्थिक निर्भरता राजनैतिक निर्भरता की ओर भी ले जाएगी । आप इस प्रक्रिया को बदलें । आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें । आप विदेशियों के साथ इस प्रकार का सहयोग करने की कोशिश न करें । अन्यथा आप देश की आजादी के लिए खतरा पैदा कर देंगे ।

सभापति महोदय श्रीमन् अब मैं उन परिस्थितियों की ओर ध्यान दिलाता हूं जो हमारे देश के आस-पास विद्यमान हैं । श्रीमन् आप यह देखते हैं कि अमरीकी साम्राज्यवादी हमारे देश के आस-पास तथा इस उप महाद्वीप में भी खतरा पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं । ईरान में पराजित होने तथा वहां से निकाले जाने के बाद अमरीकी साम्राज्यवाद अब पाकिस्तान के अधिनायकवाद के साथ सहयोग कर रहा है तथा पाकिस्तान करांची में अमरीका को नौसेना तथा पेशावर में वायुसेना की सुविधाएं देने को भी तैयार हो गया है । अमरीका पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हथियार भी दे रहा है । पाकिस्तान अब अमरीकी साम्राज्यवाद का खेल खेल रहा हैं । जो देश पाकिस्तान को अमरीकी साम्राज्यवाद से पृथक् समझते हैं । वे वास्तविक खतरे को नहीं देखते हैं । जिस अनाक्रमण संधि की वे वकालत कर रहे हैं वह अमरीकी रूप को छिपाने का अन्धकार है । क्योंकि वे कश्मीर को इस संधि से अलग रखना चाहते हैं ताकि वे इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय बना सकें । विवाद का कारण क्या है ? भारत और पाकिस्तान के मध्य मुख्य रूप से कश्मीर के प्रश्न पर मतभेद है और पाकिस्तान कश्मीर के प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बनाना

चाहता है और वह अनाक्रमण की बात करते हैं। वे इस अन्धकार को पैदा करना चाहते हैं। अमरीका उन्हें हथियार दे रहा है और पाकिस्तान आधुनिक हथियार प्राप्त कर रहा है। यह सम्पूर्ण उप महाद्वीप के लिए एक गम्भीर खतरनाक चुनौती है।

अभी-अभी बांगला देश का शासन सेना ने सम्भाला है। मेरी चिन्ता केवल यह है कि वहां प्रजातन्त्र को समाप्त कर दिया गया है तथा फौजी अधिनायकवाद ने सत्ता सम्भाल ली है। यह हमारे उप महाद्वीप के लिए खतरनाक है। आप यह भी देखेंगे कि श्रीलंका तथा कुछ देशों में भी हालात ठीक नहीं हैं। यह हमारे अपने देश के लिए खतरनाक है।

कुछ व्यक्ति अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं। मैं आपको करमाल सरकार के हाल ही के प्रस्ताव की याद दिलाऊंगा। वे सहमत हो गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान तथा ईरान को आमंत्रित किया है और यह कहा है कि "हमें बैठने दीजिए; हमें बात करने दीजिए; द्विपक्षीय अथवा तृपक्षीय वार्ता होने दीजिए। उन्होंने यहां तक कहा है कि एक अमरीकी प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकता है।" "हमें बातचीत करने दीजिए; हमें वाद-विवाद करने दीजिए और इसमें किसी विदेशी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। रूसी सैनिक टुकड़ियां वापस चली जायेंगी। पाकिस्तान ने इस विचार के सम्बन्ध में कोई उत्साह नहीं दिखाया है। उन्होंने जवाब नहीं दिया है कि वे क्या कर रहे हैं। अमरीकी साम्राज्यवाद नायकों जमींदारों को हथियार दे रहा है जो अफगानिस्तान छोड़कर चले गए हैं। अफगानिस्तान में सशस्त्र छापामार विद्रोहियों को वहां अव्यवस्था पैदा करने तथा वहां की जनता को क्रान्ति के फल से वंचित रखने के लिए भेजा जा रहा है। मैं यह गम्भीरता से महसूस करता हूं कि शीत युद्ध हमारे प्रवेश द्वार तक पहुंच गया है।

श्रीमन्, जब दूसरी ओर बैठे हुए कुछ सदस्यगण हंसते हैं तो मैं केवल यह महसूस करता हूं कि वे स्वयं अपने ऊपर ही हंस रहे हैं। वे वास्तव में इसे नहीं समझते हैं।

सभापति महोदय : श्री तिवारी जी, आप इतने परेशान क्यों हैं?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आज हम इस वास्तविक खतरे का सामना कर रहे हैं। शीत युद्ध हमारे प्रवेश द्वार तक आ गया है।

अब मैं हिन्द महासागर के बारे में कुछ बताऊंगा। आपने इसका उल्लेख अपनी रिपोर्ट में किया है और श्रीलंका सम्मेलन को अमरीका द्वारा व्यर्थ कर दिया गया है। यह एक सही खतरा है। रूस शान्तिक्षेत्र के विचार से सहमत है। अमरीका इससे सहमत नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस्राइल ने ईराक के परमाणु प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया है; तथा हाल ही में उसने गोलान हाईट्स पर कब्जा कर लिया है। क्या यह राजनैतिक लूटपाट का शर्मनाक कृत्य नहीं है? क्या उसे संयुक्त राज्य अमरीका का समर्थन प्राप्त नहीं है? वे लोग दक्षिणी अफ्रीका में क्या कर रहे हैं? वे दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं तथा वे नामीबिया के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। हर जगह वे लड़ाई की आग भड़का रहे हैं। यह खतरा वास्तविकता का रूप ले रहा है। परन्तु इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। पश्चिम जर्मनी, इंग्लैण्ड, फ्रांस में करोड़ों लोगों ने युद्ध का विरोध किया है तथा वे शान्ति स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो करोड़ों लोगों की मांग को ठुकरा सके, निश्चित ही उनकी विजय होगी।

जहां तक हमारी सीमाओं का सम्बन्ध हैं, कश्मीर खालिस्तान, पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याएं हमारे सम्मुख हैं। हमारी सीमाओं को कमजोर बनाने की कुचेष्टा की जा रही है ताकि हमारे लिए सुरक्षा सम्बन्धी समस्याएं कठिनाइयां उत्पन्न करती रहें। विदेशी ताकतों ने अपना घिनौना कार्य शुरू कर रखा है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि उसे इन सब बातों को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। विदेशी शक्तियां, विशेषरूप से संयुक्त राज्य अमरीका इन षड्यन्त्रों की पीछे है। वे हमारी सीमाओं पर कठिनाइयां उत्पन्न कर रही हैं तथा पृथकतावादी शक्तियों को बढ़ावा दे रही है और सरकार को इनसे सचेत रहना चाहिए। उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा देश के सम्मुख खतरे के संदर्भ में इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। यह आश्चर्य की बात है कि यह सरकार अभी भी श्रमिक वर्गपर और अधिक बोझ डाल रही है। यह सरकार इन विदेशी षड्यन्त्रकारियों का कैसे सामन करेगी ? आप देश को सुदृढ़ कैसे बनायेंगे ? मनुष्य, धन तथा सामग्री ही युद्ध को संसाधित करते हैं। आप श्रमिकों को तंगहाल रखकर, दमनकारी अधिनियमों के द्वारा देश की एकता को सुदृढ़ नहीं कर सकते। इस रिपोर्ट में आपने देश की एकता की बात कही है। श्रमिक वर्ग, मेहनतकश लोगों पर अत्याचार करके आप देश की एकता को बनाए रख सकते।

आप देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करना चाहते हैं। बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के सहयोग से क्या आप अर्थव्यस्था को मजबूत कर सकते हैं ? आप बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को रियायतें देकर अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का विकास असम्भव है। आप देश में जनता विरोधी नीति का पालन कर रहे हैं। इससे देश की एकता मजबूत नहीं होगी अपितु लोगों को विभाजित करेगी। देश के बारे में आपकी दुविधा एवं कमजोरी इसे सुदृढ़ नहीं कर सकती। आपको यह पद्धति बदलनी पड़ेगी।

आपके अनुसार गुटनिरपेक्षता से विचार तथा कार्य की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। यह सही है। परन्तु क्या यही गुट-निरपेक्षता का वास्तविक उद्देश्य है। गुट-निरपेक्षता साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष का परिणाम है। आप साम्राज्यवाद के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। आप बड़ी ताकतों के संघर्ष की बात के द्वारा अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाते। आप इस बात को कहने/पता लगाने में असफल रहे हैं कि कौन आपका मित्र है तथा कौन शत्रु। (व्यवधान)

विदेशी मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): क्या आपको इस बार भी रिपोर्ट में संघर्ष की बात नजर आई है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह बड़ी ताकतों के संघर्ष की बात नहीं हैं। अमरीकी साम्राज्यवादी संघर्ष कर रहे हैं तथा समाजवादी शक्तियां इसको रोकने की चेष्टा कर रही हैं। गुट निरपेक्षता का उद्देश्य साम्राज्यवाद का विरोध करना है। तथा अपनी आर्थिक कमजोरी तथा पश्चिमी साम्राज्यवादियों पर निर्भरता के कारण आप गुट-निरपेक्षता के उद्देश्य को विनष्ट कर रहे हैं और इसीलिए आपकी आवाज असरकारी नहीं है; आपके प्रयासों में दृढ़ता नहीं है तथा आपकी विचारधारा स्पष्ट नहीं है। यह सब आपकी आर्थिक दुर्बलता तथा निर्भरता के कारण है। अतः वास्तविक गुट-निरपेक्ष के लिए आपको वस्तुतः साम्राज्यवाद विरोधी बनना होगा तथा स्वावलम्बी होना पड़ेगा, पश्चिमी साम्राज्यवाद पर निर्भरता को छोड़ना होगा। वास्तविक रूप में गुट-निरपेक्ष होने के लिए आपको प्रगतिवादी होना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था का विकास करना होगा तथा देश में सामन्त वादी ढांचे तथा एकाधिकार नीति को

विनष्ट करना होगा। जब तक आप यह नहीं करते, जब तक देश में क्रान्तिकारी सुधार नहीं करते, जब तक बहुराष्ट्रिकों के साथ अपने आर्थिक सम्बन्धों का विच्छेद नहीं करते, तब तक गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को खतरा बना रहेगा। महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्री तिवारी को किस प्रकार सुधारा जायेगा ?

एक माननीय सदस्य : चीन के संबंध में आपके क्या विचार हैं ?

सभापति महोदय : आप इनको क्यों उत्तेजित करना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : चूंकि माननीय सदस्य यह चाहते हैं, (व्यवधान) मुझे खुशी है कि चीन के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हो रहा है। हम इन सम्बन्धों को विकसित करना चाहते हैं। हम चीन के साथ सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं। मैं चीन के साथ वार्ता प्रारम्भ करने के लिए सोवियत संघ को बधाई देता हूं। हम चाहते हैं कि चीन तथा सोवियत संघ एक-दूसरे के करीब आयें तथा तीसरे विश्व के देशों के साथ सम्बन्ध बनायें ताकि हम विश्व के वास्तविक खतरे; अमरीकी साम्राज्यवाद, जो अपने को दुनिया का थानेदार समझता है, का मिलकर मुकाबला कर सकें।

एक माननीय सदस्य : श्री तिवारी को किस प्रकार सुधारा जाएगा ?

श्री सुधीर कुमार गिरि : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि 'विदेश मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

विदेशों में स्थित दूतावासों के व्यय पर रोक लगाने की आवश्यकता। (3)

"कि 'विदेश मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

विदेशों की यात्रा करने वाले कुछ अधिकारियों के व्यय में कमी करने की आवश्यकता। (4)

"कि 'विदेश मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

कुछ अधिकारियों के कदाचार को रोकने की आवश्यकता। (5)

श्री ओ० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाये।"

यहूदी राज्य इजराइल के विरुद्ध पूर्ण तथा कारगर आर्थिक और राजनैतिक प्रतिबन्ध लगाने, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा के फरवरी 1982 के इजराइल का पूर्ण बहिष्कार करने सम्बन्धी संकल्प को ध्यान में रखते हुए, में असफलता। (6)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाये।"

संयुक्त राष्ट्र महासंघ के इजराइल का पूर्ण बहिष्कार करने सम्बन्धी संकल्प के बावजूद बम्बई स्थित इजराइल के वाणिज्य दूतावास को बन्द करने में असफलता। (7)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाये।"

सभी पासपोर्टों में इस बात का उल्लेख करने में असफलता कि वह इजराइल की यात्रा के लिए विधिमान्य नहीं है, जैसाकि दक्षिण अफ्रीका के मामले में किया जाता है। (8)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाये।"

इस बात की अविलम्ब घोषणा करने में असफलता कि भारत में होने वाले एशियाई खेलों में इजराइल को भाग लेने नहीं दिया जायेगा। (9)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाये।"

इजराइल की शैक्षणिक उपाधियों और व्यावसायिक अर्हताओं को दी गई मान्यता वापस लेने में असफलता। (10)

दिल्ली स्थित अरब राज्य लीग मिशन को पूर्ण राजनयिक दर्जा देने की आवश्यकता। (11)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

विदेश नीतियों का लगातार आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और वैकल्पिक नीति तैयार करने हेतु एक स्थायी विशेषज्ञ सलाहकार समिति गठित करने की आवश्यकता। (12)

श्री टी० आर० शमन्ना : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

अफगानिस्तान के मसले के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति घोषित करने की आवश्यकता। (13)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

श्रीलंका में बसे भारतीयों के जानमाल की रक्षा करने की आवश्यकता। (14)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाये।"

भारत के पूर्वोत्तर भागों में सक्रिय उग्रवादियों के दमन के लिए हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के सीमावर्ती देशों की सहायता तथा सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता। (15)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

पाकिस्तान के साथ बातचीत में दृढ़ तथा व्यापारिक नीति अपनाने की आवश्यकता। (16)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाये।"

हाल ही में हुई सैनिक क्रांति के पश्चात् बंगला देश की घटनाओं तथा हमारे देश पर इसके प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता। (17)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाये।"

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ स्पष्ट नीति रखने की आवश्यकता। (18)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

चीन के साथ बातचीत करने में सावधानी तथा युक्ति से काम लेने की आवश्यकता। (19)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

गुट-निरपेक्ष देशों को प्रभावशाली शक्ति बनाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता। (20)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

हमारे राजदूतावासों के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता। (21)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

हमारे राजदूतवासों में कार्यरत कर्मचारियों तथा विदेशों में अध्ययन कर रहे छात्रों में देश के सम्मान की रक्षा करने की भावना जागृत करने की आवश्यकता। (22)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

सोवियत संघ के साथ बेहतर मेल-मिलाप रखने की आवश्यकता। (23)

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

विदेश जाने वाले अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले खर्च को कम करने की आवश्यकता। (34)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता। (35)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

विदेश स्थित भारतीय दूतवासों पर होने वाले व्यय को कम करने की आवश्यकता। (36)

सभापति महोदय : श्री माधवराव सिन्धिया।

श्री माधवराय सिन्धिया (गुना) : सभापति महोदय।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : ये दर्शकों को रिझाने के लिए बोल रहे हैं।

सभापति महोदय : क्या आपको को आपत्ति है।

श्री माधवराव सिन्धिया : विशेषरूप से जब मेरी पत्नी इस समय दर्शक-दीर्घा में विराजमान है।

सभापति महोदय, प्रो० चक्रवर्ती ने कहा है कि हमारी प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री के मार्गदर्शन में भारत अभी भी अपनी पहचान नहीं कर पाया है। उनके अनुसार भारत की विशिष्टता अस्पष्ट है। मैं विनम्रतापूर्वक यह बताना चाहता हूं कि मेरे विचार से प्रो० चक्रवर्ती को ही चीन तथा सोवियत रूस के बीच अपनी पहचान करने में कठिनाई हो रही है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, अपनी प्रधानमंत्री के शब्दों के अनुसार, हमें अपनी स्थिति का जायजा है। हम न तो सोवियत रूस के समर्थक है; न अमरीका के समर्थक हैं। हम भारत के समर्थक हैं। हम गांधी तथा नेहरू के द्वारा बताये गये शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धान्तों पर आधारित अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हैं। हमारी यही पहचान है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का सन्तुल अपनी धुरी पर खतरनाक ढंग से झूल रहा है। बड़ी शक्तिओं द्वारा अपने 'खेल के मैदान' समझे जाने वाले क्षेत्र में इसके विनष्ट होने के सम्बन्ध में वास्तविक खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है।

लेकिन इससे मानवता नष्ट हो जाएगी; जैसा कि हम जानते हैं कि इससे वही अभागे बचे रह जाएंगे जिनको झुलसती पृथ्वी की यथार्थ विरासत मिलेगी और मूल्यों व कल्पनाओं की लाश, जब तक मूल दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक भविष्य अन्धकारमय है। ऐसे तूफानी और प्रचण्ड समुद्री उफान में माननीय विदेश मंत्री को हमारी विदेश नीति रूपी जहाज की यात्रा की रूपरेखा तैयार करनी पड़ रही है। कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि विश्व क्या स्वरूप धारण करेगा और भविष्य क्या होगा। हम देख रहे हैं कि परिवर्तन के लिए कटिबद्ध और यथास्थिति बनाए रखने वाली शक्तियों व्यग्रता से शोषण कर रही और शोषण को समाप्त करने के लिए प्रयासरत शक्तियों अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए वचनबद्ध और तीव्रता से अपनी स्वतन्त्रता व प्रभुसत्ता प्रतिस्थापित करने वाली शक्तियों के मध्य संघर्ष चल रहा है। विश्व असंख्य प्रचण्ड स्वतन्त्र, स्थानीय रूप से दुर्जेय शक्तियों के रूप में पुनः समूहित हो रहा है। हम ऐसे समयापूर्वीय विश्व में है जिसका असली स्वरूप अभी तक धुंधला और अनिश्चित है। हमारी प्रधान मंत्री की प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आपसे आगे बढ़कर देखना होगा और इस विश्व में अपनी सूझ-बूझ का परिचय देना होगा।

अफगानिस्तान, पोलैण्ड और लैटिन अमेरिकी स्थिति के बाद जैसा कि रिपोर्टों में हमने देखा है कि महाशक्तियों के आपसी सम्बन्धों में बड़ा फर्क हुआ है। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि मेरे विचार से विश्व की प्रभावशाली गिनी-चुनी बड़ी शक्तियों के दिन गिने-चुने रह गए हैं। राष्ट्रीयता की भावना देशी सीमा को पार कर चुकी है और इस राष्ट्रीयता की भावना का सामना करने वाला नेतृत्व-वर्ग स्वयं को बड़ी विकट परिस्थितियों में पा रहा है। ईरान और अब पोलैण्ड जो पहले आज्ञाकारी औपनिवेशिक राज्य थे, इसी भावना के प्रज्वलित होने के उदाहरण हैं। लैटिन अमेरीका और मध्यपूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करने वाली और पूर्वी यूरोप में रूस को प्रभावित करने वाली उथल-पुथलों के सभी संकेत इस प्रवृत्ति के जारी रहने की पुष्टि कर रहे हैं।

वस्तुतः महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा और उनकी पूर्णतः विवेकहीन शस्त्रास्त्रों की होड़ की काली छाया हमारे क्षेत्र में भी पड़ चुकी है। ईरान और अफगानिस्तान में हुए परिवर्तन के बाद अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का ध्यान इस उप-महाद्वीप पर केन्द्रित हो गया है। हिन्द महासागर में

सैनिक और नौसैनिक गतिविधि' अफगानिस्तान की सतत अनिश्चितता और पाकिस्तान द्वारा नई किस्म के शस्त्रों को लिए जाने से भारत में सुरक्षा का खतरा निसंदेश बढ़ गया है।

जैसा कि मैं इस सदन में कई बार कह चुका हूं कि रूस में हमारे प्रति अपने निश्चित रुख का परिचय दिया है। हम परस्पर मैत्री का आदर करते हैं, और परस्पर सम्मान के आधार पर इस सम्बन्ध को और मजबूत बनाने की इच्छा रखते हैं। परन्तु अमेरिकी भूमिका दुभक्ष्यपूर्ण रही है, सालिका हैरिसन के स्पष्टतः वर्णित शब्दों में यह 'चिरस्थाई आत्म-परानयी मूल' है जो 'उपमहाद्वीप में अमरीका-विरोधी ज्वाला को ही प्रज्वलित करने में सफल होगी।

राष्ट्रपति के रूप में रीगन के पहले वर्ष में ही भारत-अमरीकी सम्बन्धों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। 1981 के पेंटागन वार्षिक सैनिक पोस्टर विवरण में स्पष्टतः कहा गया है कि यह दक्षिण-पश्चिम एशिया में अपना सैनिक संतुलन सुधारना चाहता है संयुक्त राज्य एक नया भू-राजनैतिक पृष्ठभूमि निर्माण करना चाहता है जिसका पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण अंश है। वस्तुतः इसके पीछे कुटिल उद्देश्य रूसी शक्ति को सीमित करना और रूसी सैनिक हस्तक्षेप की संभावना से बचाना है, और वाशिंगटन द्वारा यह सोचा गया है कि पाकिस्तान इस योजना के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थल है। यह विश्व के लिए कितना खतरनाक है कि प्रमुख नाभिकीय शक्ति अपनी निदेश नीति योजनाओं को ऐसे सामान्य और आदूरदर्शी विचारों पर आधारित करती है। अगर यह मान भी लिया जाए कि रूस पाकिस्तान में हस्तक्षेप करना चाहता है, हालांकि मेरे विचार से वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्या वाशिंगटन यह महसूस करता है कि पाकिस्तान उन्हें ऐसा करने से रोक सकेगा ? इसके अतिरिक्त यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान को सप्लाई किए जा रहे उच्च-शक्ति वाले शस्त्रास्त्र उसके पश्चिमी मोर्चे में इस्तेमाल नहीं किये जा सकते। भारत के विरुद्ध वरन् केवल पूर्वी मोर्चे में अदूरदर्शी विचारों पर आधारित है इस अप्रत्याशित और अनावश्यक कार्यवाही से शांतिप्रिय और गुटनिरपेक्ष भारत को तत्काल ही नव अविष्कृत शस्त्रास्त्रों की काली चमचमाती नालों की ओर देखना पड़ रहा है। इस परिस्थिति में अपने रक्षा-क्षेत्र को पर्याप्त साधन प्रदान करने के प्रयास करने से हमारी अर्थव्यवस्था पर जो अभी-अभी ठीक हालत में लाई जा रही है, बड़ा बोझ पड़ेगा। स्थिति को और गम्भीर बनाते हुए संयुक्त राज्य अमरीका की विश्व मुद्रा कोष के सम्बन्ध में नीति, उसका तारापुर समझौते को वास्तविक रूप में एक तरफ रद्द किया जाना और संयंत्र के लिए आवश्यक फालतू उपकरण देने से मना करना—यह सब एक ऐसे देश के विरुद्ध ऐसा कुटिल षड्यन्त्र है जिसकी विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसका अमरीकी दृष्टि से एकमात्र अपराध उसका आश्रित राज्य होने से स्पष्टता इनकार कर देना है, वाशिंगटन इस आशा से कि विविध रूपी सामरिक-सहयोग संभव हो जाए। इस उम्मीद से कि प्रायोजित सैन्य-बल का फैलाव पाकिस्तानी पत्तनों की पहुंच तक हो जाए, इस आशा से कि नौसेना सुविधाएं और अमरीकी इलेक्ट्रानिक आसूचना स्टेशन पेशावर में पुनःस्थापित हो जाए; अपने सम्बन्ध पाकिस्तानी सैनिक शासक से जोड़कर भारत के साथ अपने हितों की बलि देने को तैयार है। उक्त प्रयोजनों को भूतपूर्व संयुक्त चीफ आफ स्टाफ के चेयरमैन एडमिरल टामस एच० भूर जैसा व्यक्ति ही प्रदर्शित कर सकता है। यह अशुभ स्थिति है कि नई दिल्ली में अमरीकी राजदूत को उसके प्रशासन ने वापस बुला लिया है, वस्तुतः राजदूत बर्नीज का यह आश्वासन कि पाकिस्तान अमरीकी शस्त्रों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं करेगा—1965 व 1971 की कुछ घटनाओं को ध्यान में रखते

हुए—दृढ़ विश्वास की अपेक्षा सौहार्दपूर्ण विचार मात्र है। विक्षुब्ध आन्तरिक स्थिति का सामना करते हुए अमरीकी सामरिक योजनाएं जनरल जिया के बिल्कुल अनुकूल बैठती हैं। लेकिन अमरीकी नीति क्या है ? अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के स्थाई रूप से निरन्तर बदलते परिवेश में क्या यह विवेकपूर्ण है कि एक शांतिप्रिय और शक्ति सम्पन्न महान देश के लिए अपने दरवाजें बन्द कर दिए जायें। क्या यह विवेकपूर्ण है कि विकासशील देशों में अग्रमी औद्योगिक देश के लिए अपने दरवाजे बन्द कर दिए जाएं; क्या ऐसे देश के लिए अपने दरवाजे बन्द करने विवेकपूर्ण हैं जिसकी तकनीकी प्रगति ने विशेष सेटेलाइट क्लब और अन्टार्कटिका विजय अभियान के सदस्य के रूप में इतनी बुद्धिमत्ता पूर्ण वैज्ञानिक उपब्धि हासिल की है। संयुक्त राज्य अमरीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लोकतन्त्री देश है और लोकतंत्री हितों का प्रहरी बनने का दावा करता है। परन्तु यह बड़ी अजीब बात है कि वह दुनिया से सबसे बड़े प्रजातंत्री देश की अपेक्षा सबसे बड़े साम्यवादी देश से अपने सम्बन्ध अच्छे बनाए रख रहा है। अल सल्वाडोर, निकारागुआ, ग्वाटेमाला के प्रति इसकी भूमिका और दक्षिण अफ्रीका के प्रति इसके सम्बन्ध साधारण आदमी की आंखों को चकाचौंध कर सकते हैं। इस कथन में कुछ सच्चाई हो सकती है कि किसी भी देश को स्थाई मिलों की नहीं केवल स्थाई हितों की जरूरत होती है। लेकिन स्थाई हित भी अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के कम से कम कुछ सिद्धान्तों पर आधारित होने चाहिए। अन्यथा किसी भी देश की विश्वसनीयता खत्म होती जाएगी जैसा कि अमरीकियों के साथ हो रहा है।

सभापति महोदय : सिंधिया जी, सदन यदि मेरे विचार से सहमत हो तो हम कुछ मिनट तक और बैठ सकते हैं जिससे आप अपना भाषण पूरा कर सकें।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं इसे कल पूरा करूंगा क्यों मुझे अभी बहुत सी बातें कहनी हैं।

सभापति महोदय : अगर आप चाहें तो इसे आज ही समाप्त कर सकते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : मेरे विचार से मुझे अभी काफी कुछ कहना है। अतः मैं कल कहूंगा।

सभापति महोदय : अगर आप स्वयं ही कल बोलना चाहते हैं तो ठीक है। अन्यथा हम 15 मिनट और बैठ सकते हैं और आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं सदन के धैर्य की और परीक्षा नहीं लेना चाहता। मैं अपनी बात कल जारी रखूंगा।

सभापति महोदय : तब सदन की बैठक कल 11 बजे पुनः मिलने तक स्थगित की गई।

तत्पश्चात लोकसभा मंगलवार, 30 मार्च, 1982/9 चैत्र 1904 (शक) के 11 बजे माध्यानपूर्व तक के लिए स्थगित हुई।